# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8 ] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का 53वां दिवस [संख्या : 8

गुरुवार,

13 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

## मांग

## माननीय सदस्यों का निलम्बन व उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

**एक माननीय सदस्य :** आज तो आप बहुत खुश हो, अध्यक्ष महोदय ।

**श्री अध्यक्ष :** मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूं ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (उप नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, हमेशा खुश रहिये । मैं तो हमेशा प्रसन्न देखना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिसिंह जी ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

**श्री अध्यक्ष :** अब आज तो विराजो आप ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** मैं एक मिनट में अपनी बात कह देता हूं । मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा, दो मिनट में जो नयी बात आयी है वह कह रहा हूं ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं निवेदन कर दूं । मेरा निवेदन यह है कि प्रतिपक्ष का यहां होना बहुत आवश्यक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष का लोकतन्त्र में, संसदीय इतिहास में, संसदीय परम्पराओं में यहां रहना बहुत आवश्यक है ।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : इसलिए आप विराज जाइये । (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** जो जन समस्याएं हैं, यदि प्रतिपक्ष उन्हें नहीं उठाएंगा तो हमारा मन आहत रहता है और इस आहत मन को यह इस लोकतन्त्र की (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** सचेतक महोदय, पहले नेता, प्रतिपक्ष को बोलने दीजिये । संसदीय मान-मर्यादाओं का ध्यान रखिये । संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखकर माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दीजिये । आप बैठिये । (व्यवधान) सचेतक महोदय, आप बैठिये, हमारे नेता को बोलने दीजिये । आप बैठिये, सचेतक महोदय । (व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय, आप बैठिये । माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दीजिये ।

**श्रीमती कमला (बैराठ) :** आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** माननीय सचेतक महोदय, आप बैठिये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दें। (व्यवधान) यह आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** ... समस्याओं का समाधान होता। (व्यवधान) संसदीय लोकतन्त्र में प्रतिपक्ष के नेता के.. (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला :** आप बैठ जाइये। ऐसे कैसे चलेगा ? आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा (टोडामीम) :** + + + (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है.... (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** + + + (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** .... सवाल उठाया है उसके बारे में.... (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** आप अच्छी ट्रेडिशन मेन्टेन नहीं करना चाहते हाउस में। हाउस चलाने में .. . (व्यवधान)..... आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाइये। (व्यवधान) आप उधर ही उधर देख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी देखिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** शक्तावत साहब कोई बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** आप बैठिये। (व्यवधान) जनतन्त्र की बात करते हो, + + + जनतन्त्र छोड़ा ही कहां है आपने ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** वह भी अच्छी बात ही कह रहे हैं, अच्छी बात भी नहीं सुन रहे हो। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** सरकारी मुख्य सचेतक के नाते सरकार का क्या दृष्टिकोण है, यह मेरा दायित्व है....... (व्यवधान)

**श्रीमती कमला :** अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाइये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** प्रतिपक्ष के नेता .. (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :** अध्यक्ष जी की बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता के (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** + + +

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** अध्यक्ष महोदय, बिठाइये माननीय सदस्य को। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि महावीर जैन को (व्यवधान) निलम्बित किया जाए.... (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** + + + (व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** आप यह बहुत ही बुरी परम्पराओं का निर्वाह कर रहे हो। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** + + + (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप विराजिये, एक मिनट। माननीय शक्तावत साहब।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** कई बातें प्रतिपक्ष को मालूम नहीं हैं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कौल एण्ड शकधर की किताब नहीं पढ़ी और नियमों और प्रक्रियाओं की किताब नहीं पढ़ी। मैं कौल एण्ड शकधर और प्रक्रियाओं में क्या-क्या है... (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय शक्तावत साहब।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आप नहीं सुन रहे हैं तो मैं बैठता हूं आपकी सुनने के लिए। (व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक ने जिस तरह से मेरी बात कहने में व्यवधान उत्पन्न किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) सुन तो लें, साहब। बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। संसदीय लोकतन्त्र की दुहाई देकर हमारा + + + की कोशिश करते हैं। (व्यवधान) सुनिये तो सही।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया बोलने दे। (व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** हम भी संसदीय लोकतन्त्र की परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं। कल भी मैंने कहा था कि हम बजट भाषण का बहिष्कार नहीं करना चाहते लेकिन हमें मजबूर किया गया कि हम बहिष्कार करें। क्योंकि हमारी मुख्य मांग यह थी, जिस तरह से 22 तारीख को सदन में आधे घंटे स्थगित होने के बाद बिना कोरम बनाये हुए, किस कारण से आप प्रस्ताव ला रहे हो उसकी विवेचना किये बगैर, सदन को मौका दिये बगैर जिस तरह से प्रस्ताव लाये वह प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध था। (व्यवधान)

**श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :** इस बारे में 22 तारीख की कार्यवाही के मामले में बहस करवा लीजिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विराजें। कोगटा साहब, विराजिये।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाइये, ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कृपया शांति बनाये रखें। बात तो सुनें उनकी। (व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** आगे तो सुन लीजिये, मैं वह बात भी कहूंगा जो अच्छी बात है। (व्यवधान)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :** प्रश्न आवश्यक हैं।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** आप बैठिये। (व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनें तो सही।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, इन्हें सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम रामसिंह को क्या जवाब दें। खेद तो मैं प्रकट कर लूं, खेद प्रकट करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी बुद्धि का ठेका आपने ले लिया क्या ? विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सवाल यह है कि हम जनता को क्या जवाब दें, हम छात्र संसद को क्या जवाब दें, हम उस पुलिस के सिपाही रामसिंह को क्या जवाब दें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : प्रजातन्त्र को खतम करने की कुचेष्टा मत करिये। बन्द करिये इस + + + को। बन्द करिये आपके + + + को। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम उसको क्या जवाब दें ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप प्रजातंत्र की पद्धतियों का बिलकुल नाश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + कर दिया आपने। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को....

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बिठाइये, ये बार-बार खड़े हो जाते हैं। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, + + + (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं। जिस तरह से कार्यसूची में बजट पर आम चर्चा का विषय....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : + + + आसन का पूरा सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। शक्तावत साहब फरमा रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + आप देखें, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें, पूरा सुनें। विराजें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिस प्रकार से कार्यसूची में बजट पर आम चर्चा आज और कल रखी गयी है उससे भी ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष.....

एक माननीय सदस्य : सदन चलेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चलाओ, हम तो तैयार हैं। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में बजट पर चर्चा कराना चाहता है ... (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य, सुनें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** यह अगर उनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है तो ऐसी आस्था उन्हीं को मुबारक हो, मेरे को नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ...

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : बहिष्कार करते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया शांति बनाये रखें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** मेरे मुंह में आपके शब्द डालने की कोशिश मत कीजिये। मैं थोड़ा आपके साथ ही हूं, आपका साथी हूं, सुनने की कृपा करें। दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा, आपके अधिकारों का हनन नहीं करूंगा।

अध्यक्ष जी, जो तीन बातें हमने रखी थीं, विशेषाधिकार की, + + +

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात) : आज बहुत अच्छा है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** आज तो है, आज तो मैं स्वीकार करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** उस दिन भी वैसा ही था।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** + + + इसलिए हमें आपसे भी शिकायत थी और आज भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि निष्पक्ष रहना ही जरूरी है। यह सब को लगे कि आप निष्पक्ष हैं, यह बहुत आवश्यक है। न्याय होता है और दुनिया को नहीं लगे तो वह कैसा न्याय है। इसलिए आपको निष्पक्ष होना चाहिए और होने के साथ-साथ दिखना भी जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पश्चात् मेरी इन बातों के बाद सदन के नेता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। माननीय उप नेता महोदय ने भी परसों हमसे चर्चा की, आपने भी हमको चर्चा के लिए बुलाया। किसी औपचारिकता के साथ बुलाया हो, चाहे किसी भी तरह से बुलाया हो, हमने सबने भाग लिया है लेकिन प्रतिपक्ष की आपसे शिकायत है कि आपने उस मीटिंग के बाद दुबारा मीटिंग करने के लिए कहा था लेकिन आपने मीटिंग नहीं की क्योंकि + + +

**श्री अध्यक्ष :** जी नहीं, मैंने आपको रिंग किया था, फतेह सिंह जी के लिए रुके हुए थे।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** आपने दो दिन तक हमारे साथ सहयोग किया बहिष्कार करके, हमारे साथ सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये, विराजिये। बोलने दें, बोलने दें।

**श्री भंवरसिंह डांगावास :** अब यह व्यवधान कौन डाल रहा है (व्यवधान) विपक्ष के नेता, आपके ही आदमी व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** मैं अब भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई कहते हैं कि ये गोपीचन्द गुर्जर का मामला क्यों

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उठाते हैं,' कोई कहते हैं उसका मामला क्यों उठाते हैं। जो प्रस्ताव इस सदन में आता है, वह प्रस्ताव नियमों के विपरीत है तो विपक्ष को उसका प्रतिकार करने का अधिकार है। नियमों के विपरीत आये हुए प्रस्ताव को वापस लेने की मैं आपसे अनुनय करता हूं कि आप उस पर विचार करें। माफी मांगने का जहां तक सवाल है, सदन सम्मानप्रिय है, सदन सर्वोपरि है। वहां पर बैठे हुए लोगों को भी उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, इधर बैठे हुए को भी नहीं होनी चाहिए और आसन पर बैठे हुए को भी नहीं होनी चाहिए। यह हमारी परम्परा रही है कि अगर हमारे किसी सदस्य ने गलती की तो मैं विनम्र शब्दों में इस सदन से माफी मांगूगा, आसन से माफी मांगूगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) अड़ियल रुख को त्यागो और जो गलत प्रस्ताव सदन में पेश किया है, उसको वापस लो और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाओ। हम आश्वासन देना चाहते हैं... (व्यवधान) अगर यह नहीं करना चाहते हो तथा सत्ता पक्ष अपने अड़ियल रुख पर रहना चाहता है तो यह अड़ियल रुख उन्हीं को मुबारक।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष जी, +++ बिना विपक्ष के आप सदन चलाते रहे ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप विराजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन मत कीजियेगा और आपने आज फिर मुझसे कहा है कि....

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप विराजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने आज फिर मुझसे कहा मैं वार्ता के लिए तैयार हूं। आप जब भी सभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य को बुलाएगे हम वार्ता के लिए तैयार हैं, सम्मानजनक समझौता करने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मेरे दल के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भंवरसिंह डांगावास : सदन में रहो तो आपका वेलकम और बाहर पधारो तो भीड़कम। पधारो आपकी इच्छा हो तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। कुछ मुद्दे उन्होंने इस प्रकार के उठाये हैं जिनके बारे में आज विवाद का कोई विषय ही नहीं है। उन्होंने कुछ विवाद इस प्रकार के खड़े किये जो विषय ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की अपनी एक सीमा है। वार्ता के लिए हमने बार-बार प्रस्ताव किया है और हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के बिना, जिस प्रकार हाथी महावत के बिना निरंकुश होता है, उसी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार हम निरंकुश हो सकते हैं, इसलिए प्रतिपक्ष महावत है। यदि वह अपना कर्त्तव्य नहीं निभाएगा तो प्रजातंत्र में बहुत बड़ी गलती करेगा। + + + माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक रथ के दो पहिये हैं और रथ ठीक चले इसके लिए आवश्यक है कि दोनों पहिये ठीक प्रकार से चलें। संसदीय लोकतंत्र में यह बात सही है कि सरकार गिराने का दायित्व उनका है, उसके लिए वे प्रयत्न करते हैं और सरकार गिराने के लिए उन्होंने प्रयत्न किये, यह बात 20 तारीख की नहीं है, ये 17-18-19-20 तारीखों के अखबार यदि आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको लगेगा कि उनको वघेला की तलाश थी और इसलिए वे कभी निर्दलीयों को अपना नेता मानते हैं, कभी जनता दल को अपना नेता मानते हैं। कांग्रेस की यह स्थिति कभी नहीं बनी। आज आंध्र प्रदेश में उनको वहां से निकाल दिया गया। आज कांग्रेस की सारी स्थिति जिस प्रकार की हो रही है यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में और लोकतंत्र कायम रखने में हमारे हजारों लोगों ने बलिदान दिया है और वह लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। कोई पहले की तरह युद्ध के मैदान में यह तय नहीं होता कि कौन जीता, कौन हारा। वाद-विवाद के जरिये ही लोकतंत्र में यह बात तय हो सकती है कि किसने गलती की, किसने नहीं की। लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में कहीं पर भी इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ कि बिना वाद-विवाद के चाहे सदस्यता निलम्बित की गई हो, सदस्यता समाप्त की गई हो, यहां तक कि उसको जेल भेज दिया हो, यहां तक कि उसको सजा हो गई हो, क्रिमिनल प्रोसीजर भी उसमें अपनाया गया हो। उसके बाद भी सदन में चर्चा होती रही है लेकिन चर्चा करना नहीं चाहते। चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते कि वे अपने कृत्यों से स्वयं आपराधिक अपने आपको महसूस करते हैं इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते।

एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली है, उसके नियम 270 में यह कहा है कि कोई भी विधायक खड़ा होगा तो अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा होगा। इसी तरह 272 (10) में इस प्रकार का प्रावधान है कि अध्यक्ष के खिलाफ मानहानिकारक या किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे सिवाय इसके कि अध्यक्ष के खिलाफ यदि कोई अविश्वास का प्रस्ताव विचाराधीन हो। उस अविश्वास प्रस्ताव के अलावा किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद भी आसन पर लगातार आरोप लगाये जा रहे हैं। बाहर भी लगाये जा रहे हैं, सदन के अन्दर भी लगाये जा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी अवमानना है। आज तक इस प्रकार की परम्पराएं कायम की हुई हैं कि विधान सभा और लोक सभा के अध्यक्ष को सर्वोपरि माना है, उनको बहुत बड़े अधिकार हैं। वे चाहे तो सारे विपक्ष को निलम्बित कर सकते हैं, वे चाहे तो बहिर्गमन के लिए आदेश दे सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का आचरण, मैं समझता हूं कि संसदीय इतिहास

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में हमको कहीं नहीं देखने को मिलता जिस प्रकार लगातार अवमानना की जा रही है अध्यक्ष के खिलाफ, आसन के खिलाफ। यह कोई शांतिलाल जी चपलोत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यह आसन के खिलाफ जिस प्रकार अपमानजनक, जिस प्रकार के शब्द कहे जा रहे हैं उससे दिल आहत होता है कि आसन को इन्होंने क्या समझा है। कृत्य खुद ने खराब किये हैं। आज हमारे सामने प्रस्ताव वापस लेने का सवाल नहीं है।

एक सवाल था विशेषाधिकार का प्रस्ताव वापस लेने का कि वह वापस लिया जाए। नियम 235 (3) में यह प्रावधान है कि जो प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति में गया, यदि प्रस्तावक भी चाहे तो उसको वापस नहीं ले सकता। अब कैसे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वापस लिया जाए? आज यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाए कि कि पांच विधायकों का निलम्बन समाप्त हो, मान लो हम यह विचार भी करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जनता, आज छात्र संसद, आज वह सिपाही रामसिंह, आज एक-एक व्यक्ति रामसिंह के मार्फ़त यह पूछ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ, कानून बनाने वाली संस्था ने क्या किया, क्या विधायक कानून से ऊपर हैं। एक तरफ तो हम आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था है कानून में और दूसरी तरफ उन्हीं के माननीय सदस्य, इसी आसन पर बैठने वाले माननीय पूनमचन्द जी, पूर्व अध्यक्ष ने इस प्रकार की मांग की कि आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करवाये जाएं। इसी आसन पर विराजमान कांग्रेस के ही माननीय हीरालाल देवपुरा ने इस प्रकार की मांग की कि आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करवाये जाएं। हमने उनकी मांग को लोकतंत्र में स्वीकार करके आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करवाये। नहीं करवाये, इतना ही नहीं है, हमने आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करवाये, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर भी अभी तक किसी प्रकार का विचार नहीं हुआ। विशेषाधिकार समिति के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, उस प्रस्ताव के बारे में भी हम कह नहीं सकते, वह अपने आप में अवमानना है। लेकिन सवाल यह है कि आज जो भी प्रस्ताव आये हैं, उन पर वाद-विवाद क्यों नहीं करना चाहते? आज क्या वे इस बात की गारंटी लेना चाहते हैं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, राजस्थान, हिन्दुस्तान के मीडिया ने जिसको देखा है, जिन-जिन लोगों ने अपराध किया है, वे आइंदा नहीं करेंगे? क्या वे इस बात की गारंटी लेते हैं? यदि वह गारंटी लेते हैं तो हमको कोई हिचक नहीं है। वे माफी की बात करते हैं, हम तो साष्टांग दण्डवत कर सकते हैं लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए। यदि वे चाहें तो साष्टांग दण्डवत कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमको जवाब जनता को भी देना है। वह जो एक पत्र छात्र संसद का आपके पास आया है कि एक हैड मास्टर ने आपसे पूछा है, विद्यार्थी मेरे से पूछता है कि यदि हम छात्र संसद में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो मास्टरजी, आप मारेंगे तो नहीं? हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही तो नहीं होगी? उस छात्र संसद को हम क्या जवाब दें? उस जनता को हम क्या जवाब दें? आज हम सिपाही रामसिंह को क्या जवाब दें? हम मिलते हैं जब आपस में, गले मिलते

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हैं, हममें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल यह है कि यह सदन और यह आसन नियमों के अनुसार चले या नहीं चले। आवश्यकता इस बात की है कि नियमों के अनुसार चले और इसलिए यदि किसी ने भी आचरण किया हो तो उस पर वाद-विवाद होना चाहिए।

1988 में राज्यपाल के साथ इस प्रकार के व्यवहार की चर्चा इन्होंने की। यह भी चर्चा की कि एक माननीय मन्त्री के भा. ज. पा. के ही विधायक ने थप्पड़ मार दी, उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 22 तारीख का निलम्बन का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को यदि वे पढ़ेंगे, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे उस प्रस्ताव को पढ़ें, उसमें यह जिक्र है कि माननीय मदन दिलावर के गोपीचन्द गुर्जर ने थप्पड़ मारी। चारों विधायकों ने जिस प्रकार का आचरण किया, सीट पर चढ़ गये, आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। यह 22 तारीख की घटना है। जिस विशेषाधिकार की बात करते हैं वह मैं समझता हूं कि 20 तारीख की घटना के बारे में वह विशेषाधिकार प्रस्ताव है। वे अब कह रहे हैं कि आप एक पर कार्यवाही नहीं करते हैं, दूसरों पर करते हैं। विशेषाधिकार 20 तारीख का भी पड़ा है। आप पढ़ें तो उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि हमने कहीं इसमें गलती की है तो इतनी की है कि उसमें कांग्रेस के विधायक ज्यादा आक्रामक थे, ज्यादा लोग थे, हमने कम नाम लिख दिये होंगे। केवल सबक सिखाने के लिए कि भई, पांच विधायक बहुत हैं वरना यदि आप उस फोटो को देखो, उस वीडियो कैमरे को देखो तो हर व्यक्ति ने उसमें अपराध किया है। लेकिन मुझे खेद है कि संसदीय लोकतन्त्र में जनता के साथ मजाक किया जा रहा है और जनता की समस्याओं को उठाने में संकोच कर रहे हैं। आज सारी सीमाओं को तोड़कर जन समस्याओं के लिए यहां आना चाहिए। आवश्यकता है बजट पर बहस करने की, आवश्यकता है कि लोगों में दर्द क्या है उसको लेकर यहां पर आएं। पर वे तो आते नहीं और कहते हैं कि आप वह लीजिये। मैं कहता हूं कि आपको लोकतन्त्र के इस मन्दिर में, सदन में यदि क्षमा मांगने में, खेद प्रकट करने में दिक्कत आ रही है तो हम यह कहते हैं कि आप जनता के बीच में जाइये, आप जनता से माफी मांग लें, हम उसी को मान लेंगे। आप जनता के बीच में नहीं जाएं, आप सारे मीडिया को बैठा कर कह दीजिये कि उस दिन की घटना पर हमको खेद है, हम उसके लिए सबसे माफी चाहते हैं। हमको कोई जरूरत नहीं है, वे विधान सभा में माफी मांगे, कहीं मांगें, पर जवाब तो मिले जनता को। मेरा यही निवेदन है और जो ये सारी घटनाएं हुई हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से, प्रतिपक्ष से....

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : वापस मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, वाद-विवाद के लिए दरवाजे खुले हैं। यदि कहीं भी हमने गलती की है और वे कहते हैं हम क्षमा मांग लें तो हम तो क्षमा क्या, आप कहें जो मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सिपाही से कौन मांगे ? जनता से कौन मांगे ? इस लोकतन्त्र की जो सबसे बड़ी हानि हुई है, अध्यक्ष के खिलाफ जिस प्रकार का आचरण हुआ है, इस आसन के प्रति जिस प्रकार का अपमान हुआ है, ये सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं और जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं समझता हूं कि यह सदन कैसे माफ करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो फिर आमन्त्रित करता हूं कि वे आएं, बहस करें, वाद-विवाद करें और यदि हमारी गलती वे साबित कर दें, इस किताब के खिलाफ कोई आचरण हुआ है, कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध कुछ हुआ है तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, वे कहें जो करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आमन्त्रित करता हूं। धन्यवाद।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**प्रश्न संख्या 216**

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये। प्रश्नकाल। श्री हरिसिंहजी (महुआ)।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

**प्रश्न संख्या 217**

श्री रिछपालसिंहजी मिर्धा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

**प्रश्न संख्या 218**

श्री भीमसेन चौधरी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

**प्रश्न संख्या 219**

श्री हरजीरामजी बुरडक।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री दयारामजी। श्री भगोराजी।

### जनजाति स्वायत्तशासी परिषद का गठन

220. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा), **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) (के स्थान पर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जनजाति समुदाय के लिए अलग-अलग जनजाति स्वायत्तशासी परिषद् बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो इस समुदाय के लोगों को प्रदेश की जनता के साथ विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार क्या नये कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार जनजाति समुदाय के विकास के लिए महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास** (श्री नन्दलाल मीणा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष ने इस तरह से प्रश्न लगा कर भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है, ऐसा लगता है। यह, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो दयारामजी परमार का है फिर भी....

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने अनुमति दी है कि मेरी तरफ से ये पूछें।

**श्री नन्दलाल मीणा** : ठीक है, साहब।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : इसका मतलब हिस्सा तो ले ही रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, अपरोक्ष लें या परोक्ष लें।

**श्री अध्यक्ष** : यह अब आपका कयास है। (व्यवधान)

**श्रीमती तारा भण्डारी** : कयास तो यही है।

**श्री नन्दलाल मीणा** : अगर मेरा चाहिए तो इन्टरनली स्वागत है।.... (व्यवधान) हिस्सा लीजिये, स्वागत है।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बोलने दें।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : हम तो चाहते हैं सीधे ही हिस्सा ले लें।

**श्री नन्दलाल मीणा** : (1) जी हां। राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए अलग से स्वायत्त परिषद् बनाने के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार जनजाति समुदाय के विकास के लिए महाराष्ट्र पैटर्न आवश्यक संशोधन के साथ लागू करने का विचार रखती है तथा इसे नवीं पंचवर्षीय योजना से लागू करने का मामला विचाराधीन है।

**श्री महावीर भगोरा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार विचार कर रही है। पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने इसी संदर्भ का एक प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के बारे में कहा था। एक पूरा वर्ष व्यतीत हो गया है, तो यह कब तक विचार करेंगे ? नम्बर एक यह है। दूसरा, जहां तक स्वायत्तशासी परिषद् के गठन का सवाल है, क्या ऐसा कोई संविधान में प्रावधान है या कोई उल्लेख किया गया है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में इस तरह की परिषदों के गठन का प्रावधान हो ? तीसरी बात, मेरा यह मानना है कि संविधान में प्रावधान होगा तभी हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उदयपुर सम्भाग की एक आम सभा में यह घोषणा की थी कि हम स्वायत्तशासी परिषदों का गठन करेंगे। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह का कोई उल्लेख और प्रावधान है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो उल्लेख किया था वह किस के तहत किया था ? साथ ही महाराष्ट्र पैटर्न का जहां तक सवाल है, आवश्यक संशोधनों का उल्लेख किया गया है, तो क्या माननीय मंत्रीय महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे आवश्यक संशोधन क्या होंगे और उन संशोधनों पर क्या जनजाति परामर्शदात्री परिषद में चर्चा रखने का कोई विचार है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री चुन्नीलालजी। एक मिनट।

**श्री पूंजालाल (बागीडोरा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनजाति स्वायत्तशासी परिषद के गठन का मामला

(श्री पूंजालाल)

है, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में जनजाति उप योजना क्षेत्र के आदिवासी सम्मेलनों में पिछले समय के मुख्य मन्त्री काल में भी घोषणाएं कर चुके हैं। महाराष्ट्र पैटर्न से प्रशासनिक पद्धति लागू करने के सम्बन्ध में अध्ययन दल में मैं भी महाराष्ट्र गया था। पिछले सत्र में माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में यहां भी रखा था, उस समय आपने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से, यानि यह अगला जो वित्त वर्ष प्रारम्भ होने जा रहा है, हम लागू कर देंगे। और अब कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से विचार कब तक चलता रहेगा? यह स्वायत्तशासी परिषद संविधान के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत लागू की जानी चाहिए, जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे देश में है इस तरह की आदिवासी स्वायत्तशासी परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। यह हमारे लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री पी. ए. संगमा ने भी कई सम्मेलनों में कहा है। इसलिए मैं पुरजोर अनुरोध आपसे करता हूं कि जनजाति उप योजना क्षेत्र के लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिए जिला परिषदों को भी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अभी 24 दिसम्बर, 1996 को भी जो चौहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ पंचायतों के बारे में, उसमें भी जनजाति उप योजना क्षेत्र में नये नियम और नीतियां लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं, जिसमें ग्राम गणराज्य की अवधारणा है। उसको तुरन्त लागू करने के लिए भी मैं सदन से अनुरोध करता हूं और राज्य सरकार से भी इस सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय लिये जाने की अपनी मांग सदन में रखता हूं। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

**श्री बलीचन्द** (दानपुर) : घोषणा करें मंत्रीजी।

**श्री नन्दलाल मीणा** : जवाब तो दे दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उप योजना क्षेत्र में स्वायत्त परिषद और उप योजना क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का सवाल है, दो अलग अलग दिशाएं हैं। पिछले वर्ष कुछ माननीय सदस्य और अधिकारीगण इस महाराष्ट्र पैटर्न की स्टडी के लिए महाराष्ट्र गये थे, उड़ीसा गये थे और गुजरात भी गये थे। वर्तमान में राजस्थान में उप योजना क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में विभिन्न विभागों के माध्यम से जो निर्धारित राशि है वह सम्बन्धित विभाग ही व्यय करता है। महाराष्ट्र पैटर्न यह कहता है कि जो विभाग उस उप योजना क्षेत्र में विकास के और उत्थान के कार्य कर रहे हैं वे सारे कार्य जनजाति विकास विभाग के माध्यम से हों। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले सत्र में भी इस सवाल का जवाब मेरे द्वारा दिया गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना, अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997-98 से प्रारम्भ हो रही है और मैंने पिछले जवाब में भी यही कहा था कि वर्ष 97-98 से इस महाराष्ट्र पैटर्न को राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं, यह भ्रांति तो उनकी दूर हो गयी कि यह महाराष्ट्र पैटर्न नवीं पंचवर्षीय योजना से मतलब 1997-98 से है।

(श्री नन्दलाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वायत्त परिषद का सवाल है, सदन को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि भूरिया कमीशन के रूप में एक कमीशन का गठन पार्लियामेंट ने किया था जिसके आधार पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र अन्य राज्यों में भी किस ढंग से कार्य का संचालन करे, निष्पादित करे, इस दृष्टि से वह संसद को रिपोर्ट दें। वह रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत हो गयी और इसके बाद 24 दिसम्बर, 1994 को पार्लियामेंट में एक नया कानून पास हुआ जिसके अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र में प्रशासनिक ढाचे को किस प्रकार का स्वरूप दिया जाए, उसका उल्लेख है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, कि उन्होंने राजस्व ग्राम में ग्राम सभा का निर्धारण दर्शाया है कि ग्राम सभा कैसी होगी, उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार के सदस्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन दिन से हमारे उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी चर्चा हो रही है, हम यह चाहते हैं कि आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर व जयपुर में एक संगोष्ठी आयोजित करे जिसमें संविधान के ज्ञाता, कानून के वेत्ता, समाज-शास्त्री, राजनीतिज्ञ और जन प्रतिनिधि हिस्सा लें और हिस्सा लेकर के एक नई दिशा तय करें कि यह जो दिसम्बर, 1996 में कानून भारत सरकार में पास हुआ है उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में राजस्व की भूमि जो गैर आदिवासियों को स्थानान्तरित नहीं की जा सकती इस कानून में स्पष्टीकरण नहीं होने की वजह से तो शंका इस बात की है कि कहीं ग्राम सभा यह निर्णय न ले ले कि यहां की जमीन भी गैर आदिवासियों को स्थानान्तरित कर दी जाए। ऐसी स्थिति में उपयोजना क्षेत्र का रहने वाला आदिवासी वर्ग कृषि क्षेत्र में और आर्थिक दृष्टि से और पिछड़ जाएगा। इस दृष्टि से सारे पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करके बहुत जल्दी ही इस मामले में निर्णय किया जाएगा। जहां तक परामर्श-दात्री समिति का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा सत्र के बाद बहुत जल्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक को आहूत किया जाएगा और उसमें भी इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा। चूंकि यह मसला बहुत संवेदनशील है, बहुत दूरगामी है, इस दृष्टि से सारा सोच-समझ कर ही निर्णय लिया जा सकता है। विलम्ब अवश्य हो रहा है परन्तु नीयत में किसी प्रकार का फितूर नहीं है।

स्वायत्त परिषदें वहां हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां छोटे-छोटे राज्य हैं, जहां एक विधान सभा क्षेत्र का एक संसद सदस्य चुना जाता है। वहां छोटे-छोटे राज्य हैं और कबीलाई लोग वहां रहते हैं। राजस्थान की सामाजिक स्थिति और खासकर आदि-वासी उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों का जो सामाजिक ढांचा है वह इस तरह का नहीं है जो उत्तर पूर्वी राज्यों से मेल खाता हो। इन परिस्थितियों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। आपका इसमें मार्गदर्शन मुझे मिलेगा, ऐसी आशा करता हूं। माननीय सदस्य भी उसमें हिस्सेदारी लेंगे और उसी के आधार पर दिशा-निर्देश तय होंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** श्री चुन्नीलालजी गरासिया।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 1997-98 के बजट में हमने प्रावधान रखा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या बजट में ही प्रावधान रखा गया है? यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है कि क्या मन्त्रिमण्डल स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया है कि 1997-98 में हम महाराष्ट्र पैटर्न को लागू कर लेंगे? यदि कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी तरफ से और जनजाति क्षेत्रों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और नहीं लिया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कब लेंगे और कब से लागू होगा?

**श्री नन्दलाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न का अभिप्राय यह है कि राजस्थान के राज्य मद से उपयोजना क्षेत्र में और राज्य में जितनी जनजाति की आबादी है उस अनुपात में राज्य के बजट का हिस्सा उनको स्थानान्तरित किया जाए। इस प्रकार राजस्थान के कुल बजट की 12.44 प्रतिशत राशि इस उपयोजना क्षेत्र के लिए आबंटित की जाती है। प्राय: यह देखा गया है और सत्य भी है कि पिछले कुछ अरसे के पहले जो निर्धारित राशि है वह विभागों को आबंटित नहीं की जाती थी। पिछले तीन वर्षों में हमने यह प्रयास किया है कि 12.44 प्रतिशत राशि उपयोजना क्षेत्र के लिए रखी जाए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो उदयपुर ग्रामीण से आये हैं, उनको थोड़ी सी शंका इस बात की है कि यह पैसा व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज स्थिति यह है, मान लीजिए कि सिंचाई विभाग उपयोजना क्षेत्र में पैसा खर्च करता है, माही पर खर्च करता है कालीं बार के नाम से खर्च करता है परन्तु पैसा तो उपयोजना क्षेत्र का है और लाभान्वित हो रहे हैं गैर आदिवासी क्षेत्र के लोग, तो इस पर हमारा किसी प्रकार का कोई सीधा अंकुश नहीं है। महाराष्ट्र पैटर्न यह कहेगा कि यह पैसा जनजाति विकास विभाग के माध्यम से ही खर्च किया जाएगा। जनजाति विकास विभाग के माध्यम में ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होंगे जो उस इलाके में जहां लघु सिंचाई की आवश्यकता है, लिफ्ट की आवश्यकता है, खुद ही अपने हिसाब से निर्धारण करके उस पर अपनी स्वीकृति जारी करेंगे। कान इधर से पकड़ो या पीछे मुड़कर पकड़ो, इतना ही फर्क है और यह 1997-98 में सीधा पकड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

**श्री महावीर भगोरा :** एक मिनट, साहब।

**श्री अध्यक्ष :** आपको और कुछ पूछना था क्या? आपने पूरी बात कह दी न कि महाराष्ट्र पैटर्न से लागू करें?

**श्री महावीर भगोरा :** भाषण तो हो गया, साहब। मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है आवश्यक संशोधन, वे संशोधन क्या हैं यह तो पता पड़े। क्या आवश्यक संशोधन के साथ पेश करेंगे? मैं कैसे कोई माननीय मंत्री

(श्री महावीर भगोरा)

महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अत्यधिक प्रयत्नशील हैं कि कम से कम जनजाति क्षेत्र का ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, संविधान में 73वां अमेण्डमेंट हुआ है दिसम्बर, 1996 में। उसकी प्रति मैं लाया था कि माननीय सदस्यों को भी उसकी प्रति अध्ययन के लिए दी जाए। लाइब्रेरी में फोटो-स्टेट हो रही है मैं उनको लाकर दे दूंगा। जो भ्रान्तियां हैं हमने हमारे हिसाब से विचार-मंथन करके माना। उसमें किस प्रकार के संशोधन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने चाहिए इस दृष्टि से उसको संशोधन के रूप में रखा गया है।

प्रश्न संख्या 221

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 222

श्री खेतसिंह राठोड़।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 223

श्री भीखा भाई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 224

श्री रामस्वरूप मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जोगेश्वर गर्ग।

## परिवहन निगम द्वारा संचालित बसें

225. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा पिंक लाइन, सिल्वर लाइन, सुपर डीलक्स, सुपर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इत्यादि कुल कितनी श्रेणी की बसें संचालित की जा रही हैं ? श्रेणीवार कुल बसों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम के जालौर, सिरोही, आबूरोड, फालना, पाली तथा बाड़मेर आगारों में उपरोक्त में से प्रत्येक श्रेणी की कितनी-कितनी बसें संचालित की जा रही हैं ? आगारवार व श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा) : (1) परिवहन निगम द्वारा संचालित विभिन्न श्रेणी की कुल बसों का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र. सं. | श्रेणी | संचालित बसों की संख्या (दिसम्बर, 1996 तक) |
|---|---|---|
| 1. | वातानुकूलित (पिंक लाइन) | 8 |
| 2. | डीलक्स (सिल्वर लाइन सहित) | 34 |
| 3. | सेमी डीलक्स | 155 |
| 4. | एक्सप्रेस (सुपर एक्सप्रेस सहित) | 1511 |
| 5. | साधारण | 2697 |

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

(2) निगम के जालोर, सिरोही, आबूरोड, फालना, पाली तथा बाड़मेर आगारों द्वारा सचालित वाहनों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वातानुकूलित और पिंक लाइन, सिल्वर लाइन बसें क्या सिर्फ जयपुर और उसके आस-पास के जिलों के लिए ही बनी हैं ? मैंने 6 डिपों के बारे में पूछा है, आधे से ज्यादा मारवाड़ कवर हो गया है, इसमें कहीं एक भी पिंक लाइन बस नहीं है और सिल्वर लाइन की भी सिर्फ आठ बसें दे रखी हैं जिसमें जालोर को एक भी नहीं है। यहां तक कि जालोर को आपने डीलक्स बस भी नहीं दे रखी। एक मात्र सेमी डीलक्स दे रखी है, वह भी पता नहीं कहां है। अब उस अनुबंधित को आप सेमी डीलक्स मानते हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर में स्कोप है और स्कोप पिंक लाइन के लिए भी है। उदाहरण के लिए मुम्बई से अहमदाबाद एक ट्रेन चलती है शताब्दी, जो सिर्फ छह घण्टे में अहमदाबाद पहुंचाती है। डेढ़ बजे पहुंचती है। उसके साथ यदि आप एक ए. सी. बस लगाएंगे अहमदाबाद से जालोर वाया रानीवाड़ा तो बहुत आराम से चलेगी, भरी हुई चलेगी, कभी खाली नहीं चलेगी। खासकर जब ब्राडगेज वाला ही झंझट पड़ा हुआ है तो ऐसी बसें बहुत आराम से चल सकती हैं। लेकिन जालोर की इस बारे में हमेशा उपेक्षा हो रही है। डीलक्स बस एकमात्र चलती थी जालोर से जयपुर वह भी आज की तारीख में नहीं चल रही है। 10-10, 11-11 घंटे की यात्रा हमको सामान्य बसों में करनी पड़ रही है। अतः माननीय मंत्री महोदय इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं, कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अजमेर से बीकानेर, अजमेर से जोधपुर और अजमेर से फलोदी होकर जैसलमेर तक की गाड़ियां चलती हैं और वे मेड़ता को 80% टच करती हैं। धन्यवाद भी देता हूं कि इन्होंने वहां डिपो को प्रारम्भ करने का मुझे आश्वासन दिया लेकिन सदन में आश्वासन चाहूंगा, नं-एक बात। दूसरा, इसी बात की पीड़ा जो श्री जोगेश्वर जी की है वह मेरी भी है। बीकानेर की कोई भी बस या जोधपुर की कोई भी बस मेड़ता होकर ऐसी नहीं मिलती जो आरामदायक हो। तो यह प्रार्थना है कि यह भी आश्वासन दें कि कम से कम दो बसें दिन में चाहे पिंक लाइन नहीं हो लेकिन अगर डीलक्स बस भी निकल जाए तो; एक बस जोधपुर निकल जाए और एक बस दिन में मेड़ता होकर नागौर से बीकानेर निकल जाए। यह आश्वासन दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी गरासिया... (व्यवधान) सबका एक साथ ही दे देना आप तो.... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर राजस्थान का

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कश्मीर कहा जाता है। यहां देश के ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उदयपुर ब्रॉडगेज से जुड़ा हुआ भी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ए. सी. गाड़ियां जयपुर से दिल्ली चलती हैं, जयपुर से उदयपुर ए. सी. बसें चलाने की क्या आपकी कोई योजना है? यदि है तो मैं आपको बड़े जोर से कहूंगा कि वहां पर्यटन आपको बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि उदयपुर ऐतिहासिक स्थान होने के कारण देश-विदेश से भी काफी पर्यटक आते हैं। ब्रॉडगेज से न जुड़े होने के कारण एयर से बहुत कम लोग आ पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ए. सी. से अगर जोड़ेंगे उदयपुर को जयपुर, बाम्बे या अहमदाबाद से तो मैं समझता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से आपकी आय में काफी बढ़ोतरी होगी। मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह की योजना बनाकर दी है?

**श्री अध्यक्ष** : वैसे, माननीय सदस्य, इन्होंने जालौर, सिरोही, आबू, फालना

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी आय के लिए बहुत ही अच्छी सिफारिश कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : जयन्तिलाल जी। आप बैठें। ये अपने जिले की बात कह रहे हैं। यह उनके जिले की बात हो रही है।

**श्री जयन्तिलाल कोली** (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जोगेश्वर जी ने फरमाया है कि हमारे सिरोही और जालौर जिले की उपेक्षा हो रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि माउण्ट आबू जो पर्यटन की दृष्टि से भी प्रमुख क्षेत्र है, वहां से जयपुर आने के लिए बस नहीं है, चाहे सुपर डीलक्स हो या ए. सी. हो। तो मैं मांग करूंगा कि वहां भी एक जयपुर के लिए बस हो। दूसरा मेरा यह कहना है कि सूण्डामाता जी और अम्बा जी दोनों दर्शनीय स्थल हैं, सूण्डा-माताजी से अम्बाजी तक दो बस चालू करने का कष्ट करें।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष** : तारा भण्डारी जी।

**श्री दलीचन्द** (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अभी आपकी तरफ नजर नहीं है। अभी जालौर, सिरोही, आबू रोड, फालना, पाली और बाड़मेर की बात है।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी जोगेश्वर जी ने कहा कि सिरोही से जयपुर के लिए कोई भी ए. सी या द्रुतगामी अच्छी बस नहीं है, तो क्या जयपुर के लोग ही ए. सी. बसों में बैठने लायक हैं? क्या हम पश्चिमी राजस्थान के लोग इन बसों में नहीं बैठ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन बसों को क्या पता मुझसे क्या बैर है कि मैं तो जितनी बार बैठी, मेरे एक्सीडेण्ट हुए, हाथ-पैर में फ्रेक्चर हुए। अभी दो महीने पहले, अध्यक्ष महोदय, हंसने की बात नहीं है, मैं बस में बैठी थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की लेकिन ड्राइवर ने चलती बस

(श्रीमती तारा भण्डारी)

में इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मैं गिर पड़ी और मेरी कॉलर बोन फ्रेक्चर हो गयी जो अभी तक ठीक नहीं हुई ।

**श्री अध्यक्ष** : बस सूट नहीं करती आपको । आप जीप में जाया करो ।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिला मुख्यालय है, गुजरात जाने का भी रास्ता है और पर्यटन स्थल है महत्वपूर्ण । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि यातायात मंत्री जी हमारे यहां से अच्छी ए. सी. बस शुरू करें, वीडियो कोच शुरू करें । कम से कम उसके चालक और परिचालक ऐसे ट्रेंड लगाएं जो रोज-रोज एक्सीडेंट करके भाग नहीं जाएं । अध्यक्ष महोदय, सिरोही सबसे आखिरी जिला है उसके बाद गुजरात शुरू होता है, इसलिए गुजरात के मुकाबले में हमें भी अच्छी बस दी जाए । धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रभुराम जी ।

**श्री बलीचन्द** : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है ।

**श्री अध्यक्ष** : अभी इनके जिले की बात ज्यादा हो रही है ।

**श्री बलीचन्द** : साहब, ऐसा है कि हमारा भी उसी से सटा हुआ क्षेत्र है ।

**श्री अध्यक्ष** : एक सैकण्ड, आप विराजें । अभी आपको भी समय दूंगा, आप बैठें । (व्यवधान) प्रभुराम जी गरासिया ।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : अध्यक्ष महोदय, हमारे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए । जिन लोगों को हमने जिले से बाहर कर दिया वे हमारे जिले के बारे में नहीं बोलें ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, इनका बाड़मेर जिला भी है इसमें । (व्यवधान) जी, नहीं जालौर सिरोही सब का ही है ।

**श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में बहुत कम बसें चल रही हैं । वहां काफी आदिवासी लोग पिंडवाड़ा के लिए या आबू रोड के लिए इकट्ठे होते हैं और टैक्सियों के कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं । मैंने कई बार सिरोही डिपो मैनेजर को कहा । वहां दीपावली के दिन दंगे हुए और 600–700 लोगों पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी । एक बस भी नहीं भेजी उन्होंने । जो बस देवड़ा जाती थी वह भी उन्होंने नहीं भेजी । एक दिन पहले मैंने उनको टेलीफोन किया, पर टेलीफोन करने के बावजूद भी वहां एक कोटा की बस थी उस बस में वे सारे आदिवासी गये । वहां उनको पीटा गया और कई लोग अन्दर डाले गये । अब वहां ज्यादा रिस्क है क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, होली के सीजन में हमारे आदिवासी आबू रोड में आते हैं । मैंने आबू रोड के लिए कहा तो नीचलागढ़, उपलागढ़ और इधर बसें नहीं भेज रहे हैं । अब जाणबोड़ तक बस चालू करनी चाहिए, वह रोड एकदम रेडी है । वहां प्राइवेट कंडक्टर हैं या दूसरे हैं, उनकी जीपें चल रही हैं इसलिए वे बसें वहां भेजते नहीं हैं । मेरा यह निवेदन है कि आदिवासी एरिया में ज्यादा से ज्यादा द्रुतगामी बसें भेजें, उससे काफी आदिवासियों को लाभ होगा । धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष** : आपको कुछ कहना है ?

**श्री टीकमचन्द कान्त** : हां, अध्यक्ष महोदय, शांतिलाल जी खोईवाल से पहले मैं बोल लूं।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : कितना बोलोगे आप ? कितना रेलेवेंट बोल रहे हो ?

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आबू रोड का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नहीं नहीं, यह जिले की चल रही है, चार जिलों की बात चल रही है।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, यह लोक विषय है। आबू रोड का जहां तक प्रश्न है वहां आपरेटिंग स्टाफ आदि कम किया जा रहा है इसलिए आदिवासियों की जहां तक बात है उनको बस मिलना असम्भव-सा है। इस कारण से मंत्री महोदय इस तरफ तो ध्यान दें ही।

जहां तक एक्सीडेंट की बात है, अध्यक्ष महोदय, मुसाफिर अपनी जोखिम पर सफर करें। माननीय तारा जी जैसी अगर विधायक हैं तो उन सीटों को, मालूम नहीं कि विधायक बैठी हैं और कम से कम असावधानीपूर्वक अगर बैठेंगी (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? यह प्रश्नकाल है ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, विराजें। (व्यवधान)

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : इतनी नोंक-झोंक और लाइट तरीके से इस तरह का आर्ग्यूमेंट हो रहा है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा सा बिन्दु है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)** : एक दूसरे पर लांछन की बात क्यों कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ? और फिर महिला के ऊपर ? (व्यवधान)

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस विदिन ए मंथ प्रारम्भ होने वाला है। इस रेलवे ट्रैफिक को एकोमोडेट करने के लिए पर्याप्त संख्या में परिवहन विभाग की बसें चलाने का एक्सपीरियंस है लेकिन इस बार पर्याप्त संख्या में नहीं चला पाये हैं। यदि पर्याप्त संख्या में बसें रेलवे ट्रैफिक को एकोमोडेट करने के लिए नहीं चलायी गयीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अतः मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि पहले से ही योजना बना लें। प्रोसेस में है ठेका इसका और एक महीने के अन्दर-अन्दर यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा, अतः पर्याप्त संख्या में बसों का चलन प्रारम्भ कराएंगे ऐसा एश्योरेंस दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलीचन्द जी।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परम्परा रही है कि जब तक मूल प्रश्नकर्त्ता के पूरे जवाब नहीं आ जाएं तब तक अन्य को अलाउ नहीं किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : अभी सब का साथ ही ले लेंगे।

**श्री जोगेश्वर गर्ग :** कृपया आसन से निवेदन करूंगा कि उस परम्परा को निभाएं।

**श्री अध्यक्ष :** अभी आपका जवाब दिलाऊंगा, आप विराजें, दलीपचन्द जी।

**श्री दलीचन्द :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी जैसे सिरोही की बात आई कि गुजरात बार्डर से लगा हुआ है, वैसे ही हमारा बांसवाड़ा जिला भी गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। जयपुर से जाने वाला आदमी सीधा बम्बई, बड़ौदा यात्रा करता है लेकिन हमारे बांसवाड़ा के लिए केवल एक ए. सी. सिल्वर लाइन बस डाल रखी है और वह भी बिलकुल खराब है। एक बार मैं उस उस गाड़ी से गया। यहां से निकले और बांसवाड़ा पहुंचते-पहुचते उस गाड़ी के 5 टायर पंचर हुए। रात को रवाना होकर दूसरे दिन एक बजे वह गाड़ी पहुंची। दूसरी एक अनुबन्धित गाड़ी लगा रखी है जो एक कोई यादव ट्रेवल्स की है। वह गाड़ी इतनी छोटी है कि उसको सुपर डीइक्स में, सिल्लवर लाइन में काउंट कर रखा है। यह गाड़ी उसी एवज में चलती है। उस गाड़ी में जो बैठता है तो पैर तो अड़ते रहते हैं। अब साढ़े पांच सौ किलो मीटर की यात्रा करने वाला पैसेंजर कितनी परेशानी से जाता है। मैं मंत्री महोदय से पहले भी इस मामले में कह चुका हूं लेकिन मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसी कंडम घोषित गाड़ी हमारे बांसवाड़ा के लिए दे रखी है। कहते हैं कि वहां कोई बोलने वाला ही नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा से जयपुर के लिए सही गाड़ी डालें।

दूसरा, मेरा यह निवेदन था कि वहां से 7–8 वीडियो कोच चलती हैं। उन वीडियो कोच को बन्द करने के लिए भी इनको बार-बार कहा है कि वीडियो कोच बन्द करो ताकि यह गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये उस वीडियो कोच को बन्द करने में भी नाकामयाब हुए। 7–8 गाड़ियां चल रही हैं आज की तारीख में। डेली अप-डाउन करती हैं और हाउस फुल जाती हैं और हमारी गवर्नमेन्ट की गाड़ी में 5 या 7 सवारी जाती हैं। इसका मतलब तो आप इन वीडियो कोच को बन्द करोगे नहीं और हमारे लिए सही ढंग की गाड़ी डालोगे नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप बांसवाड़ा की ओर विशेष ध्यान देकर ढंग की गाड़ी लगाने का कष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें। मंत्री जी (व्यवधान) मंत्री जी का जवाब सुन लें। जोगेश्वर जी मूल प्रश्नकर्ता है।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है। आज जयपुर से कोटा जो गाड़ियां जाती हैं, सारी गाड़ियों की दशा खराब हो रही है, सारी गाड़ियां टूटी-फूटी हैं। जो गाड़ी दिल्ली चलती है और खराब हो जाती है उस गाड़ी को कोटा–बूंदी लगाया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डीलक्स बसें ठीक लगाई जाएं, ढग की लगायी जाएं।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें आप। माननीय मंत्री जी।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो आज साफ हो गई, और मैं इस बात के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद भी दूंगा कि हमारी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अच्छी सेवाओं के कारण जगह-जगह उसकी मांग बढ़ रही है। इसके लिए तो सचमुच मैं सदन के माननीय सदस्यों को बधाई भी देना चाहूंगा और धन्यवाद भी कि राजस्थान रोडवेज की बसों की सेवाओं की बुराई न करके उनकी डिमाण्ड ज्यादा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को कि कुछ हमारी मजबूरियां हैं, वर्तमान में जो हमारे पास में वित्तीय संसाधन हैं उसके हिसाब से। आपने पिछले सालों में देखा होगा कि हमारा बेड़ा चार सौ से आज साढ़े चार हजार के लगभग पहुंचा है। राजस्थान के प्रत्येक इलाके के खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से बसों की डिमाण्ड की, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वर्तमान साधनों के हिसाब से इनके क्षेत्रों में मैं बस सेवाओं का संचालन जल्दी से जल्दी कराऊं। लेकिन एक प्राब्लम और है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के सचालन में एक सबसे बड़ी बाधा यह आती है कि डीलक्स सुपर डीलक्स और वातानुकूलित बसों की मांग बढ़ रही है, अगर उसमें यात्री भार नहीं होता है और वह रूट अनार्थिक होता है तो रोडवेज वहां पर बस चलाने में सक्षम नहीं रहती। इस प्रकार की स्थिति में भी माननीय सदस्यों ने जब-जब मांग की मैंने बसें चलाने की कोशिश की है, लेकिन रूट अनार्थिक होने के कारण वे बसें बन्द करनी पड़ीं। अब चूंकि माननीय सदस्यों ने कहा है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनके क्षेत्रों में, मुझे आप लिखकर दे दें, मैं पुनः बस चलाऊं।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार सिरोही और आबू रोड की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि जालौर, सिरोही, आबू रोड, फालना, पाली तथा बाड़मेर आगारों में केवल जयपुर–आबू रोड की सिल्वर लाइन बस सेवा सिरोही–आबू रोड होकर संचालित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बस तो हमारी एक चल रही है पर उस पर 60 से 65 प्रतिशत तक यात्री भार रहता है। वह फुल सीटेड कभी नहीं चली है।

**एक माननीय सदस्य** : पूरी चलती है। कई बार हमको जगह नहीं मिलती। यह गलत कह रहे हैं आप।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : फुल सीटेड चलती हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : इसका मतलब टिकट नहीं कट रहे हैं। खड़े रहते हैं उनको सीटें नहीं मिलती हैं।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जिस प्रकार की सूचना दी है मैं उसके आधार पर लबो रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : गलत सूचना दी है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : पूरी बात सुनें। मंत्री जी की बात पूरी सुनें।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की शिकायत है और वहां पर यात्री भार उपलब्ध है तो निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं बस चलाने की कोशिश करूंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** श्री माधवसिंह जी दीवान

**श्री जोगेश्वर गर्ग :** अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, हमारा तो प्रश्न ही नहीं आया, और कितना बोलेंगे एक प्रश्न पर ?

**श्रीमती तारा भण्डारी :** अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर बात है ...

**श्री अध्यक्ष :** गम्भीर बात है, अब समय भी तो ...

**श्रीमती तारा भण्डारी :** अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सम्बन्ध है। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सिल्वर लाइन बस जो आबू रोड से जयपुर वाया सिरोही चलती है उसमें 65 परसेंट ही अधिभार होता है। यह बहुत गम्भीर बात है, इसकी जांच करानी चाहिए। बस तो ओवरलोड चलती है, इसका मतलब कंडेक्टर टिकट नहीं काटता और बस में बराबर चोरी हो रही है। इस लीकेज को बन्द करना चाहिए। जांच करवाये इसकी।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बिलकुल मानने को तैयार नहीं हूं कि सुपर डीलक्स और वातानुकूलित बस ओवर लोड चल रही हैं। यह मैडम का निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष :** अभी वातानुकूलित बस की बात हो रही है। तारा जी, बिराजें आप। आपने पूरी बात सुनी नहीं।

**श्रीमती तारा भण्डारी :** वातानुकूलित नहीं है, खाली डीलक्स है। खाली डीलक्स है और लोग खड़े भी रहते हैं। हम रोज सफर करते हैं उसमें।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि वातानुकूलित बस का 65 प्रतिशत ही आता है और उसके अलावा खाली रहती है। वातानुकूलित का कहा है। (व्यवधान) जोगेश्वर जी, और पूछ लीजिए आप। जल्दी पूछें।

**श्री जोगेश्वर गर्ग :** अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह प्रश्न था कि मेरे क्षेत्र में मैंने कुछ प्राइवेट रूट्स पर रोडवेज बसें चलाने की मांग की थी। केवल दो बसें, वह भी बाड़मेर डिपो की चली हैं जालोर डिपो की नहीं चली। जालोर डिपो के मैनेजर से लेकर चेयरमैन तक मैं अनेक बार लिखकर दे चुका, 2-3 रूट्स मैंने सजेस्ट किये जो आर्थिक दृष्टि से बहुत सफल रूट्स हो सकते हैं लेकिन उन पर विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है, निगम कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसमें आप कब तक कार्यवाही करोगे, एक बात ? दूसरी, जो अनार्थिक की बात है उसके लिए मंत्री महोदय जवाब दें कि आपका स्टाफ जिम्मेदार है या वे प्राइवेट बसें जिम्मेदार हैं जो आपकी बसों के आगे-आगे चलती हैं ? यदि वे जिम्मेदार हैं तो उनको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजें। अब इनको जवाब तो देने दो, समय हो रहा है।

श्री भवानी जोशी : मेरा एक प्रश्न था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि मुझे लिखकर दे दें, करीब 25 बार हम लिखकर दे चुके हैं। कितनी बार और हमको लिख कर देना पड़ेगा, यह हमें बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं पर माननीय सदस्य ने मुझे एक बार लिख कर दिया है। अगर 25 बार की प्रति मुझे उपलब्ध करा दें तो माननीय सदस्य जो चाहेंगे मैं कर दूंगा।

श्री भवानी जोशी : रजिस्ट्री डाक की है। मेरे पास उसकी रजिस्ट्री मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : विराजें, यह कोई डिबेट की बात नहीं है। आपको जवाब दे रहे हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ रूट्स के बारे में अवैध वाहन संचालन की जो चर्चा की है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इसमें प्राब्लम यह है कि जो एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कारगर इस प्रकार के कदम उठाये जा सकें कि अवैध वाहन संचालन रुक सके। नई यातायात नीति बनाने की जो हमने बात की है, नई नीति में हमने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए भारत सरकार को लिखा है। जैसे ही इजाजत आ जायेगी हम अवैध वाहन संचालन को रोकेंगे। माननीय सदस्यों की जो डिमाण्ड है उसकी मैं पूर्ति करने की पूरी कोशिश करूंगा।

**प्रश्न संख्या 226**

श्री अध्यक्ष : माननीय माधवसिंह जी दीवान।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री अर्जुनलाल जीनगर।

## मातृ कुण्डिया (चित्तौड़गढ़) का विकास प्रकरण

227. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि मातृ कुण्डिया जिला चित्तौड़गढ़ में पर्यटन विकास हेतु मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में दस लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि का उपयोग स्वीकृत में कर लिया गया ? यदि हां, तो कब कब कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उक्त सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब शेष राशि का उपयोग किस-किस कार्य में कहा-कहां कब-कब किया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पर्यटन स्थल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनास नदी

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

पर बने एनीकट कम काजवे को पानी अधिक रोकने के लिए एक मीटर और ऊंचा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर)** : (1) जी हां। वर्ष 1994–95 में स्वीकृत राशि दस लाख में से रुपये 7 55 लाख तीर्थस्थल मातृ-कुण्डिया में खर्च कर सराय, घाटी, मन्दिर व जन-सुविधाओं का जीर्णोद्धार व रंग रोगन के कार्य करवाये गये। मन्दिरों की साइड में पक्के पाथ–वे बनवाये गये। वर्ष 1995–96 में इस स्थल हेतु राशि पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। शेष राशि से मातृ-कुण्डिया में उद्यान विकसित करने का कार्य भी शामिल था लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं होने से उक्त कार्य नहीं किया जा सका। छतरियों की मरम्मत व घाटों पर बैठने की व्यवस्था के विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं।

(3) जी नहीं। मातृ-कुण्डियों के बनास नदी पर बने एनीकट कम काजवे की वर्तमान ऊंचाई 2 मीटर है। सरकार की सामान्य नीति अनुसार बीसलपुर कैचमेंट क्षेत्र में बनने वाले एनीकट की ऊंचाई अधिकतम 2 मीटर रखी जा सकती है। अतः इसकी ऊंचाई और अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्रीजी ने बताया था कि 7·55 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गयी है। 7.55 लाख रुपये जो खर्च किये गये हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन मेरे समक्ष करवाया जाए, ताकि उसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई हो तो सामने आ जाए।

जहां तक भूमि की उपलब्धता का प्रश्न है, इनके विभाग के अधिकारी मेरे से या ग्राम पंचायत के सरपंच से सम्पर्क करते तो जरूर भूमि मिल जाती, भूमि उपलब्ध है। तीसरा प्रश्न है कि मातृ-कुण्डिया मेवाड़ का एक ऐसा धार्मिक पूज्य स्थल है जहां पर एनीकट को एक मीटर ऊंचा उठा दिया जाए तो पानी अधिक भरेगा और इससे उसकी सुन्दरता में चार चांद लगेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : उसमें बोटिंग भी हो सकती है।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : एक निवेदन और था कि मातृ-कुण्डियों के साथ-साथ परशुरामजी के पिता जमदाग्नि ऋषि का भी आश्रम है, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाए। साथ-साथ गंगरार में देवधार है, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : यह मातृ-कुण्डिया के साथ साथ बीच में गंगरार आ गया ?.... (व्यवधान) मंत्रीजी को जवाब देने दें, आप बैठें।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : जमदाग्नि ऋषि का आश्रम .. (व्यवधान) मंत्री जी जवाब दें कि पुनर्मूल्यांकन मेरे समक्ष करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : अध्यक्ष महोदय, करवा देंगे। इनके साथ मैं खुद चली जाऊंगी, इनके क्षेत्र में जाकर कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**(12.00)**

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

### राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ का गठन

216. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ का वर्तमान में गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो वर्तमान बोर्ड की समय अवधि कब समाप्त होगी ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के गठन की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो क्या संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार बोर्ड के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के स्वामित्व, अधिकारों को तय करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार ट्रिब्यूनल का गठन कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में गठित बोर्ड की समयावधि 2 जनवरी, 1996 को समाप्त होने के कारण वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 19 के अन्तर्गत बोर्ड के पुनर्गठन होने तक वर्तमान में पूर्व बोर्ड द्वारा ही कार्य किया जा रहा है।

(2) जी हां। वक्फ अधिनियम, 1995 के अध्याय 4 की धारा 14 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजस्थान वक्फ (चुनाव) नियम, 1996 को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव नियम पारित होते ही बोर्ड के गठन की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के अन्तर्गत दिनांक 15-2-1997 को राजस्थान वक्फ अधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

### ग्राम जावला-मेहराणा (नागौर) में विद्युत आपूर्ति

217. श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र, डेगाना में कुल कितने 33/11 के.वी.जी.एस.एस. कार्यरत है ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जावला मेहराणा तहसील डेगाना (नागौर) में विद्युत आपूर्ति अनियमित रूप से हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अनियमितता में सुधार के लिए जावला-मेहराणा तहसील डेगाना में 33/11 के. वी. जी. एस. एस. बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल 9, 33/11 के. वी. जी., एस. एस. निम्न स्थानों पर कार्यरत हैं :–

1. सुटाटी, 2. दुगोर, 3. आन्जू 4 डेगाना 5. हरसोर 6. नीम्बरी कलां 7. मेरून्दा 8. थांवला 9. आलनियावास

(2) जी नहीं। ग्राम जावला व मेहराणा तहसील, डेगाना (नागौर) में विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है। इन गांवों में विद्युत आपूर्ति विद्युत उपलब्धि के अनुसार राज्य से अन्य क्षेत्रों की भांति ही की जा रही है।

(3) विद्युत तन्त्र में सुधार करने हेतु ग्राम जावला में एक नया 33/11 के. वी. जी. एस. एस. बनाने की स्वीकृति माह नवम्बर, 96 में जारी कर दी गई है। बजट व सामान की उपलब्धि के अनुसार वित्तीय वर्ष 1997–98 में ग्राम जावला में जी एस. एस. का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। ग्राम जावला में सब-स्टेशन का निर्माण होने से बाद मेहराणा में भी विद्युत आपूर्ति एवं वोल्टेज में सुधार होगा।

## जिला बीकानेर के पर्यटन स्थलों का विकास

218. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बीकानेर में पिछले तीन वर्षों में कितने-कितने विदेशी एवं देशी पर्यटक आये ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले व संभाग में अनेक पुरातत्व महत्व के स्थल व महल मन्दिर, हवेलियां आदि एशिया प्रसिद्ध ऊंट व भेड़ अनुसंधान केन्द्र व अन्य सांस्कृतिक साहित्यिक दुर्लभ ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) बीकानेर में 3 वर्षों से आये देशी-विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | देशी | विदेशी |
|---|---|---|
| 1994 | 160089 | 15983 |
| 1995 | 169772 | 18403 |
| 1996 | 168075 | 19983 |

(2) जी हां। बीकानेर संभाग में पर्यटन विकास हेतु निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं :—

1. जूनागढ़, बीकानेर की दीवारों का मरम्मत कार्य।
2. बीकाजी के टेकरी का संरक्षण कार्य।
3. करणी माता मन्दिर देशनोक का संरक्षण कार्य।
4. अभिलेखागार बीकानेर की दर्शक दीर्घा के कार्य।

(राज्य मन्त्री, पर्यटन)

5. चूरू, गंगानगर एवं सूरतगढ़ में पर्यटक विश्राम गृह के निर्माण कार्य।
6. यात्रिका सालासर, जिला चूरू में विकास कार्य।
7. वन विभाग के साधन से फोरेस्ट रेस्ट हाउस तालछापर का विस्तार।
8. डेजर्ट सर्किट योजना में भी बीकानेर को शामिल किया गया है।

## ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित नीति की क्रियान्विति

219. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए नीति की घोषणा वर्ष 1995 में की गयी थी? यदि हां, तो यह नीति क्या थी तथा उस पर अमल किस सीमा तक हुआ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस नीति को कार्य रूप देने के लिए अब तक कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कब-कब? जारी आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को रोजगार देना था जिसमें कितनी पूंजी निवेश होने का लक्ष्य था तथा इस लक्ष्य में कहां तक सफलता प्राप्त हुई वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में घोषित नीति में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो कब, क्या और क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। नीति की प्रति परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। नीति के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 8 नवम्बर, 1995 को एक गैर कृषि विकास अभिकरण गठित किया गया है जिसके द्वारा चर्म, ऊन, लघु खनिज पर आधारित उद्योगों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रारम्भिक चरण में मुख्यतः प्रशिक्षण के कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं।

(2) नीति को कार्य रूप देने के लिए जारी 6 जुलाई और 25 जुलाई, 1995 के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-"ब" व "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नीति के अन्तर्गत रोजगार अथवा पूंजी निवेश के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। अब तक प्रारम्भ किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-"द" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। सरकार द्वारा घोषित नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

**(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## लोकी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (कुम्हेर) का पुनर्संचालन प्रकरण

221. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की ग्राम पंचायत थैरावर जिस क्षेत्र के अन्तर्गत आये ग्रामों की जनसंख्या 5 हजार से अधिक है, में कार्यरत लोकी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. को अवसायक द्वारा पुनर्जीवित किये जाने की सिफारिश समिति की आम सभा के निर्णय अनुसार की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत थैरावर क्षेत्र में अन्य कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भरतपुर ने लोकी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. को पुनर्जीवित करने की सिफारिश करते हुये रजिस्ट्रार सहकारी विभाग जयपुर से अनुमति चाही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति के खाते में केन्द्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में अभी भी लगभग 50,000 रुपया जमा है ?

(5) क्या सरकार इस क्षेत्र के किसानों व उक्त समिति के सदस्यों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं। थैरावर ग्राम पंचायत में आये 3 ग्रामों की जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुसार 3071 है। लोकी ग्राम सेवा सहकारी समिति (अवसायनाधीन) के द्वारा ग्राम सभा के निर्णय पश्चात् अभिशंषा की गई कि "यदि विधिक या योजनागत दिक्कत न हो तो इस समिति को पुनर्जीवित किया जाना चाहिये।"

(2) थैरावर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 3 ग्राम हैं। इनमें 2 लोकी एवं करवारा अवसायनाधीन लोकी सहकारी समिति लि. के कार्यक्षेत्र में थे, जिन्हें ग्राम सेवा सहकारी समिति उसरानी में शामिल कर दिया गया है। तथा थैरावर पूर्व में भी ग्राम उसरानी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में है।

(3) जी, हां। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा प्रेषित पत्र के जवाब में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उप रजिस्ट्रार, भरतपुर को सूचित किया कि लोकी ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुनर्जीवित करना सम्भव नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रसारित निर्देशों के आधार पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के आदेश क्रमांक 15 (9) सविरा/योजना/75 दिनांक 13-2-76 के अनुसार एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 2800 हैक्टेयर भूमि तथा 2.00 लाख (वर्ष 1979–80) तक ऋण वितरण की क्षमता होनी चाहिए तथा पूर्णकालीन व्यवस्थापक को वेतन देने की क्षमता होनी चाहिए। समिति अब भी इन शर्तों को पूरी नहीं करती है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) अवसायनाधीन लोकी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के खाते में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर की कुम्हेर शाखा में दिनांक 3-3-97 को रुपये 61,234.93 जमा थे।

(5) कारण प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में अंकित है।

## ग्राम सेवकों के चयन में आरक्षण

222. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों के चयन में विकलांगों अन्धों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षण सामान्य श्रेणी के पदों में से रखा गया है ?

(3) उक्त चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग का आरक्षण कितना-कितना प्रतिशत है ?

### उत्तर

(1) जी, हां। कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विकलांगों का 3 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिकों का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण है।

(2) जी, नहीं।

(3) अन्य सेवाओं की भांति ग्राम सेवक के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति | 16 प्रतिशत |
| 2. | अनुसूचित जनजाति | 12 प्रतिशत |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 21 प्रतिशत |

## शिक्षकों की भर्ती हेतु वरीयता निर्धारण के मानदण्ड

223. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए सीनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा के उत्तीर्ण प्राप्तांकों को आधार मानकर वरीयता सूची बनाई जाती है ?

(2) यदि हां, तो प्रशिक्षण के पश्चात् शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु उसी शिक्षा को आधारित वरीयता क्यों नहीं दी जाती है ? ऐसी स्थिति में विगत दो वर्षों में कितने-कितने शिक्षक लाभान्वित होने से वंचित रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम–22 के परन्तुक 9 (क) (ब) (ख) में दिनांक 25-8-95 द्वारा संशोधन के फलस्वरूप शिक्षक (तृतीय श्रेणी) के पद पर नियुक्ति हेतु सैकण्डरी में हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित तीनों विषयों सहित पांच विषय तथा सीनियर सैकण्डरी योग्यता निर्धारित की गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की मूलभूत

(शिक्षा मंत्री)

आवश्यकता की पूर्ति हेतु नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण किया हुआ है जिसके सैकण्डरी एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार–शैक्षणिक योग्यता का 75 प्रतिशत के आधार को मानकर वरीयता का निर्धारण किया जाता है।

विभाग के पास इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है और कुल आवेदकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार सूचना उपलब्ध कराना कठिन है।

## सवाई माधोपुर की कृषि उपज मंडी समितियां

**224. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितनी कृषि उपज मंडी समितियां हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) कृषि उपज मंडी टोडाभीम के भवन निर्माण हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? उक्त भवन का कितना कार्य करवा दिया गया है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

(3) कृषि उपज मंडी हिण्डोन में नये मंडी यार्ड का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा।

(4) कृषि उपज मंडी समिति, गंगापुर एवं हिण्डोन में विगत तीन वर्षों में कितनी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत की गई एवं इन पर कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी अधूरी रही व कितनी पूर्ण हो चुकी है ? अधूरी सड़कों को पूर्ण करने का सरकार कब तक इरादा रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व हिण्डौन है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति महुवा मण्डावर के गौण मण्डी यार्ड टोडाभीम के भवनों के निर्माण हेतु 86.93 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई। भवनों के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, आन्तरिक सड़क का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु परियोजना तैयार की जाकर दिनांक 6-3-96 को नाबार्ड को प्रेषित की गई है। नाबार्ड से स्वीकृति उपरान्त ही वित्तीय संसाधनों के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो पायेगा।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी एवं हिण्डौन के अन्तर्गत वर्ष 93–94 से 95–96 तक स्वीकृत सड़कें एवं उन पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(5) विवरण परिशिष्ट-"क" के कॉलम संख्या 5 व 6 में अंकित हैं।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

## विद्युत आपूर्ति हेतु अनुबन्ध

**226. श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले 3 वर्षों में विद्युत बोर्ड से विभिन्न सरकारी, अर्द्ध सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से विद्युत खरीद के कई सौदे तय किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस से कब-कब, कितनी-कितनी बिजली खरीद हेतु समझौते किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन लोगों से राज्य को कब तक बिजली मिल जाने की शर्त थी ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन संयंत्रों की स्थापना कहां-कहां कब-कब होनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इन संयन्त्र निर्माताओं ने भूमि क्रय कर ली है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी-कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) इन संयन्त्रों से विद्युत उत्पादन कब तक शुरू होने की आशा है ?

### उत्तर

(1) विभिन्न कम्पनियों से किये गये ऊर्जा क्रय समझौतों की क्षमतावार दिनांकवार सूची परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है । इसके अलावा हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य विद्युत मण्डलों से बिजली क्रय की गई है ।

(2) सूचना उपरोक्त परिशिष्ट-"अ" में दर्शा दी गई है ।

(3) सूचना उपरोक्त परिशिष्ट-"अ" में दर्शा दी गई है ।

(4) संयन्त्र निर्माताओं द्वारा भूमि क्रय करने की कार्यवाही निजी तौर पर की जा रही है । अतः इस प्रकार की सूचनाओं का संकलन नहीं किया जाता है ।

(5) इन संयन्त्रों से विद्युत उत्पादन आवश्यक ईंधन के उपलब्ध होने व अन्य सम्बन्धित औपचारिकताएं यथा वित्तीय (Financial closure) व आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद ही सम्भव हो पायेगा । मोटे रूप में नेप्था आधारित छोटे पावर प्लान्ट्स अगले 18 महीनों में आने की सम्भावना है । बरसिंहसर की प्रथम इकाई 38 माह में तथा द्वितीय इकाई 42 माह में आने की सम्भावना है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोठपूतली की अधिगृहीत भूमि

**345. श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रीको कम्पनी को ग्राम मलपुरा, मोरफा पनियाला, कालुहेड़ा, खेड़की, मुकड़ की सिचाई की भूमि आवंटित की जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम से कितनी-कितनी भूमि ?

(श्री रामचन्द्र रावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों की उपजाऊ एवं सिचाई वाली भूमि एवं नेशनल हाईवे पर पड़ने वाली भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कोटपूतली विस्तार हेतु ग्राम पनियाला की 42.53 हैक्टेयर, केशवान गूजर की 33 21 हैक्टेयर, केशवाना राजपूत की 304.06 तथा मोरदा की 4.18 हैक्टेयर निजी खातेदारी एवं ग्राम पनियाला केशवाना गूजर तथा केशवाना राजपूत का क्रमशः 0 27 हैक्टेयर, 14.65 हैक्टेयर, 32.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि कुल 431.62 हैक्टेयर, भूमि प्रस्तावित की गई है । निजी भूमि में से मात्र 52.97 हैक्टेयर भूमि सिंचित है । शेष 331.11 हैक्टेयर भूमि बारानी है । इस प्रकार प्रस्तावित निजी भूमि में से मात्र 13.8 %. भूमि सिंचित है ।

(2) ग्राम पनियाला, मोरदा एवं केशवान राजपूत नेशनल हाइवे से लगते हुए हैं, जिनकी कुल भूमि में से मात्र 50.10 हैक्टेयर सिंचित भूमि है जिसे इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु लिया जाना आवश्यक है ।

## जिला नागौर के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन

346. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में रीको द्वारा कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र कब से विकसित किए गए हैं तथा उनमें कितने-कितने भूखण्ड उद्यमियों को आवंटित किये गये हैं तथा कितने-कितने खाली हैं ?

(2) उपरोक्त भूखण्ड किस-किस दर से आवंटित करना शुरू किया गया था और अब किस दर से आवंटित किये जा रहे हैं ?

(3) सरकार जिला नागौर में भविष्य में कहां-कहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है, जो कब तक विकसित किये जा सकेंगे ।

(4) क्या यह सही है कि चालू वर्ष और गत दो वर्षों में भू-खण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में रीको द्वारा मकराना एवं मेड़ता सिटी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास क्रमशः वर्ष 1976 एवं 1980 में किया गया है । मकराना औद्योगिक क्षेत्र में 320 एवं मेड़ता सिटी में 81 भू-खण्डों का आवंटन किया गया है । वर्ष 1980 में उद्योग विभाग द्वारा नागौर औद्योगिक क्षेत्र का हस्तान्तरण किया गया था जिसमें 101 भू-खण्डों का आवंटन किया हुआ है । वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भू-खण्ड आवंटन हेतु खाली नहीं है ।

(2) उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के आवंटन की प्रारम्भिक विकास शुल्क

(उद्योग मंत्री)

की दर एवं वर्तमान में प्रचलित दर का विवरण परिशिष्ट-"अ" में दर्शाया गया है।

(3) जिला नागौर में भविष्य में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें विकास कार्य वर्ष 1999 तक किये जाने की सम्भावना है :—

1. मिनी ग्रोथ सेन्टर, नागौर
2. औद्योगिक क्षेत्र, डीडवाना
3. औद्योगिक क्षेत्र, परबतसर
4. औद्योगिक क्षेत्र, मेड़ता (विस्तार)
5. औद्योगिक क्षेत्र, मकराना (विस्तार)

(4) जी नहीं। चालू वर्ष और गत दो वर्षों में भूखण्डों के आबंटन के सम्बन्ध में रीको को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

## वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को ऋण

**347. श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान वित्त निगम द्वारा कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी इकाइयों से कोलेट्रल सिक्योरिटी प्राप्त की गई है?

(3) क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी लेने के लिए निगम ने कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं या यह निगम के स्वविवेकाधिकार पर निर्भर करता है? यदि हां, तो निर्धारित मानदण्ड क्या है?

(4) क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी की मांग करते समय स्थानीय उद्यमी एवं प्रदेश के बाहर के उद्यमी के बीच कोई अन्तर किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

### उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण का विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त इकाइयों में से लगभग 157 इकाइयों से कोलेट्रल सिक्योरिटी प्राप्त की गई हैं।

(3) जी हां। कोलेट्रल सिक्योरिटी लेने के लिए मानदण्ड सामान्यतया निम्न प्रकार हैं :—

1. यदि इकाई की स्थापना किराये की भूमि एवं भवन में की गयी है एवं ऋण की राशि 2 लाख रुपये से ज्यादा है।
2. यदि प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) तेजी से परिवर्तित होने वाली हो।
3. ऋण चल सम्पत्तियों की प्राप्ति के लिए दिया जा रहा हो।
4. सिंगल विण्डो योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी के ऋण के लिए।
5. सीड केपीटल सहायता, महिला उद्यम निधी योजना, राष्ट्रीय इक्विटी योजना एवं ऐसी ही अन्य योजनाओं के तहत (सेम्फेक्स योजना के अतिरिक्त)।

(उद्योग मंत्री)

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना की स्थल, उत्पाद की प्रकृति, प्रवर्तकों का अंशदान एवं अनुभव, परियोजना में जोखिम का समावेश आदि बातों को ध्यान में रखते हुए केश-टू-केश आधार पर कोलेट्रल सिक्योरिटी की मांग की जाती है जिसका फैसला प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पी.सी.सी.)/ऋण सलाहकार समिति द्वारा ऋण स्वीकृति के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(4) जी नहीं।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)**

## ऋषभदेव के किरायेदारों की विचाराधीन पत्रावलियां

**348. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव में विभाग की कुछ दुकानों के उप किरायेदार से किरायेदार बनाने की पत्रावलियां सरकार को भेज दी थीं ? यदि हां, तो कुल कितनी फाइलें थी, उनमें से कितनी फाइलों का फैसला शेष है ?

(2) क्या सरकार विचाराधीन फाइलों का फैसला करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ऋषभदेव मन्दिर की दुकानों के 20 उप किरायेदारों की किरायेदारी नियमन के प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे उनमें से 14 प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है शेष 6 मामलों में परीक्षण आयुक्त, देवस्थान द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी हां। उप किरायेदार द्वारा वर्तमान सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर से किराया देने की सहमति पर नियमन हेतु विचार किया जाना है। उप किरायेदारों की सहमति के साथ आयुक्त, देवस्थान से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमन पर विचार किया जायेगा।

## हनुमानगढ़ क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई

**349. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वन विभाग हनुमानगढ़ में गत वर्ष बीस लाख रुपये के पेड़ काटकर उन्हें बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। प्रकरण में जांच करवायी जा रही है।

## तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के बेलदारों का तबादला प्रकरण

**350. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कर्मचारी/बेलदारों के तबादले कर उन्हें जिला बारां में लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार की नीति अनुसार एक व्यक्ति लगातार कितने समय राजकीय सेवा में काम करने पर सेवा से पृथक् नहीं किया जा सकता है ?

(3) क्या उक्त अल्पवेतन भोगी बेलदारों की दशा देखते हुए सरकार उनको वापस जोधपुर डिवीजन में भेजने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में वन विभाग के अन्तर्गत बजट के अभाव में अधिशेष हुये 67 कार्य प्रभारित कर्मकारों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सेवा से पृथक न कर बारां सहित विभिन्न वन मण्डलों में स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया है।

(2) राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित कर्मियों को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानानुसार एवं कार्य प्रभारित कर्मकारों/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानानुसार सेवा से पृथक किया जा सकता है। इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) वर्तमान में जोधपुर डिवीजन में पर्याप्त कार्य के अभाव में स्थानान्तरित किये गये कार्य प्रभारित कर्मकारों को वापस जोधपुर वन मण्डल में भेजे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## जिला बारां में गोडावण संरक्षण कार्य

351. **श्री भरतसिंह (खानपुर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में सोरसन गोडावण सुरक्षित क्षेत्र की देख-रेख तथा गोडावण को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा का है या उप वन संरक्षक बारां का है ? सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जुलाई, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक की अवधि में कब-कब इस क्षेत्र का अवलोकन किया गया ? जीप की लॉगबुक की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोडावण सुरक्षित क्षेत्र में गोडावण को संरक्षण प्रदान करने हेतु चम्बल फर्टीलाइजर्स द्वारा 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो यह राशि कब प्राप्त हुई तथा ब्याज से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी राशि किस कार्य पर व्यय की गई ? इससे क्या-क्या कार्य अभी करवाना प्रस्तावित है तथा इसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) सोरसन आखेट निषेध क्षेत्र की देख-रेख तथा सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा उप वन संरक्षक (वन्य जीव) कोटा का है, यद्यपि इसमें किये जाने वाले विकास कार्यों का सम्पादन मण्डल वन अधिकारी, बारां द्वारा किया जाता है। उप वन संरक्षक (वन्य जीव) कोटा द्वारा जुलाई, 96 से दिसम्बर, 96 तक उक्त क्षेत्र का चार बार

(वन मंत्री)

दिनांक 20 जुलाई, 11 सितम्बर, 9 अक्टूबर एवं 26 नवम्बर को निरीक्षण किया गया। सम्बन्धित वाहन की लॉगबुक की फोटो प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है। उक्त राशि 50.00 लाख रुपये 1 दिसम्बर, 92 को जिला कलक्टर, बारां को चैक द्वारा प्राप्त हुई। इस राशि से दिनांक 31 दिसम्बर, 96 तक रुपये 21,61,508.00 ब्याज के प्राप्त हुये। इस ब्याज राशि में से तलाइये गहरी करवाने, अधूरे क्लोजर निर्माण को पूर्ण करने एवं सेमीनार आयोजन पर व्यय किये गये हैं (विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है)।

सोरसन बृहमाणी अभयारण्य विकास समिति के दिनांक 9-10-96 के निर्णय अनुसार नियाणा क्लोजर निर्माण, (4.00 लाख), अमलसरा में खरंजा निर्माण (3.00 लाख), तथा बृहमाणी माताजी मन्दिर के पास एनीकट निर्माण (3.00 लाख), के कार्य, कुल दस लाख रुपये के कार्य, कराये जाने प्रस्तावित हैं, जो 3 से 5 माह में पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## जिला नागौर में वन विकास पर व्यय

352. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी हैक्टेयर भूमि वन विकास हेतु आरक्षित की गई है तथा कितनी भूमि में वन विकसित किये जा चुके हैं और कितनी भूमि पर विकास कार्य जारी है? वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक वन विकास हेतु कितनी राशि की योजना थी तथा कितनी राशि दिसम्बर, 1996 तक व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में सड़कों के दोनों ओर किस-किस जगह पेड़ लगाये जाने हेतु कहां-कहां कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है? वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक आबंटित धन राशि से कितना-कितना कार्य किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वन विकास हेतु पृथक से किसी भूमि का आरक्षण नहीं किया गया है। भूमि की उपलब्धता तथा जन साधारण की मांग के अनुरूप परिभाषित वन भूमि, पंचायत भूमि तथा अन्य उपयुक्त भूमि पर वन विकास कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से राज्य में वर्ष 1995-96 के अन्त तक 13.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वन विकास कार्य सम्पन्न कराये जा चुके हैं। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 1996 तक 0.823 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये गये हैं तथा वर्ष 1997 की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हेतु 0.389 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक वन विकास हेतु निर्धारित योजना राशि एवं

(वन मंत्री)

उसके विरुद्ध दिसम्बर, 1996 तक किये गये व्यय का वित्तीय वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"क" के अनुसार है।

(2) नागौर जिले में सड़कों के दोनों ओर लगाये गये वृक्षारोपणों तथा इन वृक्षारोपण हेतु वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक आबंटित राशि तथा कराये गये कार्यों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-"ख" के अनुसार हैं।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)**

## छापोली (झुन्झुनूं) का बारानी चेतना केन्द्र

353. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भू-संरक्षण विभाग द्वारा झुन्झुनूं जिले के छापोली ग्राम में चलाये जा रहे बारानी चेतना केन्द्र द्वारा वर्ष 1995 एवं 1996 में किन-किन लोगों को खाद बीज दवाई आदि के पैकिट या अन्य किसी प्रकार की सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस चेतना केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ समय-समय पर शिकायतें होती रही हैं, कि ये कर्मचारी पक्षपातपूर्ण वितरण करते हैं तथा फर्जी वितरण दिखलाकर गबन भी कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इस केन्द्र पर कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ?

**उत्तर**

(1) राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र छापोली जिला झुन्झुनूं में वर्ष 95 एवं वर्ष 96 में विभिन्न किस्मों के कृषि प्रदर्शन, चारा प्रदर्शन, मैजर वितरण, हाउस होल प्रदर्शन अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची परिशिष्ट-1 (1-34) पर संलग्न है।

(2) छापोली जल ग्रहण क्षेत्र में कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। विभाग द्वारा इनकी जांच करायी गयी थी। जांच के उपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयी।

अतः किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(3) जल ग्रहण क्षेत्र छापोली में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र.सं. | वर्ष | |
|---|---|---|
| 1. | 1991-92 से 94-95 | (1) श्री विरेन्द्र यादव, क. अभियन्ता |
| | | (2) श्री रामदेव सिंह कृषि पर्यवेक्षक |
| 2. | 1995-96 | (1) श्री धर्मसिंह महला, सहा. कृ. अधि. |
| | | (2) श्री हीरासिंह ओला, कृषि पर्यवेक्षक |
| 3. | 1996-97 | (1) श्री ओ. पी. बोयल, सहा. कृ. अधि. |
| | | (2) श्री हरिसिंह झाझडिया, कृषि पर्यवेक्षक |

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## ट्रेक्टर क्रय पर अनुदान

354. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छोटे ट्रेक्टरों की खरीद पर काश्तकारों को अनुदान देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से तथा कितना अनुदान किस श्रेणी के काश्तकारों को किस प्रकार दिया जाता है ? अब तक कितने काश्तकारों को किस-किस जिले में अनुदान दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुये हैं और राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ट्रेक्टरों के लिये अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि छोटे ट्रेक्टरों की खरीद पर काश्तकारों को भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुदान देने की सरकार की योजना है । काश्तकारों को वर्ष 1992–93 से इस योजना के अन्तर्गत सीमान्त एवं लघु श्रेणी के कृषकों को 18 पी. टी. ओ. हार्स पावर तक के ट्रेक्टरों पर कीमत का 30 प्रतिशत जो अधिकतम रुपये 30,000 तक अनुदान दिया जा रहा था । वर्ष 1995-96 में इस योजना की क्रियान्विति राज्य में नहीं हुयी थी । वर्ष 1996-97 से इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषकों को 30 पी. टी. ओ. हार्स पावर तक के ट्रेक्टरों पर अनुदान देय होगा । योजना का अधिकतम लाभ सीमान्त लघु एवं अर्द्धमध्यम श्रेणी के कृषकों को क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश है । कृषकों को 30 पी. टी. ओ. हार्स पावर तक के ट्रेक्टरों पर कीमत का 30 प्रतिशत जो अधिकतम रुपये 30,000/– तक अनुदान देय होगा । वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक जिलेवार काश्तकारों को जो अनुदान दिया गया है वह निम्नानुसार है, वर्ष 1996-97 में भारत सरकार से 408 ट्रेक्टर अनुदान पर वितरित करने के लक्ष्य प्राप्त हुये हैं यह कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । (वर्ष 1995–96 हेतु 105 ट्रेक्टर एवं वर्ष 1996–97 हेतु 303 ट्रेक्टर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके वितरण इस वित्तीय वर्ष में किये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है ।)

| क्र. सं. | जिले का नाम | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
| 1. | अजमेर | 1 | 2 | 2 |
| 2. | अलवर | – | 2 | 1 |
| 3. | बांसवाड़ा | – | – | 2 |
| 4. | भरतपुर | 5 | 10 | 9 |
| 5. | भीलवाड़ा | – | 4 | 1 |
| 6. | बीकानेर | – | – | 2 |
| 7. | बून्दी | 2 | – | 1 |
| 8. | दौसा | 2 | 4 | 1 |
| 9. | चित्तौड़गढ | 4 | 1 | 1 |
| 10. | धौलपुर | – | 1 | 1 |
| 11. | गंगानगर | 3 | 31 | 11 |
| 12. | जयपुर | 1 | 2 | 2 |
| 13. | झालावाड़ | – | 8 | 2 |
| 14. | पाली | – | 2 | – |
| 15. | राजसमन्द | – | 1 | 1 |
| 16. | सवाईमाधोपुर | 1 | 3 | 1 |
| 17. | सीकर | – | 1 | 1 |
| 18. | उदयपुर | 2 | 5 | 1 |
| 19. | हनुमानगढ | 3 | – | 6 |
| | कुल योग | 24 | 77 | 46 |

(48)



(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) जी, हां। यह सही है कि इस संबंध में भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुये हैं एवं उसी अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

(3) जी, हां। यह सही है कि सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वर्ष 1995-96 में राज्य में योजना की क्रियान्विति नहीं की गयी थी एवं 1994-95 में लक्ष्य निर्धारित करके ट्रेक्टरों का वितरण जिलेवार निम्नानुसार किया गया था :—

| क्र.सं | जिले का नाम | वितरण संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 2 |
| 2. | अलवर | 1 |
| 3. | बांसवाड़ा | 2 |
| 4. | भरतपुर | 9 |
| 5. | भीलवाड़ा | 1 |
| 6. | बीकानेर | 2 |
| 7. | बून्दी | 1 |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | 1 |
| 9. | दौसा | 1 |
| 10. | धौलपुर | 1 |
| 11. | गंगानगर | 11 |
| 12. | जयपुर | 2 |
| 13. | झालावाड़ | 2 |
| 14. | राजसमन्द | 1 |
| 15. | सवाईमाधोपुर | 1 |
| 16. | सीकर | 1 |
| 17. | उदयपुर | 1 |
| 18. | हनुमानगढ़ | 6 |
| | कुल योग : | 46 |

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रित का नियुक्ति प्रकरण

355. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त 1033993 सवार विद्याधर के आश्रित पुत्र अजयसिंह को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने की बाबत प्रकरण निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के यहां लम्बे अर्से से लम्बित है? यदि हां, तो उस पर कब तक अन्तिम निर्णय की सम्भावना है?

(2) क्या यह सही है कि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा भी निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को इस संबंध में कई पत्र लिखे जा चुके हैं?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर को इस नियुक्ति हेतु दिनांक 10–2–1994 को लिखा गया है? यदि हां, तो अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। प्रकरण पर निर्णय दिया जा चुका है तथा सैनिक कल्याण विभाग को सूचित किया जा चुका है।

## उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीपल्दा के मृत कर्मियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रकरण

356. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा (कोटा) क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वर्ष 1988 से अब तक की अवधि में हुई मृत्यु के प्रकरणों में सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को भर्ती नियम, 1975 के अन्तर्गत नियुक्ति देने के लिए निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के पास प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के आवेदन-पत्र के आधार पर कार्मिक (क–2) विभाग की डायरी संख्या 4066 पर दिनांक 16-7-1996 को दर्ज प्रकरण की सूचना सरकार के ध्यान में है? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त प्रकरणों का अब कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। प्राप्त प्रकरण श्री नन्दकिशोर शर्मा अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बातलिया, पंचायत समिति इटावा (पीपल्दा) कोटा के पुत्र श्री महेन्द्र कुमार का था। श्री महेन्द्र कुमार को आदेश दिनांक 2–12–96 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या–2 के अनुसार।

## संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

357. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो वर्ष 1996-97

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में कौन-कौन सी पंचायत समितियों के क्षेत्र में कौन-कौन से विद्यालय कब-कब खोले गये ?

(2) क्या उक्त विद्यालयों में अध्यापक लगाकर पढ़ाई शुरू हो चुकी है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कब-कब से ?

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापक, पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये हैं या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा ?

(4) जिन विद्यालयों में अभी तक अध्यापक नहीं लगाये गये हैं, उन पर कब तक संस्कृत अध्यापक लगाए जाकर पढ़ाई चालू कर दी जायेगी ? इतने लम्बे समय तक अध्यापक नहीं लगाये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1996-97 में राज्य सरकार द्वारा 30 प्राथमिक विद्यालय खोले गये । विद्यालयों की पंचायत समिति-वार सूचना परिशिष्ट "क" पर सलग्न है ।

(2) उक्त विद्यालयों में केवल दो विद्यालयों के अतिरिक्त शेष सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न किया गया है ।

(3) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा की गई है ।

(4) जिन दो विद्यालयों में अध्यापक नहीं लगाए गये हैं उन विद्यालयों में शीघ्र ही संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी । नियुक्ति की प्रक्रिया के कारण समय लगना स्वाभाविक है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

## प्रदेश के विद्यालयों में रिक्त पद

358. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने उक्त श्रेणी के रिक्त पदों के आवेदन लेने के बाद भी चयन प्रक्रिया को अचानक रोक दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त श्रेणी के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) संकलित सूचना के आधार पर प्रदेश में प्रयोगशाला सेवक के 1074 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 1639 पद रिक्त है । प्रयोगशाला सहायक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विभाग में प्रयोगशाला सहायकों के पद अधिशेष है जिन्हें समायोजन करने की कार्यवाही विचाराधीन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सेवक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रशासनिक कारणों से रोक दी गई थी, जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(3) बिन्दु संख्या–2 के अनुरूप।

## राजकीय माध्यमिक विद्यालय सावरदा (दूदू) के अध्यापकों का वेतन प्रकरण

359. **श्री हबीबुर्रहमान (मुण्डवा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सावरदा (दूदू) जिला जयपुर में कार्यरत दो अध्यापकों को माह जून, 1996 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर (प्रारम्भिक शिक्षा) ने वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, दूदू को वेतन भुगतान हेतु निर्देशित किया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेशों की अनुपालना में वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, दूदू (जयपुर) द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों की जून, 1996 के बाद के किसी माह का वेतन आहरित कर कर्मचारियों को भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से माह का तथा बाद में भी भुगतान किस-किस माह का किया गया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे ?

### उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सावरदा (दूदू) जिला जयपुर में कार्यरत 2 अध्यापकों का वेतन जून, 96 से समानीकरण तथा पदों का माध्यमिक मद में हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप पद समाप्त कर दिये जाने के कारण वेतन आहरण नहीं किया जा सका।

(2) जी, हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त आदेश की पालना में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, दूदू के द्वारा श्री शम्भूदयाल शर्मा, एवं श्री रामावतार के जून, 96 से बकाया वेतन के भुगतान हेतु विपत्र उप कोषालय मोजमाबाद को प्रस्तुत किया गया, उप कोषालय मोजमाबाद द्वारा वेतन विपत्र आक्षेप लगाकर लौटा दिये जाने के परिणामस्वरूप जून, 96 से अब तक की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा तथा मार्च, 97 से नियमित वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था करवाई जा रही है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

## अजमेर मण्डल में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग कर्मियों के स्थानान्तरण प्रकरण

**360. श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग कार्मिक (क-5) आज्ञा संख्या एफ. 14 (84) कार्मिक (क-5) 77 दिनांक 7-10-1977 जो मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रखने के संबंध में है, शिक्षा विभाग पर भी लागू है ?

(2) क्या मंत्रालयिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का पत्रांक पी. एस. सी. एस./1/96/7007 दिनांक 6-9-1996 का आदेश शिक्षा विभाग पर लागू है ?

(3) अजमेर मण्डल में उक्त आदेश की पालनार्थ की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रश्न संख्या 1 व 2 की पालना नहीं करने वाले दोषी अधिकारी के प्रति की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार का आदेश दिनांक 7-10-77 अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग पर भी लागू है।

(2) जी, हां।

(3) सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर अजमेर मण्डल के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश दिनांक 6-9-96 की पालना हेतु निदेशालय द्वारा सभी मण्डल अधिकारियों को परिपत्र दिनांक 30-12-96 के द्वारा कार्यालयों में संस्थापन, अनुदान तथा मान्यता की सीटों पर 05 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की सीट परिवर्तन करने के आदेश प्रदान किये गये। अजमेर मण्डल में वर्तमान में इन सीटों पर 05 वर्ष या इससे अधिक अवधि का कोई कर्मचारी है अथवा नहीं। इसकी सूचना संकलित की जा रही है।

(4) प्रश्न के भाग 1 व 2 की पालना में अधिकारियों से पालना रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

## उप-निदेशक प्रौढ़ शिक्षा द्वारा प्राप्त दोहरा लाभ प्रकरण

**361. श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रमिक विद्यापीठ, जयपुर की कार्यकारिणी एवं कार्यक्रम सलाहकार समिति में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार का कोई अधिकारी मनोनीत/नियुक्त होता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) क्या उक्त सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने पर सरकार के मनोनीत अधिकारियों को कोई भत्ता/पारितोषिक स्वरूप राशि दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सलाहकार समिति की दिनांक 5 फरवरी, 1997 को आयोजित बैठक में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के किसी उपनिदेशक ने भाग लिया था ? यदि हां, तो किसने ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठक में भाग लेने के लिये जाने हेतु उक्त उपनिदेशक ने सरकारी वाहन का उपयोग किया था ? यदि हां, तो वाहन कितने किलोमीटर इस कार्य के लिए उपयोग में लाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त प्रकरण में उपनिदेशक प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जयपुर के विरुद्ध सरकारी वाहन का प्रयोग करने के बाद भी 100/– रुपये मार्ग व्यय के रूप में लिये जाने बाबत कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण में उक्त अधिकारी द्वारा दोहरा लाभ उठाने के मामले की जांच कराकर उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रमिक विद्यापीठ, जयपुर की कार्यकारिणी एवं कार्यक्रम सलाहकार समिति में निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा पदेन सदस्य होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रबन्धक मण्डल के गठन के अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा को कार्यकारिणी एवं कार्यक्रम सलाहकार समिति में मनोनीत करने के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-2 संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) श्रमिक विद्यापीठ की कार्यकारिणी प्रबन्ध कार्यकारिणी, कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने पर श्रमिक विद्यापीठ द्वारा मार्ग व्यय के रूप में 100/- रुपये प्रति बैठक देने का प्रावधान है इस सम्बन्ध में 10-9-1996 की बैठक में प्रबंध मण्डल ने 100/- रुपये प्रति बैठक यात्रा व्यय देने का निर्णय लिया था। कोई भत्ता अथवा पारितोषिक देने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। दिनांक 5 फरवरी, 1997 को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक तथा सलाहकार समिति की बैठकों में श्रीमती सरोज मित्तल, उपनिदेशक, प्रौढ़ शिक्षा ने भाग लिया था।

(4) श्रीमती सरोज मित्तल, उपनिदेशक को श्रमिक विद्यापीठ की बैठक में भाग लेने सम्बन्धी निर्देश एवं सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध कराने के लिए निदेशालय का वाहन उनके निवास पर गया था क्योंकि उनके बैठक में भाग लेने का निर्णय दिनांक 5-2-1997 को ही प्रातः लिया गया था। लौटते समय विद्यापीठ कार्यालय श्रीमती मित्तल के निवास के रास्ते में होने के कारण उसी वाहन से वे विद्यापीठ पहुंची थी।

(शिक्षा मंत्री)

बैठक के पश्चात् श्रीमती मित्तल स्वयं के वाहन से ही वापस लौटी थी।

(5) जी हां। इस प्रकरण में श्री नरेन्द्र कुमार जैन, महामंत्री, श्रमिक विद्यापीठ जयपुर स्टाफ वेलफेयर सोसायटी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) इस प्रकरण में तथ्यों के स्पष्ट होने के कारण जांच की आवश्यकता नहीं है। इस बात के बावजूद सरकारी वाहन का उपयोग आंशिक एवं परिस्थिति जन्य था। जैसा कि भाग-4 के प्रतिउत्तर में ऊपर अंकित किया गया है, फिर भी शिकायत होने पर सम्बन्धित अधिकारी ने स्थानीय यात्रा भत्ते की राशि वापस लौटाने का प्रयास किया था लेकिन श्रमिक विद्यापीठ जयपुर ने उससे वापस लेना स्वीकार नहीं किया। सम्बन्धित अधिकारी को भविष्य में सावधानी बरतने तथा यात्रा व्यय राशि विद्यापीठ को वापस लौटने के निर्देश दिये गये हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

## जिला सवाई माधोपुर के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

362. श्री हंसराम (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील करौली व गंगापुर के कतिपय न्यायालयों द्वारा विभाग में कार्यरत सैकण्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध वर्ष 1990 से 1996 तक फौजदारी मामलों में पारित निर्णयों/आदेशों की पालना में दोषी प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त प्रकरण में दोषी प्रधानाध्यापकों के नाम पारित दण्डादेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 1996 तक सवाई माधोपुर की तहसील करौली में श्री शिवलाल मीणा, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबरा के विरुद्ध अपर मुन्सिफ एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग करौली द्वारा फौजदारी वाद संख्या 5/88 में 100/- रुपये हर्जाना तथा प्रताड़ना के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय 27-2-1993 को दिया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध श्री शिवलाल मीणा द्वारा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली में अपील की गई, जिस पर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय ने माननीय अपर मुन्सिफ एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय दिनांक 27-2-93 को दिनांक 5-1-95 को निरस्त कर दिया गया।

(2) श्री शिवलाल मीणा, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबरा के विरुद्ध माननीय अपर मुन्सिफ एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय दिनांक 5-1-95 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## डूमरा (नवलगढ़) का परीक्षा केन्द्र प्रकरण

**363. श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं के ग्राम डूमरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूमरा में परीक्षा केन्द्र खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी झुन्झुनूं ने एक निजी शिक्षण संस्था के पदाधिकारियों से मिलकर उक्त राजकीय परीक्षा केन्द्र को निरस्त कराकर बाल विद्या मन्दिर में परीक्षा केन्द्र खुला दिया है ? क्या उक्त निर्णय के विरुद्ध जनता द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या सरकार श्री बाल विद्या मंदिर के स्थान पर अब वापस राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूमरा में परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां। सत्र 1984-85 से।

(2) जी नहीं। परीक्षा केन्द्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा खोले जाते हैं।

(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की केन्द्र समिति में जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुशंसा की थी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डूमरा को केन्द्र बनाया जाये। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेजने हेतु कहा था। जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण कर यह सुझाव दिया था कि विद्यालय का भवन केन्द्र बनाये जाने के योग्य नहीं है। बाद में बाल विद्या मन्दिर को केन्द्र बनाये जाने हेतु एक प्रतिनिधि मण्डल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में मिला था जिसके आधार पर बाल विद्या मन्दिर डूमरा को परीक्षा केन्द्र बना दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध जनता द्वारा अदालत में वाद प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायालय ने जनता के पक्ष में निर्णय नहीं दिया।

(4) परीक्षा केन्द्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा खोला जाता है। इस वर्ष बाल विद्या मन्दिर के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूमरा को केन्द्र बनाया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि अब तक परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था की जा चुकी है तथा छात्रों को परीक्षा केन्द्रों की सूचना भेजी जा चुकी है।

## ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था

**364. श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के कोई मानदण्ड हैं ? यदि नहीं, तो क्या

(श्री महावीर भगोरा)

सरकार जनहित में उक्त व्यवस्था आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से एवं कहां-कहां लागू किये जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

जी नहीं। मण्डल की खराब आर्थिक स्थिति के कारण इस प्रकार निःशुल्क विद्युत सप्लाई करना न तो सम्भव है एवं न ही इस तरह के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं/नगर विकास न्यासों आदि की होती है।

## विधान सभा क्षेत्र बस्सी के लम्बित कृषि कनेक्शन

365. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वित्तीय वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में कितने कृषकों ने नर्सरी योजना में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं ? उनमें से कितने कृषकों को कनेक्शन दिये गये हैं ? कितने कनेक्शन होने अब तक शेष हैं तथा अब तक कनेक्शन न होने के क्या कारण रहे ? शेष विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जाएंगे ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नर्सरी योजना से विद्युत कनेक्शन देने के क्या नियम हैं ? उनको कितने समय में कनेक्शन प्रदान कर दिये जाते हैं ? नर्सरी योजना में एक कृषक पर कितना आर्थिक भार कनेक्शन हेतु तथा प्रति यूनिट कितना पैसा चार्ज किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस योजना के तहत कृषकों से कोई सरचार्ज भी वसूला जाता है ? यदि हां, तो कितना तथा क्यों ? इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसको बन्द या कम दर पर चार्ज करने का विचार रखती है ? ताकि किसानों पर आर्थिक भार नहीं पड़े।

(4) क्या यह भी सही है कि कृषि एवं उद्योगों में अलग-अलग दर से सरचार्ज या फ्यूल चार्जेज वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस भेदभाव को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने पर दुबारा कृषि कनेक्शन में क्या-क्या चार्जेज लिये जाते हैं तथा उसमें कितना समय लगता है ? पुनः कनेक्शन लगवाने के क्या नियम हैं ? वर्तमान में बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे मामले विभाग के पास विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1995–96 व 1996–97 में नर्सरी योजना में 330 व 354 क्रमशः आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं इनमें से 352 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं एवं 155 आवेदकों ने मांग-पत्र की राशि जमा नहीं करवाई

(ऊर्जा मंत्री)

है । 126 आवेदकों के कनेक्शन किये जाने शेष हैं जिनकी मांग पत्र की राशि जमा है (संलग्न प्रपत्र-अ) एवं 51 ऐसे आवेदक हैं जिनके अनुमानक बनाये जा रहे हैं । (संलग्न प्रपत्र-ब) कनेक्शन न होने के मुख्य कारण आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि जमा न करवाना, आवेदकों में आपसी विवाद तथा आवेदकों द्वारा सामान न उठाना रहा है । आवेदकों द्वारा मण्डल के नियमानुसार वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर संसाधनों की उपलब्धतानुसार कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जारी है ।

(2) नर्सरी योजना में विद्युत कनेक्शन देने के लिए मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देश पुस्तिका एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं । इस योजना में आवेदक से आवेदन शुल्क के साथ आवेदक पत्रावली जमा कराते समय रुपये 5050/– लिये जाते हैं, जिनमें से 5000/– रुपये अग्रिम राशि है जो मांग पत्र राशि में समायोजित कर दी जाती है । इस आवेदन दिनांक से प्राथमिकता तय होती है । प्राथमिकता उपखण्ड कार्यालय स्तर पर निर्धारित की जाती है । आवेदनकर्ता से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सामान्यत: 30 दिन में मांग पत्र जारी किया जाता है तथा मांग पत्र की राशि जमा होने के 60 दिन में विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है । आवेदक से तकनीकी साध्यता एवं दूरी के आधार पर राशि चार्ज की जाती है । आवेदक से प्रति पोल 9000/– रुपये पांच पोल तक राशि चार्ज की जाती है । इसके बाद 4500/– रुपये की दर से प्रतिपोल राशि ली जाती है । ग्रुप स्कीम में 10 पोल तक 9000/– रुपये प्रति पोल लिये जाते हैं । इसके अलावा प्रति हार्स पावर की दर से आवेदक के लोड के अनुसार रुपये 1250/– भी लिये जाते हैं । इसके अलावा मीटर कीमत, सर्विस चार्ज, सिक्योरिटी भी नियमानुसार लिये जाते हैं । नर्सरी उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट राशि उपभोग के आधार पर पृथक-पृथक ली जाती है । न्यूनतम चार्ज 83/– रु. प्रति हार्स पावर है । 100 यूनिट उपभोग तक 1.21:100 से 400 यूनिट तक 1.29 तथा 400 यूनिट से अधिक उपभोग पर 1.36 रुपये प्रति यूनिट लिया जाता है ।

(3) अधिकांश श्रेणियों में फ्यूल सरचार्ज लगता है परन्तु मौजूदा समय में इस योजना (नर्सरी योजना) के कनेक्शन पर केवल आधी दर पर ही फ्यूल सरचार्ज लिया जाता है किन्तु अब सदन में की गई घोषणा के अनुरूप फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूला जायेगा ।

(4) उद्योगों से फ्यूल सरचार्ज लिया जाता है जबकि कृषि उपभोक्ताओं से कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाता है । अत: कोई भेदभाव नहीं है ।

(5) कनेक्शन के कट जाने के बाद विद्युत संबंध विच्छेद के समय जो बकाया राशि थी वह राशि तथा उस पर 18 प्रतिशत ब्याज लेकर कनेक्शन चालू किया जा सकता है । कनेक्शन कटने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि में ही पुन: कनेक्शन चालू किये जा सकते हैं । पांच वर्ष से अधिक कटे हुये कनेक्शन को पुन: चालू कराने के लिये टेपिंग पाइंट से कुएं तक के

(ऊर्जा मंत्री)

पोल चार्जेज देने होंगे। किन्तु पांच वर्ष तक की अवधि में कटे हुये कनेक्शन में टेपिंग पाइंट से कुएं तक लाइन लगाने में जो भी खर्चा आयेगा उसका एक तिहाई अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो चार्जेज लेकर पुनः कनेक्शन चालू किये जा सकेंगे। बस्सी विधान सभा क्षेत्र में पुनः विद्युत कनेक्शन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## पंचायत समिति टोडाभीम (सवाई माधोपुर) के लम्बित विद्युत कनेक्शन

366. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति टोडाभीम के ग्राम नया गांव, देवलेन, महमदपुर, जगदीशपुरा, मूंडिया एवं चाटरा शेरपुर के कतिपय व्यक्तियों के घरेलू कनेक्शन के प्रार्थना पत्र लम्बे समय से सहायक अभियन्ता, कार्यालय टोडाभीम के समक्ष लम्बित हैं ? यदि हां, तो ग्रामवार लम्बित प्रार्थना पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि घरेलू कनेक्शन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होने के बावजूद भी कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लम्बित कनेक्शन प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करने का इरादा रखती है यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मूंडिया में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा डिमांड राशि जमा कराने के बावजूद भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ? क्या सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति टोडाभीम (जिला सवाईमाधोपुर) के गांवों में विचाराधीन घरेलू आवेदन पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

ग्राम नया गांव— कोई घरेलू प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं है।

ग्राम देवलेन— 84 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनके मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं।

ग्राम महमदपुर— 14 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवा दी है एल. टी. लाइन खींचने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। कार्य प्रगति पर है।

ग्राम जगदीशपुरा— 31 आवेदकों के तखमीने तैयार हो गये हैं। तथा मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं।

ग्राम मूंडिया— 72 आवेदकों के मांग पत्र जमा, 56 आवेदकों को कनेक्शन कर दिये हैं, 16 आवेदकों के कनेक्शन विचाराधीन हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

ग्राम घाटरा शेरपुर — 48 आवेदन पत्रों के तखमीने प्राप्त हो गये हैं। मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) घरेलू कनेक्शनों पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। मार्च, 1997 तक सभी विचाराधीन आवेदन पत्रों को जो तकनीकी दृष्टि से साध्य हैं कनेक्शन दिये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

(3) ग्राम मूंडिया में 56 आवेदकों को कनेक्शन दिये गये हैं, 16 आवेदनकर्ताओं का मामला विवादित है जिनके मांग पत्र की राशि जमा है जो कि न्यायालय हिण्डौन में विचाराधीन हैं। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही 16 आवेदनकर्ताओं के कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

## मासलपुर (सवाई माधोपुर) के सब डिवीजन कार्यालय

367. श्री हंसराम (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील करौली (सवाई माधोपुर) में प्रारम्भ से ही मण्डल का एक ही सहायक अभियन्ता कार्यालय है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक सब डिवीजन कार्यालय तहसील मासलपुर में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। तहसील करौली जिला सवाई माधोपुर में एक ही सहायक अभियन्ता कार्यालय प्रारम्भ से ही कार्यरत है। [illegible]पुर में सब डिविजन कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## ग्राम पंचायत दुदका (घाटोल) के लेम्पस गोदाम

368. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम पंचायत दुदका पंचायत समिति घाटोल में वर्ष 1995-96 में लेम्पस गोदाम स्वीकृत किए गए थे ? यदि हां, तो सरकार इस गोदाम को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां। ग्राम पंचायत दुदका पंचायत समिति घाटोल में वर्ष 1995-96 में गोदाम निर्माण स्वीकृत किया गया था। हां। गोदाम का नींव स्तर तक का कार्य होने के पश्चात् ग्रामवासियों में गोदाम स्थान के बारे में विवाद होने से कार्य रूका हुआ है। विवाद सुलझने के पश्चात् कार्य पुनः प्रारम्भ हो सकेगा।

## सेवा निवृत्त सहकारी निरीक्षक का पेंशन प्रकरण

369. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग में कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है ? यदि

(श्री हरिसिंह)

हां, तो सेवा निवृत्ति के कितने दिन पश्चात् पेंशन या प्रोवीजनल पेंशन देना शुरू कर दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि छिद्दासिंह सेवा निवृत्त सहकारी निरीक्षक को सेवा निवृत्त हुए 12 साल से अधिक समय हो गया है एवं पेंशन या प्रोवीजनल पेंशन अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? सरकार उन्हें अब कब तक पेंशन देना शुरू कर देगी ?

उत्तर

(1) विभाग से सेवा निवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। पेंशन सेवा निवृत्ति की तिथि से ही दिये जाने का प्रावधान है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होती है, या जिनके सेवा रिकार्ड को सेवा निवृत्ति तिथि तक पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोविजनल पेंशन यथा शीघ्र स्वीकृत की जाती है।

(2) श्री छिद्दासिंह सेवा निवृत्त निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है, जांच पूर्ण होने तक पेंशन स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। श्री छिद्दासिंह को प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत कर भुगतान आदेश जारी करने हेतु प्रकरण निदेशक, पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया है।

## क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा का अंकेक्षण आक्षेप प्रकरण

370. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, इटावा जिला कोटा की वार्षिक आम सभा में सदस्यों को टिफिन बांटने पर अंकेक्षण आक्षेप लगाया गया था ?

(2) यदि हां, तो उस अंकेक्षण आक्षेप पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) संचालक मण्डल के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 2-1-94 जिसके द्वारा वार्षिक आम सभा दिनांक 26-2-94 में टिफिन बांटने का निर्णय लिया गया, को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा (32) के अन्तर्गत अपखण्डित करने का नोटिस उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा किया जाकर प्रस्ताव को सही मानते हुए अपखण्डन की कार्यवाही समाप्त की गई।

## जयपुर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन

371. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो जयपुर जिले में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कौन-कौन सी सहकारी समितियों का पंजीयन कब-कब निरस्त किया गया ?

(2) इन समितियों के विरुद्ध क्या-क्या अनियमितताओं के आरोप कब-कब से चले आ रहे थे ?

(3) सरकार द्वारा उक्त समितियों की सम्पत्तियों का क्या किया गया तथा इनके लिए अग्रिम क्या-क्या कार्यवाही की गई, इनके लिए कौन-कौन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) खण्ड-1 के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) खण्ड-1 के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता है।

## प्रदेश की पंचायत समितियों में नियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों की वरिष्ठता प्रकरण

372. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में नियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों की नियुक्ति किस विभाग द्वारा एवं कब-कब की गयी ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों का स्थायीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब कब तक जारी कर दी जायेगी ?

(4) राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों की वरिष्ठता सूची विकास विभाग द्वारा जारी की जायेगी या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न पंचायत समितियों में हैण्ड पम्प फिटरों की प्रतिनियुक्ति जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 1983 एवं 1984 में की गई। प्रतिनियुक्ति किये जाने के राज्य सरकार के आदेश सं. एफ.12 (1) सचिव/आर. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी/83/2912 दि. 20-10-83 तथा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के आदेश संख्या पीई. 1 (5) III (28) 83-84 / 1920 दिनांक 18-11-83 एवं आदेश क्रमांक पीई. 1 (5) III / 28/ 84-85 / 6239-290 दिनांक 13-6-84 की प्रति परिशिष्ट-(एक) पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज)

(2) विभिन्न पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त हैण्ड पम्प फिटर के स्थायीकरण सम्बन्धी कार्यवाही जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जानी है परन्तु सृजित पदों के अस्थायी होने के कारण स्थायीकरण किये जाने में विलम्ब हो रहा है।

(3) पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ. II (263) जनस्वा./का/93-94/53988-54488 दि. 20-11-93 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं जो कि परिशिष्ट-"क" पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

(4) विभिन्न पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त हैण्ड पम्प फिटरों की वरिष्ठता सूची राजस्थान इंजीनियरिंग अधीनस्थ सेवा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी शाखा के नियम 1967 के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जारी की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों को दिये जा चुके हैं।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बारां जिले की ग्राम पंचायतों में सीधी भर्ती प्रकरण

373. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में जिला परिषद की अनुमति के बिना कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कितने-कितने कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्थापित किये गये हैं ?

(2) क्या बिना अनुमति के ग्राम पंचायत ऐसे ही कर्मचारी नियुक्त कर सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या ऐसी ग्राम पंचायतों के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

**उत्तर**

(1) बारां जिले में जिला परिषद की अनुमति के बिना जितने कर्मचारी जिन पदों पर ग्राम पंचायतों द्वारा पदस्थापित किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। जिन ग्राम पंचायतों ने इन कर्मचारियों को पदस्थापित किया है उनकी जांच विचाराधीन है।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)**

## पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

374. **श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मांडल जिला भीलवाड़ा के किस-किस सरपंच के विरुद्ध अब तक सरकार को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मांडल के सरपंचों के विरुद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्राप्त शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला कलक्टर द्वारा तीन शिकायतों की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट विभाग को भिजवाई है जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है :—

| | |
|---|---|
| (I) श्री नारायण बिड़ला सरपंच, ग्राम पंचायत मांडल, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा। | – सरपंच से दिनांक 29-3-97 तक स्पष्टीकरण चाहा गया है। |
| (II) ,, ,, | – मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाड़ा से विस्तृत जांच कराई जा रही है। |
| (III) श्रीमती दाख कंवर सरपंच, ग्राम पंचायत करेडा, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा। | ,, ,, |

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## पंचायत समिति मण्डोर (जोधपुर) के लिपिक का निलम्बन प्रकरण

**375. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में सेवारत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या गम्भीर दोषों के फलस्वरूप उस पंचायत समिति की प्रशासन, वित्त करारोपण स्थायी समिति लिपिक संवर्ग के कर्मचारी को निलम्बित कर सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया से, कितने समय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले की पंचायत समिति मण्डोर की ऐसी स्थायी समिति ने अपने लिपिक संवर्ग के कर्मचारी को निलम्बित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और किस कारण से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थायी समिति द्वारा निलम्बन निर्णय की पालना में निलम्बन आदेश जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो किस कर्मचारी को किसने एवं कब निलम्बित किया ? यदि नहीं, तो सरकार निर्णय की पालना कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(2) जी, हां। दिनांक 10-10-96 को श्री नोसेखां लिपिक को कार्य में अनियमितता बरतने के कारण निलम्बन करने का प्रस्ताव पारित किया है।

(3) जी, नहीं। इसकी जांच विचाराधीन है।

## दिवेर (राजसमन्द) का पर्यटन विकास

376. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले की भीम तहसील स्थित दिवेर का ऐतिहासिक महत्व है ?

(2) क्या सरकार दिवेर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे केन्द्र सरकार की मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना में सम्मिलित करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार अपने स्तर पर दिवेर को पर्यटन मानचित्र पर लाने और इसे प्रसिद्धि दिलाने व विकसित करने के लिये प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। साधनों के अभाव के कारण दिवेर को मेवाड़ कॉम्पलेक्स के पहले चरण में शामिल करना सम्भव नहीं है।

(3) अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

## प्रदेश में पर्यावरण सुधार/वन विकास कार्यों पर व्यय

377. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के पर्यावरण सुधार तथा वन विकास कार्यों हेतु विदेशों से पर्याप्त राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किस-किस योजना हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस देश से प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं की निरन्तर क्रियान्विति हो रही है ? यदि हां, तो उससे होने वाले प्रदेश के लाभ व अब तक व्यय की गई राशि का विवरण और सफलता के प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) :— प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिए पर्यावरण मोनीटरिंग हेतु भारत जर्मनी परियोजना के अन्तर्गत जर्मनी से प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में प्राप्त हुए हैं। गत तीन वर्षों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | उपकरण | परियोजना | देश | कीमत (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1993–94 | शून्य | — | — | — |
| 1994–95 | शून्य | — | — | — |
| 1995–96 | | | | |
| (क) भ्रमण प्रयोगशाला वाहन का मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जीकरण एवं उपकरण | | भारत जर्मनी द्विपक्षीय तृतीय चरण | जर्मनी | 7.00 लाख |
| (ख) अटोमिक अब्जोरप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | | ,, | ,, | 8.8 लाख |
| (ग) प्रयोगशाला मोडयूलर फर्नीचर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर्स | | ,, | ,, | 22.00 लाख |

उपरोक्त उपकरणों के अलावा वित्तीय सहायता के रूप में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ब) वन विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विगत तीन वर्षों में योजनावार प्राप्त धन का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(2) जी, हां। पर्यावरण सुधार कार्यों के लिए प्राप्त उपकरणों से पर्यावरण परिविक्षण द्वारा प्रदूषण का आंकलन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है जो कि प्रदूषण नियंत्रण एवं नीति निर्धारण में सहायक है।

बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास कार्य विकसित हो रहे हैं। वृक्षारोपण क्षेत्रों से स्थानीय ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष लाभ के रूप में घास, मूंज के पूले एवं अन्य लघु वन उपज निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। अप्रत्यक्ष लाभों के अन्तर्गत रोजगार के अवसर, पर्यावरण सुधार, भू एवं जल संरक्षण प्रमुख हैं। वन विकास कार्य रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। वन विकास की योजनाओं पर अब तक किये गये खर्च तथा सफलता के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

## जयपुर शहर में महिला बच्चों एवं वृद्ध नागरिकों हेतु विशेष बसें

378. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

( ) क्या यह सही है कि प्रदूषण फैलाने के आधार पर जयपुर शहर में विक्रम टेम्पो बन्द करने का जो निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया था उसमें यह निर्णय भी दिया था कि महिलाओं/वृद्ध नागरिकों और बच्चों के लिए विशेष बसें चलाई जाएं ?

(2) यदि हां, तो इस निर्णय की पालना में सी.टी.एस के किस रूट पर उपरोक्त प्रकार की विशेष बसें कितनी-कितनी संख्या में चलाई गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में और स्वयं की नीति के अनुसार महिलाओं, वृद्ध नागरिकों और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सी. टी. एस. के प्रत्येक रूट पर 5-5 की संख्या में उपरोक्त प्रकार की विशेष बसें अविलम्ब चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब तक उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने के लिए सरकार किस अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का दोषी मानती है और उसको क्या दण्ड देगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय के श्री ए. के गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार नामक एकल पीठ सिविल याचिका संख्या 897/96 में दिनांक 14-8-96 को आदेश पारित कर वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं और बच्चों के लिए वाहनों की अलग से व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये थे।

(2) न तो विभाग बसें स्वयं संचालित करता है, और मोटर यान अधिनियम के प्रावधानुसार न ही किसी वाहन स्वामी को किसी रूट पर या किसी विशेष प्रयोजन हेतु बस चलाने हेतु पाबन्द कर सकता।

(3) वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे किसी स्थान विशेष पर नहीं रहते हैं और न ही किसी विशेष समय व मार्ग पर यात्रा करते हैं तथापि उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य सरकार ने वृद्ध नागरिकों महिलाओं व बच्चों के लिए संचालित होने वाली विशेष बसों द्वारा देय विशेष पथ कर में बीस प्रतिशत की छूट प्रदान करने की अधिसूचना जारी की है। इसी प्रकार नगर सेवा में चलने वाली बसों में उपर्युक्त श्रेणी के यात्रियों के लिए 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है।

(4) विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णयों की पूर्ण पालना की है, इसीलिए अवमानना का प्रश्न नहीं उठता है।

## जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के माध्यम से यातायात व्यवस्था

379. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए

(श्री विष्णु मोदी)

परिवहन निगम द्वारा इस आशय का कोई सर्वे कराया गया है कि शहर के निकटस्थ क्षेत्रों यथा शाहपुरा, दौसा, चौमूं, बगरू, चाकसू तक निगम की बस सेवा के पश्चात् कितने यात्री निजी वाहनों से/बसों से यात्रा करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों में परिवहन निगम की सेवा उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी यात्रियों का दबाव ज्यादा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या निगम इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का विचार रखता है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर के निकटस्थ क्षेत्रों यथा, शाहपुरा-दौसा, चौमूं, बगरू, चाकसू, फागी, जोबनेर एवं रामगढ़ तक यात्री सेवा की आवश्यकता के आकलन हेतु निगम द्वारा वाहन की संख्या हेतु अल्प अवधि का सर्वेक्षण कराया गया था।

(2) उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप, निगम की सूचना के अनुसार, पर्याप्त बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

## घाटगेट बस स्टेण्ड का स्थानान्तरण

380. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में घाटगेट पर बस स्टेण्ड होने के कारण आये दिन रोड जाम होता रहता है ? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार का क्या विचार है ?

(2) क्या सरकार घाटगेट बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां, एवं कब तक ?

उत्तर

(1 एवं 2) जयपुर में घाटगेट पर निजी/राजस्थान पथ परिवहन निगम दोनों की बसों का स्टेण्ड है। इस स्थान पर मुख्य मार्ग पर शहर के अन्य यातायात/ठेलें/रिक्शा इत्यादि के कारण यातायात के सुगम आवागमन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। नये स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी/राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दोनों के बस स्टेण्ड को स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। निगम ने अपने बस स्टेण्ड को घाटगेट से इसलिए स्थानान्तरित करने की अनिच्छा प्रकट की है कि जब तक निजी बसों का स्टेण्ड परिवर्तित नहीं होता, तब तक निगम का बस स्टेण्ड स्थानान्तरित करने से निगम को आर्थिक हानि होने की सम्भावना है।

## बस स्टेण्ड भीम का यात्री विश्रामगृह

381. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 08 पर स्थित उपखण्ड मुख्यालय

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

भीम का बस स्टेण्ड एक व्यस्त बस स्टेण्ड है जहां निगम व निजी बसों से सैकड़ों यात्रियों का आवागमन होता है ?

(2) क्या सरकार उक्त बस स्टेशन के जीर्णशीर्ण यात्री विश्रामगृह और टूटी-फूटी पत्थर की बैन्चों के स्थान पर बड़ा तथा उपयुक्त विश्रामगृह बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त बस स्टेण्ड पर बसों के रुकने हेतु पक्के प्लेट फार्म बनाने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में भीम बस स्टेण्ड ग्राम पंचायत का है। जिसका उपयोग निगम व निजी वाहनों द्वारा किया जा रहा है।

(2 व 3) मुख्य प्रबन्धक, परिवन निगम, ब्यावर आगार तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, भीम के बीच स्थापित सम्पर्क के आधार पर आवश्यकतानुसार यथोचित सुविधाएं सुलभ कराई जाती रही हैं।

## डूंगरपुर–सोम कोटड़ा मार्ग पर बस संचालन

382. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निगम की डूंगरपुर वाया सोम कोटड़ा सरूपगंज हेतु बस का संचालन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्राप्त प्रस्ताव की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर से झाड़ोल, विजयनगर, अहमदाबाद (गुजरात) के लिए बस चलती थीं ? यदि हां, तो क्या यह बस आज भी संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त बसों का पुनः संचालन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रस्ताव के अनुसरण में आबूरोड से गलियाकोट वाया सरूपगंज, कोटड़ा सोम, खैरवाड़ा, डूंगरपुर मार्ग पर दिनांक 4-3-97 से वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2 व 3) जी हां। पूर्व में निगम द्वारा इस अन्तर्राज्यीय मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ किया था। लेकिन पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय पश्चात् संचालन बन्द कर दिया गया था।

तत्पश्चात् गुजरात एवं राजस्थान राज्य परिवहन निगमों के अधिकारियों के मध्य सम्पन्न बैठक में हुई सहमति के अनुसार इस मार्ग पर गुजरात राज्य परिवहन निगम द्वारा दिनांक 1-3-97 से वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

## महाविद्यालय कुशलगढ़ हेतु छात्रावास निर्माण

383. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण हेतु पिछले बजट में सरकार द्वारा 50 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त धनराशि का आबंटन अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावास का निर्माण अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां। कुशलगढ़ महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु बालक छात्रावास के लिए रु. 40.00 लाख दिनांक 31-3-95 को तथा कन्या छात्रावास के लिए रु. 26.57 लाख दिनांक 31-03-96 को राज्य सरकार द्वारा वि. के. स. से स्वीकृत किए गए हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन राशियों के आहरण पर प्रतिबंध होने से राशि आबंटित नहीं की गई थी। बालक छात्रावास की राशि का प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा अप्रेल, 96 से हटाया गया है। विभाग द्वारा राशि रु. 20.00 लाख निदेशक, आवास विकास संस्थान को दिनांक 16-12-95 को छात्रावास (बालक) के निर्माण कार्य की प्रारम्भिक तैयारी हेतु अग्रिम हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। शेष राशि रु. 20.00 लाख के दिनांक 21-01-97 को हस्तान्तरित आदेश दिए हैं।

(3) कालेज प्राचार्य द्वारा कालेज परिसर में दिनांक 03-01-97 को छात्रावास (बालक) हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है। अतः आवास विकास संस्थान द्वारा ले-आउट कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा निर्माण कार्य शीघ्र चालू किए जाने की सम्भावना है।

## प्रदेश में पेट्रोल के स्थान पर डीजल की गाड़ियों का क्रय

384. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्टेट मोटर गैराज एवं जिला पूलों और अन्य विभागों में कुल कितनी गाड़ियां किस-किस किस्म की डीजल एवं पेट्रोल की वर्तमान में हैं ?

(2) उक्त सभी गाड़ियों में से कितनी गाड़ियां पेट्रोल से संचालित हैं और उनका कितना खर्चा प्रतिदिन एवं प्रतिमाह औसत आता है ?

(3) क्या सरकार इन पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय डीजल से चलने वाली गाड़ियां रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) स्टेट मोटर गैराज एवं जिला पूलों में उपलब्ध वाहनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| | पेट्रोल | डीजल |
|---|---|---|
| गैरेज | 139 | 2 |
| पूल | 197 | 121 |

अन्य विभागों में स्वीकृत वाहनों की सूचना संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(2) प्रश्न के बिन्दू 2 के प्रथम पैरा का उत्तर प्रश्न के बिन्दू 1 के उत्तर में दिया गया है। वाहन पर व्यय उसके उपयोग पर निर्भर करता है। गत माह में स्टेट मोटर गैराज, जयपुर में पेट्रोल चलित वाहनों के पी. ओ. एल. पर व्यय रु. 6,14,159/- आया था और जिसका औसत व्यय रु. 21,934/- प्रतिदिन बनता है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## कर्मचारियों के लम्बित पेन्शन प्रकरण

385. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में वैद्य, कम्पाउण्डर व अन्य कर्मचारियों के गत 3 वर्षों में कितने प्रकरण पेंशन से सम्बन्धित विचाराधीन हैं ? विचाराधीन प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन प्रकरण में वेतन निर्धारण एवं प्रशासनिक कार्यवाही संबंधी विचाराधीन प्रकरणों पर त्वरित गति से निष्पादन नहीं होने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या उक्त विचाराधीन प्रकरणों में सही समय पर कार्यवाही नहीं होने से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में वर्तमान में कुल 112 पेंशन प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) इन पेन्शन प्रकरणों में वेतन निर्धारण व अन्य प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के लिए सम्बन्धिय कार्यालयाध्यक्ष/अधिकारी जिम्मेदार है।

(3) जी, हां। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

## प्रदेश के आयुर्वेद औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद

386. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित व स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों एवं चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारक के 333 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर (परिशिष्ट "क") रख दिया गया है।

(2) जी, हां। वित्त विभाग से रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति की अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर नियुक्तियों की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के तिजारा ग्राम में कुछ दिनों पूर्व जैन धर्माचार्य श्री देवेन्द्र मुनि के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में नील गायों (रोजड़ों) की बढ़ती संख्या एवं उनके द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि रोजड़ों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्णतया संवेदनशील एवं जागरूक है तथा इसके समाधान हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सड़क नीति में परिवर्तन कर रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से मूंजर नाला नामक तालाब के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर स्थित हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द नहीं करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से एम. डी./एम. एस. प्रवेश परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों का आरक्षण कोटा बढ़ाने के आदेश प्रसारित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जनजाति सम्भाग में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु रोडवेज की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री अमरारामजी चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री हरिनारायण जी।

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### सवाई माधोपुर में राजस्थान पथ परिवहन निगम का डिपो

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में राजस्थान पथ परिवहन निगम का डिपो नहीं है। अतः मुख्यालय पर एक डिपो खोला जाए, जहां से राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, लालसोट, दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, मालपुरा, किशनगढ़ आदि जगहों के अलावा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए भी बसें भारी मात्रा में चल सकती हैं।

इसके अतिरिक्त परिवहन निगम की जो बसें जयपुर व टोंक से चलती हैं और शहर सवाई माधोपुर में ही खड़ी रहती हैं, रात को भी वहीं खड़ी रहती हैं, उनको आस-पास के कस्बों में वनखंडी हनुमानजी, फलौदी, टोडरा, लाहसोड़ा, पाली, भूरी पहाड़ी (डूंगरी), खंडार, बालेर, कुरेडी, नापपुर, चौथ का बरवाड़ा, भगवतगढ़, शिवाड़, ईसरदा, सारसोप, ऐचेर, डिडापच, पावाडेरा पांचोलास, आदि कस्बों तक सर्वे करवा कर पहुंचाया जाए। खंडार को जाने वाली बस करीबन 3 महीने से बन्द कर दी गयी है, उसे पुनः चलाया जाए, चौथ का बरवाड़ा, भगवतगढ़, शिवाड़, खंडार, बालेर, लहसोड़ा, टोडरा के लिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर,

(श्री हरिनारायण)

भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से नयी बसें सर्वे करवा कर चलायी जाएं। खण्डार व शिवाड़ से गोवर्धन व हरिद्वार के लिये बसें लगायी जाएं। कुशतला व चकचैनपुरा में परिवहन निगम की बसें रूकने के लिये बस स्टैण्ड बनवाये जाएं। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

## मूंजर नाला तालाब (बेगूं) का निर्माण

**श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी का ध्यान मूंजर नाला नामक तालाब के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह तालाब भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के श्रीपुरा ग्राम पंचायत के एक ग्राम मूंजर के पास है, जहां बारहों महीना पानी इस नाले में बहता रहता है। इस नाले पर पूर्व में भी कुछ कार्य हुआ था, किन्तु यह अधूरा कार्य रह जाने से इसका लाभ नहीं मिल सका। इस तालाब का लाभ दो गांवों मूंजर कलां और मूंजर खुर्द को मिलेगा। दोनों गांवों की कुल आबादी 980 है जिसमें से 829 जनजाति क्षेत्र की आबादी है। इसके सर्वे के अनुसार 233 परिवारों की करीबन 200 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस तालाब का एस्टीमेट अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा बनवाया जाकर उप शासन सचिव महोदय, जयपुर को दिसम्बर, 96 में भेजा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उक्त तालाब की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : यह, चुन्नीलालजी, पहले भी उठाया है आपने। मुझे याद है यह।

श्री अमरारामजी चौधरी।

## सड़क नीति में परिवर्तन

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र में सड़क नीति में परिवर्तन करने बाबत मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क नीति के अनुसार पंचायत मुख्यालय और एक हजार या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को ही डामर सड़क और ग्रेवल सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास हेतु पिछले वर्षों में बड़े-बड़े पुराने गांव जो कई मीलों में फैले हुए थे, उन राजस्व ग्रामों के चार-चार और छह-छह राजस्व ग्राम बने हुए हैं। उन नये राजस्व ग्रामों को जब तक सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र का आज के युग में विकास अधूरा रह जाएगा। वहां उन छोटे राजस्व ग्रामों में रहने वाले लोग अपने खाने-पीने का सामान व स्कूल आदि भवन बनाने के लिये मैटीरियल नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू रेत के रास्ते के कारण मोटर गाड़ी जाने व ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

(श्री अमराराम चौधरी)

अतः श्रीमान् के माध्यम से मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में और पहाड़ी क्षेत्र में इन छोटे राजस्व ग्राम जो एक हजार की जनसंख्या से कम हैं, उनको सड़कों से जोड़ने के लिये सड़क नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिये ताकि सदियों से पिछड़े इन क्षेत्रों का विकास हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए जोधपुर शहर स्थित हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय को समाप्त करने के निर्णय बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

लोक प्रशासन संस्थान का नामकरण जोधपुर निवासी हरिश्चन्द्र माथुर की उत्कृष्ट सेवाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के उपलक्ष्य में किया गया था। उनकी ही जन्म स्थली जोधपुर से ही उस संस्थान को समाप्त किया जा रहा है, यह जोधपुरवासियों के मानस व स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। विशेषकर इस निर्णय से कि ये केन्द्र बीकानेर एवं उदयपुर में यथावत चलते रहेंगे। विशेष उल्लेखनीय है कि राजस्थान के बनने के समय प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जोधपुर में की गयी थी जिसे स्थानान्तरित कर जयपुर ले जाया गया, जिसका विस्तृत रूप वर्तमान में हरिश्चन्द्र माथुर "रीपा" है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में 1982-83 में खोला गया। लेकिन अब इसे 31-3-97 को समाप्त किया जा रहा है। यह जोधपुर के साथ भेदभावपूर्ण कदम होगा।

जोधपुर का क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 1982-83 से स्थापित किया गया है तब से आज तक विभिन्न प्रशिक्षणों का नतीजा उत्साहवर्धक व राजस्थान में सदैव अग्रणी रहा है। परीक्षाफल इसके प्रमाण हैं। भवन भी संस्थान का अपना स्वयं का उपलब्ध है। इसमें दो बड़े लेक्चर हॉल, कार्यालय (अधिकारियों स्टाफ हेतु) व आवश्यक फर्नीचर उपकरण लाइब्रेरी की पुस्तकें आदि भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त व्याख्याता भी प्रत्येक विषय में उपलब्ध हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्रीय केन्द्र में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही जिलों के अतिरिक्त समस्त राजस्थान, जैसे अलवर, जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं, गंगानगर, भरतपुर जिलों आदि जिलों के कर्मचारी भी प्रशिक्षण हेतु आते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि जोधपुर शहर के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार कर जोधपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को समाप्त नहीं करने के आदेश प्रसारित करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर भगोरा।

## उदयपुर जनजाति सम्भाग में होने वाली वाहन दुर्घटनाएं

**श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए उदयपुर जनजाति सम्भाग में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए माननीय परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

राजस्थान राज्य का दक्षिणांचल उदयपुर सम्भाग अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है जो भौगोलिक दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। इस क्षेत्र के निवासी पहाड़ियों के बीच जहां-जहां छोटी-छोटी जमीन उपलब्ध थी, बस गये हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों की आवाजाही हेतु आजादी के पचास वर्षों बाद भी अच्छी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी व कम चौड़ी बनी हुई हैं क्योंकि पहाड़ों को काटकर नदी, नालों से गुजरती हैं। आवाजाही हेतु अधिकतर क्षेत्रों में प्राइवेट बसें चलती हैं एवं कई स्थानों पर जनता की मांग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भी बसें चलाई हैं। फिर भी आबादी व यात्रियों के दबाव के अनुपात में बसें संचालित नहीं हो रही हैं जिससे ओवरलोडिंग समस्या भी आम है। टेढ़े-मेढ़े, उबड़-खाबड़ रास्ते, ओवरलोडिंग लम्बी, 55 सवारियों की क्षमता वाली रोडवेज बसें होने से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सैकड़ों लोग प्रति वर्ष अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं एवं हजारों शारीरिक रूप से विकलांग व अक्षम हो रहे हैं। उक्त जन-धन के नुकसान को कम करने के लिए राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार व परिवहन मंत्री का ध्यान वर्तमान व्यवस्था के सुधारने हेतु निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करता हूं :—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें आज पहाड़ी राज्यों की तरह छोटी-छोटी 35 से 40 सीट की चलाई जाएं।

(2) बसों के ऊपर चढ़ने की सीढ़िया व जंगले हटाये जाएं।

(3) बसों के परमिट ज्यादा दिये जाएं।

(4) जिला मुख्यालयों की 30 से 40 किलोमीटर की परिधि में सिटी बसें या लोकल बसें चलाई जाएं।

(5) बसों की नियमित फिटनेश देखी जाती रहे।

(6) मोड़, नदी-नालों व चढ़ाइयों पर सड़कों का सुधारीकरण किया जाए।

(7) बसों के दरवाजों पर लटकने या छतों पर जबरदस्ती बैठने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

(8) बसों के क्रय आदि के लिए विशेष रियायतें दी जाएं। (धन्यवाद)

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती मीनाजी।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :** अध्यक्ष महोदय, अलवर के लिए मैं बताना चाह रही हूं कि अलवर में आयुर्वेद औषधा- के रोगियों को सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है कि समय पर रोगियों को दवाई मिल सके। पिछले साल बहुत भारी मलेरिया की

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

मौसमी महामारी फैली थी उस समय भी वहां पर कोई औषधि नहीं थी। एलोपैथी डाक्टर्स की ड्यूटी इतनी सख्त थी कि उनको फुर्सत ही नहीं थी कि मेरे अलवर में वे पचास वार्ड के कैम्प लगा सकें। मैंने आयुर्वेद औषधालय में इसके लिए निवेदन किया कि मुझे आप वैद्य ही दे दीजिये, जिससे कच्ची बस्तियों में, जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर कैम्प लगाया जा सके। तो बहुत से वैद्यों ने तो मना ही कर दिया कि हम उसमें तो नहीं जाएंगे काम करने। जो गये उन्होंने यह कह दिया कि हमारे पास दवाइयां नहीं हैं। तो मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहती हूं कि महामारी के समय तो बीमारी के लिए दवाई हमेशा हास्पिटल में रहनी चाहिए। इसके अलावा हास्पिटल की व्यवस्था इतनी खराब है कि न सफाई है, न वहां बैड ढंग से लगे हुए हैं, न वहां पर रंग-रोगन है। मैं आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वे एक बार दौरा करें कि अलवर के आयुर्वेद हास्पिटल की क्या हालत हो रही है। हमारी हिन्दू संस्कृति में सबसे पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है, एलोपैथी तो बाद में आई है। यह हमारे यहां की जड़ी-बूटियों की दवाई है, इसको सही ढंग से चलाना चाहिए।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगी कि अलवर में 'ए' क्लास का हास्पिटल है, वहां एम. डी. डाक्टर नहीं, सीनियर डाक्टर नहीं, और डाक्टर लगाये जाते हैं, सिफारिश पर। वे सिफारिश करने वाले अपने एरिये में डाक्टर ले जाएं, वैद्य ले जाएं मगर अलवर के 'ए' क्लास हास्पिटल में एम. डी. और सीनियर डाक्टर मुझे मिलने चाहिए। अलवर में 25 साल से नया औषधालय नहीं खोला गया है जबकि फैक्ट्री एरिया है, जनसंख्या बढ़ गई है, अलवर जंक्शन बन चुका है। मैं आपके जरिये यह भी निवेदन करूंगी कि वहां एक हास्पिटल और औषधालय खोला जाए। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंहजी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : स्वास्थ्य मंत्रीजी को जब चूरू जाने से फुर्सत ही नहीं मिलती तो अलवर क्या जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह आयुर्वेद की बात हो रही है, आप पूरा सुनें। आपके और दोनों के खटाखट चलती रहती है यों ही। (व्यवधान) पराक्रम सिंहजी।

श्री किशन गोपाल कोगटा। सैक्रेटरी एक ही हैं।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वे हमेशा कहते हैं कि मुझे एक ही बार कहा गया है पर मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि गुलाबपुरा के अन्दर रात को दस बजे बाद से लेकर सुबह सात बजे तक कोई बस रोडवेज की नहीं आती। इसके लिए मैं उनको कई बार निवेदन भी कर चुका हूं। उनके चेयरमैन ने भीलवाड़ा में बैठक की, उसमें भी कह चुका हूं। इसके लिए मैं यातायात मंत्रीजी को एक नुस्खा बताना चाहता हूं, याददाश्त बढ़ाने की एक दवाई है "लघुकविर", उसका सेवन करें तो उनकी याददाश्त सुधर जायेगी, धन्यवाद।

(श्री पराक्रम सिंह)

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : (मसूदा) : मैं भी इनके साथ में कहना चाहता हूं। गुलाबपुरा के साथ-साथ विजय नगर के साथ भी अन्याय हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : यह शून्यकाल है। आपने स्लिप नहीं भेजी शून्यकाल की। चलिये, बोलिये।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : रात को आठ बजे बाद, नौ बजे बाद कोई बस विजय नगर, गुलाबपुरा होकर नहीं जाती। सब बसें विजयनगर से सीधी भीलवाड़ा की ओर जाती हैं। विजयनगर और गुलाबपुरा मण्डी है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन बसें नहीं आने-जाने से वहां के यात्रियों को बहुत कष्ट होता है, खासकर महिलाओं को। चौराहे से तीन किलोमीटर पहले, चाहे 27 मील चौराहा हो, चाहे 26 मील चौराहा, रात को एक बजे, दो बजे पैदल जाना पड़ता है। रेवेन्यू भी बढ़ेगी और सुविधा भी बढ़ेगी। आपने जिस प्रकार जयपुर–अजमेर के बीच में चलने वाली बसों को दूदू और किशनगढ़ रोकने के लिए अनिवार्य किया है और उसी प्रकार अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में जाने वाली बसों को अनिवार्य रूप से गुलाबपुरा और विजय नगर होकर रात्रि को निकालें, ऐसा मेरा आग्रह है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी। (व्यवधान)....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इनको समझाइये। यह राजस्थान की विधान सभा चल रही है और माननीय मंत्री हैं, इनको गरिमापूर्ण व्यवहार करने लिए बताओ, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : यह क्या कर रहे हो आप ? विराजो आप।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : मेरा रिप्लाई।

**श्री अध्यक्ष** : बैठो आप। क्या कर रहे हो ? बैठो आप। आप कुछ कह रहे हैं ? मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** (यातायात राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पराक्रम सिंहजी ने अभी मेरी याददाश्त के लिए औषधि की बात कही है लेकिन उसका नाम तो बताया नहीं। पराक्रम सिंहजी आजकल माननीय भाटीजी और राजेन्द्रजी को ही औषधियां दे रहे हैं और मेरे तक तो अभी नम्बर आया ही नहीं है। (व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, विराजें। हो गई मजाक।

**श्री पराक्रम सिंह** : मैंने नाम बताया, आपने सुना नहीं। मैं आपको खरीद कर नजर कर दूंगा। (व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष** : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी। माननीय, अब बस। बोला न अभी यहां पर, दो बार थोड़ी होगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों की अगर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

औषधि आ गई तो फिर सदन में बोलने लायक नहीं रहेंगे। (व्यवधान)....

**श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले डेढ़ वर्ष में करीब चार करोड़ की पेयजल योजना माननीय मंत्री महोदय ने कृपा कर स्वीकृत की बिजौलिया की डेढ़ करोड़ की पेयजल योजना, मांडलगढ़ की 65 लाख की शहरी योजना और दो करोड़ की ग्रामीण योजना। अध्यक्ष महोदय, बिजौलिया में पेयजल का भयंकर संकट रहता है, इसमें फिल्टर प्लांट बनने वाला था, आज डेढ़ वर्ष बाद भी फिल्टर प्लांट के टेण्डर नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो पाइप आने वाले थे, अधिकारियों की लापरवाही से वे पाइप नहीं आये हैं। यदि लोहे के पाइप आ जाये तो आज उस क्षेत्र में कम से कम इस वर्ष ही हम गर्मी में पेयजल से वंचित नहीं रहते और हमें सुविधा मिल जाती।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएं हैं करीब 11, इनमें से 9 में तो सोर्स बन गये हैं, कनेक्शन हो गये हैं।

**श्री अध्यक्ष :** स्पेसिफिक कोई बात हो तो कहो आप।

**श्री बद्री प्रसाद गुरुजी :** बहुत शार्ट में कह रहा हूं मैं।

गवर्नमेंट को कहां दिक्कत है? जो सोर्स बन गये, कनेक्शन हो गये हैं....

**श्री अध्यक्ष :** इमिडियट, अरजेंट नेचर की बात हो तो बताओ आप।

**श्री बद्री प्रसाद गुरुजी :** परन्तु राजस्थान सरकार के पी. वी. सी. पाइप की कांट्रेक्ट रेट तय नहीं करने की वजह से पी. वी. सी पाइप खरीदे नहीं जा रहे हैं। इससे भी योजनाएं लम्बित हैं। पाइपों की कमी की वजह से और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो योजनाएं लंबित हैं कम से कम वे समय पर पूरी हो जाएं, यह मंत्री महोदय ध्यान रखें।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्र

### प्रतिवेदन एवं लेखे

### राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, 1994-95 का वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन

**श्री अध्यक्ष :** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री रोहिताश्व कुमारजी, परिवहन राज्य मंत्री राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखा एवं उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (परिवहन राज्य मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखा एवं उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

## समिति का प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का 21वां प्रतिवेदन

**श्री अध्यक्ष** : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

श्री महावीर प्रसाद जैन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में दिनांक 12 मार्च, 1997 को मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे हुई।

समिति दिनांक 13 मार्च, 1997 व 14 मार्च, 1997 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

गुरुवार, 13 मार्च, 1997 आय-व्ययक (बजट) 1997-98 पर सामान्य वाद-विवाद।

शुक्रवार, 14 मार्च, 1997 आय-व्ययक (बजट) 1997-98 पर सामान्य वाद-विवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता हूं।

**श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, जब शुरू-शुरू में सर्कुलर निकाला था कि इस सत्र में क्या-क्या विधायी कार्य होंगे, उसमें एक किराया कानून का संशोधन का भी प्रस्ताव था। बाकी जितने हैं वो तो सारा का सारा यहां पर विधायी कार्य पूरा हो गया और यह बचा हुआ है। अभी जो दो दिन का यहां रखा गया है इसमें उसका नाम नहीं है। मंशा है कि नहीं लेने की ? (व्यवधान)....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अभी एक मीटिंग और होगी।

**श्री अध्यक्ष** : अभी आज और जाएंगे। बिराजें आप।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

## जन लेखा समिति, 1996-97 का 78वां एवं 79वां प्रतिवेदन

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति जन लेखा समिति, 1996-97 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(I) जन लेखा समिति 1978-79 के 11वें प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की पालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 78वां प्रतिवेदन, एवं

(II) विनियोग लेखे वर्ष 1986-87 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक मामलों पर समिति का 79वां प्रतिवेदन।

इतने पुराने काम कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। इतने पुराने कामों को निपटा दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : धन्यवाद, श्री नरपत सिंहजी राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति (क) 1996-97, समिति के तीन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति, 1996-97 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

## याचिका समिति, 1996–97 का प्रथम प्रतिवेदन

**श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति)** : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति याचिका समिति, 1996-97 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : धन्यवाद। आय-व्ययक (बजट) 1997–98.

प्रथम अवस्था। सामान्य वाद-विवाद। विभिन्न दलों के सचेतकों द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी।

श्री रमाकान्तजी।

## आय–व्ययक 1997–98 पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : पहला व्यक्ति तो विपक्ष का बोलता है।

**श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)** : मैं विपक्ष का भी काम कर दूंगा, कोई चिंता नहीं करें।.... (व्यवधान)....

**एक माननीय सदस्य** : वो अपना तो खुद कर लेंगे आप तो अपना करो।.... (व्यवधान)....

**श्री रमाकान्त शर्मा** : धन्यवाद। आपका प्रस्ताव ध्यान में रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, बजट एक प्रकार से राज्य सरकार की ब्रॉड पालिसी का स्टेटमेंट होता है। बजट से हमें यह पता चलता है कि राज्य सरकार किस प्रकार के वित्तीय साधन जुटा रही है, उन वित्तीय साधनों के आधार पर किस प्रकार का वित्तीय प्रबन्ध कर रही है और प्रबन्ध के साथ-साथ किन कामों पर खर्च कर रही है, उसमें क्या प्रगति रही है। तो, बजट एक प्रकार से प्रगति का भी द्योतक है, वित्तीय साधनों का भी द्योतक है एवं वित्त प्रबन्ध का भी द्योतक है। जो धनराशि जुटायी जा रही है वह इतनी जुट जानी चाहिए जिससे राज्य सरकार की या जनता की, एक प्रकार से पूरे राज्य की जो शोभा है, उसकी वृद्धि, उसकी समृद्धि,

(श्री रमाकान्त शर्मा)

वह लोगों को ऐसा पता लगे कि जनकल्याणकारी हो। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में ऋग्वेद में एक श्लोक लिखा है :—

"श्रीर्वै राष्ट्रं । श्रीर्वै राष्ट्रस्य भारः ।।
श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यम । क्षेत्रोर्वै राष्ट्रस्य शीतम् ।।"

यह वहां बजट का चैप्टर है। बाकायदा ऋग्वेद के अन्दर वित्तीय प्रबन्ध का चैप्टर है, उसमें लिखा है कि जो लक्ष्मी है वही राष्ट्र है। धन ही राष्ट्र है और धन जिस राष्ट्र के पास है वही राष्ट्र का स्वरूप और वही उस राष्ट्र की शक्ति है। धन के माध्यम से ही यह पता लगता है कि राष्ट्र के पास में या राज्य के पास में क्या सामग्री है, क्या असेट्स हैं, क्या पदार्थ हैं। इसके माध्यम से यह पता लगता है कि राष्ट्र अपनी रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है और अपनी वृद्धि-समृद्धि और शोभा बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता धन की है, यह देखना पड़ता है कि धन ज्यादा से ज्यादा जुटाया जा सके। धन जुटाने के बाद में यह सारा जो मैंने निवेदन किया है, इनकी प्राप्ति करने के लिए जो बजट बनाया जाता है, उस किस बजट को अच्छा बजट कहेंगे ? यानि धन की तो प्राप्ति हो गयी परन्तु धन की प्राप्ति से हम क्या करने वाले हैं ? अध्यक्ष महोदय, अच्छा बजट वह होता है जिससे हमारे लोगों की खुशहाली बढ़े, आर्थिक समृद्धि हो, जो लक्ष्य तय किये गये हैं वे निश्चित, निर्धारित हों। वेग लक्ष्य नहीं होने चाहिए, सरकार के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। विकास की प्राथमिकताएं निश्चित की हुई होनी चाहिए। और अत्यन्त आवश्यक चीज यह कि जो राजनैतिक दल सत्ता के अन्दर है उसका जो दर्शन है, वह दर्शन भी सामने आना चाहिए। हमारा बजट राजनैतिक दर्शन के अनुसार होना चाहिये और राजनैतिक दर्शन के अनुसार हम जो रास्ता चुनें, वह रास्ता इतना सुनिश्चित होना चाहिये कि उसमें कहीं पर भी डिरेलमेंट की सम्भावना न हो, उसमें कहीं पर भी गड़बड़ाहट नहीं हो। हम बराबर जो हमारा दर्शन है उस रास्ते पर चलते रहें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारे वित्त मंत्रीजी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि उन्होंने 1990 के अन्दर एक दर्शन तय किया हमारे प्रत्येक काम के अन्दर। जब भी हम किसी विकास की बात करेंगे, जब भी हम कोई न्याय की बात करेंगे उसके अन्दर गरीब को गणेश मानकर चलेंगे। 1990 के बजट से लेकर आज तक जब-जब भी बजट आया है उसके अन्दर इस बात को कभी भी नहीं भुलाया गया। इस बात को नहीं भुलाया गया कि जो पिछड़ा है उस पिछड़े को हमें आगे लाना है, हमारा बजट ऐसा हो। 1990 के अन्दर हमने यह तय किया है ... (व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त** : 2011 तक हम पिछड़ेपन को समाप्त कर देंगे।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : पूर्ण तो कभी भी नहीं होगा। कोई विकास पूर्ण नहीं होता है। अनन्त काल तक चलता है। जिस प्रकार से परमात्मा का कोई अन्त नहीं है कोई आदि नहीं है उसी प्रकार से विकास का कोई आदि नहीं है, अन्त नहीं है आकाश छोटा पड़ जाएगा इसके लिये।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि हमने जब भी 1990 से लेकर अब तक बजट बनाया उसके अन्दर गरीब को गणेश मानने के साथ-साथ सर्वजन हिताय की बात रखी गई। वैसे तो जब भी बजट पेश होता है उस पर सबकी निगाहें होती हैं, सब लोग उधर की तरफ देखने लगते हैं क्यों कि हर आदमी यह सोचता है कि इस बजट से मुझे कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, वित्तीय लाभ मिलना चाहिए। व्यवसायी भी देखता है, उद्योगपति भी देखता है और साधारण आदमी जो बाजार से सामान खरीदता है, वह भी देखता है। हरेक आदमी इस बात को चाहता है, क्योंकि कठोपनिषद् में कहा है— "न वित्तीयं तरपणो मनुष्यों" मनुष्य की कभी भी धन की लालसा समाप्त नहीं होती, उसके बारे में सदा चारों तरफ चिन्तित रहता है....

**श्री अध्यक्ष :** तृप्ति नहीं होती है।

**श्री रमाकान्त शर्मा :** हां। हमने यह जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं बताना चाहता था राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को तो छोड़िएगा राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी तो अभी मैं कहूं कि इस वक्त 12 बजकर 30 मिनट हुए हैं या 12 बजकर 32 या 35 मिनट हुए हैं तो वह नहीं मानेगा 12 बजकर 35 मिनट। उनको इस समय कहें कि अभी दिन तो दिन मानने वाली बात नहीं, वे तो कहेंगे, विरोध करना है हमको। यह कुछ दुर्भाग्य है इस देश का। प्रतिपक्ष और विपक्ष में यही अंतर है। प्रतिपक्ष का अर्थ यह है कि संरचनात्मक कोई न कोई आलोचना हो, उस आलोचना के अन्दर कोई सजेशन हों परन्तु स्पष्ट नकारात्मक बात कर देना कि यह बात नहीं है बिलकुल भी, यह एक तरह से विपक्ष और प्रतिद्वन्द्वियों की भावनाओं की बात है। परन्तु उन प्रतिद्वन्द्वियों को छोड़ दिया जाए तो यह बजट बालक-बालिकाओं की, जवान की या बूढ़ों की, किसान और कामगार की, महिला और पुरुष की, व्यवसायी और उद्योगी की, ग्रामीण की व शहरी की, सभी वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। मैं इस मामले के अन्दर पुनः एक उदाहरण देना चाहूंगा। भागवत के दशम स्कन्ध के

(12.35)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अन्दर बात आई है कि नन्द को नन्द क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि नन्द सर्वजनां। उनके यहां जब अपने बजट की बात करते थे, कि अपने राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था करनी है तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे उस जमाने के अन्दर जो सब लोगों को प्रसन्न कर देते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रखने वाले व्यक्ति थे इसलिए उनका नाम नन्द पड़ा। अब मैं कह नहीं सकता कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं नन्द कहूं या वित्त मंत्रीजी को नन्द कहूं, परन्तु यह बजट इस प्रकार का है कि सारे वर्गों को आनन्द देता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मैंने निवेदन प्रतिद्वन्द्वियों के बारे में किया, हमारे सदन के एक सम्माननीय सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया किसी अखबार के अन्दर दी है वह मुझे पढ़ने का मौका मिला। असल बात तो यह है कि उनकी प्रतिक्रिया

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रति वर्ष स्टीरियो टाइप होती है, उनका सदा ही ये तीन बातें कहना होता है कि यह जो बजट है उसके अन्दर फिस्कल घाटा बहुत ज्यादा हो गया, ऋण बहुत ज्यादा ले लिया, डवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया। अक्सरकर वे यही बात बोलते हैं। इस बार भी उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने यह कहा है कि जो फिस्कल घाटा 1996–97 के अन्दर था वह केवल 8 परसेंट था वह बढ़कर 15.5 परसेंट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह फिस्कल घाटा क्या होता है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसी बात पर आ रहा था और खास तौर से जो प्रतिक्रिया थी वह बताने के लिए मैं निवेदन कर रहा था। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं कि फिस्कल घाटा क्या होता है– "Fiscal deficit is the difference between the revenue receipts plus certain non-debt capital receipts and the total expenditure including loans, net out of repayments. This indicates the total borrowing requirements of the Government from all sources." फिस्कल डेफिसिट एक प्रकार से इन सबके बारे में बताया जाए तो जो टोटल बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है स्टेट की, वह होता है। खैर, यह रिजर्व बैंक की डेफिनेशन है। उन्होंने हिन्दी में भी दी है इसलिए मैं हिन्दी में भी पढ़ देता हूं। फिस्कल डेफिसिट को हिन्दी के अन्दर राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों और कुछ पूंजीगत प्राप्तियों, जो कि उधार नहीं हैं तथा कुल व्यय, जिसमें वापसी अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है, के बीच का अन्तर है। सरकार के सभी स्रोतों की कुल उधार सम्बन्धी आवश्यकताओं को दर्शाता है, यह है फिस्कल घाटा। अब माननीय सदस्य जहां से भी यह बात कर रहे हैं कि पहले तो 8 परसेंट था और अब 15 परसेंट है, इसके अन्दर उन्होंने फीगर्स तो दिये नहीं, परन्तु आथेंटिक फीगर्स मेरे पास में हैं। जो डेफिनेशन मैंने आपसे निवेदन की है उस डेफिनेशन के आधार पर 1996-97 के अन्दर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 7,877 था, टोटल एक्सपेंडिचर था 11,427 और जी.डी.पी. जिसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, वह था 44,881। इन सभी का केलकुलेशन करके फिस्कल डेफिसिट जी.डी.पी. 5.29 परसेंट आया। यह स्थिति तो है 1996–97 की और 1996–97 के रिवाइज बजट में यह 5.29 परसेंट से घट कर 4.82 परसेंट हो गया। हमारे यहां के वित्तीय प्रबन्ध की यूं ही लोग तारीफ नहीं करते हैं, ये फीगर्स हैं जिनके कारण से सब लोग तारीफ करते हैं। आज रिजर्व बैंक तारीफ करता है, आज प्लानिंग डिपार्टमेंट तारीफ करता है, आज भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तारीफ करते हैं, गवर्नर तारीफ करते हैं, वे यूं ही तारीफ नहीं कर देते। पब्लिक के अन्दर छपे हुए डाकूमेंट से मैं बोल रहा हूं कि 5.29 परसेंट से घटकर 4 82 परसेंट रिवाइज बजट के अन्दर हो गया और 1997–98 का जो बजट पेश किया है उसमें घटकर 4.54 परसेंट हो गया। रिजर्व बैंक ने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेसन के मुताबिक ये फीगर्स हैं जो

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस कारण से यह कह दिया कि पहले-तो 8 परसेंट था वह 8 परसेंट ही आधारहीन है और फिर 15 परसेंट बता दिया।

मैं यहां पर यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट और जी. डी. पी. है उनकी तुलना भारत सरकार के फिस्कल डेफिसिट और जी. डी. पी. से नहीं हो सकती है। भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट और जी डी.पी. मनी सप्लाई से सम्बन्ध रखता है, इनफ्लेशन से सम्बन्ध रखता है, नये नोट छापने से सम्बन्ध रखता है, चीजों के भाव ऊंचे बढ़ने से सम्बन्ध रखता है क्योंकि जी. डी. पी. सारे देश का जो सकल घरेलू उत्पादन है, वह बताता है। उस उत्पादन के अनुपात के अंदर यदि आपने कुछ खर्चे ज्यादा कर दिये, कुछ ऋण ज्यादा ले लिये तो उससे आप मनी सरकुलेशन इफेक्ट होता है। उसमें यह तय करना पड़ता है कि कितने नोट और छापने हैं और उसके ऊपर सारा इन्फ्लेशन तय होता है। यह बात एक राज्य के फिस्कल डेफिसिट और सकल घरेलू उत्पादन के रेशों से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु फिर भी ये बहुत इम्पार्टेंट इकानोमिक इंडीकेटर्स हैं। यह बात मैंने इसलिए निवेदन की है कि हमारे यहां 4.82 से घटकर 4.54 परसेंट आ गया परन्तु भारत सरकार ने अपने बजट के अन्दर बताया है कि 1996–97 में उनका 6 परसेंट है, और चिदम्बरम साहब कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे पांच परसेंट लाने का। उनका एक-एक पाइंट माइने रखता है हमारे यहां वह माइने नहीं रखता, उसके बावजूद भी हमने इतना घटा दिया है। परन्तु उनका .01 परसेंट भी घटता है और बढ़ता है तो उसका सारे देश के अन्दर इन्फ्लेशन और चीजों के भावों पर असर पड़ता है।

दूसरी बात उन्होंने जो कही है राज-कोषीय घाटे के साथ साथ कि, साहब, हमारे यहां पर जो कर्जा लिया जा रहा है वह कर्जा बहुत ज्यादा भारी है और राज्य सरकार तो कर्जे के अन्दर बिलकुल डूब गई है। यह बात भी बड़ी असत्य है। इस बात को मैं फीगर्स से साबित करना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, उनके नोट करने की अत्यन्त आवश्यक चीज है। हमने जो कर्जा लिया है 1996-97 के अन्दर हमारी देनदारी 256 करोड़ थी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट था 1518 करोड़। जी डी.पी. 1996–97 के अन्दर हमारा 44881 करोड़ है। फिगर्स तो सारी की सारी हैं लेकिन मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, ये फिगर्स इसलिए दे रहा हूं कि आप उसे केलकुलेट कर सकें जिसे कहते हैं डैट-सर्विस रेशो, अर्थात् हम जो कर्जा लेते हैं कर्जे के ऊपर हमको चुकाना क्या पड़ता है। उसका जो प्रतिशत है वह कुल मिलाकर 22.63 है 1996–97 का और 1996–97 का ही जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है वह 22.68 है, करीब-करीब वही है। 1997-98 के अंदर यह बढ़कर 24.44 हो गया परन्तु जिस वक्त कांग्रेस का राज था 1984-85 के अन्दर तब यह 28.69 था। एज लांग बैक एज 1984–85 के अन्दर उनका जो यह रेशो था वह 28.69 था। पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार जिस प्रकार

(श्री रमाकान्त शर्मा)

का लोन लेती है उससे न सिर्फ फिस्कल डेफिसिट बल्कि जो मनी सरकुलेशन है, इन्फ्लेशन है उन सब चीजों पर उसका असर पड़ता है। इसी वर्ष 1996–97 के अन्दर जबकि हमारा रेशो 23.63 है उनका 46 है, जिस वक्त हमारा 22 68 है उनका 44.7 है और जिस समय हमारा सिर्फ 24.44 है उनका 44 4 है। तो आलमोस्ट डबल, उस भारत सरकार का जहां पर कि ये मायने बड़े संवेदनशील हैं। और मुझे यह निवेदन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि यहां पर भी 1984–85 के अंदर कांग्रेस के समय में 28.69 था। ये 1996-97 के फिगर्स हैं, ये वहां कांग्रेस के शासन के हैं। उन्होंने जो कर्जा लिया है उसका ब्याज दे रहे हैं, कहां उसकी परसेंटेज 46-47 और कहां हमारे राज्य की 22-24 प्रतिशत। उसके बावजूद भी यह प्रतिक्रिया व्यक्त की जाये कि राजस्थान बहुत ज्यादा ब्याज और कर्जे के अन्दर डूबा हुआ है, बिलकुल भी सही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कहा करते थे पचास के दशक में कि हमारा किसान प्रगति नहीं कर पा रहा है। हमारा किसान प्रगति इसलिए नहीं कर सकता कि उसके पास साधन नहीं हैं। शब्द "साधन" बोलकर यह मतलब था कि उसको कर्जा नहीं मिल रहा है। हमने कहा 60 के दशक में, 70 के दशक में कि हमारा जो उद्योगपति है वह उद्योग नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसके पास साधन नहीं हैं। आई.डी.बी.आई. की स्थापना हुई, आई.एफ.सी.आई. की स्थापना हुई, रीको की स्थापना हुई, आर.एफ.सी. की स्थापना हुई और बड़े-बड़े फाइनेंशल कारपोरेशन पब्लिक के अन्दर आये, प्राइवेट के अन्दर आये। वे सब इसलिए आये कि लोगों को उद्योग लगाने के लिए-चाहे किसान के लिए, चाहे व्यापारी के लिए, ऋण देकर साधन उपलब्ध कराये जा सकें। ये सारे के सारे इकोनोमिक्स अच्छी तरह जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और मैंने भी इकोनोमिक्स में पी एचडी. कर रखी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी उद्योग को सफल चलाने के लिए जो कर्जा लिया जाता है और उनका अपना जो पैसा है उसका एक रेशो है। इक्विटी का और डेट का जो रेशो है वह कहीं है 1:3 हैं कहीं 1:4 तो कहीं 1:5। स्टील मिल या बहुत बड़ी मिल है तो 1:5 होता है, छोटा सा कारखाना है तो 1:2 का होता है। यदि अपना पैसा एक हो तो दो कर्जा लिया जा सकता है। यह रेशो होता है। यदि वर्किंग कैपिटल से कोई उद्योग चलाता है तो उसका 1:4 होता है। 20 परसेंट अपने घर का पैसा बैंक में जमा करा दें तो 80 प्रतिशत बैंक उसको उपलब्ध करा देता है वर्किंग कैपिटल के लिए। हमारी राज्य सरकार के करीब-करीब दोनों ही काम हैं। वर्किंग कैपिटल भी है और हमारे लिए साल भर का जो बजट है उसके अन्दर पूंजीगत व्यय भी है, हम पूंजीगत व्यय भी करते हैं। इन दोनों को जरा एक दृष्टि से देखें। मैं आपको रेशो बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऋण है 1997–98 के अन्दर, वह 2668 करोड़ का है और टोटल एक्सपेंडीचर हमारा 12,908 करोड़ है। टोटल एक्सपेंडीचर में ऋण का प्रतिशत आया बीस, कुल मिलाकर, That means almost 1:5।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

एक साधारण उद्योगपति, एक साधारण व्यापारी और एक राज्य सरकार जो इतनी बड़ी सरकार है, इसका सारा का सारा मामला है, उसकी केपिटल, उसका इन्वेस्टमेंट और उसका जो ऋण है उसके रेशों में कोई अन्तर नहीं है बल्कि हमारा रेशो बच बेटर है बनिस्बत उन लोगों के। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जिस गति से विकास कर रही है, जैसा विकास कर रही है उस विकास के अन्दर रूकावट नहीं आए इसलिए सदा ऋण की बात करते रहते हैं। राज्य जो भी ऋण लेकर उसको उत्पादक कार्यों में लगाता है और जिसका जितना प्रबन्ध अच्छा है, उससे जो प्रगति होती है वह अपने आप सामने दिखाई देती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो टैक्स रेवेन्यू है वह 1992 में 1734 करोड़ की और 1997 के अन्दर हमारी टैक्स रेवेन्यू 3928 करोड़ हो गई। वह टैक्स रेवेन्यू कहां से आई? हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। हमने पैसा लगाया है चाहे इन्दिरा गांधी कैनाल के अन्दर लगाया हो। अभी कल की बात है, बजट के अन्दर बात चल रही थी कि इन्दिरा गांधी कैनाल पर पैसा लगाया है। वह पैसा जिस तरह से सिंचाई में लगाते हैं वह वापस नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता, बिजली में भी नहीं आता परन्तु इस सिंचाई से, बिजली से इतना सारा अनाज जो पैदा होता है। इन्दिरा गांधी कैनाल के अन्दर जितना अनाज पैदा हुआ है उस अनाज की कीमत को जोड़ा जाए तो इन्दिरा गांधी कैनाल के अन्दर आज तक हमने जितना पैसा खर्च किया है उससे दुगना पैसा पब्लिक के अन्दर लौट चुका है। इसलिए जिस सोच से हम इन कामों में पैसा खर्च करते हैं उससे अपने आप उत्पादन बढ़ता है और उस उत्पादन का टैक्स राज्य सरकार को आता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 1734 के मुकाबले 3928 टैक्स रेवेन्यू बढ़ी है 1992 से 1997 तक, जो 126 प्रतिशत की वृद्धि है। साधारण बात नहीं है 126 प्रतिशत की वृद्धि होना टैक्स रेवेन्यू के अन्दर पिछले चार सालों में। यह चीज नहीं दर्शाती है कि हमने जो भी ऋण लिया है हम उस ऋण को उत्पादन कार्यों पर खर्च कर रहे हैं और भारत सरकार ने जो ऋण लिया है वह गाने-बजाने पर खर्च किया है। उन्होंने फ्रांस के मेले के लिए भिजवा दिया नाचने वालों को और अब अमेरिका के मेले के अन्दर भिजवा दिया नाचने वालों को, इसलिए उनकी इकोनोमिक दशा पिछले दिनों बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बाहर का पैसा जिसे लिबरलाइजेशन नाम दिया गया है, जिसे ग्लोबलाइजेशन नाम दिया गया है क्योंकि बैंकरेप्ट हो गई थी भारत सरकार आलमोस्ट, वह बाहर का पैसा लाये किसी तरीके से, हम दुनिया के अन्दर बैंकरेप्ट नहीं हो जाएं, क्योंकि उन्होंने जितना ऋण लिया है उस ऋण को उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया है, हमने उत्पादन कार्यों में लगाया है। ये हमारे जो आंकड़े हैं जिन्हें पब्लिक में छापा है, वे आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

एक बात और कही है इसके अन्दर, उसका कोई आधार नहीं बताया है परन्तु लिखा है कि बजट घाटा जो 31 करोड़ रुपये

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रह गया है, मेरी राय में यह भ्रम फैलाने वाली बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि बजट प्रति वर्ष बनता है, बजट के अन्दर राजस्व आय, राजस्व व्यय, कैपिटल आय, कैपिटल व्यय बजट घाटा सब कुछ बताया जाता है, कर संरचना बताई जाती है। करों से प्राप्ति बताई जाती है और फिर उसके बाद फिगर्स दिये जाते हैं इसमें भ्रम फैलाने वाली बात कौनसी है? भ्रम तो जिन्होंने यह लिखा है वे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बताएं तो सही। हमारा तो ट्रैक रिकार्ड रहा है 1990 से लेकर आज तक कि जो हमने बजट के अन्दर वायदे किये हैं उन वायदों से बढ़िया काम करके दिखाया है। हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ही एक प्रदेश है जिसने साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की पंचवर्षीय योजना को बारह हजार करोड़ से भी ऊपर ले जाकर पहुंचा दिया। जो कहा है उससे बढ़िया करके दिखाया है। ऐसी दशा के अन्दर यह बात कहना, अखबारों में वह प्रतिक्रिया देना कि भ्रम फैलाने वाली बात है, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

एक बात और कही गई है कि जो डवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, यह भी प्रति वर्ष का है, डवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बहुत घट रहा है। पूछिये मत कि कितना घट रहा है। वे बताते हैं कि 1993–94 के अन्दर जो डवलपमेंटल एक्सपेन्डिचर, टोटल एक्सपेन्डिचर का 66.30 परसेंट था वह 1997-98 के बजट में घटकर 62.57 परसेंट हो गया। फिगर्स लिखी हुई बता दीं। उन्होंने अखबार में भी लिख दीं। मैं समझता हूं कि वित्त से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति जिसने कभी भी वित्तीय मामले को देखा है, उसे पता है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के समय जितना भी प्लान के अन्दर सारा जुटाया जाता है, जितने लोग लगाये जाते हैं, जितने स्कूल खोले जाते हैं, जितने वाटर वर्क्स खोले जाते हैं या जितनी सड़कें बनाई जाती हैं, जितना भी जो काम किया जाता है प्लान के अन्दर, जब प्लान समाप्त होता है तो वह सारा का सारा खर्चा नान प्लान में आता है। इसलिए इसमें भी जो 400 करोड़ का खर्चा था वह नान प्लान में डाल दिया गया, जिसकी वजह से यह 62.57 प्रतिशत है। परन्तु आलोचना करने वाला न तो ऊपर पढ़ता है, न नीचे पढ़ता है। यह करने के कारण से अल्टीमेटली जो परसेंटेज आया है वह घटकर सिर्फ 62.57 रह गया है। जबकि 1993–94 के अन्दर, जो इन्होंने बताया कि 62.57 घट गया है वह 400 करोड़ को घटाने के बाद 66.94 हो जाएगा। इसलिए डवलपमेंटल एक्सपेन्डिचर कहीं पर भी नहीं घटा है। यह भी जो बात इन्होंने अखबारों के अन्दर कही है, मैं समझता हूं गलत बात कही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के अन्दर एक आरोप और लगाया गया है। इस बात की खुशी तो जाहिर की नहीं कि हमने चार-आठ-बारह के फार्मूले के अन्दर जितने आइटम्स बताये गये हैं उन सब आइटम्स पर जहां दस प्रतिशत था उसको आठ प्रतिशत किया है, जहां आठ प्रतिशत था उसको चार प्रतिशत किया है। एक एक आइटम को देख लें, मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा, सारे फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं परन्तु कुछ रेजिड्युअल आइटम्स थे, वे ऊपर नीचे थे। उनको बता दिया गया कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उन रेजिड्युम्रल आइटम्स को हम दस प्रतिशत या बारह प्रतिशत कर देंगे क्योंकि फार्मूला यह अपना लिया कि आठ-दस बारह इसके अन्दर रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको आपने दस से बारह क्यों कर दिया, दस से आठ क्यों नहीं किया ? ये वे आइटम्स हैं, सभी लोगों को पता है कि दिल्ली, हरियाणा पंजाब और हमारे नेबरिंग गुजरात के अन्दर इन रेजिड्युम्रल आइटम्स पर बारह प्रतिशत कर है और यह तय हो गया था दिल्ली के अन्दर सारे राज्यों के बीच के अन्दर कि हमारी जो कर प्रणाली है यह यूनिफार्म रखेंगे और एक-दूसरे के साथ कम्पीटिशन नहीं करेंगे। इस नाते इस प्रणाली को बारह प्रतिशत किया गया है। उसकी भी इन्होंने एक प्रकार से बिना सोचे-विचारे आलोचना कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत समय लिया क्योंकि ये आंकड़े अत्यन्त आवश्यक थे, जनता को भ्रमित करने वाले थे इसलिए मैंने इनको निवेदन करना उचित समझा। परन्तु मैं बजट के बारे में भी दो-चार शब्द आपको निवेदन करूंगा। यह पहला बजट है, अब तक मैंने जितने भी बजट देखें हैं उनमें इस बजट के अन्दर पहली बार नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शुद्ध लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वह लक्ष्य यह है कि हमारा जो राजनीतिक दर्शन है, हमने जो एक रास्ता निकाला है, गरीब किसानों को, बालिकाओं को, महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, आदिवासियों को, इन सबको जो हम आगे ले जाना चाहते हैं उन सबको जिस समय ये लक्ष्य निर्धारित किये गये, भूले नहीं उस समय। इस लक्ष्य के अन्दर पहले-पहले लिखा गया है कि पिछड़े वर्ग को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले के बजट के अन्दर कभी रोजगार की बात ही नहीं होती थी, कभी यह कहा ही नहीं जाता था कि हम इस बजट के अन्दर इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। या यह देंगे अभी नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह लक्ष्य रखा गया है कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना होगी वह रोजगार से सम्बन्धित होगी, रोजगार को बढ़ाने से सम्बन्ध रखेगी। एक आकांक्षा पैदा कर दी है लोगों के अन्दर। और फिर रोजगार तो तब मिलेगा जब मानव संसाधन ठीक होंगे। हमारे लोगों के अन्दर उचित शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, यह भी हमने बजट के अन्दर डाल दिया हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं भूले हैं क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही एक अच्छा तकनीकी आदमी, एक अच्छा योग्य आदमी आगे रोजगार प्राप्त कर सकता है। यह बहुत ही मुख्य चीज है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए कि वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी तरह से प्रगति हो। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी, जब नवीं पंचवर्षीय योजना की बात कही गई है तो राजनीतिक दर्शन के अन्दर नहीं भूला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के अन्दर सबसे ज्यादा धन्यवाद वित्त मन्त्रीजी को शिक्षा के अन्दर जो प्रावधान किया गया है उसके लिए देना चाहूंगा। शिक्षा के अंदर 446.74 का प्रावधान करके इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत लोग

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सोचते हैं संसार के अन्दर कि पहले हम आर्थिक वृद्धि करें, पहले आर्थिक समृद्धि करें शिक्षा अपने आप आ जायेगी, शिक्षा हो जायेगी, लोग शिक्षित हो जाएंगे। जिन लोगों ने यह रास्ता अपनाया है वे गलत रास्ते पर हैं। सबसे पहले हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। यदि हमारा समाज शिक्षित होगा तो उसके अन्दर सफाई होगी, उसके अन्दर कम रोग होंगे। उसके अन्दर काम करने की इच्छा होगी, वह ज्यादा काम करेगा। वह कोई न कोई प्रकार का इन्वेंशन करेगा और निश्चय ही वह अपनी समृद्धि कर सकेगा। शिक्षा मूल सीढ़ी है, पहली और आखिरी सीढ़ी है, उस शिक्षा पर इस साल के बजट के अन्दर कीर्तिमान 446.74 का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि बजट के और बहुत सारी जो बातें हैं उन सबके बारे में यहां पर पुनरावृत्ति करूं परन्तु अन्त में एक बात थोडी-सी जरूर करनी है। यहां सारी बातें मैंने अभी तक जो कही हैं, मेरे हृदय के उद्गार हैं, ये दिखावटी बातें नहीं हैं इसलिए मेरे हृदय के उद्गार मुझे रोक नहीं पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अन्दर जहां मैंने स्वयं ने कहा है कि सर्वांगीण सुख, सभी वर्ग और सभी लोगों के हित की बात कही गई है, वहीं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा है। कहीं नाम ही नहीं आया है इस पूरे बजट के अन्दर। चाहे वह कोई नई शिक्षा योजना प्रारम्भ करने की बात हो, चाहे नई बिजली की बात हो, चाहे नई सड़क की बात हो, चाहे और कोई बात हो। और पूरब की अपेक्षा ? पूरब से सूरज उगता है, पूरब की अपेक्षा पश्चिम को बहुत भारी पड़ती है इसलिए मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि जो इसके अन्दर पूरब की उपेक्षा की गयी है, पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की गई है उसके बारे में ध्यान देकर जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(13 00)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिव किशोर जी सनाढ्य। आप बोलें उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पर वाद-विवाद हो रहा है, सदन के अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को और मंत्रिमण्डल के अधिक से अधिक सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए। विशेष तौर से जो हमारे वित्त मंत्रीजी हैं उनको यहां उपस्थित रहना चाहिए और हमारी आफिसर्स गैलेरी है उसके अंदर जो वित्त सलाहकार हैं उनको भी उपस्थित रहना चाहिए। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल राजस्थान का बजट माननीय वित्त मंत्रीजी के रूप में माननीय मामड़ाजी ने पेश किया। यह बजट उस अवसर पर पेश किया गया है जब हम स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले बधाई देना हूं वित्त मंत्रीजो को। जिनकी वजह से यह देश स्वतन्त्र हुआ, जिनके त्याग और

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बलिदान से यह देश स्वतन्त्र हुआ, जिन लोगों ने फांसी का फंदा झूला, जो लोग एक स्वप्न लेकर चले थे कि देश स्वतन्त्र होगा, ब्रिटिश हुकुमत की विदाई के बाद भारत कैसा बने, यह जो स्वप्न कभी गांधी, तिलक ने देखा था, लाजपत राय ने देखा था, चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह आजाद ने देखा था, सचमुच 50 साल निकलने के बाद क्या भारत वैसा ही बन पाया ? जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उन संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके के निर्देश रखे कि समानता होगी, न्याय होगा, आर्थिक असन्तुलन नहीं होगा सारे देश में, क्या उस तरह की व्यवस्थाएं कर पाये ? लेकिन हमारे वित्त मंत्रीजी ने उन शहीदों को कम से कम याद तो किया, उन स्वतन्त्रता सेनानियों को याद तो किया । उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं ।

उन्होंने अपने बजट भाषण में इस बात का भी उल्लेख किया कि राजस्थान का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हो गया, शनैः-शनैः हुआ, जो प्रथम मुख्य मंत्री थे उनसे लेकर आज जो हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी हैं उन सबको याद करते हुए । राजस्थान को बनाने में जो उनका योगदान रहा, जिन माननीय सदस्यों ने बैठकर इस सदन में अनेक बजट प्रस्तुत करने के साथ-साथ राजस्थान का जो सपना देखा उसी राजस्थान को बनाने के लिए मामड़ाजी ने स्वर्ण जयंती के अवसर पर बजट प्रस्तुत किया, पिछड़ों को उठाने के लिए, गरीब को उठाने के लिए, जनजाति के क्षेत्रों के लोगों को उठाने के लिए, कि लोगों को रोजगार मिले । व्यापार अगर होता हैं, उद्योग-धन्धे लगते हैं तो लोगों को काम मिलेगा । इस तरीके का बजट रखकर राजस्थान सरकार अपनी प्रतिबद्धता शब्दों में नहीं, केवल घोषणाओं में नहीं, केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप से दर्शायी है । यह वह प्रतिबद्धता है, जो 1977 में भैरोंसिहजी ने पहली बार राजस्थान का बजट रखा तब घोषित की थी कि हम इस अन्त्योदय योजना के माध्यम से जो अन्तिम व्यक्ति बैठा हुआ है उस अन्तिम व्यक्ति को उठाएंगे । उन्होंने उसी तरीके से अब घोषणा की कि हम गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करेंगे । 1977 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था इस राजस्थान के लिए वह इस बजट में भी परिलक्षित होता है । हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजस्थान में गरीबी के, बेरोजगारी के, निरक्षरता के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं । हमारी प्राथमिकताएं रही हैं । चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जिस तरह से हमारी प्रतिबद्धता रही है इस बजट में भी हमने अपनी उस प्रतिबद्धता को कायम रखा है और इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी हृदय से बधाई देता हूं ।

आज के समाचार पत्रों को लोगों ने देखा हो तो तमाम संगठन चाहे वे व्यापारिक संगठन हैं, चाहे कामर्शियल इण्डस्ट्रीज के लोग हैं, उन सब ने इस बजट की सराहना की है । सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है बजट की सराहना करने का वह यह लगता है कि इस बजट में अपने पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखा गया है कि पड़ोसी राज्यों में किस तरह की कर वसूली होती है । जहां कर कम हैं, उन राज्यों के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मुताबिक अपनी कर प्रणाली की नीति स्थापित की गई है। जितना अधिक कर आप लगाओगे उतना अधिक कर लोग चोरी करने की कोशिश करते है, लेकिन राजस्थान सरकार का यह सोच, भैरोंसिहजी के मन्त्रि-मण्डल का यह सोच, भारतीय जनता पार्टी का यह सोच है कि हम करों में जितनी कमी कर सकते हैं, करें। इसीलिए राजस्थान पत्रिका ने लिखा कि 168 करोड़ का कर लगाने के बावजूद भी 50 करोड़ रुपये की राहत दी है। कर लगाये हैं, क्योंकि अगर कर नहीं लगाएं तो राज्य चल नहीं सकता लेकिन कर की वसूली पूरी हो, चोरी कम हो इस तरीके से जो कराधान का चिन्तन किया गया है उसके लिए वित्त विभाग के सम्पूर्ण लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी चिन्ता तो इस बात की है कि घाटे के बजट बनते रहे और राज्यों की स्थिति यह हो गई कि बैंक्स ने उनको ओवरड्राफ्ट देना बंद कर दिया। ओवरड्राफ्ट न मिलने की वजह से आज अनेक राज्य ऐसे हैं. आप बिहार चले जायें, कहीं भी चले जायें, जहां अपने एम्प्लाइज को वे तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे साधन व सुविधाएं तो वे कहां से देंगे ? लेकिन राजस्थान में इस बात की चिन्ता की गई कि लोगों को तनख्वाह ही नहीं मिले, उनका मेडिकल भी मिले, उनका रुका हुआ यात्रा भत्ता भी मिले। उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है राज्य कर्मचारियों को जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को समझते हुए। आखिर यात्रा भत्ते में आदमी पैसा खर्च करता है, आखिर मेडिकल में उसे खर्च करना पड़ता है, वह उसे समय पर मिले, इस बजट में इस बात की चिन्ता की गई। तो राजस्थान का जो बजट है वह एम्प्लाइज की भी चिन्ता करता है। एम्प्लाइज की यही चिन्ता नहीं, बल्कि उसकी चिन्ता यह भी है कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है, उसकी भी अभिशसायें होंगी, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट है एम्प्लाइज के साथ में कि केन्द्र के बराबर ही हम सब साधन और सुविधाएं, वेतन और भत्ते केंडर के हिसाब से देंगे। तो बजट में उसका भी प्रोवीजन किया हुआ है। मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि वे राजस्थान के कर्मचारी को भूले नहीं बल्कि राजस्थान के कर्मचारियों के बारे में उन्होंने चिन्ता की है। कई ऐसे राज्य हैं जहां तनख्वाह के भी लाले पड़ रहे हैं लेकिन राजस्थान के कर्मचारियों को राहत दी गई है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केरोसिन तेल, माचिस, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, कपड़े धोने का साबुन, स्टेशनरी वगैरह वस्तुएं बिक्री कर की कमी से सस्ती होंगी। लोगों ने कहा कि इसमें छलावा है, लेकिन सचमुच छलावा नहीं था बल्कि यह तो गरीब को राहत पहुंचाने के लिए है, महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए है। शिकाकाई, अरीठा, आंवला है इन पर भी राहत दी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कृषि के जो यंत्र हैं ट्राली वगैरह, उनको तो बिलकुल कर मुक्त कर दिया गया है। उन पर किसी तरह का कर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि गरीब की चिन्ता है, महिलाओं के बारे में इस बजट में ध्यान रखा गया है, कृषक का ध्यान रखा है। कृषक का तो इतना ध्यान रखा है कि कृषि का क्षेत्र बढ़े, इसलिए उसमें एक करोड़ रुपये का प्रावधान

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

किया गया। जो उपजाऊ भूमि नहीं है, जिसमें कुछ उपजता नहीं है, उसे उपजाऊ बनाया जा सके उसके लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह जमीन जो उपजाऊ होने वाली है, वह किसी गरीब को ही मिलने वाली है। उस गरीब को जब यह जमीन दी जाएगी तो वह निश्चित रूप से उस अनुपजाऊ जमीन पर अनाज उपजा कर अपनी भी समृद्धि करेगा और उसके साथ-साथ राजस्थान की भी समृद्धि होगी। इस तरीके का प्रोविजन अभी एक करोड़ रुपये ही है लेकिन धीरे-धीरे यह प्रोविजन अगर बढ़ाया जाए तो सचमुच हमारी जो अनुपजाऊ भूमि पड़ी हुई है, जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, जो पहाड़ी क्षेत्र में भूमि पड़ी हुई है, उन भूमियों को ठीक कर हम खाद्यान्न के अन्दर सैल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, राजस्थान में सचमुच इतना अनाज पैदा हो सकता है। तो यह जो दृष्टि है राजस्थान की, कि हमने कृषि की तरफ, अपनी जमीन की तरफ भी ध्यान दिया है मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

बहुत समय से कई प्रश्न लगाकर मैंने इस बात की कोशिश की कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की बढ़ोतरी हो। इस बार पांच सौ से सात सौ रुपये की बढ़ोतरी की गयी है, मैं इसके लिए वित्त मंत्रीजी को हृदय से बधाई देता हूं। मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग थे जिन लोगों ने जब स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाने लगी तो कहा कि हमने देश की आजादी की लड़ाई पेंशन पाने के लिए नहीं लड़ी थी और इसलिये यह पेंशन हमको स्वीकार नहीं है। उस समय अनेक लोगों ने वे फार्म नहीं भरे, लेकिन उन्होंने जेल की पीड़ाएं सहन की थीं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह देश कभी स्वतंत्र होगा और कभी यहां लोकप्रिय सरकार बनेगी, इसलिये उस समय उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आवेदन पत्र नहीं दिये। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग अब अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में जा रहे हैं आज सचमुच में उनको आवश्यकता इस बात की है कि उनको चिकित्सा मिले, उनको रोटी खाने के लिए मिल सके, वे अपना जीवन यापन कर सकें। कलक्टर्स के पास तो एजेंसीज हैं, उनकी जितनी चाहे छानबीन कर लें लेकिन उन लोगों को जिस तरह आज पांच सौ रुपये से सात सौ रुपये किया है, तो उनकी भी पेंशन स्वीकृत करें। जिन लोगों ने उस समय त्याग किया और पेंशन नहीं ली लेकिन आज लेना चाहते हैं, जो लोग उस समय छूट गये पर आज एप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को भी कंसीडर किया जाना चाहिये। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर इससे बड़ा अच्छा काम राजस्थान सरकार और वित्त मंत्रीजी नहीं कर सकते थे कि उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद ही नहीं किया बल्कि उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ायी है। कई बार यह कहा जाता है कि वे कोई नौकर नहीं थे। जो राजस्थान के शासन में काम करते थे उनको जो पेंशन मिलती है उस पेंशन और इस पेंशन में बहुत अन्तर है। उसे पेंशन शब्द से ही नहीं पुकारा जाना चाहिये। सचमुच में उन लोगों ने जो तकलीफें पायीं, उन्होंने जो अपना जीवन खपाया, उसके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिए उनको वृत्ति दी जा रही है, केवल इसलिये कि वे सम्मान के साथ जीवित रह सकें, अपना सम्मान पा सकें। राजस्थान सरकार ने इसके संदर्भ में सोचा है, मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को हृदय से बधाई देता हूं।

मैंने खनिज मंत्रीजी के सामने पत्र के माध्यम से और इनसे मिलकर एक सम्भावना व्यक्त की थी कि पैट्रोल राजस्थान में मिल सकता है, इसकी राजस्थान में उपलब्धता है और जब इसकी उपलब्धता है तो इस पर खोज की जानी चाहिये। इस बाबत केन्द्र से हम सहायता ले रहे हैं लेकिन अपने यहां भी इसके लिए कम से कम निदेशालय स्तर का एक पैट्रोलियम विभाग बनाएं और राजस्थान में ऐसे सक्षम अधिकारी हैं जो इस संदर्भ में अपना ज्ञान रखते हैं, उनका जो ज्ञान है, उसका उपयोग करें। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी को, राजस्थान के मंत्रिमण्डल को कि इन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किया है। पैट्रोलियम निदेशालय बनाकर पैट्रोलियम की जो खोज होगी उसकी वजह से राजस्थान का नक्शा निश्चित रूप से बदल जायेगा। पहले भी ऐसी कोशिश की गयी है।

**श्री कैलाश मेघवाल** (खनिज मंत्री) : आपके सुझाव पर ही किया है।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : आपकी कृपा है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, कृपया पुराने भूगोल के नक्शे को उठाकर देखें जिसमें कभी यह कच्छ का रन जो कच्छ की खाड़ी कहलाती है, समुद्र से मिला हुआ था। उसके बाद स्वेज नहर के निकालने से समुद्र से व्यापार बढ़ गया। मैं सोचता हूं राजस्थान का पुराना जो सांस्कृतिक नक्शा है, जो पुराना भूगोल का नक्शा है उसको निकाल करके देखें तो शायद हम राजस्थान को समुद्र से जोड़ सकेंगे एक नहर के माध्यम से। उसके लिए बहुत संसाधनों और करोड़ों-अरबों रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन लक्ष्य तो कम ही है। जो जितना ऊंचा लक्ष्य रखता है उसका तीर उतना ही ऊंचा जाता है। हम कम से कम अपने विचारों में, अपनी सोच में अगर लक्ष्य को ऊंचा रखेंगे तो राजस्थान को निश्चित रूप से उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। यह 32 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें पैट्रोल की खोज होने वाली है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

मैं राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रीजी से एक विचार करने के लिए भी निवेदन कर रहा हूं। इस बजट के अन्दर मुझको जो कमी नजर आ रही है वह कमी यह नजर आ रही है कि हमने बजट को एक दफा बजट को शिक्षा के लिए समर्पित किया, हमने एक दफा बजट को चिकित्सा के लिए समर्पित किया, पेयजल के लिए किया, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में जितना प्रावधान किया जाना चाहिये था, उतना प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। इस बजट में अगर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रावधान नहीं किया गया तो आज डिग्रियां डि-रिकाग्नाइज हो रही हैं। केवल इसलिये डि-रिकाग्नाइज हो रही हैं। आज हमारे यहां मेडिकल कालेज में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है और एम. एस. करने के लिए वहां पर लड़के आते हैं। केवल राजस्थान के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं, एक लड़का तो सिक्किम का वहां पर पढ़ रहा है। देश के बाहर से भी लोग आते हैं, थाईलैंड का भी लड़का आता है, जगह-जगह के लड़के आते हैं। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की डिग्री के अनुरूप वहां पर स्टाफ नहीं हो तो वह डिग्री रिकाग्जनाइज नहीं की जाती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से कि चिकित्सा का बजट जहां से भी काटा गया है, जिस तरीके से भी उसकी कटौती की गयी है, हमारे मेडिकल कालेजेज अच्छे डाक्टर्स को नहीं निकाल सकेंगे। इन्हें काटा नहीं जाना चाहिये। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी को कि उन्होंने एस.एम.एस. में कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट और न्यूरोलाजी के लिए प्रबंध किया है, अजमेर के मेडिकल कालेज में कार्डियोलाजी का डवलपमेंट किया है उसी तरह का कार्डियोलाजी का डवलपमेंट उदयपुर में करने के लिए भी प्रपोजल था, 20 लाख रुपया राजस्थान सरकार ने पिछली बार उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए भी दिया है, लेकिन टुकड़ों में सोचने की हमारी पद्धति हो गयी है, हम टुकड़ों में सोचते हैं। मेरा आग्रह है वित्त मंत्रीजी से कि हमको पूरा सोचना चाहिये कि हम पांच साल के बाद, सात साल के बाद आखिर क्या चाहते हैं। हमारा सोच सम्पूर्ण होना चाहिये। आज कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट अजमेर में बन रहा है, न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट जयपुर में बन रहा है। कार्डियोलाजी के जो आपरेशन एस्कोर्ट और अपोलो में कराने के लिए लोग जा रहे हैं, एस. एम. एस. में मिस्टर यादव वे आपरेशन कर रहे हैं। यह राजस्थान के लिए तरक्की है और राजस्थान सरकार को इनकी हर तरीके से मदद करनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि जनजाति क्षेत्र है उदयपुर का, वहां का जो आर. एन. टी. मेडिकल कालेज है उसका बहुत अच्छा स्टाफ है, उस सारे स्टाफ का उपयोग हो सके। जनजाति क्षेत्र का कोई भी आदमी हृदय की चिकित्सा के लिए न अपोलो जा सकता है, न एस्कोर्ट जा सकता है वह कहीं नहीं जा सकता। उसको जयपुर आने में भी तकलीफ होगी। और कोई कम नहीं, बल्कि लम्बा चौड़ा बैल्ट, प्रतापगढ़ से लेकर सिरोही तक का सम्पूर्ण क्षेत्र जनजाति का क्षेत्र है। हमारी सरकार का सोच, जनजाति के लोगों को और गरीबों को उठाना है, इस आधार पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट की पूरी कल्पना करें कि आज के पांच साल बाद जाकर वहां हार्ट के आपरेशन होंगे या तीन साल के बाद होंगे। उसके लिये जो स्ट्रक्चर चाहिये वह सारे का सारा स्ट्रक्चर एक साथ सोचा जाए। उसके लिये जितनी वित्त की व्यवस्था इस साल की जा सकती है उतनी की जाए। जनता को कहा जाए। आज जनता के सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो दान देना चाहते हैं लेकिन उनके सामने कोई नक्शा तो हो, वे किसके लिये दान दें ? आज अगर उदयपुर में कार्डियोलाजी का डिपार्टमेंट बनाने के लिये राजस्थान सरकार अपना पूरा सोच रखती है, और अगर वे एक करोड़ रुपये देंगे तो वहां की जनता भी उन गरीबों को अपने ध्यान में रखते हुए एक करोड़ रुपये खर्च करने के लिये तैयार हो जाएगी। इस तरह से अगर 500 करोड़ की योजना बनती है तो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

250 करोड़ रुपये लोग जुटाएं और 250 करोड़ रुपये टुकड़ों में राजस्थान सरकार दे। लेकिन निश्चित रूप से एक स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिये।

जितने मेडिकल कालेज हैं सर्जरी के क्षेत्र में हम लोगों ने व्यापक तरक्की की है, अजमेर का मेडिकल कालेज ले लें, बीकानेर का ले लें, कोटा का मेडिकल कालेज ले लें। इस दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान को ध्यान में रखकर कौनसी विधा, कौनसी स्पेशलिटी कहां पर डवलप हो सकती है, कहां पर अच्छे लोग हैं, वहां निश्चित रूप से करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल में जो रुपया कम रखा गया है उस रुपये को बढ़ाया जाना चाहिये।

कुछ डिस्पेंसरीज के लिए शायद केन्द्र ने पैसा देना बंद कर दिया है। इसके लिये राजस्थान सरकार को केन्द्र से कहना चाहिये कि वह दे। इस तरीके से यहां के जो गरीब क्षेत्र हैं ...

**श्री महावीर भगोरा** : एड–पोस्ट।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : हां साहब, एड–पोस्ट वगैरह जितनी भी हैं। खासकर पैरा–मेडिकल स्टाफ की तरफ से यह सोच बन गया है कि हमारे में जो परमानेन्ट नौकर हो जाएगा वह तो कार्य करना बंद कर देगा। यह जो परमानेन्ट सोच है इसे बदलने की आवश्यकता इसलिये है कि वह सक्षम अधिकारी वहां कांहे के लिये बैठा है जो काम नहीं ले सकता ? आप काम ले सकते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक इंजीनियर अपने घर पर बैठा रहे और तीन महीने नहर की सफाई होने में लगे, इसलिये ठेके पर दे दी जाए। हमारे यहां पर एक दफा यह ठेका देने लगे तो मुझे याद है कि उस एक्स.ई.एन. ने खड़े होकर कहा कि काहे के लिये ठेका देते हो ? अगर ठेका देंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे मजदूर क्या करेंगे ? तो उसने कहा, आप करा लेंगे ? वह आठ बजे जाता था, सुबह आठ बजे मजदूर पहुंचते थे और तीन महीने के अंदर बिना ठेके वह नहर की सफाई हो गयी। जब तक हम स्वयं अपने अधिकारियों को इसके लिये तैयार नहीं करेंगे, काम करने के लिये तब तक हम मजदूर से अपेक्षा करें, नीचे वाले से अपेक्षा करें सम्भव नहीं है। एक हैडमास्टर चाहे कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो कमरे में बैठा रहूंगा, लेकिन मेरे मास्टर को पढ़ाना चाहिये, तो यह आदर्श नहीं होगा। अगर वह हैडमास्टर काम करता है तो उसके नीचे के लोग भी काम करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से कि राजस्थान सरकार अपना सोच बदले। यह ठेकेदारी की प्रथा जिस तरीके से चल रही है, इस ठेकेदारी से काम नहीं चलने वाला है। जो पहले स्वीपर रहता था उसे मालूम होता था कि हास्पिटल में मरीज को किस तरह से पैड दिया जाना चाहिये, किस तरीके से उसे यूरिनल ले जाना चाहिये। यह उसका सोच रहता है। जो ठेकेदार आएगा वह सफाई करके चला जाएगा, लेकिन मरीज की सेवा नहीं करेगा। आप जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट में हर चीज का पैसा लेने लगे हैं, अब निःशुल्क तो कुछ रहा ही नहीं है। अगर कोई भी आज कुछ कराने जाए तो उसका शुल्क है।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हम भी उनको बदले में अच्छी चिकित्सा दें। मैं निश्चित रूप से यह निवेदन करता हूं कि मेडिकल में बजट की जो कमी की गयी है उस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : बड़ी सिफारिश हो रही है हैल्थ मिनिस्टर की।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हैल्थ मिनिस्टर की सिफारिश नहीं हो रही है, (व्यवधान) इनसे तो मुझको राहत मिलती है, व्यवधान नहीं मिलता है। (व्यवधान)

जिस तरीके से अभी अनंग कुमार जी ने कहा मछली विभाग के लिये, मछली विभाग के लिये तो नहीं लेकिन आबकारी की जो नयी नीति तैयार की गयी है उसके लिये मैं कहूंगा कि उस नीति पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिये। आबकारी नीति में यह घोषित किया हुआ है कि स्कूल्स के पास में, मंदिरों के पास में जहां मजदूर काम करते हैं उन फैक्ट्रीज के पास में, नेशनल हाइवेज पर कहीं भी शराब की दुकानें नहीं होंगी। लेकिन राजस्थान सरकार ने केवल कर इकट्ठा करने की दृष्टि से सोचा क्योंकि कर आ रहा है। आप कल्पना करें उस समय की जब महात्मा गांधी की पत्नि, जवाहरलाल नेहरू की मां और उस समय की महिलाएं पिकेटिंग करती थीं शराब की दुकानों के बाहर और पुलिस के सिपाही और ब्रिटिश हुकूमत के लोग उनको अपमानित करते थे। भारतवर्ष के अन्दर हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं, शराब बन्द तो हो ही नहीं सकती, निश्चित नहीं हो सकती है क्योंकि हमने राजस्थान में शराबबन्दी करके 1977 में देखा है। राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत और मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों का सोच था उसके अन्दर देखा। लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि शराब बन्द नहीं हो सकती। शराब बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात की आवश्यकता है कि शराब कम से कम बिके और इसके ऊपर पुख्ता नियंत्रण रहे। आज जितने मर्डर के केसेज हैं, जितने माफिया गिरोह पनप रहे हैं ये भी शराब के कारण हैं। हेरोइन पकड़ी गयी और ये सारे जो आंकड़े आते हैं वे किस बात के हैं कि पाकिस्तान से हेरोइन राजस्थान में बाड़मेर और बाड़मेर के माध्यम से सारे देश में जा रही है। आखिर कहीं न कहीं इन नशे की चीजों पर हमारी कटिबद्धता होनी चाहिये, राजस्थान सरकार अगर सचमुच में चाहती है उन जनजाति के क्षेत्रों के लोगों का उद्धार करना। वह पहले महुवे की शराब बनाता था और अपना काम चला लेता था लेकिन आज जिस तरीके से वहां पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को इस पर विचार करना चाहिये, ऐसा मैं आग्रह करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर जो दिशा-निर्देश दिये हैं और दिशा-निर्देशों के माध्यम से खासकर करों में जो रियायतें दी गयी हैं उसके लिये भी राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने यह की है कि स्वतंत्र विद्युत नियंत्रण

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आयोग बनाने के लिये बजट में प्रावधान किया है। उस दिन माननीय रघुवीर सिंह का यहां पर बयान था, कि अन्य राज्यों के विद्युत मण्डलों की हालत क्या हो रही है। मध्यप्रदेश की हालत तो हम देख चुके हैं, पांच हार्स पावर में उन्होंने छूट दे दी क्योंकि उनके यहां विद्युत बनती थी लेकिन आज उनके यहां पर सारे का सारा बिखराव होता चला जा रहा है। हम अगर पंजाब से अपने आपकी तुलना करें तो पंजाब के लोगों ने तो कह दिया कि हम विद्युत पर कर नहीं लेंगे, हम उस पर पैसा नहीं लेंगे लेकिन राजस्थान सरकार का यह उदारता का सोच नहीं है, यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का सोच नहीं है। मैं इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिये। बजाय इसके उन्होंने इस बात का प्रावधान किया है कि हम राजस्थान के अन्दर बिजली बढ़ाएंगे। यह जो स्वतंत्र विद्युत नियंत्रण आयोग का गठन किया है, इसके गठन के समय इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि यह नौकरशाही के हाथ में नहीं चला जाए। नौकरशाही तो हां में हां मिलाने वाली होता है। कोई सीनियर आदमी कितना भी गलत काम हो रहा हो लेकिन उसका जूनियर इस बात को जानते हुए भी केवल सर बोलता है उसे सर की भाषा आती है सर जो कहते हैं वही सही हो जाता है। इसलिए जितने भी ऐसे मण्डल हैं उनमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को जिनका उस क्षेत्र में अनुभव है, निश्चित रूप से लगाना चाहिये ताकि वे सर बोलने वालों की भाषा में अपनी बात नहीं कह कर तथ्यात्मक बात कह सकें कि यह होना चाहिये। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है इस आयोग के गठन के सम्बन्ध में।

उद्योगों की दृष्टि से भी राजस्थान के अनेक उद्योग राजस्थान के बाहर चले गये। हमारे यहां उदयपुर जिले में लगने वाला उद्योग गुजरात चला गया और केवल एक नहीं कई उद्योग चले गये। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उद्योगपति जो रुपया लगाना चाहता है वह दर-दर की ठोकरें अगर खाता फिरे तो उसके मन में भी बहुत तकलीफ होती है। रुपया किसी के घर में नहीं होता है, उसे भी किसी न किसी फाइनेंशल अथोरिटी से रुपया जुटाना है। राजस्थान की उद्योग नीति बनी और उद्योग नीति के बनने के साथ-साथ राजस्थान में जमीन दी गयी, उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी दी गयी। छोटे-छोटे उद्योगों के ऊपर सब्सिडी दी जानी चाहिये। इस बजट में जिस तरीके का प्रबन्ध किया गया है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रीज लगेंगी। लेकिन इन इण्डस्ट्रीज के लगने के साथ-साथ पर्यावरण विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग वालों को देखना चाहिये कि केमिकल की कितनी फैक्ट्रीज लगने वाली हैं उनके लिए वह स्थान उपयुक्त है या नहीं। उसमें से जो जहर निकलता है उस जहर को अगर कोई निगल सकेगा या जहर को आक्सीजन में परिवर्तित कर सकेगा तो वह केवल जंगल कर सकेगा। तो ऐसी जो फैक्ट्रीज लगती हैं उनके आसपास कितने पेड़ लगे हैं। आज कई लोग कहते हैं कि मार्बल उद्योग की स्लरीज वहां बिखरी रहती है उससे निश्चित पर्यावरण अवरुद्ध होता है लेकिन मार्बल के कारण से कितने

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लोगों की रोजी–रोटी चल रही है ? जो स्लरी वहां से निकल रही है, जो उसका रफ-मैटीरियल है उसे उन पहाड़ियों के खड्डों के अन्दर ले जाने के लिए उन्हें बाध्य किया जा सकता है। यह भी पर्यावरण डिपार्टमेंट को देखना चाहिये न कि इनकी चौकसी केवल अपने दफ्तर में बैठकर एन. ओ. सी. इश्यू करते रहें। पर्यावरण विभाग का काम तो यह है कि वे फैक्ट्रीज का अवलोकन करें और वहां जाने के बाद सुझाव दें कि किस तरीके से पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। मैं खास तौर से उदयपुर के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन फैक्ट्री वालों को परेशान करने से और कानून का डंडा दिखाने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि उद्योग मंत्रीजी और पर्यावरण मंत्रीजी उन व्यापारियों के साथ बैठ कर चर्चा करें। निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधि भी मिल कर, बैठ कर उनके साथ चर्चा करेंगे।

क्योंकि उदयपुर की बात चल रही है, उदयपुर के लिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय भंवरलालजी शर्मा से मानसी वाकल के सम्बन्ध में। हमारे लिए तो उदयपुर इतना बड़ा हो गया जिसकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जो डिवीजन हैडक्वार्टर भी है। डिवीजन हैडक्वार्टर के कारण से वहां पर सारे कार्यालय वगैरह होने की वजह से.... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मानसी वाकल योजना प्रारम्भ करा कर और हिन्दुस्तान जिंक के साथ में 30 और 70 का रेशो बनाकर उदयपुर का उपकार किया है। इससे निश्चित रूप से हमको पानी मिल सकेगा। इसके साथ जयसमन्द का पानी, झामरकोटड़ा का पानी, यानी एक शहर के लिए तीन-तीन योजनाएं बनाने का राजस्थान सरकार का जो सोच है मैं उसके लिए भैरोंसिंहजी को, उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उदयपुर की पानी की समस्या को हल किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सैक्रेटरीज की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य मंत्रीजी और सब प्रमुख सैक्रेटरीज होते हैं, इन्होंने बैठ करके चर्चा की कि उदयपुर में जो झीलें हैं उन झीलों में प्रदूषण हो रहा है, सारे नालें उन झीलों में गिर रहे हैं। ट्यूरिस्ट आता है वह कोई मार्बल की खान देखने के लिए नहीं आता है, वह उस उदयपुर के नैसर्गिक आकर्षण के लिए आता है। उसके लिए 425 करोड़ रुपये की एक योजना है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि एस. अहमद जिस समय कमिश्नर थे उदयपुर में और झील संरक्षण वाले थे, उन दोनों ने मिल कर बाहर की एजेंसीज को बुलाया। अगर राजस्थान सरकार उसका सर्वे करती तो लाखों रुपया खर्च होता, लेकिन उन्होंने अपने साधन जुटा कर बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला कर उदयपुर के लिए सीवरेज योजना तैयार की जो 425 करोड़ की है। बार-बार हम जनप्रतिनिधियों ने निवेदन किया कि इस योजना को पूरा करने के लिए बाहर से कहीं से कर्जा लिया जा सकता है तो कर्जा लिया जाना चाहिये। राजस्थान सरकार उसकी गारंटी दे, वहां की नगर परिषद, वहां की यू. आई. टी. धीरे-धीरे उस कर्जे को चुका देगी। लेकिन युद्ध स्तर पर इस योजना को लेकर उदयपुर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

की पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध उन झीलों को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आधा शहर बल्कि तीन-चौथाई शहर उन झीलों के किनारे बसा हुआ है लेकिन यहां सैक्रेटेरिएट में बैठकर उन सैक्रेटरीज ने एक आदेश निकाल दिया वहां की यू. आई. टी. के माध्यम से कि 500 मीटर के अन्दर निर्माण नहीं किया जाएगा। 500 मीटर तो बहुत दूर तक होता है, वहां तो बिलकुल झील के किनारे गरीब आदमी का मकान है, उसका झोंपड़ा है। अगर वह टूट जाएगा तो उसकी मरम्मत नहीं करेंगे, इस तरीका का जो आदेश निकाला जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर राजस्थान सरकार को बहुत विचार करना चाहिए। जब तक वहां के जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक नहीं हो जाए, तब तक उन सारी बातों को नहीं सुन लिया जाए तब तक केवल यहां पर बैठ कर आदेश निकाल दिया जाए, यह उचित नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं 1952 का नक्शा उठाकर देखता हूं और 1997 का नक्शा उठाकर देखता हूं और जो हमको आर्थिक संरक्षण दिया गया उसमें अन्य राज्यों के साथ जब राजस्थान की मैं तुलना करता हूं तो हमारा मस्तक गर्व से उठ जाता है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल शब्दों में नहीं व्यवहार में, अपने बजट के माध्यम से इस आर्थिक ढांचे को खड़ा किया है। जो कर वंचक थे उससे कर की वसूली की गई है। आज वित्त विभाग ने नियंत्रण किया है। खरीद होती थी कभी और करोड़ों रुपये के घपले होते थे लेकिन आज राजस्थान में कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता कि कोई घपला हुआ है। क्योंकि वित्त का नियंत्रण इतना तगड़ा है कि आज आवश्यकता होने पर भी वित्त विभाग वाले काट कर फेंक देते हैं। सचमुच में यह जो वित्त का नियंत्रण है....

**श्री टीकमचन्द कान्त** (सिवाना) : यह क्या मतलब कि वित्त विभाग वाले काट कर फेंक देते हैं आवश्यकता पड़ने पर ? क्या मतलब है ?

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य :** ये सही कह रहे हैं, मैं इनको स्पष्ट कर दूं। जैसे वहां पर नर्सेज की आवश्यकता है, वहां पर डाक्टर्स की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है लेकिन उन साधनों को बिना डिस्कस किये हुए–वह आदमी तो बी.एफ.सी में इसलिए आता है कि अपनी आवश्यकताएं उनको बता सके, लेकिन वहां पर जो सैक्रेटरी महोदय बैठे रहते हैं वे उसकी बात को नहीं सुनते। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से कि बी. एफ. सी. केवल इसलिए होती थी, राजस्थान में इसलिए प्रारम्भ की गई थी कि बजट बना करके तो कोई भी भेज देगा मगर यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने उस बजट को पास कर दिया तो वह अनावश्यक हो जाएगा। इसलिए यह बी. एफ. सी. प्रारम्भ की गई थी कि वित्त विभाग के साथ बैठकर संबंधित विभाग अपने ऑफिस की आवश्यकताओं को आकर यहां डिस्कस करे। लेकिन आज डिस्कशन अच्छी तरह से नहीं होता है। मैंने पिछले बजट भाषण में भी इस बात को कहा था कि जो आवश्यकता है उसको

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

निश्चित रूप से वित्त विभाग को देखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आपके माध्यम से मैं जो बात कह रहा हूं उस पर निश्चित रूप से वित्त विभाग गौर करेगा और डी.एफ.सी. होती है उसमें उनको ...

श्री उपाध्यक्ष : उनको कोष का भी ध्यान रखना पड़ता है, खजाने का भी ध्यान रखना पड़ता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : निश्चित रूप से खजाने का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित रूप से खजाने का भी ध्यान रखना चाहिए, खजाना तो लुटाने के लिए है ही नहीं.... (व्यवधान)... खजाना लुटाने के लिए है ही नहीं, यह मानकर चलते हैं हम, और राजस्थान सरकार को तो इस मामले में अगर कंजूस कहा जाए तो कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, इस बात की आवश्यकता है। (व्यवधान).... जब आप एजुकेशन की डिमाण्ड रखेंगे यहां पर तो मैं इस विषय में और बोलूंगा। मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप और बोलना चाहे तो बोल लें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे सुझाव दिये। श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने कल 12 बज कर 5 मिनट पर अपना भाषण शुरू किया और जब वे पेज नम्बर 62 पर भाषण कर रहे थे, तो मेरे बारह बजा दिये। आज अजमेर के अखबार सारे भरे हुए हैं, यहां की पत्रिका में भी पूरा भरा हुआ है कि ब्यावर को जिला नहीं नहीं बनाया गया। मेरे साथ में बहुत अन्याय किया। सन् 1958 से मांग है ब्यावर को जिला बनाने की, परन्तु ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा कल नहीं की गई। मुझे कल इतनी निराशा हुई कि मैं बार-बार संगठन की ओर देख रहा था, बार-बार सी. एम. साहब के यहां देख रहा था, उनके यहां भी गया कि क्या करना चाहिए मुझे। सारी ब्यावर की जनता कल से लगातार यह दबाव डाल रही है कि इस्तीफा देकर आ जाओ। हमारे संगठन ने इस्तीफे भेज दिये हैं। यहां 1977 में भी जब मैं विधायक था, ब्यावर को जिला बनाने की मांग रखी थी, पुरजोर रखी और लगातार प्रयत्न कर रहा हूं। मैंने 18-6-92 को एक पत्र दिया था आदरणीय शेखावत साहब को। उनका भी पत्र आया था मेरे पास कि मैं इसको दिखवा रहा हूं। उसमें पूरा विवरण मैंने दिया कि ब्यावर हर दृष्टि से जिला बनाने के योग्य है। यहां से कितने राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, ब्यावर से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को आय मैं आपको अनुमानित बता रहा हूं। 1992 में बिक्री कर 12 करोड़ रुपये, आय कर 112 करोड़ रुपये, केन्द्रीय एक्साइज 23 करोड़ रुपये, कृषि उपज मण्डी समिति से 1 करोड़ 50 लाख रुपये, स्टाम्प ड्यूटी से 1 अरब 20 करोड़ रुपये, भूमि कर, भूमि रूपान्तरण शुल्क 20 लाख रुपये, खनन रायल्टी 1 करोड़ 80 लाख रुपये। इसके अतिरिक्त

(श्री उगमराज मेहता)

वहां पर प्लांट है श्री सीमेन्ट का, उसकी आय अलग है, केन्द्रीय एक्साइज 20.50 करोड़ रुपये, सेल्स टैक्स 13.50 करोड़, आय कर 3.20 करोड़, विद्युत 12.50 करोड़, खनन रायल्टी 2.21 करोड़ रुपये। ये 1992 के आंकड़े हैं, उसके बाद में आज 1997 चल रहा है। इसमें एक्साइज और लोकल एक्साइज के आंकड़े नहीं हैं और, और भी कई ऐसी राजस्व प्राप्तियां हैं जिनके आंकड़े नहीं हैं। हर दृष्टि से व्यापारिक केन्द्र है, ब्यावर बहुत बड़ी मण्डी है, 3 कपड़े की मिलें हैं, इस समय 3 सीमेंट फैक्ट्री हैं और आस-पास के आने-जाने वाले लोगों को ब्यावर क्षेत्र से पूरा लगाव है। इसमें पूरा नक्शा दिया हुआ है। इस प्रकार से ब्यावर को जिला बनाया जाए, यह बार-बार मांग की गई ...

**श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। हमारा ब्यावर क्षेत्र ही ऐसा है जहां के जन प्रतिनिधियों को हर साल विश्वास में लेने के बाद भी वह डिस्ट्रिक्ट नहीं बना। राजस्थान में केवल ब्यावर का ही क्षेत्र है जिसमें हर साल माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान के कई वरिष्ठ मंत्री गये और वहां की जनता से प्रोमिस किया कि ब्यावर को अगले बजट में डिस्ट्रिक्ट बना दिया जायेगा (व्यवधान) ....क्योंकि मेरा भी वही एरिया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको समय दे दिया जाएगा, बाद में बोल लेना। आप बोलना नहीं चाहते क्या ?

**श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मेहता साहब ने जो मांग की है जिला ब्यावर की, उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि उसके अन्दर गोडा तहसील को भी जोड़ा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करके इसी साल ब्यावर को जिला घोषित करने की कृपा करें।

**श्री उगमराज मेहता :** माननीय शेखावत साहब जब विपक्ष में थे उस समय कृष्णा मिल चालू करने के लिए आंदोलन चला था। उस समय वे वहां पधारे थे और माननीय शेखावत साहब ने कार्यकर्त्ताओं और जनता को कहा था कि आप रेल पटरियों पर सो जाइये, ब्यावर को जिला बनाया जायेगा। उस समय भी इन्होंने घोषणा की थी। उसके बाद यह मांग लगातार उठती गई। उससे छोटे-छोटे जिले बन गये-राजसमंद जिला बन गया, धौलपुर जिला बन गया, बारां जिला बन गया, लेकिन ब्यावर रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा है कि अगले बजट में कुछ और रियायत दी जायेगी, आने वाले समय में पड़ौस के दो राज्य हैं जिनके बजट आने वाले हैं, उस समय कुछ और संशोधन किया जायेगा। मैं मांग करना चाहता हूं कि यहां जिस समय रिप्लाई हो, अगले साल के लिए हमें आश्वासन दे दें इस सदन में कि ब्यावर को जिला बनाने की अगले साल मैं घोषणा करता हूं। इसी साल करें तो बहुत खुशी की बात है। माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यह भी मेरे में आम हैं, आपका सहयोग होगा तो इसी बजट सत्र में घोषणा की जायेगी, यह मुझे उम्मीद है।

श्री पराक्रम सिंह : माननीय ललितजी इसमें पहले करेंगे तो अवश्य इस साल हो जाएगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : नहीं हो तो मान लेना कुछ नहीं किया।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में पृष्ठ संख्या 71 पर राज्य में कच्ची ऊन को कच्चे माल के रूप में वूलन यार्न निर्माण हेतु कर मुक्त की सुविधा उपलब्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, 27-3-1995 को जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसके भाषण के पेज नम्बर 50 पर कच्ची ऊन को विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग करने पर पूर्णतया कर से मुक्त करने का प्रस्ताव किया था। उस समय एक शब्द रह गया था, कारपेट वूलन, जो कारपेट में काम आता है। बार-बार कहा गया और उसके ऊपर आज दिन तक व्यापारियों ने कोई सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया। आपने कर मुक्त करने की बाबत घोषणा की है उसमें कारपेट यार्न लिखा हुआ है। अब पिछला टैक्स वसूल करेंगे। सब जगह असैसमेंट हो गया, ब्यावर सी. टी. ओ. ने असैसमेंट के आदेश निकाले हुए हैं। असैसमेंट की उसकी योजना है, करोड़ों रुपया व्यापारी कहां से देंगे ? सेल्स टैक्स का एक पैसा लिया नहीं, वसूल किया नहीं और अब कहते हैं। सीरियल नम्बर 945/एफ. 4/28 एफडी/जी.आर./4/94-1, दिनांक 13-10-94, 'This shall have effect from 15-6-94' यह जो नोटिफिकेशन निकाला था इसमें व्यापारियों से किसी प्रकार का सेल्स टैक्स न तो चार्ज किया है और न ही सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी प्रकार की कोई डिमाण्ड ही की है। उन्होंने डिमाण्ड ही नहीं की थी। अब दो महीने पहले ही डिमाण्ड करने लगे हैं, जबकि बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा सिरोही सब जगह असैसमेंट हो गया। ब्यावर के ए.सी.टी.ओ. ने केकड़ी के असैसमेंट कर दिये, किसी से किसी प्रकार की डिमाण्ड नहीं की गई और ब्यावर ए. सी. टी. ओ. डिमाण्ड कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें अमेंडमेंट लाना जरूरी है और अमेंडमेंट इस प्रकार का होना चाहिए कि—

"In the said notification, after the expression 'woolen yarn', the expression 'including woollen carpet yarn' shall be inserted.

"In the said notification, clause (3) shall be deleted.

"This shall have effect from 13-6-94 on the following conditions :

- that the tax charged or collected on the sale of said goods shall be paid to the State Government; and
- that the tax already paid to the State Government, if any, shall not be refunded."

सैल्स टैक्स वसूल नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने सैल्स टैक्स ले लिया तथा जमा करा दिया तो उसको रिफण्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। परन्तु सैल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाये। जिस प्रकार से इस

(श्री उगमराज मेहता)

बजट में कारपेट वूलन-यार्न लिखा है, उसी प्रकार से 1994 के कानून में चेंज करके उसी समय से यह कानून बनाया जाये। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मांग करता हूं कि ब्यावर को जिला बनाने की इसी सत्र में घोषणा की जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राम प्रताप कासनियां।

**श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बजट बहुत ही अच्छा पेश किया गया है। इसमें गांव गरीब, किसान और शहर, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस के समय में जब भी बजट पेश होते थे तब किसी न किसी रूप में किसान के ऊपर कर थोपा जाता था, गरीब पर कर थोपा जाता था। परंतु जबसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर आज तक जितने भी बजट पेश किए हैं उनमें विशेषकर काश्तकार के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी कर नहीं लगाया है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे पता लगता है कि सरकार काश्तकार के प्रति उदारता रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997-98 में पंचायती राज विकास विभाग के लिए 59.50 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, गांवों के अंदर जो शालाएं बिना भवन के हैं उनके भवनों का निर्माण कराया जाएगा, डिस्पेंसरी का निर्माण होगा, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण होगा। इसके साथ-साथ गांव के लोगों को और सुविधाएं भी मिलेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नगरीय और स्थानीय निकायों के लिए 17.15 करोड़ रुपया खर्च करने का जो प्रावधान रखा है इससे शहरी क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा सातवीं योजना में 98 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता प्राप्त हुई थी, जिसकी तुलना में आठवीं योजना में 1050 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त की गई है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सहायता मुख्य रूप से सड़क निर्माण और कृषि पर खर्च की जाएगी, साथ ही इसको चिकित्सा व स्वास्थ्य पर भी खर्च करने का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा पर 216.85 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा है इससे गांवों का विकास होगा। सरकार ने 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ 500 प्राथमिक विद्यालय भी खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही 100 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो गांवों के लोगों का हर तरह से विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं व राजसमंद जिलों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लागू करने का निर्णय लिया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले किसी भी सरकार ने इस तरह का निर्णय नहीं किया। इस वर्ष दो जिलों को लिया है और अगले वर्ष चार जिलों को लेंगे। इस तरह से यह अनिवार्य शिक्षा जहां कहीं भी लागू होगी इससे बहुत फायदा होगा। इससे गांवों के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे और पढ़-लिखकर उद्योग में, व्यापार में भाग लेंगे तथा खेती के अलावा दूसरे काम भी कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा शिक्षाकर्मी योजना के तहत राज्य में 600 नवीन शालाएं खोलने का निर्णय लिया है। इससे जो प्राथमिक पाठशालाएं पंचायती राज विकास विभाग के द्वारा चल रही हैं उनमें आपस में काम्पीटिशन होगा। आज प्राथमिक शालाओं में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है और यह शिक्षाकर्मी योजना जब से लागू हुई है तबसे प्राथमिक शालाओं के अध्यापक आपस में चर्चा करने लग गए हैं कि यह एक नई बीमारी अपने लिए खड़ी हो गई है। शिक्षाकर्मी योजना के तहत जो विद्यालय खुलेंगे उनमें जिन लड़कों को भर्ती किया जाएगा वे उसी गांव के होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको नौकरी की लालसा होगी। इसमें नौकरी भी एक वर्ष में देने का प्रावधान नहीं है, बल्कि सात-आठ वर्ष तक उसका कार्य शिक्षाकर्मी योजना के अधिकारी देखेंगे तथा यदि उनका कार्य संतोषजनक हुआ, लड़कों की पढ़ाई अच्छी हुई, रिजल्ट अच्छा रहा, तब उसको स्थायी करने का निर्णय होगा। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में मेरा निवेदन यह है कि दसवीं कक्षा में जिस छात्रा के 75 परसेंट से अधिक नम्बर होंगे उसको सरकार की तरफ से प्रति वर्ष एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का जो निर्णय किया है, यह बहुत बड़ी बात है। पढ़ने वाली लड़की को इस तरह की प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो उसका हौसला बढ़ेगा और उसकी देखादेखी और लड़कियों में भी पढ़ने की जिज्ञासा पैदा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में आज तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, न पेशाब करने की जगह थी। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां खुले में पेशाब करती थीं और यह बहुत बड़ी समस्या थी। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं बहुत संकोच करती हैं। उन्हें पेशाब करने के लिए स्कूल से आधा किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। सरकार ने इस वर्ष पीने के पानी और शौचालयों के निर्माण के लिए 8.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह बहुत बड़ी बात है और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए यह एक जीवनदान है।

(14.00)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांव में पढ़ी-लिखी महिला होगी, वह अपने घर में सरस्वती योजना के तहत विद्यालय चला सकेगी। सरकार ने इसके लिए 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा है। इससे अड़ौस-पड़ौस में कोई महिला पढ़ी-लिखी हो तो पांचवीं कक्षा तक की लड़की तो वहां जाकर घंटे-दो घंटे पढ़ सकती है। पांचवीं कक्षा तक अगर लड़की पढ़ती है तो उसको

(श्री रामप्रताप कासनियां)

थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होता है । यह बहुत बड़ी बात है, इससे सरकार की मंशा का पता लगता है कि महिला शिक्षा के बारे में सरकार कितनी जागरूक है ।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सूरतगढ़ तापीय परियोजना की 250 मेगावाट की इकाई ...

**श्री मदन मोहन** (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का कोरम पूरा नहीं है ।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : पूरा करवा देंगे अभी । इकाई चालू करने का जो लक्ष्य रखा है इससे 250 मेगावाट बिजली मिलेगी । बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है । पिछले वर्षों में कांग्रेस के जमाने में तो एक भी मेगावाट बिजली पैदा करने की कोई कोशिश नहीं गयी और यह सरकार जब से आयी है तब से लगातार बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है । उपाध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में 700 गांवों का विद्युत मण्डल द्वारा, रेडा के माध्यम से 50 गांवों का विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा है, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य है, इससे गांवों का विद्युतीकरण होगा । इसके साथ-साथ 20 हजार ट्यूबवैलों को कनेक्शन देने का जो लक्ष्य रखा गया है यह भी बहुत बड़ी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि को बढ़ावा देने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति व फव्वारा सिंचाई पद्धति द्वारा 21 हजार काश्तकारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, यह भी गांव की खुशहाली का चिह्न है । इससे पानी की भी बचत होगी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आदरणीय मिढ्ढा साहब, आपको भी बोलना है, आपका नाम लिखा हुआ है बोलने वालों में ।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : इन कार्यों पर 40 करोड़ रुपये अनुदान देने का जो लक्ष्य रखा है, यह काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी बात है । काश्तकारों की तरफ आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह बारीकी से ध्यान नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रामाणिक बीजों की बेहतर उपलब्धि के लिए 500 गांवों में खुदरा बीज विक्रय केन्द्र खोलने का सरकार ने जो निर्णय लिया है इससे काश्तकारों को बहुत बड़ा लाभ होगा । एक तो गांवों के अन्दर इससे अच्छी किस्म का बीज मिलेगा और साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने के लिए 13 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा है यह भी काश्तकारों के लिए है । डायरेक्ट नहीं, इन्डायरेक्ट सही पर इसका फायदा काश्तकार को ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष 4200 किलोमीटर रोड बनाने का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, इससे जितने भी पंचायत हैडक्वार्टर, सम्बल परियोजना के गांव हैं वे सारे के सारे रोड से जुड़ेंगे । यह भी एक

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बहुत बड़ी बात है। गांव जब भी शहर से जुड़ता है, सड़क से जुड़ता है तो उस गांव के विकास की गति में तेजी आती है।

गत वर्षों में सरकार ने जो बांध, सड़क, अस्पताल, स्कूल के भवनों का निर्माण कराया था उनका आधुनिकीकरण करने के लिए, सुधार करने के लिए 61 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में कई शालाएं, हास्पिटल की बिल्डिंगें जर्जर हुई पड़ी थीं, इस पैसे से उनकी मरम्मत होगी तो गांव के लोगों को इससे राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा है, इससे गांव की बहबूदी होगी, विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा जो कार्य आज से पहले कराये जाते थे उनमें सामग्री और श्रम का अनुपात नहीं था, पंचायतों के सरपंचों को मजबूरी में धांधली करनी पड़ती थी। पक्के निर्माण कार्यों का रेशो सही नहीं बैठता था, उससे फर्जी मस्टररोल भरे जाते थे। सरकार ने पक्के निर्माण कार्यों के लिए 50-50 प्रतिशत राशि श्रम और सामग्री के लिए जो प्रावधान रखा है, यह सराहनीय है। पिछले कई वर्षों से पंचायतों से, गांवों से यह मांग लगातार आती रही है कि श्रम और सामग्री का जो अनुपात है यह नहीं बैठ रहा है इसलिए सरकार को इसमें संशोधन करके बराबर-बराबर की राशि श्रम और सामग्री दोनों पर खर्च करने का निर्माण कार्यों में प्रावधान रखना चाहिए। यह वर्षों से अटकी हुई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में मांग थी जिसको सरकार ने माना है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में खारे पानी के जो गांव हैं उनके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। कहने को तो गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है परन्तु पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी गांवों में। सरकार ने इस बार इसकी तरफ ध्यान देकर खारे पानी वाले गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है वह भी सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी क्षेत्र में खोलने का जो निर्णय लिया है यह कोई ज्यादा सराहना के काबिल नहीं है, कम है। इसमें मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इनकी संख्या बढ़ायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग में चालू वर्ष में 20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, बच्चों को इससे फायदा होगा। विभिन्न आधुनिक संस्थाओं, मानसिक रूप से विकलांग, निराश्रित बालक बालिकाओं, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास से जुड़ी संस्थाओं के लिए अनुदानित संस्थाओं के लिए उनमें आवास कर रहे बालक-बालिकाओं के मैस भत्ते में सरकार निरन्तर बढ़ोतरी कर रही है। कांग्रेस के समय में

(श्री रामप्रताप कासनियां)

तो 50–50 रुपये प्रति माह मैस भत्ते के मिलते थे, सरकार ने इस बजट के अन्दर 350 रुपये प्रति छात्र मैस भत्ता किया है। इससे छात्र-छात्राओं को पौष्टिक आहार मिलेगा जिससे स्वास्थ्य की रक्षा होगी और गरीब के बच्चे स्वस्थ रह सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। जिस बच्चे को खाने के लिए पूरा आहार नहीं मिले, पौष्टिक आहार नहीं मिले उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में तो मैंने इन हास्टलों में देखा है कि खाने....

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया बैक-बैंचर्स बातें नहीं करें। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनियां :** क्या जलन हो रही है आपके ? क्या पीड़ा हो गई ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 200 रुपये पेंशन बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत बड़ी बात है। उन लोगों का मान-सम्मान किया है, उन लोगों की इज्जत की है। उनको पहली बार यह महसूस होगा कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ भी ध्यान दिया है। 200 रुपये प्रतिमाह की यह जो राशि पेंशन की बढ़ाई है, इसकी सभी लोग भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कपास को कर मुक्त किया है और ग्वार पर भी दो प्रतिशत टैक्स यथावत रखने का जो निर्णय लिया है, उससे काश्तकार को भाव अच्छे मिलेंगे, काश्तकार को फायदा होगा। मोटे रूप में हर चीज पर बजट में काश्तकार का बहुत ही ज्यादा खयाल रखा गया है, यह बहुत बड़ी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, केरोसीन तेल पर वर्तमान में 10 प्रतिशत जो कर देय था उसको घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। यह केरोसीन तेल गरीब आदमी काम में लेता है चाहे गांव का हो, शहर का हो। इससे भी गरीब आदमी को राहत मिलेगी (व्यवधान) खूब मिलता है। आप कभी गये नहीं कार्ड लेकर। आप बिना कार्ड के पूरा जरीकेन भरवाना चाहते थे, इसलिए नहीं भरा गया। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर की ट्रॉली पर वर्तमान में 4 प्रतिशत कर लगता था, उसको कर मुक्त करके काश्तकार को राहत प्रदान की गई है।

इसके साथ-साथ आज तक मनोरंजन कर से अर्जित राशि में जितनी भी राशि उपलब्ध होती थी वह 60 नगरपालिकाओं में खर्च होती थी। सरकार ने इस बजट में 182 नगरपालिकाओं में खर्च करने का जो प्रावधान रखा है उससे आपस में पूर्व में जो भेदभाव था वह खतम हो गया। इससे नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में विकास के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मोटर वाहन कर, महंगे और सस्ते वाहनों पर एक समान कर, जुर्माने के रूप में लगता था। अब उसे बदलकर मूल्य आधारित कर लगाने का जो प्रस्ताव रखा है इससे खल-बिनौले एक ही भाव बिकने वाली बात जो पूर्व में

(श्री रामप्रताप कासनियां)

थी, वह नहीं रही। अब वाहन की हैसियत को देखकर कर लगाने का यह जो निर्णय लिया है, यह भी सराहनीय है।

(14.15)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सरकार ने गांव के गरीब काश्तकार के ऊपर कोई नया कर नहीं थोपा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक करों में रियायत दी है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने पिछले 6-7 वर्षों में विकास की जो गंगा ग्रामीण क्षेत्रों में बहाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता।

सभापति महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने सब पूर्व मुख्य मंत्रियों की भूरि-भूरि प्रशंसा अब की बार इस बजट में अपने श्रीमुख से की है, यह बहुत बड़ी बात है। आज तक मैंने किसी भी नेता के मुंह से विरोधी दल के मुख्य मंत्रियों की इस तरह की तारीफ नहीं सुनी, पहली बार सुनी है। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, इसके अलावा भी हर तरीके से व्यापारियों का, मजदूरों का इस बजट में ध्यान रखा गया है परन्तु फिर भी कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम चरण में सी ए.डी. विभाग ने जो खाले बनाये थे उनकी कीमत सरकार ने आज तक माफ नहीं की है। हम लोगों ने गांवों में कहा था कि अब की बार बजट में आपके प्रथम चरण में जो खाले कीमत माफ करने से वंचित रह गये हैं, इसको करवाएंगे। मैं सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार बजट पेश करते समय यह बात कही थी कि काश्तकारों से हम एक फूटी कोड़ी भी वसूल नहीं करेंगे। आज काश्तकार के ऊपर बैंकों ने, सरकार ने जो खाले बनाये थे, उनके केस कर रखे हैं और 150-200 व्यक्तियों के खिलाफ डिक्रियां हो गयीं। जब कोर्ट से डिक्री हो गई तो शेष कार्य वसूली का बचा है और वसूली एस.डी.एम., तहसीलदार या सरकार का जो तंत्र है वही करेगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आपने गंगानगर जिले के काश्तकारों को हर तरह से छूट दे दी है परन्तु खजाने पर असर पड़ने वाली मांग यह जो पक्के खाले वाली एक थी, इसकी तरफ अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। पूर्व में जो रियायतें दी गई हैं, वे बहुत बड़ी रियायतें हैं। परन्तु बजट पर, राज के खजाने पर कोई ज्यादा लोड उन समस्याओं का समाधान करने में नहीं बढ़ा हैं। खजाने से पक्के खालों की अगर किश्त माफ होती है तो जरूर लोड पड़ता है। मुख्य मन्त्रीजी ने गंगानगर जिले की आम सभाओं में भी, मुझे पूरा तो ध्यान नहीं है परन्तु यह बात कही थी कि हम पक्के खालों की किस्त माफ करेंगे।

सभापति महोदय, सेम की समस्या हेतु सरकार ने इस वर्ष 80 नलकूप लगाने का जो निर्णय लिया है यह सराहनीय है परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष अक्टूबर तक

(श्री रामप्रताप कासनियां)

200 नलकूप लगाने का जो निर्णय था उनमें से 120 ट्यूबवेल अभी मार्च तक लगेंगे और 80 तो उनमें से ही शेष रह गये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि 80 नलकूप लगाने का यह जो निर्णय लिया है यह पिछले वर्ष में जो अधूरे कार्य हैं, उसको रिपीट किया गया है। इन नलकूपों की संख्या और बढ़ाई जाए, कम से कम 100 नलकूप और गलने चाहिए। अभी पिछले दिनों इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अध्यक्ष और सिंचाई सचिव सेम का मौका देखने पधारे थे। मौके पर हम लोगों ने बड़ोपल गांव के पास सेम का पानी पड़ा है, उसको पंपिग करके डिप्रेशन में डालने का निर्णय लिया था और स्कीम बनाने की बात इंजीनियरों से कही थी कि यह स्कीम बना कर जल्दी से जल्दी लाओ। बजट में तो कोई प्रावधान नहीं रखा परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्कीम को शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी दी जाए। पिछले 20 वर्षों में लोग उजड़ गये हैं, उनके न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए अनाज है, न पशुओं के लिए चारा है। वे दर-दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। सभापति महोदय, जब से मैं विधान सभा में आया हूं, हर क्षेत्र में (व्यवधान) मैं पक्ष में भी बोल रहा हूं और विपक्ष में भी बोल रहा हूं, जो हकीकत है वही बोल रहा हूं। जो सराहने के काबिल बात है उसको सराहूंगा और जो मेरी डिमाण्ड है, जो समस्या है उसको मैं रखूंगा। इसीलिए आप बजाय मेहरबानी थोड़ा चुप ही करें तो अच्छा है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन गांवो की हालत बहुत ही दयनीय है। पिछले 15-16 वर्ष के अन्दर जितना पैसा मौका देखने पर खर्च हुआ है, सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि अगर एक-एक बाल्टी पानी उन गाड़ियों में लेकर आते तो आज तक 25 प्रतिशत पानी तो वैसे ही उठाया जा सकता था। कांग्रेस के टाइम में कितने मुख्य मंत्री मौका देखने गये, प्रधान मंत्री तब मौका देख कर आये थे परन्तु हमारी बदकिस्मती है कि उस समय तो एक फूटी कोड़ी भी सेम की समस्या के समाधान हेतु नहीं लगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से शासन में आई है तब से लेकर सेम समस्या का समाधान करने का प्रयास तो जरूर कर रही है। परन्तु जिस गति से इस समस्या का समाधान होना चाहिए उस गति से समाधान नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैसे के लिए मेरे सामने अधिकारियो को तीन-चार बार बैठक में कहा है कि जितने धन की आवश्यकता है, मैं उपलब्ध कराऊंगा परन्तु इस समस्या का समाधान तो आप ही करेंगे। परन्तु, सभापति महोदय, अधिकारी यह नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान हो जाए। यह एक बहुत बड़ी मुझे पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य में गति देने के लिए कोई अच्छे इंजीनियर की वहां पोस्टिंग करें और सौ नलकूप और लगाने का निर्णय करें ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, विधायक कोटे के अन्दर सरकार ने विधायक को निर्माण कार्य

(श्री रामप्रताप कासनियां)

के लिए दस लाख रुपये जो दिये हैं यह बहुत कम है। इन दस लाख रुपयो में से पांच लाख तो कलक्टर अपनी मर्जी से ही खर्च करता है, पीछे बचे पांच लाख। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राशि कम से कम पच्चीस लाख रुपये की जाए ताकि विधायक अपने क्षेत्र में पांच वर्ष के कार्यकाल में थोड़ा-थोड़ा पैसा हर गांव में उपलब्ध करवा सके। अन्यथा, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो दस लाख रुपये हमें दिये जा रहे हैं ये वापस ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे गांवों में लड़ाई नहीं होगी। मेरी सोच है यह, बाकी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं या नहीं हैं, परन्तु अगर सरकार हमें निर्माण कार्य के लिए देती है उसमें भी पांच लाख हम अपनी मर्जी से खर्च ही नहीं कर सकते हैं। वह पैसा हमारे जिम्मे है दस लाख, परन्तु खर्च करने का निर्णय जिले में बैठक में कलक्टर लेता है। हमारी मंशा नहीं है पी.एच.ई.डी. को पैसा देने की, पर जबरदस्ती बैठक में तय हो गया, पी. एच. ई. डी. को दो पांच लाख रुपये। पी. एच. ई. डी. में तो वैसे ही पैसा बहुत है ...

श्री टीकमचन्द कान्त : पानी में गया।

श्री रामप्रताप कासनियां : पानी में गया या कैसे गया वह तो...।

सभापति महोदय, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब केन्द्र सरकार एम. पी. को एक-एक करोड़ रुपये दे रही है तो 25-25 लाख रुपये तो हमें भी निर्माण कार्यों के लिए मिलने चाहिए। सरकार के इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, सरकार चाहे कलक्टर के माध्यम से खर्च करवाए, चाहे विधायक के माध्यम से खर्च करवाये। सभापति महोदय, कलेक्टर जो निर्णय करेगा उससे जन प्रतिनिधि ज्यादा उचित निर्णय करेगा और निर्माण कार्य भी जरूरत के अनुसार करवायेगा।

सभापति महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जो भूमिहीन जमीन लेने से महरूम रह गये उन लोगों को बीकानेर और जैसलमेर में जमीन दी जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के अन्दर पूरे राजस्थान के भूमिहीनों को जमीन दी गई, पोंग डैम विस्थापितों को जमीन दी गई और फौजियों को भी जमीन दी गई तो हमारे जिले के जो भूमिहीन भूमि से वंचित रह गये उनको भी जैसलमेर और बीकानेर में जमीन अलाट की जाए ताकि वे लोग भी अपनी रोजी-रोटी का साधन कर सकें, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

सभापति महोदय, प्रथम चरण के अन्दर हजारों एकड़ भूमि फ्लो से सिंचित होने वाली है परन्तु उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके द्वितीय और तृतीय चरण के अन्दर पानी सिंचित करने के लिए ले जा रही है, उस पर खर्चा भी ज्यादा होता है। सभापति महोदय, आपने कभी देखा होगा जैसलमेर का, बीकानेर का इलाका उस भूमि के अंदर एक मुरब्बे में जितनी उपज होती है, प्रथम चरण की भूमि के पांच बीघा या दो बीघा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

में उसके बराबर अनाज पैदा हो सकता है। सभापति महोदय, सरकार का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित करना और ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करना। तो सरकार के दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम चरण की जो फ्लो कमाण्ड से सिंचित होने वाली भूमि है, वह कर देगी। अनाज की पैदावार भी बढ़ेगी और सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का जो सरकार का लक्ष्य है उसकी भी पूर्ति हो जायेगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वर्गीय झाला साहब के समय चार-पांच स्कीम बनाई गई थीं। वे स्कीम आज भी अधूरी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो वर्षों से एटा माइनर जिसको सिंहासर माइनर भी कहते हैं, वह अधरझम में पड़ा हुआ है, अभी तक उसमें कोई निर्माण कार्य वगैरह शुरू नहीं हुआ है। सर्वे वगैरह एक बार जरूर हुआ था और इसके साथ-साथ सोमासर वितरिका को आगे बढ़ाने का प्रावधान था, स्कीम बन गई थी परन्तु उस कार्य में कोई गति नहीं है। सभापति महोदय, आर. डी 191 पर एक आउटलेट लगा हुआ है, पचासों मुरब्बा भूमि उसी आउटलेट से सिंचित हो सकती है। सिर्फ इतना ही करना है कि जो मौके पर आउटलेट लगा हुआ है उसकी साइज बढ़ानी है, बाकी सरकार की एक फूटी कोड़ी भी उस पर खर्च नहीं होगी। केवल चार-पांच किलो सीमेंट लगेगी, वह काश्तकार स्वयं लगाने के लिए तैयार हैं।

इसके साथ-भाखड़ा क्षेत्र का जो टेल पोर्शन है उसके लिए सूरतगढ़ ब्रांच में से एक सौ क्यूसेक्स की नहर निकालने की स्कीम स्वर्गीय झाला साहब ने बनाई थी। प्रेमपुरा गांव के पास से सूरतगढ़ ब्रांच में से एक नहर निकाल कर भाखड़ा के टेल एरिया को पानी देने का उस स्कीम में प्रावधान था। वह स्कीम भी आज ठण्डे बस्ते में पड़ी है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चारों-पांचों स्कीम हैं इन पर सरकार शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्य शुरू करवाये ताकि हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सके। और यह स्कीम कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है। आगे तो एक-एक एकड़ को पानी पहुंचाने के लिए बीस-बीस, तीस-तीस हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च करना पड़ता है, यहां तो ज्यादा से ज्यादा आठ-सात हजार मुश्किल से खर्च होंगे।

सभापति महोदय, हमारे जिले में वन विभाग के अन्दर मोटे रूप में धांधली हो रही है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अन्दर जितना वृक्षारोपण का कार्य हुआ है उसमें ज्यादातर धांधली हुई है। सभापति अभी बारह महीने पहले, मैं पूरा नाम तो नहीं जानता, एक डी. एफ. ओ. हनुमानगढ़ में लगे थे जिनका हाल ही में पन्द्रह-बीस दिन पूर्व स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र हो गया। उस डी. एफ ओ ने काफी सुधार करने का प्रयास किया और मौके पर जाकर प्लांटेशन वगैरह जो भी है वह देखा। जिन रेंजरों ने गलती की, उनके खिलाफ कार्यवाही की, और उनको सजा देने की तैयारी हुई।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

इतने में उस रेंजर ने जो हनुमानगढ़, गंगानगर जिले का रहने वाला था, राजनीतिक लोगों से मिलकर वोटों का दबाव दिखाकर जांच तो दूर रही उस डी. एफ. ओ. का स्थानान्तरण वहां से करवा दिया। इसमें सहयोग में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा परन्तु हैं हमारे ही माननीय सदस्य और सरकार में मंत्री भी हैं। तो इस तरह के जो अधिकारी काम करने वाले हैं उनको अगर रेंजर के कहने से, फोरेस्टर के कहने से या गार्ड के कहने से सजा मिलेगी तो कौन व्यक्ति काम करेगा? सभापति महोदय आप ताज्जुब करेंगे कि कागजों में तो पेड़ लगा रखे हैं, परन्तु मौके पर आप जाकर देखेंगे तो 30 प्रतिशत पौधे जीवित नहीं मिलेंगे। उन्हीं खड्डों में पुन: वृक्ष लगाये जाते हैं। पैसा खर्च हो जाता है, फर्जी मस्टरोल भरते हैं। यह कोई अभी कमी हुई है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह धांधली तो वर्षों से चल रही है। इसमें कुछ-न-कुछ सुधार जरूर हुआ है परन्तु जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में जो डी. एफ. ओ. लगे हुए थे उनके नीचे जितने भी रेंजरों के खिलाफ जो कार्यवाही अधूरी पड़ी है उसकी जांच करवाएं और दोषी जो रेंजर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा पशुपालन विभाग में भेड़-ऊन पर भी सरकार ने हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रावधान बना रखा है। खर्च भी होता है, परन्तु नस्ल सुधार, दुधारू पशु गांवों में उपलब्ध करवाने की सरकार की योजना है उसमें जिस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वह बढ़ोतरी नहीं हुई। यह नस्ल सुधार कार्यक्रम ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रह जाता है।

वर्षों से सरकार प्रयास कर रही है कि गांवों के अन्दर असली, अच्छी किस्म के सांड होने चाहिए परन्तु गांवों में अभी तक अच्छी किस्म के सांड उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, हर गांव में आपको आधे अमरीकन, आधे राठी, आधे हिसारी इस तरह के सांड मिलेंगे, जिससे नस्ल सुधारना तो दूर की बात उलटे नस्ल बिगड़ती है। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, पशुपालन विभाग द्वारा गांवों के अन्दर अच्छी किस्म के सांड उपलब्ध करवाये जाएं ताकि नस्ल में सुधार हो सके। नस्ल में सुधार होगा तो पशुओं को काश्तकार आवारा नहीं छोड़ेंगे, जो दुधारू पशु होगा उसको काश्तकार आवारा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ-साथ हमारा यह जो सीवेज वाला इलाका है यहां अगर मौके पर कोई काम है तो सिर्फ भेड़-बकरी पालने का काम ही है तथा सेम के एरिये में जो घास हैं वह खाने से भेड़-बकरियां मर जाती हैं। अत: सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भेड़ बकरियों को महीने के अन्दर एक बार अगर दवाई पिलवा दी जाए तो भेड़-बकरियां नहीं मरती हैं और वे सेम के अंदर जो घास पैदा होती है वह खाकर अपना पेट भर सकती हैं। वहां के जो निवासी हैं उनके लिए एक रोजी-रोटी का साधन हो सकती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आकर्षित करूंगा कि सेम के एरिये में विशेषकर अच्छी नस्ल के मिंडे, बकरे वहां के ग्वालों को उपलब्ध करवाएं ताकि नस्ल में सुधार हो सके ।

सभापति महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पेट्रोल, डीजल, ईंट और पेस्टिसाइड्स की जितनी भी दवाइयां हैं वे पंजाब और हरियाणा से लोग खरीदकर लाते हैं । इससे राजस्थान को एक तो बिक्रीकर नहीं मिलता है और व्यापारियों को भी लॉस होता है, बिक्री नहीं होती है । इसका कारण है कि हमारे यहां पेट्रोल, डीजल, खाद, पेस्टिसाइड्स और ईंट पर टैक्स ज्यादा है । तो, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह जो वर्तमान टैक्स पैटर्न है वह हरियाणा और पंजाब के बराबर लाया जाए ताकि हमारे राजस्थान के लोग पेस्टिसाइड्स खाद, पेट्रोल, डीजल वगैरह बाहर हरियाणा और पंजाब से खरीद कर न लाएं । इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और बिक्री बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर घरों में कोई काश्तकार या गांव का निवासी कोई कनेक्शन लेना चाहे तो 10 चक्कर ए. ईएन./जे.ई.एन. के कार्यालय के लगाने पड़ते हैं और कनेक्शन फिर भी नहीं मिलता है । वहां जो हैल्पर वगैरह गांव में नियुक्त किए हुए हैं उनको वह सौ-दो सौ रुपये दे दे तो वह कनेक्शन करवा ले नहीं तो कनेक्शन के लिए 12-12 महीने तक लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं ।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बीमारी है गांवों के अन्दर, जैसे पहले लोगों के पास इतना पैसा उपलब्ध नहीं था इसलिए अपनी जो रहने की जगह थी या लकड़ी, गोबर डालने की जगह थी वहां बाड़ कर लोग नोहरे बनाते थे । मकान उस समय नहीं बना हुआ था परन्तु उसका कब्जा था । उन नोहरों के ऊपर से बिजली की लाइन निकल गयी । लाइन निकालते वक्त उस आदमी को यह ध्यान नहीं था कि कल को वह यहां मकान बनाएगा और मकान बनाने के बाद यह खतरा पैदा हो जाएगा । वे लोग आज लाइन शिफ्ट करते हैं । जगह पड़ी है, जगह नहीं हो तो भी सरकार कोई पोल किसी के मकान के ऊपर नहीं लगा सकती परन्तु जहां जगह उपलब्ध है वहां तो लाइन शिफ्ट होनी चाहिए । सरकार ने जो शिफ्टिंग फीस जमा करवाने का प्रावधान वर्तमान में रखा है इसको हटाया जाए ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में आप जब से मंत्री बने हैं तब से बहुत सुधार हुआ है । पूर्व में तो बहुत ज्यादा धांधली थी परन्तु अब भी कई गलत इंजीनियरों के कारण काम की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह नहीं है । उदाहरण के तौर पर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो-तीन रोड नयी बनी हैं, दो-तीन की मरम्मत हुई है । एक रोड तो है रांइयावाली से ठुकराना जो नयी बनी है । 10-12 किलोमीटर तो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बनने से पहले ही टूट गयी और जगह-जगह एक-एक फीट छः छः इंच के खड्डे पड़े हुए हैं। अभी तक रोड का कार्य चल रहा है, निर्माण पूरा नहीं हुआ है परन्तु पूरा का पूरा पैसा ठेकेदार डकार गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा चोह-लावाली तक रोड की दुबारा मरम्मत का काम हुआ है। 7–7, 8–8 फीट फ्रेम का इलाका है, वहां ऊपर उठाकर दुबारा बनाने का पैसा मंजूर हुआ था। वह पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया और रोड का अभी तक लेवल भी नहीं पड़ा है, चौड़ाई भी नहीं बढ़ी। मैंने पता किया तो पैसा पूरा का पूरा ठेकेदार ने उठा लिया। इसी तरह से गांव मैरूंश्री से लेकर 6 एच. एच. तक मरम्मत का काम हुआ था उसमें कम से कम 8–9 लाख रुपये खर्च हुए हैं, 2–3 किलोमीटर रोड है। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि ऊंट गाड़ी में कंक्रीट डालकर और एक कुटाई करने वाला होता है दुरमट सा उससे छोटे-छोटे खड्डों में रोड़ी डालकर ऊपर उस दुरमट से कूट कर और पीछे से गरम करके लूप थोड़ी–थोड़ी डाल दी। पूरा का पूरा पैसा लिया। यह कोई 4–5 गांवों की बात है। बाकी दूसरी जगह कार्य अच्छा है, गुणवत्ता है, सुधार भी आया है। माननीय मंत्री महोदय इस मामले में सख्त हैं इसलिये मैं आशा करता हूं कि मैंने जो रोड बतायी हैं इनकी माननीय मंत्री महोदय अवश्य जांच करवाएंगे।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि स्वास्थ्य उप केन्द्र और प्राथमिक चिकित्सालयों का जो बजट में प्रावधान रखा है इनकी संख्या बढ़ायी जाए। गांवों के अन्दर आज लोगों को चिकित्सा के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार हमारे लिए ही कर रही है, सरकार कोई अपने लिए नहीं कर रही है। जो आर.एम. पी. डाक्टर हैं गांवों में लगे हुए उनके ऊपर सरकार ने सख्ती की है। उन लोगों ने कई जगह लोगों की आंख भी फोड़ दी है, नुकसान भी कर दिया है। परन्तु आर.एम.पी. डाक्टर जो हैं उनमें कुछ लोग भले भी हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। आजकल, सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि डाक्टर तो अपने हाथ से बहुत कम काम करता है। वह तो बाकी पैन चलाता है या जांच का जो चार्ट है उसके मुताबिक दवाई देता है। गांवों के अन्दर जांच के कोई उपकरण नहीं हैं और कोई उप केन्द्र नहीं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। छोटी-छोटी बीमारी, जुकाम है, मलेरिया बुखार है या किसी के चोट लग गयी अचानक तो टिटनेस का जो टीका लगाना है उसके लिए बाहर नहीं जाते गांवों के लोग। ठीक है, कुछ गलत आदमी हैं, जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है, दो दिन किसी डाक्टर के पास रहा और वह डाक्टर बन गया परन्तु मैंने देखा है कि कुछ आर. एम. पी. डाक्टर डिग्री वालों से भी बढ़िया हैं। सभापति महोदय, मोटे रूप में, सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य उप केन्द्र और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में 200–300 तो स्वास्थ्य उप केन्द्र होने चाहिए और 100 स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए।

(107)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, महिला बाल विकास में भी सरकार ने बजट के अन्दर काफी प्रावधान रखा है परन्तु मौके पर कांग्रेस के जमाने की जो प्रवृत्ति पड़ी हुई है अधिकारियों की उसमें अभी तक 50 प्रतिशत सुधार हुआ है, अब भी इसमें मोटे रूप में धांधली हो रही है। सभापति महोदय, मौके पर अगर जाकर देखें तो ये कागजों में ही महिलाओं और बालकों का विकास करते हैं। मैं मेरे जिले की मेरी जानकारी के अनुसार निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली है। मानिटरिंग कर इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। सभापति महोदय, पिछले 6–7 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र का जितना विकास हुआ है उतना पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ। चाहे स्कूल भवन हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे सामुदायिक केन्द्र हो, रोड का काम हो, सभी तरह के विकास के काम बहुत ज्यादा हुए हैं। सभापति महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र दो जिलों में है, आधा क्षेत्र तो पड़ता है गंगानगर जिले में और आधा है हनुमानगढ़ जिले में। गंगानगर जिले में जो क्षेत्र पड़ता है उसमें तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है और हनुमानगढ़ जिले में जो क्षेत्र है उसमें सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि बहुत ही कम विकास हुआ है, मतलब 25 प्रतिशत ही दूसरे क्षेत्र के बनिस्पत विकास नहीं हुआ है। इसमें कुछ तो मार, मंत्रीजी बैठे हैं हमारे जिला हैडक्वार्टर पर उन्होंने कर दी। जिले का इतना फायदा तो है कि वह जिला हैडक्वार्टर पर बैठते हैं इसलिए कुछ न कुछ वह मेरे क्षेत्र का बजट अपने क्षेत्र में खर्च करने की कोशिश करते हैं। बचा–खुचा भादरा आ जाता है, और फिर भी थोड़ा बहुत बचे तो माननीय गुरजंट सिंहजी भी प्रयास करते हैं। तो मेरे ऊपर जो यह मार पड़ रही है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इसमें मेरा संरक्षण किया जाए और मेरे इलाके का विकास किया जाए।

सभापति महोदय, विकास के मामले में वर्तमान में जो पैटर्न है, विकास के सारे के सारे काम कलेक्टर अपनी मनमर्जी से करवाते हैं। सभी माननीय सदस्यों की राय है, इससे सारे सहमत हैं कि पंचायत समिति या जिला स्तर पर जो भी बैठकें होती हैं उनमें विधायकों के सुझाव के मुताबिक ही अगर निर्माण कार्य होते हैं तो गांव के लोगों का ज्यादा फायदा होगा। सभापति महोदय, कलेक्टर को यह पता नहीं है कि कौन से गांव में किस चीज की आवश्यकता है। वे तो बजट आता है और बजट आने पर यहां आंकड़े देखते हैं कि कितना खर्च हो गया, कितना शेष है और शेष जो बच गया उसकी एक ही दिन में बैठकर करोड़ों रुपयों की स्वीकृतियां जारी कर देंगे। जो ग्राम सेवक हैं, बी डी ओ हैं उनसे पूछ-पूछ कर लिस्ट ले लेंगे। यह ध्यान नहीं रहता उस समय कि इस चीज की गांव में जरूरत है या नहीं है। तो सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि जो जन प्रतिनिधि हैं उनकी राय भी थोड़ी बहुत विकास के काम में मानी जाए। अभी वर्तमान में ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं मानी जाती परन्तु जिस तरह से पूर्व में मानी जाती थी उस तरह से नहीं मानते तो कार्य में भी सुधार होना चाहिए।

(श्री अमराराम चौधरी)

कुम्भिश, सरस्वती वगैरह कई योजनाएं प्रारम्भ कर रहे हैं। बात तो सही है कि लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन जब तक गांव में और पंचायत मुख्यालयों पर सैकण्डरी स्कूल नहीं होगी या दो पंचायतों के बीच में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं होगी तब तक जो हम शिक्षा का काम कर रहे हैं वह काम अधूरा रहेगा। सही मायने में साक्षरता तभी होगी जब हमारे गांव की बालिकाएं दसवीं पढ़ें। दसवीं स्कूल नहीं है तो कहां 60 किलोमीटर जाकर, कहां होस्टलों में रह कर, किसके यहां रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करेगी? सरकार इसके प्रति सहानुभूति भी रखती है कि ढाणियों में स्कूलों के लिए छूट दी। सही दी, लेकिन सैकण्डरी स्कूलें जो देने एक क्षेत्र के अन्दर तो भी, इतने पीछे रहे हुए हैं स्कूलों में कि हम बराबरी नहीं कर सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए दो पंचायतों के बीच में कम से कम एक सैकण्डरी स्कूल हो मेरा यह निवेदन है, सुझाव है। करना सरकार के हाथ में है।

इसके अलावा जो आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दे रहे हैं वे 15 हैं। पिछले साल भी हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में दिये जरूर हैं–उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अभी आप बताइये कि हीरा की ढाणी जो मेरा क्षेत्र है उससे बायीं तरफ जाकर, संथरा में नहीं है, नैनोड़ा में नहीं है, बरवाया में नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां दूर-दूर हैं। प्रयु में नहीं है, कोषसर में नहीं है। ऐसे जहां 10-10, 15-15 किलोमीटर हमारी पंचायत दूसरे से दूर है वहां पर अगर पी. एच. सी. और नहीं करेंगे, तो यह संख्या आपको कम दी। जब आप यह वितरण करेंगे तो हमारे कम से कम प्रयु में दें। हमारे मंत्री महोदय गंगारामजी पधारे थे प्रयु में, वहां आंखों का कैम्प था, आपने उसका उद्‌घाटन किया था। उस समय आपने यह फरमाया था कि प्रयु में एक पी. एच. सी. हो जायेगी। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजे हैं, प्रयु के अन्दर हमारे मंत्रीजी ने कहा था कि आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि प्रयु में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र जो 150 हैं, इनकी संख्या में भी आप वृद्धि करें।

(15.00)

मेरा एक निवेदन यह है कि नागौर के अन्दर मालपुरा में बालिकाओं के महाविद्यालय आपने खोले हैं, इससे वाकई में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मेरे बालोतरा में, जुडीशियरी का जिला है, कोई भी जज स्थानान्तरण करवाता है तो देखता है कि वहां महाविद्यालय है कि नहीं है। महाविद्यालय हो गया, इसके लिए तो उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारे वहां का कस्टम ऐसा है कि जो शादीशुदा लड़की है वह दसवीं और बारहवीं के बाद लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकती है। बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, तो जब बारहवीं, तेरहवीं या फर्स्ट ईयर में आती हैं तो लड़कियों की उम्र अधिक होती। बालोतरा और जसोल/बालोतरा के आसपास किटाला, समदड़ी वगैरह इतना बड़ा एरिया है कि वहां ढाई-

(श्री अमराराम चौधरी)

तीन सौ लड़कियां वर्तमान में लड़कों के साथ कॉलेज में पढ़ रही है यह संख्या और बढ़ेगी। बजट में बालोतरा के अन्दर कन्या महाविद्यालय नहीं है लेकिन मैं सरकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी से, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बालोतरा के अन्दर एक कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। ऐसे दानदाता हैं जिनकी इच्छा है कि कन्या महाविद्यालय के लिये भवन वे तैयार कर कर देंगे और जो भी कण्डीशन सरकार रखेगी, वहां के लोग वह मानने के लिए तैयार हैं। बालोतरा के अन्दर कन्या महाविद्यालय के लिए इस साल के बजट में उल्लेख नहीं है, मैं चाहूंगा कि फिर भी इस पर पुनर्विचार करके सरकार खोलने की कृपा करे।

मैं आज अखबार में गैस बिजली के बारे में पढ़ रहा था, रामगढ़ में हमारा गैस आधारित जो विद्युत गृह है उसमें 13 करोड़ यूनिट के लिए आप योजना बना रहे हैं। हमारा बाड़मेर लास्ट छोर का जिला है, पिछली बार कोटा से बिजली मिलती तो हमारे काश्तकार रुक जाते। लेकिन आपने रामगढ़ गैस विद्युत गृह से बिजली हमें उपलब्ध करायी जिससे बिजली का वोल्टेज थोड़ा ठीक आया, 6 घण्टे और 8 घण्टे बिजली हमें मिलती रही। हालांकि वह बिजली कम थी, फिर भी दूसरे क्षेत्रों में बार-बार जो ट्रिपिंग होती थी वह इतनी नहीं हुई। आप शीघ्र इस योजना को पूरा कराएं ताकि हमारे काश्तकारों को भविष्य में भी वहां पूरी बिजली उपलब्ध हो सके।

जहां तक पेयजल का सवाल है, हमारे यहां बालोतरा नगर में पिछली बार करीब साढ़े सात करोड़ रुपये की योजना बनी तथा स्वीकृत हुई। काम प्रगति पर है। हमारे जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री विराजे हैं, जिन्होंने शिलान्यास किया था, वह कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में, हमारा जो इन्टीरियर रेगिस्तानी इलाका है, जैसे बायतू क्षेत्र है, वहां भी करीब करोड़ों रुपये का काम पानी के लिए हो रहा है। सरोड़ी गांव है, माननीय मंत्रीजी, कभी आप जोधपुर से आते हैं तो बीच में आता है। चाहे हमारे राजस्व मंत्री जाते हैं, चाहे साक्षरता का कोई झूंपा तैयार होता है सो उस गांव में होता है। जब उस गांव में जाते हैं तो एक बात आती है कि वहां पानी नहीं है। पानी सरोड़ी पुरोहितान से आ रहा है, वह पूरा पहुंचता भी नहीं है। वहां उनकी मांग है और योजना भी बना दी है। वह भेवरी 8 किलोमीटर दूर है, आप एक लाइन लगवा दीजिए। केवल लाइन बाकी है, कोई होद नहीं बनाना है, कोई पम्पिंग नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है। हम आपको श्रमदान भी करवा देंगे, आप सिर्फ पाइप लाइन लगवा दीजिए। वर्षों की हमारी किल्लत दूर हो जाएगी। यह सरोड़ी की बात है। पाटोदी की बात यह है कि पाटोदी में बिठूजा से पानी जा रहा है। कोडूका में 2 ट्यूबवैल हो गये, छह किलोमीटर पाइप लाइन लगानी है। आप सीधी लगा दें तो पाटोदी में कम्पलीट पानी पहुंच जाएगा, लोगों को कोई किल्लत नहीं रहेगी। तो ऐसे छोटे-छोटे काम हैं, उनको आप अतिशीघ्र कराएं, यह मेरा निवेदन है।

(श्री अमराराम चौधरी)

इस बजट के अन्दर माननीय वित्त मंत्रीजी ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हम काश्तकारों को ट्रोली चश्मों व अन्य चीजों पर कर कम करके जो राहत दी, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सड़कों के बारे में खास तौर से मेरा निवेदन है कि आपने सड़कें बनाने के बारे में अब 4200 किलोमीटर का प्रावधान रखा है। पहले यह 4000 किलोमीटर था। यह बहुत अच्छी नीति है कि हजार की जनसंख्या अब हो, या पंचायत मुख्यालय हो, लेकिन हमारा बाड़मेर कुछ अलग टाइप का है। हमारे गांव तो ढाणियों में बसे हुए हैं और गांव में घर मिलेंगे 2–2 और जो गांव पहले रेवेन्यू विलेज बन गया, वहां 3 घर मिलेंगे या 10 घर मिलेंगे। फिर आप उसको जोड़ भी देंगे तो वह इस किनारे पर है और सारी आबादी उस तरफ, मतलब छोटे-छोटे गांव बने हुए हैं। उनमें स्कूल भवन बनाने के लिए हम पत्थर नहीं ले जा सकते है, कोई ग्रेवल रोड नहीं है। ऐसे गांवों के लिए आपको इस सड़क नीति में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप करेंगे तो वाकई में बहुत विकास होगा। यानि, आज पचास साल बाद में लोग यही चाहते हैं कि हम आराम से अपने घर पहुंच जाएं, खाने-पीने की सामग्री हम आराम से अपने घर ले जा सकें।

पानी के लिए तो हम टांके बना देंगे। अब नल की व्यवस्था हो गयी। अगर नल की व्यवस्था नहीं तो हम एक–एक टांका तो बनाते ही हैं, जो ढाणियों में रहते हैं। आप कभी भी हमारे गांव में आइये सबसे पहले मनुहार होगी वह पानी की होगी। पानी की इतनी कमी होते हुए भी पानी की मनुहार होती है। मिनरल वाटर आप यहां बोतलों में पीते हैं लेकिन टांकों का वह मिनरल वाटर कभी खराब होता ही नहीं है, ऐसे टांके उस बालू रेत के अन्दर बने हुए होते हैं। वह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जहां पानी नल से जा रहा है वहां नल से जाए। लेकिन इसके साथ-साथ जो काश्तकार अच्छी तरह से टांके बना सकें, उन ढाणियों में भी सरकार की ओर से टांकों के लिए मदद दी जानी चाहिये। पहले दी है, बहुत दी है, बहुत से टांके बने हैं, कोई कमी नहीं रही है लेकिन बहुत-सी जगह ऐसी मांग है। सार्वजनिक टांके कभी सफल नहीं होगें, यह मेरी मान्यता है। माननीय सभापति महोदय, अगर आप कहीं भी सार्वजनिक टांके बनाएंगे जब बरसात होगी तो उसकी ताली को कौन साफ करेगा? कौन उस पर किवड़िया लगाएगा? कौन उस पर चारों तरफ बाड़ लगाएगा? कोई नहीं करेगा। और स्कूल के बच्चे जाते समय उसमें दो–चार पत्थर और डाल देंगे। कोई ग्वाला आयेगा तो कुल्हाड़ा लेकर वह उसको तोड़ देगा। सार्वजनिक टांके मेरे एरिया में बहुत पहले बने थे, वे सार्वजनिक टांके कोई सफल नहीं हुए हैं। उनका कोई रख–रखाव नहीं है। आपने इस बजट के अन्दर बच्चों के लिए स्कूलों में जो पानी की व्यवस्था का प्रावधान रखा है बहुत अच्छा है। आज हमारे प्राइमरी स्कूलों में जहां टांके नहीं हैं, पानी मीठा होगा तो सम्भव है कि स्कूलों में हैंडपम्प हो जाए लेकिन टांके हो जाएंगे तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक कांच की बोतल भर कर ले जाते हैं। वहां

(श्री अमराराम चौधरी)

बैठे रहते हैं धूप में, वह पानी गर्म हो जाता है, उन्होंने थोड़ा बहुत पी लिया तो ठीक है। मास्टरजी के लिए भी तो पानी नहीं मिलता है, फिर वे बच्चे उसमें से थोड़ा मास्टरजी को पिला देते हैं। इसलिए हमारा बैकवर्ड एरिया है उसमें यह व्यवस्थ आपने खासतौर से की । अब यह सारा पैसा आप लगाओ कि जहां पानी है वहीं होना चाहिए जहां पानी वाकई में नहीं है वहां टांके बन सकते हैं। स्कूलों के अन्दर टांके बनवायें और टांके भी बहुत अच्छे बनें। एक जो आपने इसमें छूट दी है कि मैटीरियल कास्ट और श्रम के लिए पचास-पचास प्रतिशत होगा, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये काम जो सारे स्कूलों वगैरह के हुआ करते थे, फर्जीवाड़ा करना पड़ता था, लोगों को गलत मस्टररोल भरना पड़ता था क्योंकि 60 और 40 के रेशों से काम पूरा हो ही नहीं सकता। यह बिलकुल स्पष्ट था और उस फर्जीवाड़े के नाम से फिर ज्यादा फर्जीवाड़े करने पड़ते थे। करते रहे लोग। पैसा अगर हाथ में आ जाये तो नैचुरली कुछ न कुछ करेगा इसलिए हमारे लोग बदनाम होते थे। वे अब बदनाम नहीं होंगे, इसके लिए आपको, सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति** : माननीय श्री भवानीजी जोशी।

**श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)** : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में वित्त मंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत 1997–98 के आम बजट पर चर्चा हो रही है जिसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपनी बात रखता हूं। सर्व प्रथम माननीय मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री भाभड़ाजी को बधाई देता हूं कि यह बजट किसानों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के विकास का माध्यम बनेगा, विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होगी। गरीबों को श्री गणेश मानकर माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने अन्त्योदय योजना चालू की थी, निश्चित इसमें पूर्व में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को सफलता मिली है और निश्चित ही इस बजट से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचेगा, महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों को सम्बल मिलेगा। पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, लोक-जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति, उस दृष्टि से भी इस बजट में काफी सफलता मिलेगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस बजट में जनजाति के क्षेत्र के व्यक्तियों को जो 45 प्रतिशत आरक्षण दिया, उसके लिए, माननीय वित्त मंत्रीजी, बहुत-बहुत बधाई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति में मासिक वृद्धि की है।

**श्री कालीचरण सराफ** : सभापति महोदय, कोरम ?

**श्री भवानी जोशी** : यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जिससे ग्राम छात्र पढ़ने में और आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। जो करों में रियायत दी गई है उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत बधाई। हमारे बांसवाड़ा जिले के लिए भी इस बजट में भी कुछ प्रावधान होना चाहिए था, जनजाति क्षेत्र है। न रेल सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, न सड़कों से जुड़ा हुआ है, न वायु सेवा से

(श्री भवानी जोशी)

जुड़ा हुआ है। ऐसे क्षेत्र को किस दृष्टि से आगे लाएं, राज्य सरकार की यह मंशा होनी चाहिए थी। कई वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र से ही आन्दोलन हुआ था कि बांसवाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ो, तो तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने आश्वासन दिया था लेकिन वह जिला आदिवासी बहुत होने के बावजूद भी आज तक रेल सेवा से नहीं जुड़ा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि हमें रेल से भले ही नहीं जोड़ें लेकिन हमें नेशनल हाईवे रोड से जोड़ा जाए। इसके लिए चित्तौड़ तक तो बढ़िया रोड है और चित्तौड़ से लगाकर प्रतापगढ़ वाया छोटा डूंगरा अगर मिला दिया जाए तो यह रोड अच्छी बन सकती है और वहां के लोगों का उत्थान हो सकता है। राष्ट्रीय मार्ग से हमें जोड़ा जाए।

डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए महिला थाने खोले जाएं। एस. टी. और एस सी. कोर्ट खोली जाए। लेकिन इस बजट में बांसवाड़ा जिले के लिए कोई अतिरिक्त बजट देने का या कहीं पर भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ी माही सागर ब्रिज परियोजना है, इस परियोजना में डवलपमेंट करने के लिए काफी प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि पिछले दो वर्षों से इसमें निरन्तर बिखराव आता जा रहा है, विभाग तोड़े जा रहे हैं, पद समाप्त किये जा रहे हैं। इस परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार की यह मंशा रहती है कि माही का पानी सागवाड़ा और डूंगरपुर तक पहुंचे लेकिन अगर बजट में प्रस्तावित नहीं किया गया, अधिक बजट नहीं दिया गया तो यह माही का पानी न डूंगरपुर पहुंच पाएगा, न सागवाड़ा पहुंच पाएगा और जो बना हुआ है उसमें भी अत्यन्त बिखराव आने की सम्भावना है। तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दिये जायें कि बांसवाड़ा के माही के लिए अधिक से अधिक बजट प्रस्तावित किया जाये। उस क्षेत्र में कई जगह पी.एच.सी. नहीं हैं, सब सेंटर नहीं हैं, अच्छे हास्पिटल नहीं हैं। अतः चिकित्सा के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने लिए चिकित्सा में भी अधिक से अधिक बजट देने की आवश्यकता है। बजट हमने पढ़ा है और समाचार पत्रों में भी इस बजट की सभी लोगों ने तारीफ की है। स्वतन्त्रता सेनानी लोगों की पेंशन में भी इस बजट के माध्यम से बढ़ोतरी की गई है, राज्य सरकार को मैं बधाई देता हूं और यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। माननीय श्री राकेश मेघवाल। (अनुपस्थित) श्री अमरचन्द मिड्ढा।

**श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, कल जो बजट पेश हुआ यह सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया। इसके अन्दर मैं अपने कई सुझाव रखता हूं। इन्दिरा गांधी नहर आई है, इसके दो चरण बनाये गये-एक प्रथम और एक द्वितीय। द्वितीय चरण को बनाया गया है इसमें खालों की कीमत माफ है और जो प्रथम चरण है

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

सिर्फ गंगानगर जिला उसमें आता है । इसमें खालों के पैसे देने पड़ेंगे । काश्तकारों के नोटिस निकल रहे हैं, कुर्कियां निकल रही हैं । कई दफा आश्वासन भी मिले, परन्तु अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ और न ही इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान रखा गया है । इस तरह के काश्तकारों की बड़ी बुरी हालत है, इस वास्ते सरकार से आपके द्वारा प्रार्थना है कि इसका कोई न कोई निपटारा करें । मुख्य मंत्रीजी हमारे चुनावों में गये थे, वे वायदा करके गये थे और यहां पर भी एक दफे कहा था, परन्तु उसका अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है ।

दूसरा यह है कि गंगानगर जिले में जब इन्दिरा गांधी नहर आई थी तो राजस्थान के हरेक जिले को जमीन आवंटित हुई थी । अब यह बीकानेर और जैसलमेर जिले के अन्दर है, मेरी यह प्रार्थना है कि इन लोकल रहने वाले लोगों को जमीन अलाट करके उसके बाद जो जमीन बचे वह गंगानगर जिले के भूमिहीन काश्तकारों को देनी चाहिए । स्पेशल अलाटमेंट में नहीं देकर भूमिहीन काश्तकारों को ही जमीन दी जाए तो यह न्यायसंगत बात होगी ।

तीसरी बात जंगलात महकमे के बारे में कहना चाहूंगा । कई-कई आबादियां चारों तरफ जंगलों से घिर गई हैं और गांवों में जाने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए काश्तकार बहुत दुखी हैं । अगर कोई स्कीम निकालकर, गवर्नमेंट को सेण्टर से मंजूरी लेनी पड़े, कुछ भी हो, सोलह–साढ़े सोलह फुट की सड़क निकलवा दी जाए तो काश्तकार को इससे बहुत लाभ मिल सकता है । काश्तकार लोग बहुत दुःखी हैं ।

शिक्षा विभाग में जिस तरह से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत पंचायत हैडक्वार्टर पर मिडल स्कूल बन जाता है और प्राइमरी के लिए ढाई सौ या डेढ़ सौ की जनसंख्या रखी गई है इसी तरह से

(15.21)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी कोई न कोई नीति बनानी चाहिए । नहीं तो बीस-बीस, पच्चीस पच्चीस साल जो मिडल स्कूल हैं वे आज तक मिडल स्कूल ही है । एक-दो स्कूल बड़ी मुश्किल से एक विधान सभा क्षेत्र को मिलते हैं, इससे बीस-तीस साल तक भी ये पूरे होने वाले नहीं हैं । इसलिए जनसंख्या के हिसाब से स्कूल आबंटन करने चाहिए ताकि इससे लोगों को लाभ मिल सके और गांवों में भी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके ।

विद्युत की स्थिति यह है कि 1985 में जिन गांवों को विद्युतीकृत किया गया था अभी तक उनमें बिजली सप्लाई नहीं हुई है। अगर कागजों में बिजली दे दी गयी है तो इसके विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता परन्तु मौके पर कोई बिजली नहीं दी गई है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इन गांवों को बिजली दें । एक

(श्री अमरचन्द मिड्ढा) —

पंचायत समिति में आठ गांव देते हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र लगभग 250 किलोमीटर लम्बा और इतना ही चौड़ा हैं। राजस्थान में करीब 6000 गांव है जिनमें जिनमें 800 मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, इस रश्यों से गांवों के अन्दर बिजली दें। इस रेशों से बांटकर इनको बिजली देना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

चिकित्सा विभाग में जो प्राइमरी सेंन्टर दिये गये हैं ये बहुत कम हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो गिनती के ही अस्पताल हैं इसलिए वहां अधिक से अधिक अस्पताल खोले जाएं जिससे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

जंगलात महकमे ने काश्तकारी की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। मैं मंत्रीजी को कई पत्र भी लिख चुका हूं और विधान सभा में एक–दो बार प्रश्न भी किया कि जो काश्तकार की जमीन पर जंगलात विभाग का कब्जा है उसको लेटर लिख कर रेवेन्यू विभाग को भेजकर छुड़वाएं ताकि वे अपनी जमीन पर काश्त कर सकें। वे डरते हैं, जमींदार उसमें जाते नहीं और ये अपने आप खाली करते नहीं, इस वास्ते सरकार की ओर से लिखकर जंगलात विभाग से जमीन को खाली करवाया जाए।

गंगानगर में खारे पानी की स्कीम है। हमारे यहां नीचे का जितना भी पानी है वह खारा ही है। गंग कैनाल के अन्दर कम से कम से कम 100 चक हैं इनको पी. एच.ई.डी. के हिसाब से इससे जोड़ा जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टीबा क्षेत्र है, आधी तहसील सूरतगढ़ में मेरे हिस्से में आती है और आधी पीलीबंगा क्षेत्र में आती है। इसके अन्दर न सड़क है न बिजली है और न पीने को पानी है, इसमें फोर बाई फोर गाड़ी का जाना भी बहुत मुश्किल है इसलिए इस क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा जाए। इस क्षेत्र में बिजली भी दी जाए ताकि जो पानी सप्लाई होता है वह बिजली से सप्लाई हो सके। इंजनों से सप्लाई करते हैं उसमें कर्मचारी तेल बेच देते हैं और इंजन चलाते नहीं, गर्मी में लोग पानी के लिए हाहाकार करते हैं। इसलिए पी. एच.ई.डी. और बिजली विभाग दोनों को मिल कर पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को पानी मिल सके।

जो सड़क नीति बनायी गयी है इसके अन्दर एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को या पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ते हैं। एक किलोमीटर के अन्दर भी कोई गांव रह जाता है। मैंने मंत्रीजी से पहले भी यह प्रार्थना की थी और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि एक किलोमीटर–डेढ़ किलो-मीटर से जो गांव सड़क से जुड़ने से रहे हुए हैं उनको नीति बदल कर या इसको रख कर जोड़ा जाए ताकि लोगों को राहत महसूस हो सके। इन गांवों को सड़क से जोड़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था कि 700–800 गांव ऐसे हैं जहां पर श्मशान घाट नहीं हैं। श्मशान घाट की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जो अधिकारीगण आये वे श्मशान घाट की जमीनें भी बेच कर चले गए। अगर गांव

(श्री अमरचन्द मिढ्ढा)

वालों के यहां पर कोई मौत हो जाती है तो उस लाश को कहां लिये फिरें ? सरकार को श्मशान घाट की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इस वक्त सिचाई मंत्रीजी बैठे हैं । हमारे यहां पर अगर पानी नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी, खतम हो जाएंगी । कल से कम से कम 50–60 टेलीफोन मेरे पास आये हैं, मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी कोई न कोई व्यवस्था करें । अगर फसल को एक पानी लग गया तो गेहूं पैदा हो जाएगा, नहीं तो काश्तकार भी मारा जाएगा और सरकार का जो नुकसान होगा वह अलग बात है । इस वास्ते मंत्रीजी को व्यवस्था करनी चाहिए ।

हमारे जिले में 88 ग्राम पंचायतों की एक पंचायत समिति है जिसकी वजह से विकास भी बड़ा अवरुद्ध होता है । इस वास्ते इसके टुकड़े करने चाहिए । पिछली बार मीटिंग हुई थी तो सी. एम. साहब ने यह वादा भी किया था । एक यह और एक हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में 122 पंचायतें हैं और मेरी पंचायत समिति में 88 पंचायतें हैं । इनको छोटा किया जाए इससे विकास में भी गति मिलेगी और लोगों को सुविधा भी होगी । लोग सौ–सौ किलोमीटर चल कर पंचायत समिति के लिए आते हैं, तो यह बड़ा मुश्किल काम है इसलिए सरकार को यह व्यवस्था करना चाहिए । (व्यवधान)

**श्री टीकम चन्द कान्त** : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात काका ने कही है श्मशान घाटों के बारे में । श्मशान घाट सरकार बनाएं, यह सबसे बड़ी बात है ।

**एक माननीय सदस्य** : बहुत पते की बात पूछी है ।

**श्री टीकम चन्द कान्त** : हां, पते की बात पूछी है । श्मशान घाट में एक गांव के मुर्दे कोई दूसरे गांव में नहीं जलते ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मिढ्ढा जी, भाषण समाप्त ।

**श्री किशनाराम नाई** : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बोले हैं मिढ्ढा साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नरपत सिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति (क) 1996–97 समिति के तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

## समिति का प्रतिवेदन

## प्राक्कलन समिति (क) 1996-97 का चतुर्थ, पंचम् एवं षष्टम् प्रतिवेदन

**श्री नरपत सिंह राजवी** : (सभापति, प्राक्कलन समिति 'क') : उपाध्यक्ष महोदय, में सभापति, प्राक्कलन समिति (क) 1996-97 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :–

(I) आबकारी विभाग से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन,

(II) वाणिज्यिक कर विभाग विषयक प्राक्कलन समिति(क) 1994 95 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का पंचम् प्रतिवेदन, एवं

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(III) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग विषयक प्राक्कलन समिति (क) 1991–92 के द्वितीय प्रतिवेदन समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का षष्टम् प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

## आय-व्ययक 1997-98 पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) :** उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा।

भारत के इतिहास में से यदि राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो इतिहास में रिक्तता आ जाती है और राजस्थान के इतिहास में से भी मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो और ज्यादा रिक्तता आ जाती है। राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि वर्ष को प्रताप स्मृति वर्ष के रूप में मनाने का जो निश्चय किया है उसके लिए मैं तहे दिल से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। महाराणा प्रताप का नाम सुनकर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वीरोचित भाव व्यक्ति में भर जाता है। आजादी की लड़ाई के लिये, मेवाड़ की स्वतन्त्रता के लिये जिन्होंने जंगलों की खाक छानी, घास की रोटियां खायीं, जिनके नन्हे-मुन्ने बच्चे रोटी के अभाव में बिलखते रहे परन्तु महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे महापुरुष की 400वीं पुण्य तिथि के अवसर पर राज्य सरकार ने यह वर्ष प्रताप स्मृति वर्ष के रूप में मनाने का जो निश्चय किया है, यह निश्चय ही आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रीयता का भाव जगाएगा। जब तक हमें महापुरुषों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, उनकी त्याग और तपस्या के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब हम राष्ट्र भक्त पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप की समाधि में 113 लाख 50 हजार रुपये व्यय करके उसे भव्य रुप दिया जाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। जो व्यक्ति वहां जाएगा श्रद्धा से सिर झुकाएगा, निश्चित रूप से उसके मन में महाराणा प्रताप के बारे में भाव पैदा होगा। जो कुछ उसने महाराणा प्रताप के बारे में किताब में पढ़ा है वह उसकी आंखों के सामने एक चित्र के रूप में उपस्थित होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो न्यास बनाया जायेगा उसके लिये एक करोड़ रुपये का जो प्रावधान राज्य सरकार ने किया है यह बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार ने फील्ड मार्शल मानेक शा का महाराणा प्रताप स्मृति पुरस्कार के रूप में चयन किया है, यह भी अपने आप में एक गौरव देने वाली बात है। याद करें हम उस बंगलादेश के युद्ध को जब विश्व के इतिहास में (व्यवधान)

**श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) :** मुझे एक दोहा याद आ रहा है।

"माई ऐड़ा पूत जण, जेड़ा राणा प्रताप।<br>अकबर सूतो ओंचके जाणै सिरानै सांप।।"

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी :** माननीय किशनाराम जी ने दोहा कहा कहा–

"माई ऐड़ा पूत जण, जेड़ा राणा प्रताप।<br>अकबर सूतो ओंचके जाणै सिरानै सांप।।"

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

परन्तु हो क्या रहा है ? धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में जिस महाराणा प्रताप ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आप किताब उठा कर देखो तो एक पृष्ठ पर "स्वातंत्र्य वीर महाराणा प्रताप" और दूसरे पृष्ठ पर मिलेगा "अकबर महान"। "स्वातंत्र्य वीर महाराणा प्रताप' या "अकबर महान" यह चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। मैं निवेदन कर रहा था कि फील्ड मार्शल मानेक शा का इस पुरस्कार के लिये चयन किया। 90 हजार युद्ध बंदियों का समर्पण, यह अपने आप में एक इतिहास था, ऐसे व्यक्ति का चयन किया, मैं इसके लिए राज्य सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह 90 लाख था कि 90 हजार ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : 90 हजार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने अनेक नीतियां बनायी हैं। सड़क नीति, खनिज नीति, पर्यटन नीति कई प्रकार की नीतियां बनायी, हालांकि उनसे मन से हमारे विधायक सन्तुष्ट नहीं रहे। आज जब हमारा कार्य करने का अवसर आया, अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे यहां सड़क नहीं है और हमारे यहां यह नहीं है। जो असन्तुलित विकास कांग्रेस के शासन में हुआ उस असन्तुलित विकास को सन्तुलित करने के लिए ये नीतियां बनायी गयीं। हालांकि हमें नाराजगी होती है परन्तु जब समग्र राजस्थान का विचार करने बैठते हैं, सम्पूर्ण राजस्थान के विकास की परिकल्पना हमारे सामने होती है तो वोट नहीं देखे जाते। इसलिए राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति विकास में कैसे सहभागी बने, उसका जीवन स्तर कैसे उठे इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि बगैर किसी राजनैतिक भेदभाव के राजस्थान के समग्र विकास की कल्पना लेकर, अंत्योदय की कल्पना लेकर, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना लेकर इन्होंने इन तीन सालों में बजट दिये और नीतियां बनायीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की जो कमी हो रही है इसके बारे में बजट में जल संग्रहण की सरकार ने इच्छा व्यक्त की है। आज देखने में आता है कि आसमान से धरती पर पानी कम आता है और धरती का पानी भी सूखता जा रहा है। कुओं का जल-स्तर नीचे गिरता जा रहा है तो आने वाले समय में लोगों को पीने का पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो गयी। जो जल-संग्रहण की योजना बनायी है बहुत ही अच्छी योजना है और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि भविष्य की चिंता इन्होंने की है। मेरा इसमें एक सुझाव है। हमारे इधर बनास नदी बहती है, उस बनास नदी का जल-स्तर भी गिरता जा रहा है। उसमें जो लिफ्टें लगी हुई हैं उन लिफ्टों से जहां पहले चार-चार बार पिलाई कर लेते थे अब तो स्थिति यह हो गयी है कि दो बार की पिलाई भी नहीं होती है। उसका कारण यह है कि लिफ्टों में पानी का जल-स्तर बहुत नीचे जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जैसे मिट्टी के बांध बांधते हैं वैसे ही

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

यदि बनास में ट्रेंच खोदकर मिट्टी के बांध बांधे जाएं 15–20 फीट नीचे अण्डरग्राउण्ड तो निश्चित रूप से जल-स्तर बढ़ेगा। स्थानों का चयन करके यदि इस प्रकार की कार्यवाही की गई तो निश्चित रूप से उदयपुर से लेकर बीसलपुर तक जल-स्तर बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, वह भी यह देखें कि संसार में क्या हो रहा है, किस प्रकार का आचरण विधान सभाओं में रहा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बिना पढ़ा-लिखा भी देख रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : वह देख रहा है पर पढ़ नहीं रहा। वह तो टी. वी. आ गई है इसलिए उसमें देख लिया कहीं पर, लेकिन पूरे राजस्थान में उसका प्रसारण नहीं हुआ। कहीं प्राथमिक विद्यालय खोले गये, कहीं उच्चतर प्राथमिक विद्यालय खोले गये, कहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये, कहीं माध्यमिक विद्यालय खोले गये और कहीं कालेज खोले गये पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तय करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दर्शन है, भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को परम वैभव के स्थान पर लेकर चलने की कल्पना ले आयी है, शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, क्या लार्ड मैकाले की बाबूगीरी की इस शिक्षा को हम अब तक अपनाते रहेंगे ? क्या हमें यह नहीं लगता कि इस शिक्षा पद्धति में सुधार करना चाहिए ? आज ड्रिंक्स, ड्रग्स और डिस्को की संस्कृति आने वाली जवान पीढ़ी में बढ़ रही है। ड्रिंक, ड्रग्स और डिस्को का पहले तो कालेजों में ही प्रचलन था अब तो स्कूलों में भी आ गया है। संस्कार जायते मनुष्य, मनुष्य का जन्म संस्कार से होता है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है पर आज की जो यह शिक्षा पद्धति है यह क्या संस्कार दे रही है ? उस विद्यालय से निकला हुआ छात्र, उस महाविद्यालय से निकला हुआ छात्र क्या दिशा लेकर इस समाज में आ रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चर्चा करते हैं रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की, अन्य कई बुराइयों की, व्यक्ति के अवमूल्यन की, पतन की लेकिन उसको जब संस्कार ही ऐसे मिल रहे हैं तो फिर आप क्या कल्पना कर सकते हो ? मेरा यह मानना है कि व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा और समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। क्या आज का छात्र पढ़-लिखकर यह भाव लेकर निकल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे हिसाब से तो जब समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति भी अच्छा होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति इकाई है और इकाई जब अस्त-व्यस्त होगी तो इकाई पर खड़ा हुआ ढांचा भी अस्त-व्यस्त होगा। मैं निवेदन कर रहा था माननीय शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा में भी गुणवत्ता लाने की दृष्टि से जो छात्र निकले, आज आप कल्पना कर सकते हो कि भगतसिंह की तरह फांसी पर चढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे। आज कल्पना कर सकते हो कि नेताजी सुभाष की तरह बाहर

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

जाकर एक आजाद हिन्द फौज का गठन करने वाले लोग मिल जाएंगे ? इस देश के लिए लड़ाई लड़ लेंगे ? यह बड़ी चिन्ता की बात है । मन पीड़ा से रोता है कि जो हम निर्माण कर रहे हैं वह निर्माण कहां जा रहा है । क्या यह भारत मां हमारी मां है ? हम इसके पुत्र हैं ? आज पतन का कारण यही है कि हमारे अन्दर राष्ट्र भाव का अभाव होता जा रहा है । मैं जो भी कर रहा हूं इस राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, अपने देश के लिये कर रहा हूं, यह भाव लोप होता आ रहा है । माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, क्या आज हम स्कूलों में "वन्दे मातरम्" को अनिवार्य नहीं कर सकते ? "वन्दे मातरम्" करते हैं तो साम्प्रदायिकता कहलाई जाती है, जिस गाने को गाते हुए हजारों लोग फांसी के फन्दे पर झूल गये । मैं चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (शिक्षा मंत्री) : माननीय सदस्य, प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन वन्दे मातरम् होता है ।

**श्री मदन दिलावर** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : प्रत्येक छात्रावास में भी रोज वन्दे मातरम होता है ।

**एक माननीय सदस्य** : कितने वर्ष हो गये ?

**श्री मदन दिलावर** : लगभग एक वर्ष हो गया ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : दोनों मंत्रियों को बहुत-बहुत धन्यवाद । बन्द मत कर देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क नीति बनायी, पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की घोषणा की, 1971 की आबादी के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की और आज इस बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2011 तक सम्पूर्ण राज्य के विकास की एक परिकल्पना की है ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सम्पूर्ण क्रांति ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : जिसको महावीर जी की भाषा में, क्योंकि ये क्रांतिकारी हैं महावीर, सम्पूर्ण क्रांति की इन्होंने संज्ञा दी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो गांवों की स्थिति है, पंचायत में चार गांव हैं, पंचायत में छः गांव हैं, बरसात में गांव का व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी चिकित्सा के लिए उसको चिकित्सालय नहीं ले जा सकते हैं । खाट में रखकर कंधों पर रखकर उनको लाना पड़ता है ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : 2003 तक हो जाएगी ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है राज्य सरकार को कि प्रत्येक गांव में आवागमन सुलभ हो जाए, छोटे-छोटे खाले हैं उन पर पुलिया बन जाये, इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए । क्या लेंगे यह तो सरकार जानें, परन्तु मेरा मानना है कि जब तक सम्पूर्ण गांवों में आवागमन के साधन हम सुगमता से उपलब्ध नहीं करा लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब मैं

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

1973 में चुनकर आया था तब 15 पंचायत हैड क्वार्टर किसी भी प्रकार की सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। इन तीन वर्षों में तेरह पंचायत हैड क्वार्टर्स को हमने गिट्टी रोड से जोड़ दिया और दो पंचायत हैडक्वार्टर पर गिट्टी का काम चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी अपने कमरे में निश्चिंत रूप से सुन रहे होंगे, जो हमने गिट्टी रोड करवा दिया है विभाग उस पर डामर करवा दे। जैसे मेरा गरंजा पंचायत मुख्यालय है, भीलवाड़ा से बेगूं का महत्वपूर्ण बस रूट है. कम से कम 70-80 बसें रोज उधर जाती हैं। बीच का सात-आठ किलोमीटर का टुकड़ा डामर से वंचित है। ऐसे कई पंचायत मुख्यालयों पर हमने अपने हिसाब से गिट्टी रोड करवा दिया है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने अभी चार पंचायत मुख्यालयों को तो डामर से जोड़ने की स्वीकृति दे दी है- थल की दी है 23 लाख की और हीराखेड़ा की दी है 12 लाख की लेकिन बाकी के जो 9 रह गये हैं उनको भी वे डामर से जोड़ने की स्वीकृति दिला दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास की भूख है और आम आदमी को ऊपर उठाने की भूख है। अन्त्योदय योजना-पंचायत से प्रति व्यक्ति को मिलने वाला अनुदान, उसको किसने बढ़ाया ? पहले चार आने मिलते थे आज ग्यारह रुपये हो गये हैं, वह किसने किया ?

**श्री उपाध्यक्ष** : नाथूसिंहजी ने।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : नाथूसिंहजी ने तो किया पर मैं मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। परन्तु कांग्रेस का कल्चर था। आज ये कहते हैं कि मेरे यहां सड़क नहीं है। अब जैसे मैं चिकित्सा की नीति बताऊं। उपाध्यक्ष महोदय, एक नीति तय कर ली कि इतनी जनसंख्या पर इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे। अब कई गांव ऐसे हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए, जनता मांग करती है। स्वास्थ्य मंत्रीजी के पास आती है और स्वास्थ्य मंत्रीजी कहते हैं कि यह आपका गांव तो हमारी नीति में ही नहीं आता है क्योंकि कांग्रेस के शासन में हर एक किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया। जहां इनको वोट मिलते थे.... (व्यवधान) कांग्रेस के शासन की कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में खोल रखे हैं आसोप और बोरडा, दोनों एक-एक किलोमीटर की दूरी पर हैं, दोनों जगह खोल रखे हैं कोटड़ी तहसील में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार का असन्तुलन होगा अपने चहेतों की जगह पर या जहां पर अपने को वोट मिलते हैं वहां पर। आज वे वंचित रह गये। आपकी नीति में नहीं आते तो वे लोग वंचित रह जायेंगे। इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : नीति के आधार पर आप वंचित रहे।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : हां, हम तो वंचित रहे। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आकोला में खोल दिया।

आज वे कहते हैं कि ऋण भार बढ़ गया, पर मैं यह कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हम ऋण ले रहे हैं तो विकास कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को उन्नति की

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

ओर अग्रसर कर रहे हैं। कांग्रेस का तो काम यह रह था कि "ऋणम् कृत्वां घृतम् पीवेत्" ऋण लेओ घी पीओ। सुख से सोओ, चैन से सोओ, जनता जाये भाड़ में, यह कांग्रेस का काम था और आज हम जब विकास करते हैं तो कहते हैं कि आप तो ऋण ले रहे हो, कहां से पूरा करोगे। चुका देंगे, चिन्ता नहीं किसी भी बात की।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पेयजल की करीब चार करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाएं पिछले दो वर्षों में स्वीकृत हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इच्छा है कि काम करे, जनता को पेयजल उपलब्ध कराए। दो साल हो गये, समयबद्ध कार्यक्रम के अभाव में अधिकारियों की लापरवाही से जो वहां बैठे हैं, समय पर पाइप नहीं खरीदे जाते हैं, समय पर टेण्डर नहीं लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 13 ग्रामीण जल योजनाएं स्वीकृत हैं दो-ढाई करोड़ की, 9 के सोर्स बन चुके हैं, बिजली कनेक्शन हो गये हैं, मोटरें लग गयी हैं लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि केवल पाइप के अभाव में वे पड़ी हुई हैं। पाइप समय पर खरीदते नहीं हैं क्योंकि उनके अपने कमीशन के चक्कर होते हैं। इस प्रकार की मानीटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्य सरकार जो योजनाएं स्वीकृत करती हैं वे समय पर पूरी हों कि इसमें क्या गति है, कि किस प्रकार का काम चल रहा है। इसके अभाव में कई बार कार्य में शिथिलता आती है। राज्य सरकार के स्तर पर भी आती है शिथिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष से पी. बी. सी. पाइप का पेयजल विभाग में अजीब संकट चल रहा है। रेट कान्ट्रेक्ट भी इनका तय नहीं हो पा रहा है। रेट कान्ट्रेक्ट सचिवालय स्तर पर तय नहीं होने की वजह से पाइप नहीं खरीदे जा रहे हैं। कई योजनाएं तो इसीलिए लटकी हुई हैं। कई योजनाएं चैक नहीं भेजे समय पर इसलिए लटकी हुई हैं, उनका टाइम पूरा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, काम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है जन-जन का विकास करना। हर खेत को पानी देना, हर हाथ को काम और हर मनुष्य को भी पानी पिलाने का नैतिक दायित्व भारतीय जनता पार्टी का बनता है और इस नाते काम कर हैं। सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं है। अभूतपूर्व क्रांति विकास की इन पिछले तीन वर्षों में आयी है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। अभूतपूर्व क्रांति। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करोगे, मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र में जब मैं विधायक बना 1200 हैण्ड पम्प थे, आज 1700 हैण्ड पम्प हैं। पिछले चालीस साल में तो 1200 हैण्ड पम्प लगे थे और इन पांच सालों में 500 हैण्ड पम्प लगे हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कोई राजस्थान की नहीं बता रहा हूं। आज मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का कोई प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें हैण्ड पम्प नहीं लगा हुआ हो, सबमें हैण्ड पम्प लग गये। उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इनके पास चपरासी नहीं है, बच्चों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी पीने के पानी के यदि इस प्रकार हैण्ड पम्प लग जाएं

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

तो यह बहुत बड़ा काम होगा और छात्रों को जो परेशानी होती है उस परेशानी से बचा जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता था कि राजस्व में स्टाम्प करने के लिए जो नीति बनायी है उस बाबत मेरे क्षेत्र में एक समस्या है जो खनिज मंत्री से सम्बन्धित है। मेरे यहां क्वारी लाइसेंस पद्धति है, पट्टा पद्धति नहीं है। एक समयावधि के लिये व्यक्ति को काम करने के लिए इजाजत दी जाती है। इतने वर्षों तक उसका रजिस्ट्री का कोई प्रावधान नहीं था, अब पर प्लाट रेंट है सात सौ रुपये। अभी कह दिया कि इसकी रजिस्ट्री कराओ। छोटे-छोटे प्लाट होल्डर्स हैं, उसमें समस्या आती है, आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। एक विभाग का काम और आ गया, प्रत्येक व्यक्ति को वहां जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो समय की बर्बादी तो होगी जो होगी पर कितना पैसा और ऊपर से लग जायेगा यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि यह पंजीयन से है तो इसमें आप एफीडेविट जो पांच रुपये का लेते हैं एप्लीकेशन के समय या रिन्युअल के समय, उसको आप पचास का कर दो, उससे व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आएगी। परन्तु इस ढंग से! संविदा तो है नहीं। कोई करार होता तो उसकी रजिस्ट्री होती। कोई आपस में एग्रीमेंट है ही नहीं, बाण्ड दे रहे हैं कि एक साल के लिए आपको काम करने की इजाजत दी जाती है। एक साल बाद यदि वह वापस रेंट नहीं दे तो उसका प्लाट खाली।

**श्री उपाध्यक्ष :** देखिये, यह डिमांड्स के टाइम पर बोलने का मामला है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी :** बजट पर ही बोलूं? अच्छा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम लाने वाले माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके संस्था प्रधानों को दूसरे राज्यों में या दूसरी जगह शैक्षणिक ज्ञान लेने के लिए भ्रमण की योजना बनाई है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा परन्तु मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि भवनों में कई कमियां हैं। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम लाने वाले व्यक्तियों के इन्क्रीमेंट बढ़ाइये पर जो भवनों की कमी है तो इसमें जिस विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ परिणाम आता है उसको आप कम से कम दो-तीन लाख रुपये यदि उनके भवन निर्माण के लिए देंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय सुन्दर बनेंगे। सुन्दर विद्यालय, सुन्दर पढ़ाई और सुन्दर बच्चे, फिर तो उसका मजा ही अलग आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने के लिए जिला केन्द्रों पर छात्रावासों के निर्माण की योजना है कि पच्चीस जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा। निश्चित रूप से बालिकाओं में, महिलाओं में, शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। आज मुझे पूरा पता

(16.00)

नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र का मुझे याद है कि लड़कों के बनिस्पत लड़कियां ज्यादा पास हो रही हैं, ज्यादा फर्स्ट डिवीजन पास हो रही हैं, मैरिट में आ रही हैं। मेरे क्षेत्र की मैं बता रहा हूं, लड़कियों का गृह कार्य करते हुए भी पढ़ाई के प्रति रूझान है। निश्चित

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

रूप से इन छात्रावसों से उनका जो पढ़ाई के प्रति रूझान और रुचि है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सरस्वती योजना, आंगनबाड़ी योजना, शिक्षाकर्मी की योजना लोक जुम्बिश योजना, सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, बहुमित्र योजना अभी चालू की है, यह सारा जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से इससे शिक्षा को बढ़ावा मिल ही रहा है। शौचालयों की बालिकाओं के लिए पृथक् व्यवस्था की है यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी राजस्थान सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि दो जिलों में हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करेंगे। मेरा यह निवेदन है कि दो जिलों को ही नहीं सम्पूर्ण राजस्थान को प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया जाए तो यह अपने आप में एक बहुत क्रान्तिकारी कदम होगा। निश्चित रूप से शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, लोगों को ज्ञान मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कि सम्पूर्ण राजस्थान में हमने पहल की, यह बहुत हिम्मत का काम है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान बहुत भला होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई महाविद्यालय नये खोले जाएंगे, इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्रीजी साधुवाद के पात्र हैं। तकनीकी शिक्षा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों के निर्माण की ओर बढ़ोतरी की जाएगी। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को इस अवसर पर साधुवाद दिये बिना नहीं रहूंगा, धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का केन्द्र कृषि उपज मण्डी में चल रहा था, गत वर्ष माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 85 लाख रुपये उस भवन के लिए स्वीकृत किये। भवन का कार्य प्रगति पर है। यह हमारी कथनी और करनी का अन्दाज है। 15 साल हो गये उसको खुले हुए, भवन का पता ही नहीं था। हमने इसके लिए भूमि की व्यवस्था की, छात्रावासों की व्यवस्था की। माननीय मदनजी दिलावर बैठे हैं, मेरे यहां इन्होंने समाज कल्याण के छात्रावास भी खोले हैं। नन्दलालजी मीणा चले गये, बिजौलिया में बालिकाओं का भी यदि छात्रावास खोल दिया जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में दिन भर चर्चा हो गई है, निश्चित रूप से बहुत प्रगति पर है। प्रयास सरकार के बहुत अच्छे हैं, निश्चित रूप से बिजली की समस्या हल होगी। मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में भी कई लाइनें लम्बी हैं–जिजोला है, मानपुरा है, सिंगोली है, सोइपुर है, मकरेडी है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां यदि 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बना दिये जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर का जिक्र किया गया। राजस्थान में बहुत ही महत्व का कार्य है, हमारी श्रद्धा का केन्द्र है तीर्थराज पुष्कर, और ब्रह्मा का मन्दिर कहते हैं कि यहां है या बर्मा में ही है। मेरा निवेदन है कि पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं राजस्थान में। इसके अलावा कई मनोरम स्थल भी हैं, जहां कई विदेशी

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

पर्यटक भी आते हैं। मेरे क्षेत्र के पास मैनाल स्थान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां 400 फीट से झरना गिरता है और बरसात में बहुत पर्यटक आते हैं, आस-पास के जिलों के बहुत लोग आते हैं। शायद आपके सचिवालय में और यहां मैनाल का फोटो टंगा होगा पर्यटन विभाग का। ऐसे केन्द्रों में विदेशी भी आते हैं। जैसे मेरे मन्दाकिनी है, सातवीं शताब्दी के मन्दिर हैं, बहुत अच्छे मन्दिर हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने कृपा करके गत वर्ष वहां डामर की सड़क स्वीकृत करवा दी और डामर हो रहा है, गिट्टी तो हो गई है। ऐसे पर्यटन केन्द्र जिससे हम विदेशियों को आकर्षित कर सकते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारी कलाकृतियां हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिचाई के क्षेत्र में कई बांध बनाये गये हैं। मेरे क्षेत्र में भी पिछले तीन वर्षों में डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये के दो बांध बने हैं। स्वीकृति भी वर्तमान शासन में ही हुई थी और बांध भी बन गये. यह हमारे कार्य की गति है। हमने सैंक्शन किया और दूसरे वर्ष बांध बन कर कम्प्लीट हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नये-नये बांध खड़े करते जा रहे हैं परन्तु चिन्ताजनक बात है कि आज सिचाई विभाग के पास नहरों की मेन्टीनेंस के लिए एक पैसा नहीं है। किसी अधिकारी को कह दो कि यह नहर टूट रही है, आउट-लेट खराब हो रहा है, उसका गेट खराब हो रहा है, बरस हो गये हैं पानी का रिसाव हो रहा है नहरों से, कई कच्चे धोरे हैं, स्थिति यह है कि वह किसान हर वर्ष उन धोरों को साफ करता है, उसकी मिट्टी साफ करता है। उसकी गरज है तो पानी ले जाए नहीं तो ठीक है, चाहे उसकी फसल सूखे। मेरे जैतपुरा बांध की नहरों के लिए विश्व बैंक की सहायता से पिछले वर्ष एक स्कीम आई थी और डेढ़ करोड़ रुपये की योजना बनाई नहरों के विस्तार के लिए। उसको पुनर्गठित करने की योजना बनाई लेकिन पिछले डेढ़ साल से वह पता नहीं कहां अटकी हुई है। यहां जयपुर में अटकी हुई है या दिल्ली में जाकर अटकी है, पता नहीं है। स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भी जो टेल पर बैठा है उसके खेत में पानी नहीं जाता। उसकी आत्मा रोती है। वह फसल बो देता है परन्तु फसल बोने के बाद उसको पानी नहीं मिलता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिचाई विभाग में अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करें और नहरों की मेन्टीनेंस की व्यवस्था करें। यदि नहरों की मेन्टीनेंस, नहरों का रख-रखाव, नहरों के धोरे पक्के करवा दिये जाएं तो उन्हीं बांधों से जितनी आज सिचाई हो रही है उससे सैकड़ों गुना बीघा जमीन को और ज्यादा पानी बांध पिला सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम और सामग्री की नीति थी सरकार की 60 : 40 रेशो की। निश्चित रूप से अमरा रामजी जो कह रहे थे, 50 : 50 का करने से इनको गलत मस्टररोल नहीं भरना पड़ेगा। एक बार गलत की आदत पड़ गई तो आदमी गलत ही हो जाता है, फिर उसको चस्का लग जाता है गलती करने का। निश्चित रूप से इससे गुणवत्ता आएगी और गति भी रहेगी।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये मेरे क्षेत्र में अभी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला। आकोला में वर्षों से मांग थी वहां की जनता की, वहां 10-15 दिन पहले मंत्रीजी ने खोला। मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपये विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के लिये स्वीकृत हुए हैं। करीब 9 या 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उनके भवन नहीं थे, नर्सों के रहने की व्यवस्था नहीं थी, उनके भवन बन रहे हैं, उनके वार्ड बन रहे हैं। इस प्रकार पहली बार, आप ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का मुझे पता नहीं, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवन के लिए राज्य सरकार ने पैसे दिये हैं करीब 2 करोड़ रुपये....

(16.10)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदया, इस वर्ष जो बजट रखा उसमें चिकित्सा के लिए 97 करोड़ का प्रावधान किया है। अब नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलेंगे, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलेंगे। आज भी राजस्थान में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, कई ऐसे उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं.... (व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी :** माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं बने हुए हैं। चिकित्सा, बिजली, पानी और शिक्षा, ये चार चीजें तो आधारभूत हैं, व्यक्ति को चारों चीजें बहुत जरूरी हैं। शिक्षा बहुत आवश्यक है, पेयजल बहुत आवश्यक है और चिकित्सा व बिजली भी आवश्यक है। ये चार महत्वपूर्ण चीजें हैं। चिकित्सा के लिए 97 करोड़ का बजट इस वर्ष रखा है जबकि गत वर्ष 113 करोड़ रुपये का था। हम विस्तार भी करना चाहें और बजट भी घटा दिया तो कैसे स्वास्थ्य केन्द्र के भवन बनाएंगे? निश्चित रूप से एक गम्भीर चिन्तन पेयजल, सिंचाई और नहरों की मेंटीनेंस पर करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए भी अभी कोई योजना सरकार ने बनायी है। मैं तो यह कहता हूं कि क्यों नहीं सरकार पहल करती है कि अनिवार्य परिवार नियोजन कर दे? जब तक अनिवार्य परिवार नियोजन नहीं करेंगे तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जब देश में रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत देखें तो एक चिन्ता का विषय उठ खड़ा होता है, इसीलिये मेरी यह मांग है कि अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए, तभी जाकर हम नियंत्रण कर सकते हैं.... (व्यवधान) प्रस्ताव बनाकर भेज सकते हैं तो प्रस्ताव बनाकर भेजें।

माननीय सभापति महोदया, विकलांग और निराश्रित बालक-बालिकाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए, पुनर्वास कार्य के लिए मैस भत्ते की राशि 250 से 350 की है जो, यह कहना चाहिये कि संवेदनशीलता का

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

परिचायक है। विकलांग जिसको सब दया की दृष्टि से देखते हैं, निराश्रित जिसका कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति या तो भगवान पर ग्रास करते हैं या फिर राज पर ग्रास करते हैं। राज ने उन पर ध्यान दिया यह बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार मूक, बधिर और दृष्टि बाधित बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में पांच वर्ष से जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको सहायता और अनुदान देने की योजना बनायी है, यह भी अपने आप में साधुवाद की पात्र है। जो घोषणा की है कि शारीरिक विकलांग छात्रवृत्ति की योजना को उदार बनाया जाएगा, किस ढंग से उदार बनाया जाएगा और क्या उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, यह घोषणा भी हो जाए तो ठीक रहेगा। माननीय सभापति महोदया, आज कई स्कीम्स बनायी हैं जैसे शारीरिक व मानसिक विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार की मंशा क्या है। जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता उसकी ओर भी माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने ध्यान दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया, यह अपने आपमें बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदया, आज जो शादी ब्याह के खर्चे होते हैं, प्रदर्शन की जो होड़ लगी हुई है, उस माहौल में सामूहिक विवाह 25 से ज्यादा हुए हैं, उस पर गत वर्ष सरकार ने हजार-हजार रुपये की घोषणा की थी। मैं मानता हूं कि शादी के खर्चों को कम करने के लिए, अनावश्यक खर्चे करने की जो प्रवृत्ति लोगों में जाग्रत हो रही है इसको कम करने के लिए अपने आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

विधवाएं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी निराश्रित बच्चियों की शादी के लिए तीन हजार रुपये की इस वर्ष घोषणा की है सरकार ने, मैं यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं और सरकार को साधुवाद देता हूं। परन्तु आज का जमाना ऐसा है कि बड़ी महंगाई है इसलिये तीन हजार की राशि नहीं करके दस हजार की राशि कर दी जाए तो ऐसी विधवाएं जिनसे भगवान भी रूठ गया है, जो अपनी बच्चियों की शादी करने के काबिल नहीं हैं, कम से कम अपनी बच्चियों की शादी तो आराम से कर सकें। वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित रूप से दुआएं देंगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति** : श्री किशन गोपाल कोगटा।

**श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)** : सभापति महोदया, आज 1997-98....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : जिला बना दीजिये।

**श्री किशनगोपाल कोगटा** : अब जिला छोड़ दीजिये, हमारे तो पहले स्कूल खोल दीजिये।

**श्री सभापति** : ऐसा ही है, दूसरों की बात जल्दी कही जाती है अपने पर आता है तो कोई नहीं लेता।

**श्री किशनगोपाल कोगटा :** सभापति महोदया, 1997–98 के बजट के सामान्य वाद-विवाद में मैं भी सम्मिलित होकर मेरे कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदया, भारत जब स्वतन्त्र हुआ तो राजस्थान की स्थिति यह थी कि विभिन्न खण्डों में राजस्थान बंटा हुआ था। सबसे पहले तो राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। उसकी जो आर्थिक स्थिति सामने थी–न सड़कें थीं, न बिजली की कोई ज्यादा व्यवस्था थी, न उद्योग-धंधे थे और हिन्दुस्तान के नक्शे में राजस्थान एक पिछड़े प्रान्त के रूप में था। राजस्थान के विकास के लिए जितने भी मुख्य मंत्री हुए उन्होंने सतत् प्रयत्न किये। आज जो स्थिति सामने है यह उसी का नतीजा है। लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। अभी भी राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में चाहे शिक्षा में हो, बिजली में हो, सड़क में हो, अभी और सुधार करना आवश्यक है। हमारे मुख्य मंत्री जिनके नेतृत्व में राजस्थान चहुंमुखी विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने अनुभव, अपनी कार्यशैली और अपने मंत्रिमण्डल की टीम के माध्यम से राजस्थान को हिन्दुस्तान के नक्शे में उचित स्थान मिले, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरणार्थ सात पंचवर्षीय योजनाओं में जब राजस्थान में 1990 तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में बैठे हुए मुख्य मंत्री केन्द्र से योजना जो स्वीकृत हो जाती वह लेकर आ जाते थे। उनको डर था कि हमारे राजस्थान के विकास के लिए अगर ज्यादा मांग या संघर्ष करें तो मुख्य मंत्री का पद भी जा सकता है। पर 1990 के बाद जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री बने। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो तीन हजार करोड़ रुपये की थी उसको उन्होंने साढ़े ग्यारह हजार का बनाया और केन्द्र से स्वीकृत कराया।

सभापति महोदया, 1990 में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मन में एक इच्छा थी कि राजस्थान का विकास हो और उसके लिए जो भी प्रयत्न करना हो निश्चित रूप से करना चाहिए, और किया भी। जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की बनी और जब समाप्त हुई पांच साल में तो बारह हजार करोड़ रुपये की पूर्ण हुई। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान विकास की गति में अन्य प्रान्तों से आगे दौड़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी योजनाबद्ध तरीके से नीतियां बनाकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयत्न हों, इसके नवीं पंचवर्षीय योजना जो अभी विचाराधीन है, वह लगभग पच्चीस हजार करोड़ रुपये की स्वीकृत होने की सम्भावना है। यह इस बात का द्योतक है कि आने वाले कुछ ही सालों में राजस्थान, हिन्दुस्तान के राज्यों में पहले-दूसरे स्थान पर विकास की दृष्टि से आ जाएगा। आपको जानकारी हो कि बिहार में और अन्य प्रान्तों में जहां योजना का 30 से 40 प्रतिशत तक का ही उपयोग हुआ वहीं राजस्थान में शत-प्रतिशत और शत-प्रतिशत ही नहीं, साढ़े ग्यारह हजार की

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

योजना बनी और जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई तो बारह हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। यह वित्त प्रशासन और कुशल नेतृत्व की वजह से ही सम्भव हो पाया है। आजकल नियम यह है कि योजना आयोग जितनी योजनाएं लाई गयीं उनमें वापस उन्हीं को स्वीकृत करेगा यह ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने पिछले अमाउंट का कितना उपयोग किया, कितनी उसकी उपयोगिता ली। इसमें राजस्थान प्रथम रहा। प्रथम इस तरह रहा कि अभी नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की स्वीकृति के लिए माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्य मंत्री आमड़ा साहब, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब गये। योजना आयोग की मीटिंग हुई, अपनी योजना को स्वीकार कराने में उन्हें पांच मिनट नहीं लगे। तो, मन में एक टीस है कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान आर्थिक दृष्टि से मजबूत बने, यहां के रहने वाले नागरिक खुशहाल रहें।

मैं, माननीय सभापति महोदया, इस साल 1997-98 का जो बजट पेश किया गया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उन्होंने निचले तबके, आर्थिक दृष्टि से सामान्य नागरिक और सभी क्षेत्रों के उद्योग-धन्धों का ध्यान रखते हुए यह बजट बनाया और सबको जितनी राहत देनी चाहिए वह दी। बजट बनाते समय यह भी ध्यान रखा गया कि किस प्रकार का करारोपण राजस्थान पिछले काफी वर्षों से चला आ रहा है, राजस्थान के आस-पास के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यू.पी. और गुजरात में कितने, किस-किस प्रकार के, किस-किस मद में टैक्स हैं, राजस्थान में कहीं ज्यादा और कम नहीं हों। समानता लाने का विशेष ध्यान रखा गया, इसी नीति के तहत पिछले 6-7 साल में 1990 के बाद कर न लगाते हुए, कराधान को व्यावहारिक गति देते हुए करों की दरों में कमी की गई। उससे राजस्व भी बढ़ा, जो निकट के राज्य हैं उनके माध्यम से जो करों की चोरी होती थी, माल जो दो नम्बर का आता था चोरी बचाने के लिए उसकी भी कमी हुई। यह सब निश्चित रूप से अच्छा रहा और उसके अच्छे परिणाम भी आये।

किसी भी राज्य का बजट विकासोन्मुखी होना चाहिए। आय के स्रोत भी एक निश्चित स्तर तक ही बढ़ाये जा सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आय के स्रोत अगर सीमित हो जाएं या कोई गुंजाइश नहीं रहे तो विकास में कमी होगी। इसके लिए ऋण भी लेना पड़ेगा, उधार भी लेना पड़ेगा। सौभाग्य की बात है कि ऋण प्राप्त करना और उसे वापस चुकाने का काम भी नियत समय पर होता रहा। इसीलिए राजस्थान सरकार को बराबर, जहां भी जैसी सुविधा हुई, ऋण मिलता रहा। आपको खुशी होगी कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से ही ऋण नहीं, विदेशी पूंजी भी राजस्थान में लगी है। जहां 1990-91 में लगभग 80 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण प्राप्त हुआ, आज लगभग 800 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण अपने को स्वीकृत हुआ। निरन्तर ऋण उसी राज्य को मिलता है या उसी उद्योगपति, व्यवसायी को मिलता है जिसका कुशल प्रशासन हो, वापस चुकाने की व्यवस्था हो, अपनी गुडविल हो।

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

राजस्थान इसमें प्रथम रहा और इसी हिसाब से आगे भी बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदया, ऋण प्राप्त करना तो आसान है पर ऋण का भार कम करने और ऋण को चुकाने की कुशल प्रशासनिक नीति नहीं बनी तो निश्चित रूप से यह आगे जाकर बड़ी कठिनाई का विषय बनता है। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं कि 1993–94 में जहां राजस्थान में 1 करोड़ 27 हजार 437.75 का ऋण था वहां 1997–98 में बढ़कर 18 करोड़ 30 लाख 318.12 रहा। जो रफ्तार बढ़ रही है वह जरा सोचनीय है। इसके ब्याज का जो चुकारा है उसकी भी रफ्तार आप देखें तो जहां 1993–94 में ब्याज के लगभग 885 करोड़ रुपये का चुकारा हुआ वहीं 1997–98, इस साल ब्याज के रूप में 1965 करोड़ रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे। सभापति महोदया, यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है कि अपनी रेवेन्यू इनकम से ब्याज चुकाएं। ब्याज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में कहां पहुचेंगे, यह भारी चिन्ता का विषय है। निश्चित रूप से ऋण लिये बिना विकास के काम नहीं होते हैं लेकिन विकास के लिए जो ऋण लिया जाए उसको वापस चुकाने की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरे को बहुत संतोष है, मैं अब यह कहना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। इस बार ऋण भार के संशोधन हेतु एक कोष की व्यवस्था की, यह अति आवश्यक था। अगर यह नहीं करेंगे तो यह ब्याज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वह ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है। विशेष कोष को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्फत केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जायेगा, पूंजी का निवेश होगा और प्रति वर्ष इस कोष में राज्य की समकालीन निधि से उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की जायेगी। 2003 व इसके बाद इस कोष में जमा मूल पर अर्जित ब्याज की राशि की सहायता से राज्य की ऋण की मूल राशि का भुगतान कर ऋण भार अपेक्षाकृत कम करने की योजना है। निश्चित रूप से यह बहुत पहले हो जाना चाहिये था। जिस प्रकार से कर भार बढ़ रहा है उसको देखते हुए उसके चुकारे की व्यवस्था भी करनी चाहिये और यही इस बजट में किया गया है। इसके लिए इस वर्ष 86 करोड़ रुपया इस कोष में डाला गया, यह बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, प्रति वर्ष अनुमानित बजटीय घाटा जो 1991–97 में 139.9 लाख आंका गया था वह इस 31 मार्च को समाप्त चालू वर्ष में किन्हीं अपरिहार्य, अनपेक्षित व्ययों यथा राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दस प्रतिशत की अंतरिम राहत की तीसरी किश्त का चुकारा, बढ़ी हुई दरों पर बोनस, ग्रेच्युटी का भुगतान, अकाल राहत कार्यों में अतिरिक्त व्यय के कारण 821 करोड़ रुपये होने जा रहे थे लेकिन विभिन्न उपायों से, कठोर वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से यह घाटा 381.85 लाख ही रहा।

सभापति महोदया, ऐसे ही बजटीय घाटे के साथ-साथ राजस्व घाटा जो 362 करोड़

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

रुपये 1996–97 में आंका गया था वह अब संशोधित होकर 487 करोड़ 32 लाख रुपये अनुमानित है। यह भी ऐसे ही राहत, बोनस, ग्रेच्युटी के कारण बढ़ा है, यह 172 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार बढ़ा है। वित्तीय अव्यवस्था के कारण नहीं वरन् असामयिक खर्चे के कारण यह बजट अव्यवस्थित हुआ और बजट का घाटा बढ़ा। केन्द्र सरकार जब-जब भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है, महंगाई भत्ता बढ़ाती है, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों से मिलकर बात करे तो निश्चित रूप से यह अव्यवस्था न हो। केन्द्र सरकार तो कहीं से या रिजर्व बैंक से लेकर घाटा कैसे भी कम कर ले लेकिन राज्य सरकारों के सीमित साधन हैं, सीमित स्रोत हैं। तो उनसे पूछकर कि घाटा कैसे पूरा होगा, अर्थव्यवस्था डगमगा नहीं जाये इसलिए केन्द्र सरकार उसमें सहयोग दे। क्योंकि केन्द्र सरकार की तरफ से ही घोषणा होती है, केन्द्र सरकार उसमें सहयोग दे तो निश्चित रूप से राजस्थान में बजटीय घाटा जो वर्ष के अंत में आता है वह नहीं आ जाये।

सभापति महोदया, 1997–98 का जो बजट पेश किया उसमें 350.42 लाख का बजटीय अधिशेष अनुमानित है। पिछले वर्ष के संचित घाटे को लगातार आगे नहीं चलाया जा सकता, इस घाटे की इसी वर्ष पूर्ति करनी चाहिये। 1997–98 में अनुमानित घाटे को पाटने के पश्चात् यह आधिक्य समायोजित होकर शुद्ध 31.43 लाख रुपये के घाटे को बदले जाने का अनुमान है। इसी प्रकार राजस्व घाटे में 1997–98 में 157.15 लाख रुपये का राजस्व घाटा दर्शाया गया है। गैर आयोजना राजस्व मद में बहुत अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। मुख्यतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के दायित्वों को गैर आयोजना मद में स्थानान्तरित करने के कारण यह स्थिति बनी। इसके बावजूद 157.15 लाख का अनुमानित घाटा दिखाया गया है। सभापति महोदया, आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास के कार्य हुए, जो स्कूलें खोली गयीं, जो चिकित्सालय खोले गये उनका खर्चा अब अगले वर्ष नान प्लान में जा रहा रहा है। इसका खर्चा सारा बढ़ेगा और नान-प्लान का सारा खर्चा राज्य सरकार को भुगतना पड़ता है इसी कारण यह घाटा रहा। लेकिन इसके बावजूद सारी व्यवस्था ढंग से की गई कि यह घाटा कम से कम हो।

मैं माननीय वित्त मंत्री को, माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी शेखावत साहब को और उनके सभी मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान की पहचान के लिए यह वर्ष महाराणा प्रताप स्मृति वर्ष मनाने का तय किया। सभापति महोदया, महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी के कारण है और गांव-गांव, शहर-शहर में छत्रपति शिवाजी के बारे में चित्र, चर्चा और उनके इतिहास के माहत्म्य से बच्चे-बच्चे को पता है। पर राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा हुए, सबकी प्रेरणा के इस स्रोत से बहुत पहले ही राजस्थान की पहचान हो जानी चाहिये थी लेकिन यह 400वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में इस वर्ष को महाराणा प्रताप स्मृति वर्ष मनाने के लिए तय किया गया,

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले से ही यह तय कर लिया था कि महाराणा प्रताप की राजस्थान के हर गांव, हर शहर, हर क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए प्रारम्भ से ही कार्य शुरू किया जाए। आपने प्रत्येक कॉलेज में एक स्टेच्यू महाराणा प्रताप की लगाने का तय किया है और 20 कॉलेजों में ये लग भी चुकी हैं। इसके साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के बंगलों में और सर्किट हाउसों में महाराणा प्रताप के चित्र लगें, यह तय किया और आज राजस्थान में ये चित्र लगने लगे हैं। लेकिन यही पर्याप्त नहीं होगा। यह बात सही है कि महाराणा प्रताप की समाधि के सुधार के लिए इस बार बजट में 113.50 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है और महाराणा प्रताप की स्मृति में इस वर्ष को महाराणा प्रताप वर्ष मनाने का तय किया गया लेकिन हम सबका भी दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी में है उसी प्रकार से राजस्थान की पहचान महाराणा प्रताप में हो। उसके लिए सभी विभागों, खासकर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इस वर्ष महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में वाद-विवाद प्रतियोगिताएं हों, नाटक हो झांकियां निकलें और प्रचार हो। इस प्रकार की वाद-विवाद प्रतियोगिताएं राजस्थान स्तर तक जाएं और आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय स्तर पर भी महाराणा प्रताप की जयंती और महाराणा प्रताप पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएं हों और उनका प्रचार हो। एक डाक्यूमेंटरी फिल्म बने उसका भी गांव-गांव में प्रचार हो। इसके साथ-साथ उनके जीवन में प्रेरणा की जो बातें हैं वे प्रत्येक को सीखने को मिलें इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं रहे, कमी नहीं रहे, ऐसा मेरा सुझाव है।

इस वर्ष पूर्व फील्ड मार्शल मानेक शा का महाराणा स्मृति अवार्ड देने के लिए जो सलेक्शन किया गया वह भी निश्चित रूप से सराहनीय है। पहले साल का अवार्ड ही उस व्यक्ति को दिया गया जिसकी पूरे हिन्दुस्तान और पूरे देश में पहचान है, पूरे विश्व में पहचान है। उनकी छाप है शूरवीरता के लिए, अपने व्यक्तित्व की पहचान है। जिन्होंने बांगला देश को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान को नाकों चने चबाने की जो रणनीति बनाई उसके लिए निश्चित रूप से वे अवार्ड के पात्र हैं, और उनको यह अवार्ड दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस बजट में शिक्षा पर 216 करोड़ 85 लाख रुपये व्यय का प्रस्ताव है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में किये गये नये कार्यों के लिए, जो प्रारम्भ कर दिये गये हैं, 229.89 लाख रुपये रखे गये जो गैर योजना मद में हैं। सभापति महोदया, मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि हम कितने ही उद्योग-धन्धे लगा लें, कितनी ही सड़कें बना लें, कितनी ही पानी की व्यवस्था कर लें लेकिन जब तक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा दूर-दराज के गांवों के गरीब तथा झोंपड़ी में रहने वाले नागरिक

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

तक, उनके बाल-बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तब तक सब बेकार है। सबसे बड़ी बात शिक्षा की है। पिछली बार का बजट शिक्षा को समर्पित किया गया वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस साल पांच सौ नई प्राथमिक शालाएं खोलीं, चार सौ उच्च प्राथमिक शालाएं खोलीं, 197 माध्यमिक विद्यालय खोले और 100 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले। सभापति महोदया, जिस प्रकार से पिछले बजट में एक नीति तय की गई कि एक रेवेन्यू विलेज या 250 की आबादी के एक गांव में प्राथमिक शाला खोली जाएगी, पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, उसी प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए भी नीति बननी चाहिए। दो पंचायत या तीन पंचायतों पर एक माध्यमिक विद्यालय हो और पांच या दस पंचायतों पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, ऐसा मेरा सुझाव है और खास कर बालिकाओं के लिए।

अब आपने जाग्रति फैलाई, साक्षरता का इतना विस्तार किया और गांव-गांव, ढाणी ढाणी में शिक्षा देने का विचार किया, इससे प्राथमिक शालाओं, उच्च प्राथमिक शालाओं में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से एक नीति बननी चाहिए जिससे कि जो जाग्रति आई, जो बच्चे पढ़ने लगे उनको आगे से आगे शिक्षा मिलती रहे और सुविधाजनक मिलती रहे, यह मेरा सुझाव है। इसके साथ-साथ पिछड़ी पंचायत समितियों को चिह्नित करने की योजना भी हाथ में ली गई है। पिछड़ी पंचायतों के क्या नार्म्स रहेंगे यह तय करना है, यह बात बहुत अच्छी है। पिछड़ी पंचायतों को शिक्षा और अन्य सुविधाएं देकर आगे बढ़ाना है पर इनके नार्म्स क्या होंगे, कौनसी पंचायतें पिछड़ी कहलायेंगी, इसको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है जो बजट में नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि यह निश्चित हो।

छह सौ नवीन शिक्षाकर्मी विद्यालय भी खोले। जिन 15 नये उपखण्डों को इसमें लिया, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। प्राथमिक शिक्षा को जो हम प्रमुखता दे रहे हैं वह सार्थक होगी।

बालिका शिक्षा को उच्च स्थान देने के लिए 25 जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास निर्माण की योजना हाथ में ली गई है। सम्भागीय मुख्यालय पर इसी साल बालिका छात्रावास प्रारम्भ करने की योजना बनाई है, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत आवश्यक भी था। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने या आगे बढ़ने के लिए शहरों या ऐसे मुख्य स्थानों पर जाकर रहने की समस्या थी वह दूर होगी।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल योजना के लिए साढ़े आठ करोड़ का जो प्रावधान रखा उससे पिछले साल जो योजना बनी और कार्यान्वित हुई, वह और आगे बढ़ेगी। मैं यह सोचता हूं कि साढ़े आठ करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बाद शायद राजस्थान में ऐसी कोई प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शाला नहीं रहेगी जो पीने

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

के पानी या हैण्ड पम्प आदि की व्यवस्था से कवर न हो।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा पंचायती राज मंत्रीजी से और शिक्षा मंत्रीजी से कि पिछले साल जो प्राथमिक शालाएं खोलीं वे क्या आपने पूरी खोल दी हैं ? नहीं खोलीं तो इसके क्या कारण हैं ? आखिर इस बजट का पूरा उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है ? क्या कारण रहे हैं ? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। शिक्षा मंत्रीजी, जो 50 प्राथमिक शालाएं थीं उनमें से 18 खुल पायी हैं। ऐसे ही पंचायती राज में 3 हजार प्राथमिक शालाओं में से 6–7 सौ शालाएं ही खुल पायी हैं। बाकी खुल नहीं पायीं, जिनको निश्चित रूप से जल्दी खोला जाना चाहिए था। मेरा तो यह भी सुझाव है कि 31 मार्च से पहले–पहले चालू वित्त वर्ष में जो प्राथमिक शालाएं हैं वे खुल जानी चाहिए। राजस्थान की जनता को इनके लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है ? मेरा आग्रह है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कारण रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें दूर करना चाहिए।

सभापति महोदया, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में वर्ष 1997-98 के बजट में 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले, 15 स्वास्थ्य केन्द्र खोले, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरों में खोले। लेकिन यह अपर्याप्त है। हमारी स्वास्थ्य नीति थी कि किसी न किसी माध्यम से प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा से कवर किया जाएगा। नीति बनी कि 5 हजार तक की आबादी तक सब सेंटर खुल जाएगा, 25 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा और एक पंचायत समिति में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। पर इस बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक का भी प्रावधान नहीं रखा जो पंचायत समिति मुख्यालय पर आवश्यक है। पंचायत समिति मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें। ये बाकी बचे हुए पंचायत समिति मुख्यालय हैं उनकी पूर्ति कब होगी ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : एक भी बता दो।

**श्री किशनगोपाल कोगटा** : एक पंचायत समिति में एक भी पूरा नहीं हुआ, साहब, कई बाकी हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : बताओ कौनसी पंचायत समिति ?

**श्री किशनगोपाल कोगटा** : नाम मालूम नहीं, 3 पंचायत समितियां तो मेरे ही ध्यान में हैं जहां अभी तक पंचायत मुख्यालय पर नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो पंचायत समिति में एक होना चाहिए, लेकिन इस बजट में एक भी नहीं रखा गया। अभी भी कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। (व्यवधान) 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, ये बहुत कम हैं। लगभग 500 उप स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए ताकि स्वास्थ्य की जो नीति है कि राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी योजना में कवर किया जाएगा, स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी उसके तहत वे आ सकें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : केन्द्र सरकार को कहें, वे नहीं दे रहे हैं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो 15 खोले वे कम हैं, और शहरों में भी कम हैं।

इसके साथ-साथ मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है। मैं वित्त मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुष्कर जो हिन्दुओं का तीर्थराज है और जिसमें पिछले 5-7 साल से यह समस्या थी कि पुष्कर सरोवर का पानी सूख जाता था, ट्यूबवैल या और किसी माध्यम से थोड़ा पानी रखते थे, लेकिन इस बार 115 करोड़ रुपये का प्रावधान बारानी क्षेत्रों में जलग्रहण विकास कार्यक्रमों के लिए रखा है। पुष्कर हिन्दुस्तान में हिन्दुओं का केन्द्र है, विदेशी पर्यटकों का भी केन्द्र है, उस पुष्कर सरोवर में पानी भरा रहे, आस्था का यह केन्द्र अपनी पहचान बनाए रखे, उसके लिए आपने जो प्रावधान किया है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। यह बहुत अच्छा कार्य किया है और इसकी बहुत आवश्यकता भी है।

इसके साथ-साथ हमारे जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में इस वर्ष आपने सी. टी. स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए अजमेर जिले ही नहीं, बल्कि नागौर, पाली, भीलवाड़ा जिले के सभी नागरिकों की तरफ से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक छोटी-सी बात के लिये हमें जयपुर आना पड़ता था 4–4, 5–5 हजार रुपये केवल सी. टी. स्कैन कराने के लिये देने पड़ते थे तथा आने-जाने का खर्चा अलग से करना पड़ता था। कई बार तो जिसको लेकर आ रहे हैं उसका रास्ते में यातायात की वजह से फिर एक्सीडेंट हो जाता था। अजमेर जिले में सी. टी. स्कैन की सुविधा दी, उसके लिए मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

इसके साथ-साथ मैं उद्योग मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किशनगढ़ में संगमरमर की मण्डी की स्थापना करने के लिये एक मार्केट बनाने की योजना इस बजट में रखी। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सम्भव थीं और जिनकी घोषणा बजट में करनी चाहिये थी, लेकिन वे नहीं हो पाईं।

पूरे राजस्थान में अजमेर डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो इंजीनियरिंग कॉलेज से वंचित है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बराबर स्टेज से गर्व से यह घोषणा की, लेकिन इस बजट में... (व्यवधान).... इन्होंने कहा था कि इस बार अजमेर डिवीजन में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। अगर मुझे ऐसी बात लगती तो मैं पहले ही संघर्ष करता। कोटा के पहले अजमेर होना चाहिए था। माननीय सभापति महोदया, मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ मंत्री ने अजमेर जिले में स्टेज पर यह घोषणा की कि इस वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे वह नहीं खोला। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मैं अपना भाषण पूरा करूं उससे पहले-पहले आप कुछ कह दें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप माहेश्वरी को लाओ तो सही।

**श्री किशनगोपाल कोगटा :** माननीय सभापति महोदया, एक और बड़ी बात ब्यावर को जिला बनाने की है। पूर्व में आपको जानकारी होगी कि हनुमानगढ़ को जिला बनाने से पहले ब्यावर का प्रपोजल था। हनुमानगढ़ जिला बन गया। हमने सोचा कि पहले हमारा बनेगा। उसके बाद दौसा बन गया, धौलपुर बन गया, राजसमंद बन गया और इस वर्ष करौली बन गया, लेकिन ब्यावर के साथ अन्याय हो रहा है। जब अजमेर स्टेट राजस्थान में मर्ज हुआ तो कुछ टर्म्स एण्ड कंडीशंस तय हुई थीं। उसमें यह था कि राजस्व बोर्ड अजमेर में रहेगा और अजमेर का राजस्थान मंत्रिमण्डल में एक केबिनेट मंत्री होगा। लेकिन आज यह स्थिति बन गई है मंत्रिमण्डल में अजमेर जिले का मजबूत नेतृत्व न होने की वजह से तथा उपयुक्त स्थान न देने की वजह से

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** स्टेट मिनिस्टर तो है।

**श्री किशनगोपाल कोगटा :** वर्तमान में जो मंत्री हैं इनको केबिनेट का रैंक दिया जाए ताकि अजमेर जिले का जो हक है उसको दिलाने में उचित स्थान पर बैठकर निर्णय हो सके।

**श्री सभापति :** प्रतिनिधित्व कमजोर क्यों है ? यह आपके जिले का दोष है।

**श्री किशनगोपाल कोगटा :** आज ब्यावर को जिला बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है, अब हम किसके पास जाएं ? जिसके पास जाते हैं वे कहते हैं कि हम क्या करें, मुख्य मंत्री जी को कहो। कोई माध्यम तो होना चाहिये। मेरा यह कहना है कि ब्यावर जिले की बराबर घोषणा हुई है। अभी वर्तमान में जो मुख्य मंत्री हैं, जब ये विपक्ष के नेता थे तब ब्यावर में इसके लिये आंदोलन किया और उन्होंने घोषणा की थी कि ब्यावर को जिला बनाया जायेगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक जल की व्यवस्था और दूसरी शिक्षा की। मेरे क्षेत्र में छोटी–छोटी पहाड़ियां हैं जिनकी वजह से पानी टिकता नहीं है। लगभग 300 छोटे–मोटे तालाब हैं तब जाकर जानवरों के लिये पानी की व्यवस्था होती है। मैं आपके माध्यम से जलदाय विभाग के मंत्री माननीय भंवर लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले में सबसे ज्यादा समस्या मसूदा में है। आपके विभाग के जितने अधिकारी हैं या जो रिटायर हो गए हैं वे जब डिमांड होती थी तब मसूदा का नाम लेते ही हंसते थे और कहते थे कि वही मसूदा है क्या, जहां पानी की समस्या है। जब मैं सर्वप्रथम विधायक बना था तब वहां 15 दिन में एक बार टूंटी से पानी आता था। माननीय भंवर लाल जी, पी. एच. ई डी. मिनिस्टर साहब की मेहरबानी हो गई जो मसूदा में दूसरे दिन पानी की व्यवस्था हो रही है। लेकिन बाकी के जो गांव हैं उनमें पानी की तकलीफ उतनी ही है। वहां आधा–एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आप हैण्ड पम्प लगा रहे हैं, लेकिन वे गर्मियों के दिनों में सूख जाते हैं, क्योंकि

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

वाटर लेवल नीचे चला गया है। बीसलपुर की ग्रामीण योजना बनी है जिसमें 640 गांवों को लिया गया है। उसमें पूरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र का नाम था। मेरा कहना है कि उसमें पहले और दूसरे फेज का कार्य राजीव फाउण्डेशन फण्ड से स्वीकृत हो गया।.... (व्यवधान) ... समय बढ़ाइये।

श्री सभापति : आप बोल लीजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : केकड़ी और नसीराबाद का प्रोजेक्ट तो स्वीकृत हो गया, लेकिन मसूदा तक पानी जाने के लिये मेन ट्रेक के लिये विनायका प्रोजेक्ट जल्दी स्वीकृत हो जाए तो मसूदा का नम्बर आ जाये और मसूदा के 105 गांव इससे लाभान्वित हों। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। यह योजना बनकर टेबल पर है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे थोड़ा सहयोग करें और मसूदा की पानी की समस्या हल करें।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मसूदा विधान सभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जवाजा और मसूदा दो पंचायत समितियां पड़ती हैं, लेकिन एक भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। मेरा आग्रह है कि जहां बालिकाओं को आगे बढ़ाने की, शिक्षा देने की बात है उसमें मसूदा और जवाजा पंचायत मुख्यालय पर कम से कम उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलें। इसी प्रकार खरवा में 1958 से माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन उसको आज तक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं बनाया गया। मेरा यह कहना है कि जीवाना, सतावड़िया, विजयनगर, बरल, बाड़ी, कानियां, गोहाना ऐसे गांव हैं जिनमें कक्षा आठ में 45 से 50 बच्चे पढ़ते हैं और उनके आसपास 10 किलोमीटर तक कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.00 बजे शुक्रवार, 14 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

---

# परिशिष्ट—1

## (तारांकित प्रश्न संख्या 225 का विवरण)

**निगम के जालोर, सिरोही, आबूरोड, फालना, पाली तथा बाड़मेर आगार द्वारा संचालित वाहनों का श्रेणीवार विवरण**

| क्र. सं. | आगार का नाम | वातानुकूलित (पिंक लाईन) | डीलक्स (सिल्वर लाईन) | सेमी डीलक्स | एक्सप्रेस (सुपर एक्सप्रेस सहित) | साधारण | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जालोर | — | — | 1 | 44 | 38 | 83 |
| 2. | सिरोही | — | 2 | — | 22 | 39 | 63 |
| 3. | आबूरोड | — | 2 | — | 26 | 34 | 62 |
| 4. | फालना | — | 2 | — | 23 | 34 | 59 |
| 5. | पाली | — | — | — | 18 | 4 | 22 |
| 6. | बाड़मेर | — | 2 | — | 21 | 105 | 128 |

# परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

## खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना

228. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में उद्योग मंत्रियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों से विचार-विमर्श किया गया है ?

(2) क्या राज्य में उपलब्ध खनिजों पर आधारित उद्योग लगाने हेतु सहमति हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग लगाने की सहमति हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से उच्चस्तरीय दल को मुम्बई भेजा है ? यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के अनुसार आई. ई. एम. क्रियान्विति की सफलता हेतु कितने रुपये पूंजी विनियोजन होने की सम्भावना है तथा कितने प्रतिशत समझौते क्रियान्विति के चरण में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में उपरोक्त उद्योग कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

### उत्तर

(1) जी, हां।

(2) खनिज पर आधारित उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियता ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु सहमति की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी, हां। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ाने की दृष्टि से ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन द्वारा एक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर दिनांक 28-1-1997 को मुम्बई में आयोजित किया गया, जिसमें 190 उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया। किन्तु उक्त शिविर में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा आई. ई. एम्स. के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि उद्यमियों द्वारा आई. ई. एम्स. तभी भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि उद्यमी अपना मानस राज्य में उद्योग लगाने हेतु बना लेता है। इन शिविरों का उद्देश्य उद्यमियों को राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करना मात्र है।

(4) प्रश्न के भाग–3 के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग स्थापित करने की सम्भावना एवं समय सीमा व्यक्त करना सम्भव नहीं है।

## जयपुर संभाग में रासायनिक उद्योग

229. श्री रामनारायण मीणा (जैनवां) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर संभाग में स्थित रासायनिक उद्योग की उत्पादन

(श्री रामनारायण मीणा)

प्रक्रिया कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? उद्योग-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे सभी उद्योग कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने उद्योग पंजीकृत नहीं हैं ? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। रासायनिक उद्योगों एवं उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या उद्योगवार सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में संलग्न है।

(2) कुल 294 कारखानें, कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आते हैं। इनमें से 200 कारखाने पंजीकृत हैं तथा शेष 94 पंजीयन की प्रक्रिया में हैं। ऐसे अपंजीकृत कारखानों की सूची परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा ऋण वसूली

**230. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा मनोज इण्डस्ट्रीज श्यामपुरा व श्रीमान सूटिंग्स भीलवाड़ा, श्रीमान सूटिंग्स प्रा. लि. भीलवाड़ा को ऋण दिया गया है ? यदि हां तो अब तक कुल कितना-कितना ऋण इनको कब-कब दिया गया तथा इनकी अलग-अलग बैंक लिमिट कब-कब बढ़ाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फर्मों पर बैंक का अवधि पार ऋण बकाया है ? यदि हां, तो कितना-कितना कब-कब से ? अब तक ऋण बकाया रहने का क्या कारण रहा ? बैंक द्वारा अब तक यह ऋण क्यों नहीं वसूल किया गया ? बैंक द्वारा वसूली के क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या उक्त सभी फर्मों को बैंक के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत से फर्मों की कुलियां सम्पत्ति से कहीं अधिक बैंक लिमिट दे दी और फर्मों ने बैंक से रुपये हड़पने की नियत से रकम उठाली और अब बकाया ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है इस कारण वसूली नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसमें कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। मनोज इण्डस्ट्रीज श्यामपुरा को दिनांक 12-3-1993 से 3-12-1993 तक 677394/- रुपये का ऋण दिया गया। मैमर्स श्रीमान सूटिंग्स प्रा. लि. भीलवाड़ा को दिनांक 15-3-1995 को 10.00 लाख रुपये एवं वर्ष 94-95 में 37.00 लाख रु. ऋण लिमिट के रूप में दिया गया व वर्ष 95–96 में नवीनीकरण कर 35.00 लाख रुपये की लिमिट स्वीकृत की गई एवं वर्ष 96–97 में 35.00 लाख रुपये की लिमिट नवीनीकरण कर स्वीकृत की गई।

(१६)



(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज श्यामपुरा के विरुद्ध माह सितम्बर, 94 से 27–12–96 तक कुल अवधि पार ब्याज सहित 6.45 लाख रु. बकाया है। मैसर्स श्रीमान् सूटिंग्स प्रा. लि. भीलवाड़ा में अकृषि ऋण मार्च, 96 से दिसम्बर, 96 तक ब्याज सहित अवधि पार ऋण 4.80 लाख रु. बकाया है। इसके अतिरिक्त लिमिट के विरुद्ध ब्याज की राशि समय पर नहीं चुकाने के कारण 1.88 लाख रु. माह अक्टूबर, 96 से जनवरी, 97 तक अवधि पार बकाया है। संबंधित ऋणी फर्मों द्वारा राशि जमा नहीं कराने के कारण बकाया रहा है। बैंक द्वारा वसूली की निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज श्यामपुरा की सम्पत्ति की नीलामी 21 व 22–1–97 को रखी गयी थी, किन्तु बोली लगाने वालों के अभाव में सम्पत्ति की नीलामी नहीं हो सकी। मैसर्स श्रीमान् सूटिंग्स प्रा. लि. भीलवाड़ा को 4.80 लाख रु. की वसूली हेतु दिनांक 16–1–97 को अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। लिमिट के विरुद्ध अवधिपार राशि जमा कराने हेतु शाखा द्वारा नोटिस जारी किये गये। अतः वसूली की कार्यवाही जारी है।

(3) इस संबंध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

## पंचायत समिति, जहाजपुर की स्थायी समितियों के चुनाव

231. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह अगस्त-सितम्बर, 1996 में पंचायत समिति जहाजपुर की स्थायी समितियों के चुनाव का पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस नोटिस के अनुसार दी गई तारीख पर सदस्यों का कोरम नहीं हुआ और कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य सदस्यों के मनोनयन पत्र लेकर फर्जी कार्यवाही द्वारा चुनाव करवाये गये? यदि हां, तो उक्त बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैधानिक कार्यवाही द्वारा गठित समिति को भंग कर पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विकास अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) जहाजपुर द्वारा दिनांक 13–9–96 को नोटिस जारी कर

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

स्थायी समितियों के चुनाव हेतु 28-9-96 निश्चित की जाकर चुनाव कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी, नहीं। नोटिस के अनुसार दिनांक 28–9–96 को आहूत की गई बैठक में कोरम पूर्ण होने से नियमानुसार वैधानिक तरीके से स्थायी समितियों के चुनाव कराये गये। उक्त बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) स्थायी समितियों के चुनाव वैधानिक तरीके से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराये गये हैं। राज्य सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**कार्यालय पंचायत समिति, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)**

क्रमांक/पं. स. ज./पंचायत/96–97/356 दिनांक 13-9–96

**साधारण बैठक**

पंचायत समिति की साधारण बैठक दिनांक 28-9–96 को प्रातः 10 बजे पंचायत समिति के सभा भवन में आयोजित की जावेगी। बैठक के विचारणीय विषय निम्न प्रकार रहेंगे।

1. स्थायी समितियों के चुनाव
2. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

प्रत्येक समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार सम्पादित की जावेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मनोनयन पत्र दाखिल करने का समय | 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोप. तक |
| 2. | ,, ,, जांच का समय | 12 बजे दोप. से 1 बजे तक |
| 3 | ,, ,, वापस लेने का समय | 1 बजे से 2 बजे तक |
| 4. | मतदान का समय | 4 बजे सायं से पांच बजे सायं तक |
| 5. | मतगणना का समय | पांच बजे सायं से साढ़े पांच बजे सायं |

ह./—

विकास अधिकारी

पंचायत समिति जहाजपुर (भीलवाड़ा)

कार्यालय पंचायत समिति, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

क्रमांक/पसज/पंचायत/96/405 दिनांक 11–10–96

कार्यवाही विवरण दिनांक 28–9–96

आज दिनांक 28–9–96 को प्रातः 10 बजे पंचायत समिति जहाजपुर की बैठक आयोजित की गई। जिसके अन्तर्गत समस्त स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया :—

| क्र. सं. | स्थायी समितियों का विवरण | निर्वाचित सदस्यों का विवरण | |
|---|---|---|---|
| 1. | वित्त प्रशासन स्थायी समिति | (1) श्रीमती शान्ती गूजर | नि. वि. |
| | | (2) ,, वोला मीणा | ,, |
| | | (3) श्री नारायण सिंह | ,, |
| | | (4) ,, कल्याण मल | ,, |
| 2. | उत्पादन कार्यक्रम समिति | (1) श्री छीतर मीणा | नि. वि. |
| | | (2) श्रीमती भूरी देवी | ,, |
| | | (3) श्री शंकरलाल गूजर | ,, |
| 3. | शिक्षा समिति | (1) श्री छोटूलाल कोली | नि. वि. |
| | | (2) ,, मोहन सिंह | ,, |
| | | (3) ,, प्रभुलाल खटीक | ,, |
| 4. | समाज सेवा समिति | (1) श्रीमती रुक्मी देवी | नि. वि. |
| | | (2) ,, फूम्वा देवी | ,, |
| | | (3) श्री प्रभुलाल टांक | ,, |
| 5. | ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना एवं गरीबी उन्मूलन समिति | (1) श्री छीतर लाल मीणा | नि. वि. |
| | | (2) श्रीमती राजी देवी | ,, |
| | | (3) श्री शंकर लाल | ,, |
| | | (4) श्रीमती चित्रा देवी | ,, |

पांचवी स्थायी समिति ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना एवं गरीबी उन्मूलन समिति जिसको पूर्व में अपील सुनने के अधिकार भी दिये गये थे लेकिन राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 (2) के अनुसार अपील सुनने का अधिकार वित्त प्रशासन स्थायी समिति का ही है। अतः इस पांचवीं समिति से अपील सुनने का अधिकार हटाया जाता है।

ह./–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, जहाजपुर

## जिला बांसवाड़ा में शिक्षकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पद

232. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त है ? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मकचारियों को नियुक्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में शिक्षकों के निम्नानुसार पद रिक्त हैं :–

| I ग्रेड | II ग्रेड | III ग्रेड |
|---|---|---|
| 57 | 12 | 05 |

द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पद वर्ष 1996 से रिक्त है तथा व्याख्याता के पद की वर्षवार रिक्त पद की स्थिति निम्नानुसार है :–

| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|
| 04 | 11 | 01 | 01 |

| 1993 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|
| 01 | 05 | 34 |

द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पद इसी सत्र में तथा व्याख्याता के पद लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे ।

(2) जी नहीं । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर प्रशासनिक कारणों से रोक लगा दी गई थी । जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

## बूंद-बूंद सिचाई प्रणाली

233. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंद–बूंद सिचाई प्रणाली को वर्ष 1996–97 में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1997 तक कितने हैक्टेयर भूमि पर उक्त पद्धति प्रारम्भ की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) बूंद-बूंद सिचाई प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य वर्ष 1996–97 में निर्धारित किये गये हैं, जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है–

(राज्य मंत्री, कृषि)

| क्र.सं. | जिला | ड्रिप सयंत्र स्थापित हेतु लक्ष्य हैक्टे. में |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 70 |
| 2. | नागौर | 30 |
| 3. | दौसा | 50 |
| 4. | सीकर | 150 |
| 5. | झुंझुनूं | 50 |
| 6. | चूरू | 50 |
| 7. | जयपुर | 150 |
| 8. | भरतपुर | 40 |
| 9. | धौलपुर | 10 |
| 10. | अलवर | 50 |
| 11. | सवाई माधोपुर | 30 |
| 12. | टोंक | 100 |
| 13. | कोटा | 50 |
| 14. | बूंदी | 30 |
| 15. | बारां | 10 |
| 16. | झालावाड़ | 50 |
| 17. | पाली | 80 |
| 18. | सिरोही | 20 |
| 19. | जालौर | 20 |
| 20. | जोधपुर | 30 |
| 21. | बाड़मेर | 10 |
| 22. | जैसलमेर | 10 |
| 23. | बीकानेर | 10 |
| 24. | भीलवाड़ा | 50 |
| 25. | चित्तौड़गढ़ | 150 |
| 26. | उदयपुर | 80 |
| 27. | राजसमंद | 20 |
| 28. | बांसवाड़ा | 40 |
| 29. | डूंगरपुर | 10 |
| 30. | श्री गंगानगर | 40 |
| 31. | हनुमानगढ़ | 10 |
| | | 1500 |

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 में 10 जनवरी, 1997 तक कुल 172 हैक्टेयर क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई प्रारम्भ की गई है।

## परिवहन आयुक्त कार्यालय जयपुर का बैंक ड्राफ्ट प्रकरण

234. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जून, 1995 में जयपुर स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में अन्य राज्यों से नेशनल परमिट की शुल्क के रूप में आने वाली लाखों रुपये की राशि के बैंक ड्राफ्ट्स गुम हो गये थे ? यदि हां, तो कितने एवं कुल कितनी राशि के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में विभागीय जांच के अतिरिक्त पुलिस द्वारा भी जांच की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के दौरान कार्यालय के वर्तमान भवन में बैंक ड्राफ्ट्स का एक बंडल भी प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त बंडल में कितनी-कितनी राशि के ड्राफ्ट्स प्राप्त हुए ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में की गई विभागीय जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1 से 4) परिवहन विभाग के जलेब चौक स्थित कार्यालय से जुलाई, 95 में 33.19 लाख रुपये की राशि के कुल 1337 बैंक ड्राफ्ट्स गुम हुए थे और इस विषय में पुलिस थाना, मानक चौक, जयपुर में प्राथमिकी संख्या 316/96 दर्ज कराई गई थी। उक्त बैंक ड्राफ्ट्स परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्थानान्तरण के दौरान जलेब चौक स्थित कार्यालय में पाये गये। इस प्रकरण से सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार एवं कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध राजस्थान प्रसैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

## जिला बीकानेर के सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन

235. श्री मुलकराज थिंद (रायसिंहनगर) एवं श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बीकानेर में सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु वर्ष 1995-96 व 1996–97 कितने कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित था? उनमें से कितने कनेक्शन दिये गये व कितने कनेक्शन दिया जाना शेष है? विवरणसदन की मेज पर रखें।

(2) डिमाण्ड राशि जमा कराने के पश्चात् किस व्यक्ति को कनेक्शन दिया जाना शेष है? सरकार बकाया कनेक्शन कब तक दिये जाने का विचार रखती है?

(3) वर्ष 1995-96 व 1996-97 के लिए निर्धारित कोटे के कनेक्शन देने की प्रक्रिया कब तक पूरी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 में जिला बीकानेर में कुल 300 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य था जिसे प्राप्त किया जा चुका है, इसमें 176 कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी के सम्मिलित हैं। वर्ष 1996–97 में बीकानेर जिले में सामान्य श्रेणी में 130 कृषि कनेक्शन दिये जाने का फिलहाल प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 111 कनेक्शन अब तक दिये जा चुके हैं।

(2) बीकानेर जिले में अठारह आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा होने के पश्चात भी लाइन का सामान नहीं उठाने के कारण व 33/11 के. वी. सब-स्टेशन नोरंगदेसर का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। इन आवेदकों को लाइन का सामान ले जाने तथा 33/11 के. वी. सब-स्टेशन नोरंगदेसर का निर्माण हो जाने के पश्चात कनेक्शन दे दिये जावेंगे।

(3) वर्ष 1996–97 में बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन देने के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## राज्य में पर्यटन विकास हेतु प्रदत्त सुविधाएं

236. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) एवं श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इन उद्योगों में लगे लोगों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

(2) चालू वर्ष में विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य किस-किस जगह पर कितनी-कितनी राशि के कराये जाने थे ? उक्त में से कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा इस कार्य की क्या प्रगति है ?

(3) क्या विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रकार के साहित्य का प्रकाशन किया जाता है यदि हां, तो इस वर्ष कौन-कौनसा साहित्य प्रकाशित किया गया तथा उसमें कितना व्यय किया गया ? प्रकाशित साहित्य की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में देशी, विदेशी पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु विभिन्न मेलें व त्यौहार पर्यटन से सम्बन्धित राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन व गोष्ठियों आदि में भाग लिया जाता है । प्रमुख पत्र, पत्रिकाओं में विज्ञापन, पर्यटन साहित्य का वितरण, फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से राज्य की पर्यटन सम्पदाओं का प्रचार प्रसार किया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु उद्यमियों को राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1993 एवं डीजल जनरेटिंग सैट क्रय अनुदान योजना 1994 के तहत अनुदान का प्रावधान है ।

(2) वित्तीय वर्ष 1996–97 में प्रस्तावित विकास कार्य की सूची एवं उनकी वर्तमान स्थिति में सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट–"क" संलग्न है ।

(3) जी हां । इस वर्ष पर्यटन साहित्य मुद्रित कराये जाने की प्रक्रिया जारी है । वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक साहित्य मुद्रण होकर प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(4) आगामी वर्ष 1997–98 की योजना का प्रारूप अभी विचाराधीन है ।

परिशिष्ट–"क"

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाख रुपये) | कार्य की प्रगति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ओसियां मन्दिर काम्पलैक्स का विकास | 01.00 | कार्य चल रहा है। |
| 2. | नाहरगढ़ किले का संरक्षण | 05.00 | ,, ,, |
| 3. | तारागढ़ किला, अजमेर का संरक्षण | 05 00 | ,, ,, |
| 4. | हवामहल का संरक्षण | 05.00 | कार्य आदेश दे दिये गये हैं। |
| 5. | यात्रिका, सालासर | 14.37 | कार्य चल रहा है। |
| 6. | यात्रिका, मेहन्दीपुर का बालाजी | 19.42 | न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ |
| 7. | वे साइड सुविधाएं, बाप | 09.05 | कार्य चल रहा है। |
| 8. | वे साइड सुविधाएं, ढेचूं | 05.00 | ,, ,, |
| 9. | पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनूं | 19.16 | ,, ,, |
| 10. | पर्यटक स्वागत केन्द्र, डूंगरपुर | 17.50 | ,, ,, |
| 11. | पर्यटक स्वागत केन्द्र, अलवर | 10.00 | ,, ,, |
| 12. | पर्यटक स्वागत केन्द्र, बून्दी | 12.00 | जमीन पर न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया है। |
| 13. | सूफी साहब की दरगाह, नागौर का विकास | 47.24 | कार्य चल रहा है। |
| 14. | लाइट एण्ड साउण्ड शो, आमेर | 01.00 | ,, ,, |
| 15. | मेवाड़ काम्पलेक्स का विकास | 50.00 | ,, ,, |
| 16. | मेवाड़ काम्पलेक्स का विकास | 07.00 | ,, ,, |
| 17. | लाइट एण्ड साउण्ड शो, मोती मगरी, उदयपुर | 30.00 | ,, ,, |
| 18. | आमेर महलों का संरक्षण | 45.00 | ,, ,, |

योग :– 303.65

नये कार्य

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | रणथम्भौर किले का विकास | 05.00 | कार्य पुरातत्व विभाग करायेगा |
| 2. | बून्दी के स्मारकों का संरक्षण | 05.00 | आवास विकास संस्थान से तकमीना मांगा गया है। |
| 3. | शिल्पग्राम, सवाई माधोपुर | 10.00 | कार्य शुरू होना है। |
| 4. | इको टूरिज्म | 02.00 | ,, ,, |
| 5. | ग्रामीण पर्यटन | 10.00 | ,, ,, |
| 6. | जलेबी चौक, जयपुर का विकास | 02.00 | ,, ,, |
| 7. | मेवाड़ कॉम्पलेक्स | 27.15 | कार्य चल रहा है। |
| 8. | रामेश्वर घाट का मन्दिर का विकास | 80.00 | कार्य शुरू होना है। |
| 9. | पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के जयपुर एवं अलवर एवं अजमेर में स्थित संरक्षित स्मारकों का संरक्षण (पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से) | 30.00 | कार्य पुरातत्व विभाग करायेगा |
| 10. | घाट की गूणी, जयपुर का विकास कार्य | 20.00 | आवास विकास संस्थान से कार्य कराने की प्रक्रिया चालू है। |
| 11. | गोल्फ कोर्स, जोधपुर का विकास (10+1) | 11.00 | कार्य शुरू होना है। |
| 12. | फूड क्राफ्ट इन्सटीट्यूट, अजमेर जोधपुर की स्थापना | 34.40 | कार्य चल रहा है। |
| 13. | फूड क्राफ्ट इन्सटीट्यूट, अजमेर जोधपुर की स्थापना (lum-sum) | 16.24 | ,, ,, |
| 14. | हर्ष (सीकर) में भूमि अधिग्रहण हेतु वन विभाग को भुगतान | 02.48 | भुगतान किया जा रहा है। |
| 15. | मेवाड़ काम्पलेक्स का विकास (हल्दीघाटी का विकास) | 07.88 | कार्य चल रहा है। |

योग :- 263.15

## जिला परिषद् दौसा द्वारा शिक्षकों का स्थानान्तरण प्रकरण

**237. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद् दौसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जून, जुलाई, 1996 में विभिन्न पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समितियों में किए गये स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त स्थानान्तरण आदेशों में सरकार द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति की अवहेलना की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद् दौसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जून, 1996 में किये गये स्थानान्तरण आदेशों की शिकायत होने पर सरकार द्वारा जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ने नीति विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण निरस्त करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) जी, हां । मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद्, दौसा द्वारा दिनांक 29–6–96 को अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये थे । आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां । जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ।

(4) स्थगन आदेश दिये गये थे । आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(150)



कार्यालय जिला परिषद्, दौसा

क्रमांक-एफ ( ) संस्था/शिक्षा/96/928-32 दिनांक 29-6-96

**आदेश**

निम्नांकित अध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति में किया जाता है :—

| क. सं. | नाम अध्यापक | पंचायत समिति से | पं. स. को | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुरेन्द्र सिंह बुन्देल | बांदीकुई | लालसोट | रिक्त पद पर |
| 2. | ,, मनोहरलाल बुन्देल | बांदीकुई | महुआ | ,, |
| 3. | ,, रामोतार शर्मा | बांदीकुई | सिकराय | ,, |
| 4. | ,, सुमेरसिंह | बांदीकुई | लालसोट | ,, |
| 5. | ,, भजनलाल | लालसोट | सिकराय | ,, |
| 6. | ,, गौरीलाल साहू | दौसा | सिकराय | ,, |
| 7. | ,, दामोदर प्रसाद | लालसोट | दौसा | ,, |
| 8. | ,, रामनिवास | दौसा | लालसोट | ,, |
| 9. | ,, रामकरण मीणा | लालसोट | दौसा | ,, |
| 10. | ,, मदनलाल शर्मा | लालसोट | दौसा | ,, |
| 11. | ,, रामप्रकाश शर्मा | लालसोट | दौसा | ,, |
| 12. | ,, कालूराम | लालसोट | सिकराय | ,, |
| 13. | ,, बाबूलाल मीणा | लालसोट | दौसा | स्वयं की प्रार्थना पर |
| 14. | ,, दुलीचंद महावर | लालसोट | सिकराय | ,, |
| 15. | ,, चिरंजीलाल | सिकराय | महुआ | रिक्त पद पर |

ह./–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सचिव, जिला परिषद्–दौसा

कार्यालय जिला परिषद, दौसा

क्रमांक–प-5/शि. का./जिपदौ/96/933–37 दिनांक 29-6-96

**आदेश**

निम्नांकित अध्यापकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समितियों में किये जाते हैं :—

| क्र. सं. | नाम अध्यापक | पंचायत समिति से | पं. स को | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री रामचन्द्र | दौसा | महुआ | रिक्त पद पर समानीकरण के आधार पर |
| 2. | ,, सुरेश चंद शर्मा (स्वैच्छा) | लालसोट | बांदीकुई | ,, |
| 3. | ,, खेमसिंह | बांदीकुई | लालसोट | ,, |
| 4. | ,, जगदीश प्रसाद बैरवा | बांदीकुई | लालसोट | ,, |
| 5. | ,, दिनेश चन्द्र शर्मा | दौसा | महुआ | ,, |
| 6. | ,, घड़मल शर्मा | लालसोट | बांदीकुई | ,, |
| 7. | ,, हरिबल्लभ मीणा | लालसोट | बांदीकुई | ,, |
| 8. | ,, रामजीलाल बोहरा | लालसोट | बांदीकुई | ,, |
| 9. | ,, रामसहाय रेगर | लालसोट | बांदीकुई | ,, |
| 10. | ,, सुरेन्द्र कुमार शर्मा | बांदीकुई | लालसोट | ,, |
| 11. | ,, सुरेश चन्द्र शर्मा (खोड़ा) | बांदीकुई | लालसोट | ,, |
| 12. | ,, लक्ष्मीनारायण | दौसा | लालसोट | ,, |
| 13. | ,, ग्यारसीलाल शर्मा | दौसा | लालसोट | ,, |
| 14. | श्रीमती किरण गुप्ता | दौसा | सिकराय | ,, |

ह./–

मुख्य अधिशासी अधिकार

एवं सचिव, जिला परिषद–दौसा

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक-एफ. 139 (14-2) ग्राविप/शि/स्था/96/1756 जयपुर, दिनांक 3-10-96

**आदेश**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद–दौसा द्वारा प्रसारित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश क्रमांक–933–37 दिनांक 29-6-96 को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

ह./-

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान—जयपुर

## छबड़ा एवं छीपाबड़ोद में प्राध्यापकों के रिक्त पद

**238. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि छबड़ा एवं छीपाबड़ोद सीनियर हायर सैकेन्डरी स्कूल में लम्बे समय से प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से और इन्हें अब कब तक भर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

जी, हां। छबड़ा एवं छीपाबड़ोद सीनियर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | रिक्त व्याख्याता के पद विषय | कब से |
|---|---|---|---|
| 1. | राज. सीनियर माध्यमिक विद्यालय छबड़ा | भूगोल-1 | 6/96 |
| | | इतिहास-1 | 9/96 |
| | | रसायन-1 | 9/96 |
| | | हिन्दी-1 | 9/96 |
| 2. | राज. सीनियर माध्यमिक विद्यालय छीपाबड़ोद | भूगोल-1 | 6/96 |
| | | संस्कृत-1 | 9/96 |
| | | हिन्दी-1 | 6/96 |
| 3. | राज. बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय छबड़ा | हिन्दी-1 | 6/96 |
| | | ना. शास्त्र | 7/96 |
| | | अंग्रेजी-1 | 9/96 |
| 4. | राज. बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय छीपाबड़ोद | हिन्दी-1 | 9/96 |
| | | संस्कृत-1 | 9/96 |
| | | ना. शास्त्र-1 | 9/96 |

(शिक्षा मंत्री)

व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

छात्रों की पढ़ाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था नियमानुसार की जा रही है।

## कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर (झुन्झुनूं)

339. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वाधान में चल रहे कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर जिला झुन्झुनूं की स्थापना मार्च, 1990 में होने के बाद इस स्थल पर क्या-क्या निर्माण कार्य, भवन आदि के करवाये गये तथा उन पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस कृषि विज्ञान केन्द्र की 77.5 हैक्टेयर भूमि पर एक भवन का निर्माण करवाया गया था जो भवन पूरा बनने से पहले ही ध्वस्त हो गया ?

(3) यदि हां, तो इस भवन का क्या नाम था व इस हेतु धनराशि किस माध्यम से प्राप्त हुई इस भवन के ध्वस्त होने से कितनी हानि हुई तथा यह भवन किस कार्य हेतु निर्माण करवाया जा रहा था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर झुन्झुनूं की स्थापना के पश्चात् उसे स्थल पर प्रशासनिक एवं लेब भवन का निर्माण कार्य करवाया गया तथा इस पर कुल व्यय 11,87,923 रुपये हो चुका है।

(2) इस 77.67 हैक्टेयर भूमि पर प्रशासनिक एवं तेल भवन जिसका क्षेत्रफल लगभग 500 स्क. मी. है का निर्माण किया गया। इस भवन के एक कमरे को क्षति हुयी थी।

(3) इस भवन का नाम प्रशासनिक एवं लेब भवन है। इस भवन हेतु धनराशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त हुयी है। इस भवन के कमरे की दिवार एवं छत गिर जाने पर ठेकेदार ने अपनी गलती स्वीकारते हुये पुनः इसका निर्माण अपने खर्चे पर अनुबन्ध की धारा 17 के तहत करवाया। इस बाबत विश्वविद्यालय का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

## राज्य का विद्युत आपूर्ति प्रकरण

240. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) एवं **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कितनी विद्युत पैदा होती है तथा कितनी विद्युत मण्डल द्वारा क्रय की जाती है तथा राज्य में कुल कितनी विद्युत की आवश्यकता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र रावत)

(2) क्या यह सही है कि विद्युत की आवश्यकता कुल विद्युत उपलब्धता से अधिक है ? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(3) सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु राज्य में किन–किन से समझौता किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि राज्य के पास देश का सबसे बड़ा लिग्नाइट का भण्डार उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस पर आधारित कितनी क्षमता का विद्युत संयंत्र लगाया जा सकता है ?

(5) वर्तमान में राज्य में लिग्नाइट आधारित कितने विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं ? सूची नामवार, क्षमतावार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 में जनवरी, 1997 तक 148820 लाख यूनिट की विद्युत उपलब्धि रही । इसमें से 45787 लाख यूनिट राज्य के विभिन्न विद्युत गृहों से 31843 लाख भागीदारी के विद्युत गृहों से व शेष केन्द्रीय संस्थानों के विद्युत गृहों व अन्य राज्यों से क्रय द्वारा उपलब्ध कराई गई । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किये गये पन्द्रहवें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1996–97 में विद्युत की अबाधित (un-restricted) आवश्यकता 215770 लाख यूनिट आंकी गई है ।

(2) जी, हां । विद्युत की कमी को पूरा करने के लिये जो योजनाएं बनाई गई है उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु निम्न कम्पनियों को आशय पत्र/विद्युत क्रय समझौते किये गये हैं :—

| कम्पनी का नाम | क्षमता | स्थान | आशय पत्र का दिनांक | विद्युत क्रय अनुबन्ध का दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. एनर्जन इंटर-नेशनल लि. | 200 मे. वा. | जिला जैसलमेर | 4-11-95 | — |
| 2. एमको एनरोन | 50 मे. वा. | जिला जैसलमेर | 18-11-95 | 1-3-1996 |
| 3. सनसोर्स | 50 मे. वा. | जिला बाड़मेर | 25-11-95 | 26-2-1996 |

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी, नहीं। देश का सबसे अधिक लिग्नाईट भण्डारों की उपलब्धता 21,806 मिलियन टन तमिलनाडु राज्य में है। राज्य में लिग्नाईट भण्डारों की उपलब्धता 1431 मिलियन टन है व देश में इसका दूसरा स्थान है। राज्य में लिग्नाईट भण्डार के आधार पर लगभग 2000 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र लगाये जा सकते हैं।

(5) वर्तमान में राज्य में लिग्नाईट आधारित कोई भी विद्युत संयंत्र कार्यरत नहीं है।

परिशिष्ट–"ब"

**विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं का विवरण**

1. सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना प्रथम चरण (2 × 250 मेगावाट) का कार्य प्रगति पर है इसकी प्रथम इकाई नवम्बर 1997 में सिन्क्रोनाइज होने की सम्भावना है एवं द्वितीय इकाई वर्ष 1998 तक चालू होने की सम्भावना है।

2. कोटा तापीय विद्युत गृह पर 210 मेगावाट की छठी इकाई लगाने की योजना है। इसकी स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से वार्ता हो रही है।

3. अन्य राज्यों में स्थित/भविष्य में आगे आने वाली परियोजनाओं में भागीदारी के दीर्घकालीन समझौते करके विद्युत प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ पार्वती पन विद्युत परियोजना में 40 प्रतिशत हिस्से का अनुबन्ध दिनांक 20-10-1992 को किया गया है। बनास व चम्बल पर (कोटा बैराज के बाद) विद्युत गृह लगाने के लिए पड़ौसी राज्यों से सहमति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में मै. सीपा की तापीय परियोजना के प्रथम चरण की 3960 मेगावाट से राजस्थान 1200 मेगावाट विद्युत क्रय करने के लिए दिनांक 22-12-1995 के समझौते के अन्तर्गत अपनी रुचि दर्शाई है व विद्युत दर/क्रय अनुबन्ध पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

4. 500 मेगावाट सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह द्वितीय चरण के लिए संशोधित मूल्य निविदाएं प्राप्त की जा रही हैं।

राजस्थान सरकार की घोषित नीति के अनुसार भविष्य में आने वाली सभी विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निजी क्षेत्र में लगाई जानी है। इस नीति के अन्तर्गत :—

(क) धौलपुर में 788.50 मेगावाट की नेप्था आधारित परियोजनाओं के कार्य के लिए मै. आर. पी. जी. इन्टरप्राइजेज के साथ विद्युत क्रय समझौता किया गया है।

(ख) बरसिंहसर में लिग्नाईट आधारित (2 × 250 मेगावाट) परियोजना के लिए मै. हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन से विद्युत क्रय समझौता किया गया है।

(ग) बाड़मेर जिले के जालिमा व कपूरडी स्थानों पर उपलब्ध लिग्नाईट के उपयोग से विद्युत उत्पादन के लिए वेस्टर पावर को "स्पोन्सर" किया गया है।

(घ) प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 50–100 मेगावाट के तरल ईंधन आधारित विद्युत गृह लगाने के लिए निविदा कम्पनियों से 2646 मेगावाट के विद्युत क्रय अनुबन्ध किये गये हैं।

(ङ) प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध सौर ऊर्जा के दोहन के लिए 300 मेगावाट के आशय पत्र/विद्युत क्रय अनुबन्ध किये गये हैं।

## नीमकाथाना (सीकर) में शिक्षा कर्मी योजना

241. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर में अब तक कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को बन्द कर शिक्षा कर्मी योजना के तहत चालू किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शिक्षा कर्मी योजना में प्राथमिक विद्यालयों को चयन करने की प्रक्रिया क्या है तथा इसमें शिक्षकों की योग्यता क्या है, इन्हें कितना वेतन दिया जाता है एवं चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शिक्षा कर्मी योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994–95, 1995-96 तथा 1996–97 हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया है ? इस हेतु राज्य सरकार के अतिरिक्त किस-किस जगह से कितनी राशि प्राप्त हुई है।

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा कर्मी योजना में राज्य सरकार द्वारा चालू प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर उनकी जगह शिक्षा कर्मी स्कूल चलाये जाते हैं व नये शिक्षा कर्मी स्कूल नहीं खोले जाते हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति नीमकाथाना में कितने नये स्कूल शिक्षा कर्मी योजना में खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर का कोई भी विद्यालय बन्द नहीं किया गया। परन्तु 10 प्राथमिक विद्यालयों का चयन पंचायत समिति व ग्रामवासियों की मांग के आधार पर कर उन्हें शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालयों के रूप में संचालित किया जा रहा है। जिनकी सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट–"क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) शिक्षा कर्मी योजना में प्राथमिक विद्यालय को चयन करने की प्रक्रिया तथा इसमें शिक्षाकर्मियों की योग्यता का विवरण परिशिष्ट–"ख" पर उपलब्ध है।

शिक्षाकर्मियों को वेतन न देकर दिवसीय विद्यालय एवं प्रहर पाठशाला संचालन के लिए 1800/- रु. प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

चयन समिति में परिशिष्ट-"ख" के बिन्दु "स" में वर्णित सदस्य होते हैं जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) अ. शिक्षाकर्मी परियोजना के लिए राज्य सरकार स्वीकृत बजट का विवरण निम्नानुसार है :–

| अवधि | बजट प्रावधान | स्वीकृत राशि (राशि लाखों में) |
|---|---|---|
| वर्ष 94–95 | 475 69 | 423 07 |
| वर्ष 95–96 | 775.41 | 775.41 |
| वर्ष 96–97 | 1020.96 | 208 61 माह फरवरी 97 तक) |

ब. यह परियोजना स्वीडिश इन्टर नेशनल डवलपमेंट एजेन्सी (सीडा) के आर्थिक सहयोग से संचालित है। राज्य सरकार के अतिरिक्त सीड़ा सहयोग की राशि भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। तीनों वर्षों में भारत सरकार से सीड़ा के अंशदान की प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| अवधि | प्राप्त राशि लाखों में |
|---|---|
| वर्ष 94–95 | 490.00 |
| वर्ष 95–96 | 810.00 |
| वर्ष 96–97 | 575.00 |

(4) जी नहीं। परियोजना में राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्याग्रस्त विद्यालयों को पंचायत समिति व ग्रामवासियों की मांग पर अधिग्रहण करके शिक्षाकर्मी स्कूल के रूप में चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना में नये शिक्षाकर्मी स्कूल भी खोले जाते हैं। पंचायत समिति नीमकाथाना के ग्राम चेता की ढाणी (बासड़ी खुर्द) का दिनांक 10-2-97 को चयन किया गया है। चिन्हित आशार्थियों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण में सफल होने की स्थिति में विद्यालय प्रारंभ किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-"क"

**पंचायत समिति नीम का थाना जिला सीकर में संचालित शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालयों की सूची:—**

1. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, मी गोंवडी
2. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, मराला
3. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, कंवर की नागल
4. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, किशनपुरा
5. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, श्यामपुरा
6. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, काला कोटा
7. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, सालावाली
8. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, पोकल वास
9. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, कुण्डाला
10. शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय, मरिण्डा

परिशिष्ट-"ख"

**अ. चयन प्रक्रिया :—**

विकास अधिकारी समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की सूची शिक्षाकर्मी बोर्ड को भेजते हैं। चयन हेतु शिक्षाकर्मी बोर्ड की ओर से निर्धारित तिथियों की सूचना विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्रामों को दी जाती है। चयन दल के सदस्य निर्धारित तिथि को सम्बन्धित गांवों में चयन हेतु जाते हैं। चयन के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

— दूरस्थ क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जहां पर विद्यालय नियमित समय पर नहीं खुलते हों।
— विद्यालय में बालक-बालिकाओं की उपस्थिति, ठहराव एवं शैक्षणि स्तर कम हों।
— बालिकाओं की नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव नाम मात्र हो।
— पंचायत समिति ऐसे विद्यालयों को योजनान्तर्गत देने को तैयार हो।
— ग्रामवासी इस योजना को स्वीकारते हो।

गांव में जाते ही चयन दल के सदस्य ग्रामवासियों एवं बच्चों से समस्याओं पर बात चीत करते हैं। तथा चयन मानदण्डों की पुष्टि करते हैं एवं ग्रामवासियों द्वारा परि-योजना को स्वीकार करने की स्थिति में शिक्षाकर्मियों के चयन की कार्यवाही की जाती है।

शिक्षाकर्मियों के चयन के लिए ग्राम के सभी पढ़े लिखे प्राशार्थी नवयुवक एवं पुत्र वधुओं को एकत्रित करके उन्हें परियोजना की जानकारी देकर ग्रामवासियों के सम्मुख उपलब्ध आशार्थियों में उनकी आयु, शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, गणित का बुनियादी ज्ञान, परियोजना के प्रति रूझान, गांव में प्रतिष्ठा, सिखने सिखाने की ललक आदि की जांच की जाकर दो श्रेष्ठ का चयन किया जाता है।

**ब. शिक्षकों की योग्यता :—**

शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षकों का चयन न करके एक स्वेच्छा से समाज सेवक/सेविका के रूप में कार्य करने वाले प्राशार्थी का चयन शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा कार्य करने हेतु किया जाता है। चयन के आधार बिन्दु निम्नलिखित है :—

**1. न्यूनतम योग्यता :**

(अ) पुरुष प्राशार्थी कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ब) महिला प्राशार्थी कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए।

**2. विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाला हो।**

**3. इसके अतिरिक्त प्राशार्थी में निम्नांकित क्षमताएं देखी जाती है :**

(अ) मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति

(ब) गणित विषय का बुनियादी ज्ञान

(स) परियोजना की दृष्टि से उसका व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण

(द) गांव में उसकी प्रतिष्ठा, गांव वालों का उसके प्रति विश्वास

(य) सीखने सिखाने की अभिरुचि

(र) वंचित वर्ग विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रति सार्थक अभिवृत्ति

**स. चयन दल के सदस्य :**

1. प्रधान या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य।
2. विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि।
3. शिक्षाकर्मी बोर्ड कार्यालय का प्रतिनिधि।
4. शिक्षाकर्मी सहयोगी (यदि हो)।
5. शिक्षाकर्मी परियोजना में उसी पंचायत समिति से जुड़ी हुई स्वैच्छिक संस्था का संस्था का प्रतिनिधि (यदि हो)।
6. जहां लोक जुम्बिश कार्य कर रही है वहां खण्ड संचालन दल के परियोजना अधिकारी।
7. यदि इसमें कोई महिला न हो तो एक महिमा भी होती है जो डब्ल्यू डी. पी. की महिमा कार्यकर्त्ता/जागरूक महिला/महिला शिक्षिका होती है।

(160)



## विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत मुख्यालयों पर प्रस्तावित विद्यालय

242. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र, पचपदरा के पंचायत मुख्यालय वाणियावास, खारापार, नवोड़ा-बेरा, रेवाड़ा-मया और सांखलों की ढाणी में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

राज्य सरकार की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की नीति के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा के ग्राम पंचायत क्षेत्र वाणियावास, खारापार, रेवाड़ा-मया तथा सांखलों की ढाणी में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 96-97 में बजट प्रावधानानुसार 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। आगामी वर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध होने तथा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवोड़ा-बेरा को उच्च प्राथमिक स्तर में गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 224 का विवरण)

**कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुरसिटी एवं हिण्डौन के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 96-97 तक स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण**

| कृषि मण्डी का नाम | वर्ष | सं सड़क का नाम | निर्माण पर व्यय (लाखों में) | पूर्ण/अपूर्ण | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| गंगापुरसिटी | 1993-94 | 1. तारपुर खिरकड़ा | 13.75 | पूर्ण | — |
| | | 2. माहूचया से रेण्डयाल गुर्जर | 11.28 | पूर्ण | — |
| | | 3. नादोती रोड से वाडा पिचनोद | 4.00 | पूर्ण | — |
| | | 4. खेरली बिछोड़ रोड से बैराडा | 17.42 | पूर्ण | — |
| | | 5. लालसोट मोरा सागर से मावरा | 7.22 | पूर्ण | — |
| | | 6. खेड़ा महावीर जी रोड से कुजेला | 16.13 | पूर्ण | — |
| | | 7. पिलोदा से बगलाई | 9.20 | अपूर्ण | आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना संभव है। |

161

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. लालसर दौसा रोड से पाल | 8.52 | अपूर्ण | आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना संभव है। |
| | | 9. मण्डरायल मोड रोड से धोरेटा | 2.59 | अपूर्ण | आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना संभव है। |
| | | 10. गंगापुर आकोली रोड से बेरखण्डी | 4.85 | अपूर्ण | पुनः निविदा आमंत्रित की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना संभव है। |
| | | 11. बाला खेड़ा से आधिया खेड़ा | — | अपूर्ण | रास्ते का विवाद, कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। |
| | | 12. वजीरपुर से पिलोदा रेल्वे स्टेशन | 3.69 | अपूर्ण | — |
| | 1994-95 | 13. सखीपुरा से बामनवास | 23.53 | पूर्ण | — |
| | | 14. मिसिंग लैंथ ओकसी | 3.00 | पूर्ण | — |
| | 1995-96 | 15. मिसिंग लैंथ बैरखण्डी | 1.15 | अपूर्ण | आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना संभावित है। |
| | 1996-97 | कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| हिण्डौन | 1993-94 | 1. हिण्डौन करौली रोड से गावडामीना | 6.88 | — | इस सड़क पर कार्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। |
| | | 2. मकनपुर से जहांगीरपुर | 5.65 | पूर्ण | — |
| | | 3. हिण्डौन बयाना रोड से बंकी | 8.37 | अपूर्ण | आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। |
| | | 4. करौली मण्डरायल रोड से ससेडी | 16.89 | पूर्ण | — |
| | 1994-95 | 1. श्री महावीर जी शांतिवीर नगर से हिंगोट | 13.47 | पूर्ण | — |
| | | 2. बरगमा रोड से जाटवो की ढाणी | 3.21 | अपूर्ण | आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है। |
| | 1995-96 | 1. मिसिंग लैंथ बयाना रोड से बंकी | 4.43 | अपूर्ण | इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। |
| | 1996-97 | कोई स्वीकृति नहीं है | — | — | — |

# परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 226 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

| क्र. | फर्म का नाम | स्थान | क्षमता मेगावाट | विद्युत क्रय अनुबंध दि. | संभावित स्थापना अवधि/दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **लिग्नाइट आधारित** | | | | |
| 1. | मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड | बरसिंहसर (बीकानेर) | 2 × 250 | 16-12-96 | फाइनेन्सियल क्लोजर की तारीख 30-9-97 से प्रथम इकाई 38 माह में तथा द्वितीय इकाई 42 माह में चालू होने की सम्भावना है। |
| | **सौर ऊर्जा आधारित** | | | | |
| 2. | मै. सनसोर्स इंडिया लिमिटेड | जिला बाड़मेर | 50 | 26-2-96 | 31-12-96 से 31-12-2001 तक |
| 3. | मै. एमकों/एनरॉन सोलर पावर डवलपमेंट | जिला जैसलमेर | 50 | 1-3-96 | 31-12-96 से 31-12-2001 तक |
| | **तरल ईंधन (नेप्था, फरनेस आयल या एल. एस. एच. एस.) आधारित** | | | | |
| 4. | मै. आर. पी. जी. धौलपुर पावर कंपनी लिमिटेड | धौलपुर | 2 × 394 25 | 29-8-96 | 28 से 32 माह कार्य प्रारंभ होने की दिनांक से। |
| 5. | मै. इन्डोकेल पावर वेन्चरर्स लिमिटेड | बनकानी जिला जोधपुर | 100 | 1-6-96 | 30-9-97 - 31-3-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मै. जोधपुर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड | जोधपुर | 2 × 75 | 16-9-96 | 30-9-98<br>31-9-99 |
| 7. | मै. वर्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | आबूरोड सिरोही | 100 | 3-10-96 | 30-9-98 |
| 8. | मै. भिवाडी पावर कंपनी लिमिटेड | सारेखुर्द अलवर | 50 | 25-10-96 | 31-10-98 |
| 9. | मै. भिवाडी जनरेशन लिमिटेड | सारेखुर्द अलवर | 100 | 25-10-96 | 31-10-98 |
| 10. | मै. पोयशा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड | बांरा | 140 | 26-10-96 | 30-11-98 |
| 11. | मै. ग्लोबल बोर्ड लि. | केशोरायपाटन बूंदी | 166 | 30-10-96 | 31-10-98 |
| 12. | मै. जोधपुर इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी | भरतपुर या बांसवाड़ा | 2 × 75 | 31-10-96 | 31-12-98<br>30-6-99 |
| 13. | मै. डी. एल. एफ. पावर लि. | सवाईमाधोपुर<br>उदयपुर<br>झालावाड़ | 3 × 100<br>तीनों<br>स्थान | 31-10-96 | 30-12-98<br>3-13-99<br>30-6-99 |
| 14. | मै. पोयशा पावर जनरेशन लि. | अलवर | 140 | 31-10-96 | 16-12-99 |
| 15. | मै यूरोपावर कन्सोर्शियम लि. | चित्तौड़-गढ,<br>हनुमान-गढ,<br>भीलवाडा | 2 × 50<br>पांच<br>स्थान | 31-10-96 | 30-11-98<br>30-8-99<br>30-4-99<br>30-12-99<br>30-11-2000 |

(166)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मै. भगत पावर लि. | केशोरायपाटन बूंदी | 100 | 1-11-96 | 31-12-98 |
| 17. | मै. पोराज पावर जनरेशन प्रा. लि. | भरतपुर | 150 | 23-11-96 | 31-12-98 |
| 18. | मै. चित्तौड़गढ पावर प्राईवेट लि. | चित्तौड़गढ | 100 | 4-12-96 | 12/98 |
| 19. | मै. भीलवाडा पावर प्राईवेट लि. | भीलवाडा | 100 | 4-12-96 | 3/99 |
| 20. | मै. उदयपुर पावर प्राईवेट लि. | उदयपुर | 100 | 4-12-96 | 6/99 |
| 21. | मै. राजसमंद पावर प्राईवेट लिमिटेड | राजसमंद | 100 | 4-12-96 | 9/99 |
| 22. | मै. बांसवाडा पावर प्राईवेट लिमिटेड | बांसवाडा | 100 | 4-12-96 | 12/99 |

# परिशिष्ट—5

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 346 का विवरण)

परिशिष्ट—"अ"

### जिला नागौर में रीको द्वारा विकसित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन की विकास शुल्क की दर एवं उनके प्रभावी रहने की तिथि का विवरण

| क्र. सं. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम | भू-खण्ड आवंटन की दरों का प्रभावी समय | भू-खण्ड आवंटन के लिए विकास शुल्क की दर (रु. प्रति वर्गमीटर) |
|---|---|---|---|
| 1. | मकराना | 1-9-74 से 27-1-76 | 1.50 |
| | | 28-1-76 से 29-4-77 | 3.00 |
| | | 30-4-77 से 24-7-78 | 5.50 |
| | | 25-7-78 से 6-1-85 | 6.00 |
| | | 7-1-85 से 31-12-87 | 10.00 |
| | | 1-1-88 से 31-3-95 | 20.00 |
| | | 1-4-95 से वर्तमान में | 50.00 |
| 2. | मेड़तासिटी | 30-9-78 से 27-5-83 | 7.00 |
| | | 28-5-83 से 31-3-95 | 15.00 |
| | | 1-4-95 से वर्तमान में | 50.00 |
| 3. | नागौर | प्रारम्भ से 14-7-78 में | 200.00 (प्रति |
| | | 15-7-78 से 6-1-85 | 3.50 एकड़) |
| | | 7-1-85 से 31-12-87 | 10.00 |
| | | 1-1-88 से 31-3-95 | 20.00 |
| | | 1-4-95 से वर्तमान में | 50.00 |

## परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 347 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

### चालू वित्तीय वर्ष में राज. वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत ऋण का विवरण

1. राज. वित्त निगम द्वारा 893 औद्योगिक इकाइयों को 98.57 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

2. निगम द्वारा 25.00 लाख रु. तक की ऋण स्वीकृतियां शाखा स्तर/क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय स्तर पर एवं इससे अधिक की ऋण स्वीकृतियां मुख्यालय स्तर पर जारी की जाती है।

3. निगम द्वारा जारी की गई इन ऋण स्वीकृतियों में से 173 औद्योगिक इकाइयों को 60.82 करोड़ रु. के ऋण मुख्यालय स्तर पर एवं 720 इकाइयों को 37.75 करोड़ रु. के ऋण शाखा स्तर पर स्वीकृत किये गये हैं।

# परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 352 का विवरण)

परिशिष्ट—"क"

वर्ष 1993-94 से 1996-97 के लिये वन विकास हेतु निर्धारित योजना राशि एवं किया गया व्यय (दिसम्बर, 1996 तक)

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | वर्ष | निर्धारित योजना राशि | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1. | 1993-94 | 11727.40 | 10804.10 |
| 2. | 1994-95 | 16289.26 | 15211.20 |
| 3. | 1995-96 | 18842.73 | 17850.41 |
| 4. | 1996-97 | 16791.59 | 8198.55 ✽ |

✽ दिसम्बर, 1996 तक व्यय

**नागौर जिले में सड़क के दोनों ओर कराये गये वृक्षारोपण हेतु आवंटित राशि एवं कराये गये कार्यों का तहसीलवार विवरण**

परिशिष्ट "ख"

| क्र. सं. | नाम तहसील | सड़क का नाम जिसके किनारे वृक्षारोपण कराया | वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक आवंटित राशि (लाख रुपयों में) | कराये गये कार्य का विवरण: क्षेत्रफल | कराये गये कार्य का विवरण: रोपित पौधे | कार्य जो किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लाडनूं | निम्बी से मरनावा | 8.154 | 30 रो. किमी | 9900 | वृक्षारोपण एवं संधारण |
| 2. | डीडवाना | दौलतपुरा से चोलूखा | 5.436 | 20 रो. किमी | 6600 | " |
| 3. | नावा | मीठडी से नावा | 6.795 | 25 रो. किमी | 8250 | " |
| | | नारायणपुरा से कुचामन | 6.795 | 25 रो. किमी | 8250 | " |
| 4. | मेडता | कलरू से मोकाला | 5.436 | 20 रो. किमी | 6600 | " |
| 5. | डेगाना | हुरसीर से मोडी | 8.154 | 30 रो. किमी | 9900 | " |
| 6. | नागौर | नागौर से ईनाणा | 1.88 | 6 रो. किमी | 1200 | " |
| 7. | परबतसर | मंगलाना से नारायणपुरा | 6.795 | 25 रो. किमी | 8250 | " |
| | | पीपलाव से करकेडी | 6.795 | 25 रो. किमी | 8250 | " |
| | | परबतसर–मेडता–गोटन | 7.00 | 12 रो. किमी | — | अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर है। वृक्षारोपण 1997 वर्षा ऋतु में होगा |

# परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूचना)

परिशिष्ट–"क"

## सत्र 1996–97 में खोले गये संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची

| क्र.सं. | जिला | पंचायत समिति | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जयपुर | जयपुर शहर | गोपालपुरा बाईपास स्कीम नं. 10 |
| 2. | ,, | बस्सी | सांवल्या की ढाणी |
| 3. | ,, | कोटपूतली | ग्राम मांकरी (कन्या) |
| 4. | दौसा | लालसोट | बाड़ श्रीमा |
| 5. | अलवर | रैणी | पाली (कन्या) |
| 6. | ,, | थानागाजी | बसई जोगियान |
| 7. | ,, | बानसूर | ग्राम बिलाली |
| 8. | धौलपुर | बसेड़ी | गद्दी खीराना |
| 9. | जोधपुर | बिलाड़ा | मोहरी नाड़ी |
| 10. | पाली | देसूरी | सेवदों का बेरा |
| 11. | सिरोही | सिरोही | सिरोही (मुख्यालय) |
| 12. | बाडमेर | बालोतरा | ~~राम-लक्ष्मण (ग्राम बीठूजा)~~ |
| 13. | बीकानेर | कोलायत | ब्राह्मणों का मोहल्ला (दियातरा) |
| 14. | सीकर | खण्डेला | ढाणी बल्लूवाली |
| 15. | झुन्झुनूं | उदयपुरवाटी | मालियों की ढाणी |
| 16. | ,, | नवलगढ़ | पुरोहितों की ढाणी |
| 17. | चूरू | सुजानगढ़ | भीमसर |
| 18. | ,, | रतनगढ़ | लाछडसर |
| 19. | श्रीगंगानगर | सूरतगढ़ | सूरतगढ़ (शहरी) |
| 20. | ,, | अनूपगढ़ | अनूपगढ़ (शहरी) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21. | उदयपुर | झाडोल | गगवास |
| 22. | ,, | गिर्वा | गोरवर मगरी |
| 23. | चित्तौड़गढ़ | बड़ी सादड़ी | नाहरजी का खेड़ा |
| 24. | ,, | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ |
| 25. | सवाईमाधोपुर | बामनवास | ढाणी ढेहरा |
| 26. | ,, | गंगापुर | गंगापुर (शहरी) |
| 27. | बूंदी | नैनवा | कल्याणपुरा |
| 28. | नागौर | डेगाना | बठेसरा की ढाणी |
| 29. | ,, | लाडनू | पीपलनाड़ी की ढाणी |
| 30. | भीलवाड़ा | बुरड़ा | केलूजी का खेड़ा |

राजस्थान सरकार परिशिष्ट-"ख"

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

1996-97 में खोले गये प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का विवरण

| क्र. सं. | जिला | पंचायत समिति | विद्यालय का नाम | शिक्षक नियुक्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जयपुर | जयपुर शहर | राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गोपालपुरा (जयपुर) | 15.2.97 |
| 2. | ,, | बस्सी | रा. प्रा. सं. वि. सांवल्या की ढाणी | 15.2.97 |
| 3. | ,, | कोटपूतली | रा. प्रा. सं. वि ग्राम भांकरी (कन्या) | 15.2.97 |
| 4. | दौसा | लालसोट | रा. प्रा. सं. वि. बाढ़ श्रीमा | 15.2.97 |
| 5. | अलवर | रैणी | रा. प्रा. सं. वि. पाली (कन्या) | 15.2.97 |
| 6. | ,, | थानागाजी | रा. प्रा. सं. वि. बसई जोगियान | 15.2.97 |
| 7. | ,, | बानसूर | रा. प्रा. सं. वि. बिलाली | 5.3.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | धौलपुर | बसेड़ी | रा. प्रा. सं. वि. गदटी खीराब | 15.2.97 |
| 9. | जोधपुर | बिलाड़ा | रा. प्रा. सं. वि मोहरनी नाड़ी | 5.3.97 |
| 10. | पाली | देसूरी | रा. प्रा. सं. वि. सेवठों का बेरा | 5.3.97 |
| 11. | सिरोही | सिरोही | रा. प्रा. सं. वि. सिरोही (मुख्यालय) | 5.3.97 |
| 12. | बाड़मेर | बालोतरा | रा. प्रा. सं. वि. राम लक्ष्मण ग्राम बीठूजा | 5.3.97 |
| 13. | बीकानेर | कोलायत | रा. प्रा. सं. वि. ब्राह्मणों का मौहल्ला (दियातरा) | — |
| 14. | सीकर | खण्डेला | रा. प्रा. सं. वि. ढाणी बल्लूवाली | 5.3.97 |
| 15. | झुन्झुनू | उदयपुरवाटी | रा. प्रा. सं. वि. मालियों की ढ़ाणी | 5.3.97 |
| 16. | ,, | नवलगढ़ | रा. प्रा. सं. वि. पुरोहितों की ढ़ाणी | 5.3.97 |
| 17. | चूरू | सुजानगढ़ | रा. प्रा. सं. वि. भोमसर | 5.3.97 |
| 18. | ,, | रतनगढ़ | रा. प्रा. सं. वि. लाछड़सर | 5.3.97 |
| 19. | श्रीगंगानगर | सूरतगढ़ | रा. प्रा सं. वि. सूरतगढ़ (शहरी) | 5.3.97 |
| 20. | ,, | अनूपगढ़ | रा. प्रा. सं. वि. अनूपगढ़ (शहरी) | 5.3.97 |
| 21. | उदयपुर | झाड़ोल | रा प्रा. सं वि. मगवास | 5.3.97 |
| 22. | ,, | गिर्वा | रा. प्रा. सं. वि. गोरवर मगरी | 5 3.97 |
| 23. | चित्तौड़गढ़ | बड़ी सादड़ी | रा. प्रा. सं. वि. नाहर जी का खेड़ा | 5.3.97 |
| 24. | ,, | चित्तौड़गढ़ | रा. प्रा. सं. वि. चित्तौड़गढ़ | 5.3.97 |
| 25. | सवाईमाधोपुर | बामनवास | रा. प्रा. सं. वि. ढ़ाणी ढेहरा | — |
| 26. | ,, | गंगापुर | रा. प्रा. सं. वि. गंगापुर (शहरी) | 15 2.97 |
| 27. | बूंदी | नैनवां | रा प्रा. सं. वि. कल्याणपुरा | 5.3.97 |
| 28. | नागौर | डेगाना | रा. प्रा. सं वि. बठेसरा की ढ़ाणी | 5.3 97 |
| 29. | ,, | लाडनूं | रा. प्रा. सं. वि. पीपलनाड़ी की ढ़ाणी | 5.3.97 |
| 30. | भीलवाड़ा | हुरड़ा | रा. प्रा. सं. वि. ढेलूजी का खेड़ा | 5.3.97 |

## परिशिष्ट—9

**(अतारांकित प्रश्न संख्या 359 की प्रति)**

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर**

**कार्यालय आदेश**

जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर की अधिनस्थ राज. माध्य. विद्यालयों में पद समाप्त हो जाने से हुये अधिकारी/एवं इस कार्यालय के निम्न तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के वेतन उनके लक्ष्यों के सम्मुखांकित विद्यालयों के रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन उठाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र. सं. | नाम अध्यापक | कार्यरत स्थान | विद्यालय का नाम जहां से वेतन उठाया जाना है |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुगन चन्द खटीक, | मा वि, ताला (ज. रा.) | राउप्रावि, सानकोटडा (ज.रा.) |
| 2. | सुश्री अशरफ जहां | मा वि, ताला ( ,, ) | राउप्रावि, सानकोटडा ( ,, ) |
| 3. | श्री राधेश्याम शर्मा | मा वि, ताला ( ,, ) | राउप्रावि, सानकोटडा ( ,, ) |
| 4. | श्री माधोलाल शर्मा | मा वि, ताला ( ,, ) | राउप्रावि, सामरेडकला ( ,, ) |
| 5. | श्री रामावतार शर्मा | मा वि, सावरदा (दूदू) | राउप्रावि, हुवमपुरा (दूदू) |
| 6. | श्री शम्भुदयाल शर्मा | मा वि, सावरदा (दूदू) | राउप्रावि, हुवसपुरा (दूदू) |
| 7. | श्री गौरीशंकर शर्मा | मा वि, थूणी अहिरान | राउप्रावि, भोज्याडा (चाकसू) |
| 8. | श्री मोरीलाल शर्मा | मा वि, थूणी अहिरान | राउप्रावि, भोज्याडा (चाकसू) |
| 9. | श्री राजीव पाठक | राउप्रावि, रेल्वे बस्सी (वर्तमान–प्रावि, गुलर की ढाणी, जयपुर) | राउप्रावि, रेल्वे बस्सी |
| 10. | श्रीमती सीमा सिंघल | राउप्रावि, जानकी-बल्लबपुरा (वर्तमान राप्रावि, बम्बाला, जयपुर) | राउप्रावि, जानकीबल्लबपुरा |

ह/–

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

दिनांक 6-11-96

## परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

| क्र. सं. | नाम पंचायत समिति | चुंगी निरीक्षक | महा. सचिव | चुंगी नाके दार | नांका गार्ड | कापन हाउस लेखक | कापन हाउस खाला | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | चौकीदार | सफाई कर्मचारी | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | बारां | — | — | — | — | 19 | 1 | 25 | — | — | |
| 2. | किशनगंज | — | — | — | — | 32 | 5 | 32 | — | 22 | |
| 3. | अटरू | 1 | 23 | 30 | 3 | 9 | — | 24 | 3 | 71 | |
| 4. | छबड़ा | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5. | अन्ता | — | 27 | — | 7 | 19 | — | 40 | 2 | 63 | |
| 6. | छीपाबड़ोद | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | |
| 7. | शाहबाद | — | 7 | — | — | — | — | 27 | — | 30 | |
| | योग | 1 | 57 | 30 | 10 | 87 | 7 | 148 | 5 | 186 | |

## परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 377 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

**वन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त बाह्य सहायता का विवरण**

| क्र. सं. | वन विकास योजना का नाम | प्राप्त सहायता राशि (लाख रुपयों में) | | | बैंक का विवरण जिससे सहायता प्राप्त हुई |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | इन्दिरा गांधी नहर परियोजना | 925.74 | 864.41 | 1449.90 | ओ.ई.सी.एफ. जापान |
| 2. | अरावली वृक्षारोपण परियोजना | 2232.60 | 2767.98 | 4605.36 | ,, |
| 3. | वानिकी विकास परियोजना | — | — | 616.97 | ,, |

परिशिष्ट—ख

**बाह्य सहायता प्राप्त वन विकास योजनाओं पर अब तक हुआ व्यय एवं सफलता का विवरण**

| क्र. सं. | योजना का नाम | वर्ष 1995-96 तक हुआ कुल व्यय (राशि लाख रुपयों में) | सफलता का प्रतिशत (वृक्षारोपण सेमो में पौधों की जीवितता का प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | इन्दिरा गांधी नहर परियोजना | 6270·00 | 40-70% |
| 2. | अरावली वृक्षारोपण परियोजना | 14166.82 | 75% |
| 3. | वानिकी विकास परियोजना | 1379.00 | योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण मूल्यांकन कार्य आगामी वर्ष में कराया जावेगा। |

# परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 382 की प्रति)

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांक : सामान्य/38 (9) 4/93/2336 दिनांक 31 मई, 1996

प्रेषित,

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त वाहन चलाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—आपका अ. शा. पत्र क्रमांक 205 दिनांक 29 मार्च, 1996 एवं 283 दिनांक 7 मई, 1996 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ. शा. पत्रों के क्रम में निवेदन है कि राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहनों का अतिरिक्त संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित है :—

1. उदयपुर से सलुम्बर वाया देबारी गेट, साकरोदा, कुराबड़, बम्बोरा मार्ग (दूरी 92 कि.मी.)

3. उदयपुर से ओरवाड़िया वाया देबारी गेट, साकरोदा, कुराबड़, जगत, गिंगला, सरका, सराड़ी मार्ग (दूरी 88 कि.मी.)

3. उदयपुर से लसाड़िया वाया देबारी गेट, साकरोदा, कुराबड़, बम्बोरा, पापुन्द मार्ग (दूरी 87 कि.मी.)

4. उदयपुर से भीण्डर वाया देबारी गेट, जिंक स्मेल्टर, साकरोदा, लक्ष्मणपुरा, मीठा नीम, बरखेड़ा, मोड़ी, बठेड़ा, खरोदा, मेपार, खेड़ली, केदारिया, भोपालपुरा मार्ग (दूरी 72 कि.मी.)

5. उदयपुर से कानोड़ वाया देबारी, पावर हाउस तिराहा, गुडली, नाहरमगरा, सालेरा, करणपुर, वल्लभनगर, तारावट, किकावास, रूण्डेरा, मेनार, कुन्तवास, चारगदिया, भीण्डर, धारता, सालेरा, डूंगला, सरेड़ा मार्ग (दूरी 109 कि.मी.)

6. उदयपुर, फतेनगर वाया देबारी गेट, पावर हाउस, तिराहा, गुड़ली, नागहमगरा, सालेरा, करणपुर, किकावास, नवानिया, रूण्डेरा, छपरा, चाईली का खेड़ा, ईटाली, बड़बई, गुण्डवा, आकोला मार्ग (दूरी 92 कि.मी.)

7. उदयपुर से फतेहनगर वाया बेदला, सियालपुर, डांगियों का गुड़ा, कावता, जागुड़िया, डिण्डोला, रामा, कैलाशपुरी, देलवाड़ा, घासा, पलाना, मावली, लदाली, चंगेड़ी, खेमपुरा मार्ग।

8. उदयपुर से वाया नाथद्वारा देबारी गेट, पावर हाउस तिराहा, गुड़ली, खेमली, घासा, पलाना, थामला मार्ग (दूरी 55 कि.मी.)

9. उदयपुर से राशमी वाया देबारी गेट, पावर हाउस तिराहा, गुड़ली, माहरमगरा, सालेरा, करणपुर, वल्लभनगर, खेमपुर, चंगेड़ी, आकोला, रावतिया, भोपालसागर जाशमा, गिलुण्ड, सुरजपुरा चौराहा, मात्रीकुण्डिया मार्ग (दूरी 127 कि.मी.)

10. उदयपुर से टपरिया खेड़ी वाया देबारी गेट, पावर हाउस तिराहा, गुड़ली, खेमली, घासा, पलाना, मावली, साकरोदा, कूचोली गांव, बनेड़िया, रेलमगरा, कुरज, सांमरा मार्ग (दूरी 109 कि.मी.)

11. उदयपुर से सायरा वाया देबाली, लियों का गुड़ा, फेनियों का गुड़ा, थूर, ईसवाल, कठार, कदमाल, केलपाड़ा, आरेठ, बरदड़ा, डुबाया, भानपुरा, ढीकोड़ा मार्ग (दूरी 107 कि.मी.)

12. उदयपुर से गांवगुड़ा वाया देवाली, लियों का गुड़ा, फेनियों का गुड़ा, थूर, ईसवाल, कड़िया, लोसिंग, धर्मराजी का गुड़ा, सांगटवाटी, कदमाल, सागराना, सारेड़ा, खेमागड़ा, माणुजा, कोशिवाड़ा, झालों की मदार मार्ग।

13. उदयपुर से मादड़ी वाया रामपुरा, काटीबुई, बुजड़ा, नाई, नान्देश्वरजी, छोटी उन्दरी, बड़ी उन्दरी, अलसीगढ़, पई, पालियाखेड़ा, बाघपुरा मार्ग (दूरी 60 कि. मी.)

14. उदयपुर से आवसीमाता वाया देबारी गेट, गुड़ली, खेमली, नान्दवेल चौराहा, सालेरा, वल्लभनगर, धमानिया, खेमपुर, बड़गांव, ईटाली, बड़बई, आकोला (विर्या) गुड़लीखेड़ा, कलमड़ा, अनिमहाराज, भादसोड़ा, सांवरियाजी मार्ग (दूरी 126 कि.मी.)

15. उदयपुर से सलुम्बर वाया रिलायंस (चुंगी नाका) कानपुर, लड़कवास स्टेण्ड, मट्नमाइंस, झामरकोटड़ा, झामेश्वरजी, मामादेव, जगत, जयसमंद, झाड़ोल, झिंगरी रोड मार्ग (दूरी 48 कि.मी.)

(179)



16. उदयपुर से झाड़ोल वाया रामपुरा, गोरला, मोखाणिया, धार, उबेश्वरजी, वाड़ीघाटी, करनाली, सुराण, बसार, देवास, लीलाघर, गोराणा, ब्राह्मणों का खेरवाड़ा' ढ़ढका मार्ग (दूरी 65 कि.मी.)

17. केशरियाजी से रानी वाया कल्याणपुर, खेरवाड़ा, छाणी मार्ग (दूरी 65 कि.मी.)

18. केशरियाजी से रानी वाया भूदर, जवास मार्ग, (दूरी 74 कि.मी.)

19. केशरियाजी से प्रतापगढ़ वाया कल्याणपुर, टांकर, इटाली खेड़ा, सलुम्बर, झलारा, धरियावद मार्ग (दूरी 173 कि.मी.)

20. सलुम्बर से खैरवाड़ा वाया पीपली, इंदिरागांधी रोड, परसाद, चायण्ड, सराड़ा वापस चावण्ड, केजड, सगतड़ा, बरा, थड़ा, सेरिया, केशरियाजी, भूदर, पादेडी कोजावाड़ा जवास मार्ग (दूरी 96 कि.मी.)

21. झाड़ोल से कन्थारिया वाया पालिया खेड़ा मार्ग (दूरी 23 कि.मी.)

22. गोगुन्दा से झाड़ोल वाया बगरून्दा, गोराना मार्ग (दूरी 61 कि.मी)

23. गोगुन्दा से झाड़ोल वाया पड़ावली, बास, गादडा, ओगणा, बारा, मोहम्मद-फलासिया बदराना मार्ग (दूरी 61 कि.मी.)

24. गोगुन्दा से स्वरूपगंज वाया जसवंतगढ़, देवला, छजा, कोटड़ा, माण्डवा, जेड़, रोहिडा मार्ग (दूरी 139 कि मी.)

25. गोगुन्दा से केलवाड़ा वाया सेमटाल, रावलियावाला, रावलिया खुर्द, विजवावाला नान्देशमा, ढोल, रुपणघाटी, कमोल चौराहा, समड़, सायरा, कलवाणा, दीपाणा, ढीकोडा, मानपुर, बदना स्टेण्ड, कलताणा, वरदड़, बेरी का मठ, आरेठ मार्ग (दूरी 76 कि मी.)

26. फतेहनगर से मारवाड़ जंक्शन वाया सनवाड, गवारडी, दरीबा, माइन्स, रेलमगरा कूरज, कुंवारिया, सरदारगढ़, आमेट, कुंआथल, देवगढ़, करमाल चौराहा, जोजावर, आहुआ मार्ग (दूरी 162 कि.मी.)

27. मीठानीम से लखावली वाया साकरोदा, बिछड़ी, जिंकस्मेल्टर, देबारी, प्रतापनगर, युनिवरसिटी केम्पस, आयड़ शास्त्री सर्कल, सहेलियों की बाड़ी, फतेहपुरा चौराहा बेदला माताजी मार्ग दूरी (दूरी 38 कि.मी)

28. कृषि उपज मंडी से उबेश्वरजी वाया उदियापोल, सूरजपोल, देहली गेट, हाथीपोल, चेटक सर्कल' आयुर्वेद सेवाग्राम, दुधिया गणेशजी, रामपुरा तिराहा, गोरेला, धार मार्ग (दूरी 25 कि.मी.)

(180)



29. उदयपुर डेयरी से डांगियों का गुड़ा वाया गोवर्धन विलास, रामसिंहजी की बाड़ी, आई.ओ.सी. डिपो, पारस सिनेमा, सिटी स्टेशन, उदियापोल, सूरजपोल, देहली गेट, हाथीपोल, चेतक सर्कल, फतेहपुरा चौराहा, साईफन, बेदला माताजी, लखावली मार्ग (दूरी 22 कि.मी.)

30. उदयपुर से कपासन वाया दाउजी की बावड़ी, देबारी, पावर हाउस, गुडली, सिमेन्ट फैक्ट्री, धुणीमाता, हवाई अड्डा, महाराज की खेड़ी, करणपुर, वल्लभनगर सियाखेड़ी, तारावट, मोरजाई, बडगांव, ईंटाली, बड़वई, नूरला, अकोला, गढ़ा, सावता, बबराना, दांता, रोलिया, कोलपुरा, दलाखेड़ा, मार्ग (दूरी 113 कि.मी.)

31. उदयपुर से झामरकोटडा वाया पुराना स्टेशन पेस्टीसाइड, मादड़ी इण्डस्ट्रियल ऐरिया, भोईयों की पचोली, लकड़वास, मोड़ एवं गांव, झामर कोटडा मार्ग (दूरी 27 कि.मी.)

32. उदयपुर से कमोल वाया देवाली, बड़ी, फेनियों का गुड़ा, थूर, ईसवाल, दापी बडली, ब्राह्मण माताजी, डुलावतों का गुढ़ा, भूताला, मोड़ी, गणेशजी का गुड़ा, गोगुन्दा, सेमटाल, सावलिया कला, रावलिया खुर्द, नान्देशमा, ढोल, कमोल मार्ग (दूरी 63 कि.मी )

33. पीपलबारा से कंथारिया वाया दमाणा, बिछली, मादड़ी, बाघपुरा, माकड़ादेव, पालियाखेड़ा, उण्डावेला, झाड़ोल, उण्डावेला, कोचला, खेरवाड़ा, सुल्तानजी, ढीमडी खेड़ा मार्ग (दूरी 57 कि.मी.)

34. उदयपुर से आबूरोड वाया देवला, बिकरनी, माण्डवा, रोहिड़ा, स्वरूपगंज जाना व आना।

35. उदयपुर से खेड़ब्रह्मा, अम्बाजी वाया कोटड़ा।

36. उदयपुर से गागेर वाया कोटड़ा।

37. उदयपुर से ओगणा वाया गोगुन्दा, वास, पड़ावली।

38. उदयपुर से सायरा वाया गोगुन्दा, नान्देशमा, ढोल, पदराड़ा शटलबस।

39. सायरा से सुरत वाया ढोल, कमोल, नान्देशमा।

40. कुम्भलगढ़ से सुरत वाया सायरा पदराड़ा, तरपाल, गोगुन्दा।

41. डूंगरपुर से स्वरूपगंज वाया खेरवाड़ा, सोम, पावरवा, कोटडा।

42. डूंगरपुर से अम्बासा (झाड़ोल) वाया छापरी, राणी।

43. उदयपुर से अहमदाबाद वाया झाड़ोल।

44. उदयपुर से केलवाड़ा वाया बरवाड़ा, करदा।

45. उदयपुर से करदा वाया गोगुन्दा, रावलिया कला, पानेर व वापस।

46. सिरोही से मामेर या कोटडा वाया देवला शटल बस सेवा।

47. कोटड़ा तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय, उदयपुर के लिए सायंकाल 4.30 बजे या 5.00 बजे बस प्रारम्भ हेतु।

मुख्य प्रबन्धक, रा. रा. पथ परिवहन निगम, उदयपुर ने अवगत कराया है कि निम्नांकित मार्गों पर आर.टी.ओ. से परमिट प्राप्त नहीं होने से वाहन संचालन रुका हुआ है।

— उदयपुर-अहमदाबाद वाया सोम।

— उदयपुर-खेरबाड़ा-डूंगरपुर वाया सोम।

— उदयपुर-ओगणा वाया गोगुन्दा।

— उदयपुर-ओगणा वाया झाड़ोल।

— कोटडा-मामेर एवं खेड़ब्रह्मा तक वाहन की बढ़ोतरी।

— कोटडा-सोम, खेरवाड़ा, डूंगरपुर।

भवदीय,
ह० /-
जिला कलक्टर
उदयपुर।

# परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 385 की सूची)

आयुर्वेद विभाग में दिनांक 15-1-1997 को विचाराधीन चल रहे, पेन्शन प्रकरणों की सूची

| क.सं. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | पद | सेवानिवृति दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | पेन्शन विभाग के स्तर पर विचाराधीन | | |
| 1. | श्री तुलसीदास | चिकित्सक | 31.01.95 |
| 2. | ,, हरिशंकर | वरिष्ठ लिपिक | 31.07.96 |
| 3. | ,, दयाचन्द | चिकित्सक | 29.02.96 |
| 4. | ,, पुरुषोत्तमलाल जोशी | चिकित्सक | 31.12.96 |
| 5. | श्रीमती सुशील देवी | नर्स | 01.08.96 |
| 6. | श्री वासुदेव शर्मा | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 7. | ,, मोहनलाल शर्मा | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 8. | ,, गिरधारीदास | कम्पाउण्डर | 30.01.93 |
| 9. | ,, चुन्नालाल | चिकित्सक | 07.05.96 |
| 10. | ,, बद्रीलाल सोनी | कम्पाउण्डर | 30.04.95 |
| 11. | ,, रामजीलाल | चिकित्सक | 31.07.94 |
| 12. | ,, मोहनलाल | कम्पाउण्डर | 30.09.95 |
| 13. | ,, अमरनाथ | कम्पाउण्डर | 30.06.96 |
| 14. | ,, गोविन्द नारायण | चिकित्सक | 30.06.96 |
| 15. | ,, मामचन्द जैन | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 16. | ,, घनश्याम जैन | कम्पाउण्डर | 30.11.96 |
| 17. | ,, रामचन्द्र पारीक | चिकित्सक | 31.07.96 |
| 18. | ,, प्रेम | चतुर्थ श्रेणी | 30.06.96 |
| 19. | ,, भंवरसिंह | चतुर्थ श्रेणी | 31.07.94 |
| 20. | ,, रूपशंकर पुरोहित | कम्पाउण्डर | 31.07.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21. | श्री मोहनलाल तिवारी | चिकित्सक | 05.07.96 |
| 22. | ,, नटवरलाल | चिकित्सक | 31.10.96 |
| 23. | ,, अमरसिंह | कम्पाउण्डर | 30.09.96 |
| 24. | ,, भगवानदास मिश्रा | चिकित्सक | 29.02.96 |
| 25. | ,, इन्द्रसिंह आर्य | चिकित्सक | 31.07.96 |
| 26. | ,, नानकचन्द शर्मा | चिकित्सक | 31.08.96 |
| 27. | ,, नवनीतलाल | कनिष्ठ लिपिक | 31.03.90 |
| 28. | ,, नत्थीलाल | चतुर्थ श्रेणी | 24.02.92 |
| 29. | ,, भीमराज जाट | कम्पाउण्डर | 30.06.96 |
| 30. | ,, कीर्तिराम शर्मा | चिकित्सक | 30.09.96 |
| 31. | ,, श्यामलाल शर्मा | कम्पाउण्डर | 30.11.96 |
| 32. | ,, बुद्ध रंजन शर्मा | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 33. | ,, प्रभुदयाल शर्मा | जिला आयु. अधिकारी | 30.07.96 |
| 34. | ,, कृष्णगोपाल गुप्ता | जिला आयु. अधिकारी | |
| 35. | ,, नानकराम गुप्ता | कार्यालय सहायक | 28.06.96 |
| 36. | ,, केशवदेव | कम्पाउण्डर | 30.06.96 |
| 37. | ,, इन्द्रदत्त शर्मा | कम्पाउण्डर | 31.12 96 |
| 38. | ,, रामधन | कम्पाउण्डर | 18 11.88 |
| 39. | ,, राधेश्याम पारीक | कनिष्ठ लिपिक | 31.08.90 |
| 40. | ,, एम पी. सिंह राठौड़ | कार्यालय सहायक | 30.04.96 |
| 41. | ,, उदयसिंह गौड़ | कम्पाउण्डर | 08.05.95 |
| 42. | ,, भंवरसिंह | चतुर्थ श्रेणी | 25 07.95 |
| 43. | ,, नत्थाराम | चतुर्थ श्रेणी | 01.04.96 |
| 44. | श्रीमती गोपालीबाई | चतुर्थ श्रेणी | 14.04.96 |
| 45. | श्री मोहम्मद मोहसिन | हकीम | 06.09.96 |
| 46. | ,, सुखदेव प्रसाद | चतुर्थ श्रेणी | 31.12.95 |
| 47. | ,, मुरलीधर व्यास | कम्पाउण्डर | 06.11.96 |
| 48. | ,, शिवकुमार जोशी | कम्पाउण्डर | 09.11.96 |

(184)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | अधिनस्थ कार्यालय स्तर पर विचाराधीन | | |
| 49. | श्री मदनलाल गौतम | चिकित्सक | 31.10.92 |
| 50. | ,, किशनलाल | वाहन चालक | 30.06.96 |
| 51. | ,, जमनालाल | कम्पाउण्डर | 31.10.95 |
| 52. | ,, महावीरसिंह | चिकित्सक | 31.08.92 |
| 53. | ,, बलभद्र सोलंकी | कम्पाउण्डर | 31.03.96 |
| 54. | ,, विद्यासागर | कम्पाउण्डर | 30.06.95 |
| 55. | ,, उदयराम स्वामी | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 56. | ,, खिल्लूराम | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 57. | ,, भगवानदत्त शर्मा | कम्पाउण्डर | 22.10.96 |
| 58. | ,, भगवानसहाय | चिकित्सक | 31.12.95 |
| 59. | ,, रामजीलाल | कम्पाउण्डर | 31.01.96 |
| 60. | ,, घनश्याम | कम्पाउण्डर | 31.05.96 |
| 61. | ,, रामसिंह नरूका | कम्पाउण्डर | 31.10.96 |
| 62. | ,, रामविलासजैन | कम्पाउण्डर | 11.03.96 |
| 63. | ,, बाबूलाल शर्मा | वरिष्ठ लिपिक | 31.12.96 |
| 64. | ,, रामबाबू शर्मा | चिकित्सक | 30.11.96 |
| 65. | ,, प्रवीणसिंह | चिकित्सक | 27.02.96 |
| 66. | ,, मगनी रोत | कम्पाउण्डर | 28.05.96 |
| 67. | ,, हरगोविन्द परमार | कम्पाउण्डर | 31.10.96 |
| 68. | ,, बृजगोविन्द | कम्पाउण्डर | 31.12.96 |
| 69. | ,, सम्राटलाल | चिकित्सक | 31.12.96 |
| 70. | ,, श्याम बाबू | वरिष्ठ लिपिक | 30.09.93 |
| 71. | ,, देवीप्रसाद | चिकित्सक | 31.08.91 |
| 72. | ,, राधाकिशन | कम्पाउण्डर | 30.06.96 |
| 73. | ,, कृष्णलाल द्विवेदी | चिकित्सक | 31.01.94 |
| 74. | ,, ब्रह्मानन्द | चिकित्सक | 31.01.95 |

(185)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 75. | श्री नाथूलाल | कम्पाउण्डर | 30.09.96 |
| 76. | ,, गोपीराम | चिकित्सक | 31.01.83 |
| 77. | ,, बालसहाय | कम्पाउण्डर | 28.06.96 |
| 78. | ,, गोपालदास | कम्पाउण्डर | 06.02.96 |
| 79. | ,, बंशीधर | कम्पाउण्डर | 31.05.94 |
| 80. | ,, नटवरलाल | चिकित्सक | 30.11.89 |
| 81. | ,, छगनलाल | कम्पाउण्डर | 30.04.96 |
| 82. | ,, जगदीशप्रसाद | चतुर्थ श्रेणी | 30.09.96 |
| 83. | ,, गिरीराजप्रसाद धाकड़ | कम्पाउण्डर | 12.07.96 |
| 84. | ,, ब्रह्मानन्द शर्मा | चिकित्सक | 31.03.96 |
| 85. | ,, गोपाल शर्मा | कम्पाउण्डर | 30.11.96 |
| 86. | ,, कल्याणसिंह | कम्पाउण्डर | 31.05 96 |
| 87. | ,, राधेश्याम शर्मा | जिला आयु. अधिकारी | 31.10.96 |
| 88. | ,, वासित अली | सहा. निदे. यूनानी | 31.01.96 |
| 89. | ,, मोज्जम खां | चतुर्थ श्रेणी | 31.03.96 |
| 90. | ,, मदनलाल धाकड़ | कम्पाउण्डर | 02.08.96 |
| 91. | ,, हनुमानसिंह राठौड़ | चिकित्सक | 25 09.96 |
| 92 | ,, देवशंकर शर्मा | निदेशक | 30.11.96 |
| 93. | ,, भवानीशंकर सोती | कम्पाउण्डर | 31.12.96 |
| 94. | ,, लालूप्रसाद शर्मा | चिकित्सक | 31.12.96 |
| **राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन** | | | |
| 95 | श्री यदुनन्दन शर्मा | कम्पाउण्डर | 01.02.92 |
| 96. | ,, गुलाबचन्द सिंघवी | कनिष्ठ लेखाकार | 01.05.91 |
| 97. | ,, देवव्रत शर्मा | कम्पाउण्डर | 30.04 92 |
| **विभागीय जांच के कारण विचाराधीन** | | | |
| 98. | श्री जनार्दन भारद्वाज | उपनिदेशक | 30.09.93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 99. | श्री भगवती प्रसाद जोशी | जिला आयु. अधिकारी | 30.09.82 |
| 100. | ,, सूर्यनारायण शर्मा | जिला आयु. अधिकारी | 31.07.96 |
| 101. | ,, रामनिवास जोशी | उपनिदेशक | 31.01.92 |
| 102. | ,, हरिमोहन शर्मा | उपनिदेशक | 31.05.94 |
| 103. | ,, बाबूलाल सखेरा | वरिष्ठ लिपिक | 30.06.96 |
| 104. | ,, बनवारीलाल | वरिष्ठ लिपिक | 31.10.96 |
| 105. | ,, गणपतिलाल हारित | जिला आयु. अधिकारी | 30.11.9[illegible] |
| | **न्यायालय वाद के कारण विचाराधीन** | | |
| 106. | श्री बृजमोहन शर्मा | कम्पाउण्डर | 30.04.[illegible]9 |
| 107. | ,, कल्याणदेव | चिकित्सक | 28.02.[illegible]3 |
| | **उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अभाव में विचाराधीन** | | |
| 108. | श्रीमती सुशीला देवी | चतुर्थ श्रेणी | 07.0[illegible].94 |
| 109. | श्री नारायणलाल | श्रमिक | 07.[illegible].86 |
| 110. | ,, कालूराम रोत | कम्पाउण्डर | 07.[illegible]7.90 |
| 111. | ,, हनुमानप्रसाद | चतुर्थ श्रेणी | 15.[illegible]2.95 |
| 112. | श्रीमती ग्रोलिफ जोसेफ | नर्स | 12.03.94 |